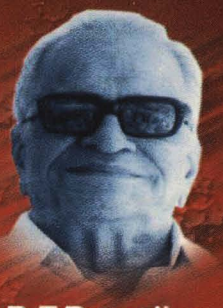

B.T.Ranadive

P.Ramamurti

CITU 12

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನ

अखिल भारतीय सम्मेलन

CITU 12th ALL INDIA CONFERENCE

Jan. 17-21, 2007

COM. SURYANARAYANA RAO NAGAR

PALACE GROUND, BANGALORE

सम्मेलन के दस्तावेज

K. Ramani

Amal Ghose Dastidar

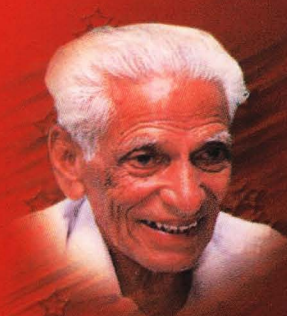

C. Kannan

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನ
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
I January 17-21, 2007 I BANGALORE I

कार्यसूची

1. शोक प्रस्ताव
2. अध्यक्षीय भाषण
3. महासचिव का रिपोर्ट
4. वर्ष 2003, 2004 और 2005 के लेखाजोखा की रिपोर्ट
5. छः कमिशनों की रिपोर्ट और उन पर बहस
6. कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर सीआईटीयू के दायित्वों पर घोषणापत्र
7. प्रस्ताव
8. कार्यकारिणी, जनरल काउंसिल और पदाधिकारियों का चुनाव
9. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

अखिल भारत सम्मेलन
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
I January 17-21, 2007 I BANGALORE I

अधिवेशन के दस्तावेज संलग्निकाओं की सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1.	कार्यसूची	2
2	संलग्निकाओं की सूची	3
3.	महाधिवेशन की समय सारणी	4
4.	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस– समय का आबंटन (In English)	6
5.	स्वागत भाषण	7
6.	अध्यक्षीय भाषण	11
7.	महासचिव की रिपोर्ट	23
8.	कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट	49
9.	अनुलग्निकाएं:	
	1. कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर सीआईटीयू के दायित्व और घोषणापत्र	51
	2. वर्ष 2003, 2004 और 2005 के लेखाजोखा की रिपोर्ट (In English)	53
	3. सीआईटीयू राज्यावार सदस्य संख्या के आंकड़े(In English)	65
	4. बी टी रणदिवे स्मारक कोष(In English)	66
	5. ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिए पी राममूर्ति संस्थान एवं शोध कोष (In English)	67
	6. सुनामी पीड़ितों की राहत के लिए धन एकत्रित करना (In English)	68
	7. जनरल कांउसिल के सदस्यों की राज्यवार संख्या (In English)	69
10.	गतिविधियों की रिपोर्ट	71
11.	प्रस्तावों का प्रारूप (In English)	99
12.	कमिशन के दस्तावेज:	
	1. अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन: हाल ही कुछ घटनाएं और एकता का सुदृढ़ीकरण	103
	2. न्यायपालिका और भारत का श्रमिक वर्ग	117
	3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र श्रमिक वर्ग का दृष्टिकोण	129
	4. ठेकेदारी एवं आउटसोर्सिंग के खतरे	145
	5. विशेष आर्थिक अंचल (सेज़)	155
	6. विश्व व्यापार संगठन: वर्तमान मुद्दे और चुनौतियां	165
13.	सूचनापरक दस्तावेज:	
	1. अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की संयोजक की रिपोर्ट	177
	2. अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के आंठवें सम्मेलन में प्रस्तुत "असंगठित क्षेत्र में महिलाएं" विचार के लिए दस्तावेज	192

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

अखिल भारत सम्मेलन
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
I January 17-21, 2007 I BANGALORE I

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

समय–सारणी

17.1.2007:	सुबह 10.00 बजे	:	अधिवेशन जत्थों का स्वागत
	10.30 बजे	:	झंडा रोहण– शहीदों को श्रद्धांजली
	11 बजे–1.30 बजे तक	:	उद्घाटन सत्र
			स्वागत भाषण
			शोक प्रस्ताव
			अध्यक्षीय भाषण
			अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा बधाई
			कर्नाटक के कामकाजी लोगों को
			बधाई प्रस्ताव
	3.30 बजे–सांय 5.30 तक:		प्रतिनिधि सत्र
			महासचिव की रिपोर्ट
			कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट
	6.00 बजे–8.00 बजे तक :		प्रतिनिधि सत्र
			अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की बधाई
			अधिवेशन के लिए भेजे गए बधाई संदेश
			महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
18.1.2007:	सुबह 9.30–1.30 बजे तक:		प्रतिनिधि सत्र
	सायं 3.30–8.00 बजे तक:		प्रतिनिधि सत्र
			महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
			जन संगठनों से बधाई
19.1.2007:	सुबह 9.30–1.30 बजे तक:		प्रतिनिधि सत्र
			महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	3.30 से 8.00 बजे तक	:	कामकाजी महिलाओं के कार्यों के
			ड्राफ्ट डिकलरेशन पर बहस
20.1.2007:			
	सुबह 9.30 बजे से 1.30 बजे तक:		कमिशनों पर बहस
	3.30 से 5.30 बजे तक	:	कमिशनों पर बहस
	6.00 से 8.00 बजे तक	:	सीटू सचिव मंडल की बैठक

21.1.2007:	सुबह 9.30 बजे से 1.30 बजे तक :		प्रतिनिधि सत्र विभिन्न कमिशनों की रिपोर्ट और उस पर बहस परिचय पत्र कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकारना महासचिव द्वारा बहस का जवाब और रिपोर्ट पारित करना लेखाजोखा की रिपोर्ट को स्वीकारना जनरल काउंसिल और पदाधिकारियों का चुनाव
	1.00 बजे	:	जनरल काउंसिल की बैठक
	1.30 बजे	:	कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव अध्यक्ष का समापन भाषण धन्यवाद प्रस्ताव
	4.00 बजे	:	विशाल रैली

चाय (सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक और सांय 5.30 से 6.00 बजे तक)
दोपहर का भोजन (1.30 से 3.30 बजे तक)

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

DEBATE ON REPORT OF THE GENERAL SECRETARY
TIME ALLOCATION FOR STATE-WISE DELEGATIONS

NAME OF THE STATE	Time allocated (Minutes)
Andaman & Nicobar	7
Andhra Pradesh	25
Arunachal Pradesh	5
Assam	10
Bihar	10
Chhattisgarh	10
Delhi	10
Goa	7
Gujarat	10
Jammu & Kashmir	10
Jharkhand	10
Haryana	10
Himachal Pradesh	10
Karnataka	12
Kerala	60
Madhya Pradesh	10
Maharashtra	10
Manipur	5
Orissa	12
Punjab	12
Rajasthan	10
Sikkim	5
Tamilnadu	30
Tripura	15
Uttar Pradesh	10
Uttaranchal	10
West Bengal	80
Industrial Federations*	55
CITU Centre	10

(Time allocation has been done keeping provision for translation time)

*(*In Anganwadi, Beedi, Coal, Construction, Electricity, FCI, Oil, Plantation, Road Transport, Steel, Water Transport sectors)*

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

स्वागत भाषण

प्रिय साथियों, गणमान्य अतिथियो, भ्रातृ प्रतिनिधिगण और अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के प्रतिनिधियो,

बंगलौर में होने जा रहे सीआइटीयू के इस महत्त्वपूर्ण अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पधारे आप सभी साथियों का मैं स्वागत समिति तथा बंगलौर शहर की ओर से पूरी गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं।

औपनिवेशिक शासन के समय बंगलौर एक महत्त्वपूर्ण सैनिक छावनी हुआ करता था; विकास के अनेक चरणों में से गुजर कर यह शहर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता हुआ अपने इस मौजूदा चरण में पहुंचा है। आज यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आकर्षण का एक बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुका है। सामंत युग में विजय नगर साम्राज्य के समय से ही इस शहर ने मजबूती के साथ विकास किया था। शासक बदलते गए पर इसकी विकास यात्रा पूर्वतः जारी रही। सुलतान शाही में ही यहां तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया जाता रहा है। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर हुआ। उस समय यहां 'मिसाइल' का प्रारम्भिक रूप विकसित किया जा चुका था। उन मिसाइलों का उपयोग ब्रिटिश सेनाओं पर हमलों के समय जम कर किया गया था। यह शहर एक छावनी से विकसित होता हुआ पेन्शन भोगियों का स्वर्ग बन गया और इसके चलते आगे चल कर 'गार्डन' टाउन की बुनियाद पड़ गई। आगे चल कर यह शहर कपड़ा उद्योग के मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र के रूप में विकसित हुआ और अपने उत्पाद बिन्नी फैबरिक्स के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही साथ इस शहर ने रेशम उत्पादन, सिल्क, अगरबत्ती इत्यादि का विकास भी किया। हवाई अड्डा होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहां लड़ाकू विमानों की सर्विसिंग हुआ करती थी। इस प्रक्रिया में इसने सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय इकाईयों के मामले में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शहर के रूप में विकास किया है। यह शहर इलेक्ट्रानिक्स, एयरोस्पेस उद्योग का एक बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। वर्तमान में इस 'भारत की सिलिकोन वैली' के रूप में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया में बंगलौर का वर्तमान में 'विशाल बंगलूरू' बन चुका है।

इस प्रक्रिया में अनेक महान व्यक्तित्व इस शहर से जुड़ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख कैम्पा गोवडा थे। उन्होंने बंगलौर का निर्माण किया और इसके चार गुम्बदों की स्थापना का काम किया। इन्हीं में से एक गुम्बद अथवा टावर के निकट हम यह सभा कर रहे हैं। एक बार शिवाजी ने इस पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था; हैदर अली तथा टीपू ने बाद में इसका और विकास किया। सुप्रसिद्ध लाल बाग जहां संयोगवश इस महाधिवेशन के अंतिम दिन बेहद प्रसिद्ध 'फूलों की प्रदर्शनी' का आयोजन होने जा रहा है, का विकास भी उन्हीं की ओर से किया गया था। जिन ब्रिटिश सिपाहियों ने यहां काम किया था, उनमें विंस्टन चर्चिल भी शामिल हैं। एम विश्वेश्वरैय्या, सी वी रमन और अनेक सुप्रसिद्ध इंजीनियर एवं वैज्ञानिक इस शहर में रहे और उन्होंने इस शहर को और विकसित करने में सहायता दी। टाटा इंस्टीच्यूट जिसे आज भारतीय विज्ञान संस्थान के नाम पर जाना जाता है होमी भाभा, विक्रम साराभाई,

डी डी कोसाम्बी, सतीश धवन तथा अनेक अन्य महान व्यक्तियों की गतिविधियों का केन्द्र रहा है।

इस औद्योगिक विकास यात्रा और शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ ही साथ इस शहर ने देश के लगभग सभी कोनों में रहने वाले श्रमजीवी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कलासिपलायम जहां सुलतानों के समय पहली 'मिसाइलें' बनाई गई थीं, के समय से लेकर एचएएल, आइटीआइ, बीईएल, एचएमटी इत्यादि की श्रमिक बस्तियों जहां आधुनिक सर्वहारा ने जन्म लिया है, तक इस शहर ने आज के आइटी एवं बीटी कारोबारियों के एचआर क्षमता का विकास किया है। यही नहीं, इस शहर ने न केवल अपने देश अपितु विश्व के अनेक भागों के नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित किया है; उन सबने इसके विकास में अपना योगदान दिया है।

श्रमिक वर्ग का विकास उसके संघर्षों और सत्ताधारी श्रेणियों की ओर से दिए गए प्रत्युत्तर की प्रक्रिया में हुआ। इसी प्रक्रिया में इस महान शहर का राजनीतिक स्वरूप उभर कर सामने आया है। कपड़ा उद्योग के श्रमिक अपने रोजगार की स्थितियों में सुधार लाने के लिए संघर्ष की अग्रिम पंक्तियों में रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी खुद को व्यस्त रखा था। उनमें से अनेक श्रमिकों ने चालीस के दशक में शहादत हासिल की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय इंजीनियरिंग संस्थान के श्रमिकों ने 1980–81 में बहुत बड़ी हड़ताल की थी; यह हड़ताल पूरे चार महीने जारी रही थी; यह एक ऐतिहासिक हड़ताल थी, इसमें संदेह नहीं। इस हड़ताल ने राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी अवधि में माइको एवं आइटीसी श्रमिकों की ओर से भी संघर्ष किए गए; इन संघर्षों ने आगे चल कर दूसरे संघर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिनमें वस्त्र उद्योग के श्रमिकों का संघर्ष, बीपीएल श्रमिकों, हेजाला फायरिंग एवं टोयटा के श्रमिकों का संघर्ष भी शामिल है। ये सभी संघर्ष अभी पिछले वर्ष ही किए गए थे।

इन संघर्षों के परिणामस्वरूप अस्सी के दशक के शुरू में इस शहर का राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया और इस ध्रुवीकरण ने आगे चल कर तानाशाही विरोधी तथा जनवाद समर्थक आंदोलन के रूप में विकास किया। श्रमिक वर्ग ने इस आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1975–77 में देश में आंतरिक आपातकाल के दिनों से ही राज्य में श्रमिक आंदोलन ने तेजी से प्रगति की है और आज यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन चुका है। उसके बाद बनने वाली जनता सरकार के समय भी यह आंदोलन निरंतर जारी रहा और विकास करता हुआ मौजूदा स्थिति में पहुंचा है। फिर भी, राज्य के श्रमिक वर्ग ने एक ऐसी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक ताकत जो राज्य की राजनीति एवं शासन व्यवस्था में मजबूती के साथ दखल दे सके, के रूप में अब भी विकसित होना है।

बंगलौर शहर इस घटनाक्रम के मामले में सदा आगे रहा है; इसका मतलब यह नहीं कि कर्नाटक के शेष भाग पीछे रहे हैं। पूरे कर्नाटक राज्य में सत्तर के दशक के अंत में अनेक संघर्ष चलाए गए। इन संघर्षों के फलस्वरूप कर्नाटक की स्थितियों में भारी बदलाव आया। श्रमिक आंदोलन के लिए यह राज्य एक सुरक्षित टिकाणा बन गया और इसे हम श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले एक अग्रणी क्षेत्र का नाम दे सकते हैं। सत्तर के दशक के अंत से लेकर अस्सी के दशक के शुरू तक जनवादी प्रक्रिया के माध्यम से श्रमिक संघों की मान्यता के लिए अनेक संघर्ष चलाए गए; इन संघर्षों ने इस प्रक्रिया में अपना विशेष योगदान दिया है।

उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद की अवधि में श्रमिक वर्ग का संगठन व्यापक स्तर पर प्रभावशाली बन चुका है। समेकित बाल विकास सेवाओं, स्थानीय सरकारों, दोपहर के खाने के कार्यक्रमों में शामिल तथाकथित 'स्वयं सेवी श्रम' (दूसरे शब्दों में श्रमिकों) ने लाल झण्डे हाथों में लेकर कर्नाटक के अलग–अलग भागों से बंगलौर की ओर न जाने कितनी बार मार्च किया है। हाल ही में किए गए मार्च के चलते पूरे शहर को लाल रंग में रंग दिया गया था।

इन बढ़ते संघर्षों की बदौलत सीआइटीयू ने बंगलौर तथा कर्नाटक में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण श्रमिक संगठन के रूप में विकास किया है। हमें यह साहस प्रदान किया है कि हम राज्य में पहली बार इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन

का आयोजन करने के लिए आपको निमंत्रण दे सकें।

हमारी बहुत सीमाएं हैं; यह सब हम जानते हैं; इस पर भी हमने इतने बड़े महाधिवेशन का आयोजन करने का बीड़ा उठाया है। जनता की दूसरी जनवादी श्रेणियों के साथियों के सक्रिय सहयोग से हमने न केवल राज्य स्तरीय बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वागत समितियों का गठन किया है; अकेले बंगलौर शहर में ही इस तरह की 33 स्वागत समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में शामिल हमारे साथी जनता के बीच गए और इस महाधिवेशन के आयोजन के लिए उनसे सहायता करने का अनुरोध किया। बंगलौर भले ही देश का सबसे अधिक आधुनिक शहर है, पर यहां केवल एक स्थायी ढांचे में इतने अधिक साथियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने योग्य अंदरूनी ढांचा नहीं है। हमें पैलेस ग्राउंड के इस पूरे क्षेत्र में सम्मेलन स्थल का निर्माण करना पड़ा है। यदि बंगलौर तथा पूरे कर्नाटक के लोग हमारे साथ सहयोग न करते और लगातार हमारे साथ खड़े न रहते तो हमारे लिए यह सब कर पाना कदापि सम्भव नहीं था।

हमें, देश में श्रमिक आंदोलन के गणमान्य एवं प्रख्यात नेताओं जिन्होंने श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक जुझारू संघर्षों का नेतश्त्व किया है, गुण्डा गिरोहों का सामना किया है, पुलिस तथा सभी तरह के असामाजिक तत्वों के दमन चक्र को झेला है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, को अपने बीच पाकर और उनका आतिथ्य करके अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं; हमें इस पर गर्व है। हम आप पर अपने प्यार और स्नेह की वर्षा कर देंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ आपको आतिथ्य प्रदान करेंगे। यदि कोई कमजोरी रह जाती हैं तो मेहरबानी करके एक सच्चे कामरेड की भावना से उसे हमारे ध्यान में लाने का कष्ट करें।

हमें विशेष तौर पर इस महाधिवेशन में भाग लेने के लिए पधारे अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के प्रतिनिधियों को अपने बीच पाकर और अधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये साथी लम्बी दूरियां तय करके यहां पहुंचे हैं; इससे हम सबको प्रेरणा मिली है। हम सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद के झण्डे को बुलंद रखने का प्रण करते हैं।

हमें प्रसन्नता है कि भ्रातश श्रमिक संगठनों के अनेक प्रतिनिधि सीआइटीयू के निमंत्रण को स्वीकार करके इस महाधि ावेशन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं। यह महाधिवेशन 14 दिसम्बर, 2006 की शानदार देशव्यापी हड़ताल के तत्काल बाद हो रहा है।

हम पूरी गर्मजोशी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम श्रमिक वर्ग की एकता के लिए कोई कोर–कसर शेष नहीं छोड़ेंगे और अपने देश तथा पूरे विश्व में इस सामाजिक प्रगति में अपना विशेष योगदान देंगे।

मजदूर वर्ग की एकता जिंदाबाद!
सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद जिंदाबाद!
सीआइटीयू जिन्दाबाद!
इंकलाब जिन्दाबाद!

वी जे के नायर
अध्यक्ष, स्वागत समिति

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियों,

हम लोग पिछले सम्मेलन में दिसम्बर 2003 में चेन्नई में मिले थे। उसके बाद से इसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जिनका दीर्घकालीन असर हमारी दुनिया पर पड़ेगा। हमारे देश में भी आर्थिक व राजनीतिक दायरों में विशाल बदलाव आए हैं जो जनता के रोजगार पर असर डालते है।

मैं मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करूगां क्योकि राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में हमारे महामंत्री विस्तार से व्याख्या करेंगें। मेरे भाषण में सिर्फ राष्ट्रीय पहलुओं को लिया जायेगा जिनका पूरी दुनिया के लिए महत्व है।

अमरीका में मंदी–: पिछले तीन सालों से अमरीकी अर्थव्यवस्था में जो अल्पकालिक उछाल चल रहा था वह खत्म हो गया है और मंदी के लक्षण साफ नजर आ रहे है। 'दि इकॉनोमिस्ट' नामक पत्रिका ने नोट किया है कि ,'' अल्पकाल मे अमरीकी अर्थतंत्र निश्चित तौर पर धीरे चल रहा है जैसा कि हाल के जी0 डी0 पी0 आकड़ों द्वारा दिखाया जाने की सम्भावना है। अमरीका की आर्थिक गति की सीमा– यानी वह रतार जिस पर बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए अर्थतंत्र बढ़ सकता है– कम होती जा रहीं है। जल्द ही यह दर 2. 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक गिर जायेगी, जो पिछले 100 वर्षो में सब से कम होने का अनुमान है।'' 'दि इकॉनोमिस्ट, 28 अक्टू– 3 नवम्बर 2006)
प्रमुख पूंजीवादी देशों में 2007 में सकल घरेलू उत्पाद ;जी. डी. पी की बढ़ोत्तरी दर अनुमान इस प्रकार है–:

जापान	1.2 प्रतिशत
जर्मनी	1.4 ,,
ब्रिटन	2.4 ,,
फांस	2 ,,
इटली	1.2 प्रतिशत
कनाड़ा	2.5 ,,
स्पेन	2.8 ,,
बेल्जियम	1.9 ,,
नीदरलैण्ड्स	2.2 ,,

यदि पूरे यूरोपीय संघ को देखें तो औसत बढ़ोत्तरी दर सिर्फ 1.9 प्रतिशत अनुमानित है।

उत्पादन तकनीकों में हुए क्रान्तिकारी बदलावों के बावजूद उन्नत पूंजीवादी देशों की आर्थिक बढ़ोत्तरी की यह दशा, वास्तव में उनकी व्यवस्था की अक्षमता को दिखाती है। पूंजीवाद, तकनीक का इस्तेमाल करके समाज की उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा पा रहा है। आम जनता के हाथ में खरीदने की ताकत कम होने के कारण, उनका माल देश के अंदर बिक नहीं पाता। अतः उन देशों को निर्यात करने का प्रोत्साहन दिया जाता है जहाँ खरीदने की क्षमता है। चीन में अक्टूबर 2006 तक औद्योगिक उत्पादन की बढ़ोत्तरी दर 14.1 प्रतिशत थी। इस बढ़ोत्तरी दर को 25 साल से बरकरार रखा जा सका है क्योंकि उत्पादन के साथ साथ जनता की खरीदने की ताकत भी बढती गई है। इस सच्चाई से ही समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता साबित हो जाती है।

दुनिया में बढ़ती असमानता–: संयुक्त राष्ट्र के' वर्ल्ड इन्स्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकनामिक्स रिसर्च' द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया भर में असमानता में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। दुनिया में ध न–दौलत के वितरण को यदि देखा जाय तो पता चलता है कि सब से अमीर एक प्रतिशत लोग, दुनिया की 40 प्रतिशत दौलत पर कब्जा जमाएं हुए है।

पूरी दुनिया की धन दौलत का मूल्य करीब 125 अरब डॉलर है। शोध से पता चलता है कि दुनिया के सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में इस आपार दौलत का 85 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरी तरफ दुनिया की कुल वयस्क आबादी के 50 प्रतिशत लोगों के पास दुनिया की धन दौलत का सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा है। भारत इस सूची में बिलकुल तले के पास है–यह प्रतिव्यक्ति धन सिर्फ 1100 डॉलर करीब रू. 49500 है।

दुनिया के अति धनी लोगों में वित्तीय सेवाएँ और इन्टरनेट क्षेत्र के लोग बहुतायत में हैं। इनमें से एक तिहाई ज्यादा अमरीका में रहते है, 27 प्रतिशत जापान में, 6 प्रतिशत यू. के. में और 5 प्रतिशत फ्रांस में।

भारत के मुकाबले, प्रमुख पूजींवादी देशों में प्रतिव्यक्ति धन मात्रा कहीं ज्यादा है। सन 2000 में प्रतिव्यक्ति धन की मात्रा 1,27,000 डॉलर जापन में 1,81,000 तथा अमरीका में 1,44,000 थी।

हालांकि वैश्वीकरण के झंडाबरदार, धन दौलत के इस विशाल जमावेड़े को आर्थिक बढ़ोत्तरी तेज करने के लिए जरूरी समझते है मगर, यह देखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 80 करोड़ लोग भूख के शिकार है, इसे कतई जायज नहीं माना जा सकता। वैश्वीकरण के द्वारा करीबी का खत्मा एक भ्रम है और वर्तमान नीतियों के चलते यह कभी भी पूरा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के आम लोगों और मजदूर वर्ग पर सोलह साल से चल रहे वैश्वीकरण ने विपत्तियों को बोझ लाद दिया है। विश्व बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा देने के नाम पर लागत कम करने के लिए कामगारों की छटनी की जा रहीं है जिससे मजदूर वर्ग काम का बोझ बढ़ता जो रहा है। हर जगह बढ़ते काम के घन्टे और बिगड़ते काम के हालात नजर आ रहे है। आपसी होड़ के इस माहौल से हार कर पूरी दुनिया में लाखों ओद्यौगिक इकाईयाँ बंद होने पर मजबूर हो गई है तथा बडी संख्या में मजदूरों को सड़क पर धकेल दिया गया है। जहाँ आवश्यक वस्तुओं के दामों में पूरी दुनिया में बढ़ोत्तरी जारी है, वहीं वेतनों में इसके बराबर बढ़ोत्तरी न होने के कारण मजदूर वर्ग के जीवन स्तर में लगातार गिरावट आती गई है।

सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं पर जबरदस्त हमला चल रहा है। ''श्रम सुधार'' के नाम पर पेंशन सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं को सीमित किया जा रहा है।' श्रम बाजार में लचीलापन लाने के नाम पर दुनिया के अधिकांश देशों में मनमर्जी से 'काम पर रखो और निकालो' का अधिकार दे दिया गया है। महिला कामगारों को खास तौर पर हमले का निशाना बनाया जा रहा है–छटनी अभियान में सबसे पहले उन्हीं को निकाला जाता है।

दुनिया भर के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र व विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम कानून लागू नहीं किये जाते। हड़ताल के अधिकार समेत, मजदूर वर्ग के तमाम ट्रेड यूनियन अधिकारों को बडी तेजी के साथ खत्म किया जा रहा है जैसे आई. एल. ओ. ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन को' हाशिए पर धकेले जाने की संज्ञा दी है। आई. एल. ओ के महानिर्देशक

का सम्मानजनक काम का आहवान भी लागू न हो सका जिसकी आलोचना में उन्होने इसे ' सम्मानजनक काम में घाटा'' कहा।

नाटो के विस्तार की राजनीति–: हालकि शीत युद्ध खत्म हो चुका है मगर अमरीकी साम्राज्यवाद दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नाटों का विस्तार कर रहा है। पूर्व यूरोप के देशों को नाटों में शामिल करने के बाद यूक्रेन तथा जार्जिया को भी इसमें शामिल करने की कोशिश चल रही है। इतनी ही नहीं, दक्षिण कोरिया न्यूजीलेंन्ड, आस्ट्रेलिया, और इज़राइल जैसे देशों तक को सदस्य बनाने की बातें खुले तौर पर की जा रही है। नाटों के सैनिक परिक्षण केन्द्रों में पाकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस तरह से नोटों अपने दायरें से कहीं आगे फैल रहे है। वह अफगानिस्तान में पहले ही मौजूद है जहाँ सैनिकों की संख्या 17 हजार तक पहुँच चुकी है।

रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ अच्छे रिश्ते बनाऐं रखें है और रूस की कुछ प्रमुख सरकारी कम्पनियों पर अमरीकी नियत्रण की भी इजाजत दे दी है। कुछ मध्य एशियाई गणतंत्रों में तो अमरीकी सेना की टुकड़िया तक तैनाद की गई थी। मगर अब पुतिन को यह चिन्ता होने लगी है कि नाटों की जंजाल के ज़रीए अमरीका रूस को घेर रहा है। इसके चलते रूस और अमरीका में कलह पैदा हो गई है। परिणाम बस स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल के सम्पन्न ऊर्जा साधनों पर अमरीकी साम्राज्यवाद अपना कब्जा जमाने में नाकाम रहा। अमरीका इस बात से बहुत चिंतित है कि आज रूस यूरोपीय देशों को तेल व गैस सप्लाई करने वाला प्रमुख राष्ट्र बन गया है। रूसी तेल पर बढ़ती निर्भरता अमरीकी प्रशासन की नींद उड़ाए हुए है।

हाल के दिनों में यह भी देखा गया कि रूसी नेतृत्व इस बात के अथक प्रयास कर रहा है कि भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में अमरीका को अपना प्रभाव फैलाने का मौका न मिले। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी के चलते रूसी सरकार ने पूर्वी देशों में अपना प्रभाव फैलाया है।

शांघाई सहयोग संगठन–: सन 2001 के शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गीजिस्तान ने मिलकर शांघाई सहयोग बनाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया इसमें 4 ऐशियाई देशों को पर्यवेक्षक के रूप में अमंत्रित किया गया है– भारत, पाकिस्तान ईरान तथा मंगोलिया। इसके कारण नाटों के विस्तार की योजना को भारी धक्का पहुँचा है। इरान और पाकिस्तान ने इस संगठन का पूर्ण सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया है इस भारत सरकार को गम्भीर समस्या लगने लगी। संगठन की पांचवी वर्षगाँठ के सिलसिले में हुई मीटिंग में जहाँ इरान व पाकिस्तान के राज्य अध्यक्ष हिस्सा लेने पहुँचे वहीं भारत ने अपना अमेरिका प्रेमी तेल मंत्री को भेजा।

यह जरूरी है कि इस राजनैतिक गठजोड़ को भारत ज्यादा महत्व दे, ताकि एशियाई महाद्वीप में अमरीकी हथकंडों पर लगाम लगाई जा सकें। इस गठजोड़ के बारे में अपना रवैया तय करने में भारत को अमरीकी साम्राज्यवाद के दबाव के सामने झुकना नहीं चहिएं।

पश्चिम एशिया में अमरीकी नीतियों की असफलता–: हालाँकि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की महत्वकाक्षां के तहत बुश प्रशासन ने पश्चिम एशिया पर ध्यान केन्द्रीत रखा, मगर पिछले तीन सालों में वहाँ के विशाल तेल संसाधनों पर कब्जा जमाने की अमरीकी नीतियां पूरी तरह से असफल रही है। संयुक्त राष्ट्र को दर किनार करके अमरीकी नेतश्व में इराक पर किया गया हमला व कब्जा असफल रहा है और इराकी जनता के प्रतिरोध को रोक नहीं पाया है। फिलिस्तीन, लेबहनॉन, सीरिया तथा ईरान के प्रति अपनी नीतियों के अंजाम सामने आ रहे है– पश्चिम ऐशिया अमरीका विरोधी संघर्ष का केन्द्र बिन्दु बन गया है।

इराक पर दुस्साहसी हमला करके वहाँ के तेल भण्डारों पर कब्जा करने की राष्ट्रपति बुश की योजना भी शायद पूरी न हो। इस साम्राज्यवादी हमले में तीन हजार अमरीकी सैनिकों की जाने जा चुकी है, मगर कई ऐतिहासिक

स्थानों को नष्ट करने के बावजूद अमरीकी सेना अभी तक अपनी कठपुतली सरकार जमा नहीं पाई है। अमरीकी व कठपुतली सेनाओं द्वारा लाखों बेगुनाह नर नारियों व बच्चों को मौत के घाट उतारने के बावजूद विरोधी ताकतें बढ़ती जा रहीं है। उधर अमरीका के अंदर इराक युद्ध की असफलता के कारण बुश की रिपब्लिकन पार्टी का अमरीकी सीनेट चुनावों में मुंह की खानी पड़ी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिल गया।

5 दिसम्बर 2006 को पेंटागन के नए प्रमुख रॉबर्ट ग्रेट्स को मानना पड़ा की ईराक में अमरीका युद्ध जीत नहीं रहा है। ईराकी जेलों में कैदियों को अमानवीय यातना और अमरीकी सैनिकों की दरिंदगी ने पूरी मानवता को सन्न कर दिया। अमरीकी व अन्य सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार की पूरी भर्त्सना हुई है। अमरीकी साम्राज्यवादीयों की कई सहयोगी देशों ने अपनी सेनाएँ ईराक से वापस बुला ली। खुद अमरीका में बडी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करके सेना वापस बुलाने की मांग की। इराक की कठपुतली सरकार ने खुद भी अमरीका के कब्जे व साम्राज्यवादी हथकंडों पर विरोध जताया है।

अमरीकी संसद द्वारा नियुक्त बेकर आयोग ने माना कि'' ईराक के हालात गम्भीर है और बिगड़ते जा रहे है'' उन्होने आगे नोट किया कि इस बात का खतरा है कि ''अराजकता की ओर खिसकते हुए ईराकी सरकार ही ढह जाए और मानवीय महाविनाश हो जाय''। आयोग ने अमरीकी लड़ाकू टुकड़ियों को ईराक से बहार निकालने की सिफारिशें कीं।

अमरीकी छत्रछाया में चल रहे इज़राइली अत्याचार का सामना करते हुए फिलिस्तीन के प्रतिरोधी दस्ते अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे है। ओस्लों संधि इज़राइल व फिलिस्तीन के बीच शान्ति कायम करने में असफल रहीं क्योंकि इज़राइल ने इन फिलिस्तीनी क्षेत्रों को छोड़ने से इन्कार कर दिया जिस पर उसने जबरन कब्जा जमा रखा है। गाजा पट्टी से हट जाने के बाद भी इज़राइली सेना लगातार फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर हमला करती रहीं है। यहाँ तक की उन्होनें फिलिस्तीनी मुक्ति संगठनों के दिवंगत प्रमुख यासर अराफात के मुख्यालय तक को नही बख्शा।

अराफात के देहांत के बाद इज़राइल को लग रहा था की नये नेतृत्व उनके साम्राज्यवादी दबाव के सामने झुकेगा। मगर हमास की चुनावी जीत ने इज़राइली जायनवादियों को आग बबूला कर दिया और उन्होनें फिलिस्तीन के आर्थिक तंत्र का गला घोंटना शुरू कर दिया। मगर कई इस्त्राईली हमलों के बावजूद फिलिस्तीनी जनता ने अपना विरोध जारी रखा है। गाजा पट्टी और पश्चिमी तट के गैर कानूनी कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने और पूर्वी यूरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की फिलिस्तीनी जनता की जायज मांगों को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। मगर बातचीत के उलझाए रखने और कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली न करने के इज़राइली दाव के कारण इस लम्बे चलने वाले विवाद का कोई सामधान नहीं निकल रहा। इस पूरी रणनीति में अमरीका इज़राइल का समर्थन कर रहा है।

पूरी दुनिया ने लेबानान पर इज़राइली सेना के उस क्रूर हमले की निंदा की जो इस बहाने से शुरू किया गया था कि हिज्बोल्लाह ने दो इज़राइली सैनिकों को पकड़ लिया था। लेबानॉन के खिलाफ इस 34 दिन के युद्ध ने वहाँ भारी तबाही मचाई और हजारों नर नारी व बच्चे मारे गये। मगर हिज्बोल्लाह ने इन हमलों का बहादुरी से मुकाबला किया और अमरीकी समर्थित इज़राइली सेना के सामने घुटने नहीं टेके। हर दिन इस बिना पर रिहायशी बस्तियों पर बम बारी की गई कि हिज्बोल्लाह के संगठन को नष्ट करना है। लेबानान में काम कर रहे कई भारतीय कामगार भी इन अमानवीय हमलों से प्रभावित हुए। अन्ततः युद्ध बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और शान्ति स्थापित हुई। इस युद्ध से हिज्बोल्लाह और भी मजबूत होकर उभरा। लेबानॉन में कुछ राजनैतिक हत्याओं के कारण जनता के एक हिस्से में अमरीका विरोधी भावना मजबूत हुई। चूंकि सीरियाई सरकार ने फिलिस्तीनी जनता व हिज्बोल्लाह को समर्थन दिया इस लिए बुश शासन ने यह बहाना बनाकर कि वे आंतकवादियों को शरण दे रहे हैं, उनके खिलाफ सैनिक कार्यवाही की धमकी दे डाली। मगर पूरे क्षेत्र में अमरीका विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी लहर ने उसे ऐसा दुस्साहसी कदम उठाने से रोक दिया। 1967 से इज़राइल ने गोलान

पहाड़ियों पर कब्जा जमा रखा है, और वहाँ की गैर कानूनी बसावटों को खाली करने से इन्कार कर रहा है। सीरीयाई सरकार अपनी खोई हुई धरती को वापस लेने का अधिकार मांग रहीं है मगर अमरीका, इज़राइल द्वारा किये गये गैर कानूनी कब्जे का पूरा समर्थन कर रहा है।

ईरान के प्रति अमरीकी नीति की भी पूरी दुनिया में तीखी आलोचना हुई है। परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते ईरान को शान्तिपूर्वक इस्तेमाल के लिए परमाणु उर्जा विकसित करने का पूरा अधिकार है। इराक के यूरेनियम प्रसंस्करण कार्यक्रम का बुश शासन ने विरोध किया और वहाँ के परमाणु संयंत्रों पर हमला बोलने की योजना तक बनाने लगा। इस अमरीकी धौंस के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का इरादा दोहराया।

पड़ोसी देशों की परिस्थिति—: तानाशाही के खिलाफ लम्बे संघर्ष के बाद हिंसा खत्म करने और भविष्य का रास्ता तय करने के लिए 21 नवम्बर 2006 को नेपाल सरकार तथा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बीच हुआ शांति समझौता एक स्वागत योग्य घटना है सात पार्टियों के गठबंधन व माओवादियों के बीच लम्बी बातचीत के बाद हुए समझौते में अंतरिम संसद बनाने का प्रावधान है, जिसमें भंग संसद से सात पार्टियों के 209 सदस्य तथा माओवादियों के 73 सदस्य होंगे। कुछ अन्य सदस्यों को शामिल करके, जो राजा विरोधी संघर्ष में शामिल नहीं थे, संसद की कुल संख्या 330 होगी। माओवादी सेना सयुक्त राष्ट्र की देखरेख में रहेगी और उसके सदस्य 7 खण्डों तथा 21 उपखण्डों तक सीमित रहेंगे। समझौते में कहा गया है कि जून 2007 के मध्य में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाएगें। राजशाही बनी रहेगी या नहीं इसका फैसला संविधान सभा की पहली मीटिंग में लिया जायेगा।

यदि समझौते पर पूरी तरह से अमल होता है तो नेपाल में स्थाई शांति बनेगी और बहुदलीय लोकतंत्र कायम होगा। हालाँकि नेपाल का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में न कि हिन्दु राजतंत्र के रूप में उभरना, भाजपा व भारत की अन्य साम्प्रदायिक ताकतों को रास नहीं आया। नेपाल में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों का दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास पर दीर्घ कालीन असर पड़ेगा।

भारत व पाकिस्तान के आपसी संबंध उतार चढ़ाव से गुजर रहे है हालाँकि दोनों देशों की आम जनता दोस्ती ही चाहती है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग से दोनों को बहुत लाभ पहुँच सकता है। रिश्तों को सुधारने की दिशा में जहाँ कश्मीर का मुद्दा अभी भी कठिनाई पैदा करता है, वहीं भारत में आतंकवादी हमले रिश्तों में तनाव पैदा करते है।

हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने चार सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जिसका भारत ने स्वागत किया है। इसके अनुसार :

1. कश्मीर की सीमाएं जैसी है वैसी ही रहें मगर लोगों को सीमा पार करने की आजादी हो।
2. स्वशासन या स्वायत्ता दी जाए, मगर पूरी आजादी नहीं।
3. सेनाओं को धीरे–2 पीछे हटा लिया जाए।
4. भारत पाकिस्तान और कश्मीर की तरफ से साझी देखरेख हो। भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव के आधार पर भविष्य में बातचीत के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया की है, मगर भारत पाकिस्तान दोनों में जनता के कुछ हिस्सों से इसकी आलोचना भी हुई है।

दोनों महान पड़ोसियों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तेक्षप के दोनों पक्षों को मान्य तर्क संगत समझौता हो जाए। स्वतंत्र कश्मीर की अपनी पुरानी मांग से एक स्पष्ट बदलाव पाकिस्तान के नये प्रस्ताव में नजर आता है, जिसका भारत की जनता को स्वागत करना चाहिए। यदि दोनों पक्ष इमानदारी

से बातचीत करें तो व्यवहारिक हल जरूर निकल सकता है, क्योंकि वे इस विवाद का सामाधान ही नहीं चाहते, इसलिए भाजपा ने बातचीत में प्रगति को तुष्टीकरण करार दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में, भारत के लोगों के बीच एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच के इस लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो।

श्रीलंका में हालात बिगडते जा रहे है, जिसके कारण सरकारी व लिट्टे दोनों के खेमों में लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। नार्वे की मदद से हुई शान्ति समझौता में दरारें पड़ गई है। और अनेक क्षेत्रों में फिर से लडाई शुरू हो गई है लिट्टे ने दोबारा तमिल राष्ट्र की मांग उठा ली है, जबकि श्रीलंका सरकार इसका पूरा विरोध ा कर रहीं है। इस कलह के कारण आम लोगों को असहनीय कष्ट झेलने पड़ रहे है और पूरे देश में खाद्य सामाग्री का अभाव हो गया है।

श्रीलंका की समस्या का हल सशस्त्र संघर्ष नहीं मिलेगा। इसका राजनैतिक हल ढूंढना होगा। मगर दोनों तरफ से लिए गये कठोर रवैये के कारण कोई हल निकल नहीं रहा। हालात बहुत जटील होते जा रहे है जिससे भारत की जनता में भी गम्भीर चिन्ताएं पैदा हो रहीं है।

बंगला देश में भी स्थिति काफी नाजुक बनती जा रही है, क्योंकि जातीय संसद के चुनाव करीब आ रहे है संविधान की अवहेलना करते हुए प्रतिक्रियावादी शासक गुट ने अपने ही एक समर्थक को काम चलाऊ सरकार का प्रमुख नियुक्त कर डाला। पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई आवामी लोगों की नेतृत्व वाले 14 पार्टी गठबंधन ने तीन दिन की हड़ताल का आहवान किया जिसके दौरान हुई भिंडतों में 28 लोग मारे गये तथा 2000 से अधिक चोटिल हुए। बंगला देश में अमरीकी दूत ने सरेआम उस देश के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए प्रतिक्रियावादी गुट का समर्थन किया अब इस बात की भी शंका जाहिर की जा रही है कि चुनाव निष्पक्ष भी होगें या नहीं, क्योंकि मतदाता सूचियों में भी हेरा फेरी की गई है। इस बीच शासक गुट में विभाजन हो जाने से विपक्षी खेमे को मजबूती मिली है। चूंकि अभी बंगला देश सार्क का अध्यक्ष है, अतः वहाँ हाने वाली घटनाओं का सार्क के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है।

चीन से संबंधः— पिछले वर्ष नवम्बर में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण मौका था। उनकी यात्रा के दौरान 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनमें से एक अनुसार सन् 2010 तक अपसी व्यापार को 20 अरब डालर से बढ़ाकर 40 अरब डालर तक पहुँचाने का लक्ष्य है। सीमा व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया और जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी सहमति हुई।

दो साल पहले चीनी प्रधानमंत्री वेन जियानाओं भारत यात्रा पर आए थे और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार से कारगर विचार विमर्श किया था। चीन का आर्थिक तंत्र पिछले 25 वर्षों से 9—10 प्रतिशत सालाना दर से बढ़ रहा है जिससे वहाँ की जनता के जीवन स्तर में भारी प्रगति आई। आज चीन में 35 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन होता है, जोकि अमरीका से तीन गुना ज्यादा है। 120 करोड़ टन कोयला उत्पादन करके चीन दुनिया में पहले नम्बर पर है। अमरीका, जापान जर्मनी के बाद चीन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। जर्मनी से तो वह आगे निकलने ही वाला है, अमरीकी अर्थशात्रियों को यह चिंता सता रही है कि कहीं वह अमरीका से भी आगे न निकल जाए।

अमरीकी साम्राज्यवाद भारत को चीन के खिलाफ एक दुर्ग के रूप में खड़ा करना चाह रहा है। भारत को इन अमरीकी हथकंडो से सावधान रहना चाहिए। वास्तव में भारत व चीन के बीच बढ़ते सहयोग से उन्नत पूँजीवादी देशों द्वारा विकासशील देशों पर दबाव डालने के खिलाफ जनता के संघर्ष को बल मिलेगा।

लैटिन अमरीका में अमरीकी विरोधी लहरः— कई दशकों से चली आ रही अमरीकी साम्राज्यवादी नाकेबंदी के बावजूद क्यूबा समाजवादी निर्माण की राह पर चलता जा रहा है। कई अंतराष्ट्रीय संस्थाओं ने क्यूबा के शैक्षणिक व स्वास्थय प्रणालियों को दुनिया में सबसे अव्वल दर्जा दिया है। क्यूबा के डाक्टरों ने अन्य लैटिन अमरीकी देशों को मदद देने में नायाब भूमिका निभाई है। सन् 2005 में सकल घरेलू उत्पाद 11 /8 प्रतिशत की दर से बढ़ा जिससे पता चला है कि क्रांतिकारी क्यूबा ने अमरीकी नाकेबंदी नेस्तनाबूत कर दी है। उधर अमरीकी साम्राज्यवादी यह सपना पाल रहे हैं, कि पेट के आपरेशन के बाद फिदेल कास्त्रों हट जाएगें— मगर यह एक भ्रम मात्र है। उनकी 80 वीं वर्षगांठ पर क्यूबा के मजदूर वर्ग और जनता ने मजबूती से यह घोषणा की कि वे समाजवाद निर्माण करने की नीति को और आगे ले जाएंगे। इस मौके पर एकत्र लाखों लोगों ने नारा लगाया—''समाजवाद या मौत'' । हम फिदेल कास्त्रों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं ताकि वे क्यूबा की बहादुर जनता को साम्राज्वादी वैश्वीकरण और प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व प्रदान करते रहे।

एक्वाडोर में राष्ट्रपति के चुनाव में वामंपथी अर्थशास्त्री रफाएल द्वारा अल्वारों नोबोआ नामक केलों के व्यापारी और बुश शासन के हम जोली को 58 प्रतिशत वोट लेकर हराने से लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। कोरिया ने आश्वासन दिया है मांटा से अमरीकी सैनिक अड़ा हटा दिया जायेगा और अमरीका के साथ मुक्त व्यापर समझौते में वे शामिल नहीं होगे। इन घोषणाओं से एक्वाडोर के 1.3 करोड जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। आईये हम एक्वाडोर की जनता को इस बात पर बधाई दें, कि उन्होने, लैटिन अमरीका को अमरीकी साम्राज्यवाद की बपौती समझने वाले बुश को मुँहतोड़ जबाव दिया।

पिछले साल 3 दिसम्बर को वेनेजुएला के चुनावों में हयूगों चावेज ने 61 प्रतिशत वोट पाकर जो जबरदस्त जीत दर्ज की, उससे इस तेल धनी देशों में उनके विशाल समर्थन का पता चलता है। उनके द्वारा वेनेजुएला में लाए गये क्रांतिकारी बदलावों में भूमि सुधार लागू करना, तेल के टैक्स का इस्तेमाल देश के मार्गो तथा आवास कार्यक्रम के लिए करना, गरीब लोगों के लिए सस्ता आनाज, जनता के लिए शिक्षा व स्वास्थ सेवाएँ आदि शामिल है। चावेज ने सेना आधुनिकीकरण के लिए रूस से नये रक्षा उपकरण खरीदे है। वे लेटिन अमरीका में तो लोकप्रिय है ही, मगर संयुक्त राष्ट्र में जाकर बुश की नीतियों की बेबाक आलोचना से उन्हें पूरी दुनिया में सराहना मिली। अमरीका साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में वेनेजुएला, क्यूबा का पक्का सहयोगी बन गया है।

ब्राजील में वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार लूला ड सिल्वा का चुनाव में 61 प्रतिशत वोट लेकर दूसरी बार जीतना, वैश्वीकरण के खिलाफ बढ़ते गुस्से की निशानी है। 250 अरब डॉलर कर्जे वाला ब्राजील दुनिया का सबसे अधिक कर्जदार देश है। वहाँ के बाजारों में अमरीकी माल की बाढ़ है, और स्थानीय अर्थात तहस नहस हो चुका था। ऐसी स्थिति में लोगों ने वामपंथी उम्मीदवार को चुनकर वैश्वीकरण के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लूला ने कहा है कि आर्थिक बढोत्तरी की दर को और बढ़ाकर देश को आत्म निर्भर विदेशी प्रभुत्व से मुक्त बनाना है। यह सफलता भी लैटिन अमरीकी महाद्वीप पर अमरीकी नीतियों की हार है।

बॉलीविया में लोगों ने वैश्वीकरण की नीतियों से त्रस्त होकर एक अमरीकी पिट्ठू सरकार को चुनावों में हरा दिया और वहाँ के मूल निवासी समुदाय के ईवो मोरालेज को भारी जीत दिलाई। इस ऐतिहासिक चुनाव के फलस्वरूप सदियों से चली आ रही बहुसांख्यिक मूल निवासी समुदाय की आधीनता खत्म हुई और पहली बार उनका वास्तविक प्रतिनिधि सत्ता में आया। जैसा कि हम सब जानते है, बॉलीविया की धरती पर ही, चे गुएवारा ने एक तानाशाही सरकार के खिलाफ भूमिगत सशस्त्र संघर्ष के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। चे को श्रद्धाजंली देते हुए, उसी जगह पर खड़े होकर जहाँ चे शहीद हुए थे, इवो मोरालेज ने घोषणा की कि वे सभी तेल व गैस कम्पनियॉ जो अमरीका बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा नियंत्रित है, राष्ट्रीयकृत कर दी जायेगी। उन्होनें यह भी घोषणा की कि भूस्वामियों के गैर कानूनी कब्जे में पड़ी 4 करोड एकड़ जमीन को कई हजार गरीब किसानों को मुफत में बाँट दिया जायेगा। बॉलीविया के जनता की इस महान विजय पर हम उनका अभिनन्दन करते है।

निकारागुवा में सैंडिनिस्टा मोर्चो की जीत से डैनिएल ओर्टेगा सत्ता में आए हालाँकि बुश शासन ने प्रतिक्रियावादी ताकतों को खुली वित्तीय व राजनीतिक मदद की। पहले के चुनाव में अमरीकी साम्राज्यवाद की खुली दखलंदाजी के चलते ओर्टेगा को सत्ता से हटाना पड़ा था। मगर निकारागुवा की जनता ने साम्राज्यवादी प्रभुत्व के खिलाफ लड़ते हुए वैश्वीकरण तथा लाटिन अमरीका में अपना दबदबा बनाने की अमरीकी नीतियों को अस्वीकार कर दिया।

जुलाई 2006 में मेक्सिको में हुए चुनावों में वामपंथी उम्मीदवार आन्द्रेज मानुएल लोपेज़ ओब्रादोर सिर्फ 0.5 प्रतिशत वोटों से हारे और वह भी बड़े पैमाने पर धाधंली के कारण। सर्वोच्च निर्वाचन संस्था ने यह माना कि चुनाव व्यापक धाधंलेबाजी हुई मगर फिर भी, वोटों की दोबारा गिनती नहीं होने दी और दक्षिणपंथी उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया। इस धोखाधड़ी के खिलाफ पूरे देश में विशाल विरोध प्रदर्शन हुए। अमरीकी सरकार ने खुलेआम प्रतिक्रियावादी उम्मीदवारों को समर्थन दिया और धोखाधड़ी को बढावा दिया। फिर भी मेक्सिकों की जनता का विरोध बढ़ रहा है। क्योंकि मोक्सिकों अमरीका से सटा हुआ है, इसलिए वहाँ बढ़ता वामंपथी पूरे उत्तर अमरीकी महाद्वीप के लिए बहुत महत्व रखता हैं।

लाटिन अमरीका में कुछ अन्य सफलताएं है– युरूगुवे में वामपंथी जीत, चिली में उदारवादी वामपंथी मिशेल बाचेलेत की जीत, तथा हाहती में वामपंथी उम्मीदवार रेने प्रेवाल की जीत। पेरू में वामपंथी बहुत कम अंतर से हारे। सिर्फ कोलम्बिया ही एसा प्रमुख लाटिन अमरीकी देश है, जिसकी सत्ता अभी तक अमरीकी साम्राज्यवाद के पिट्ठुओं के हाथ में है। वहाँ के तानाशाही शासन ने ऐसे सैकड़ों ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार डाला है जो मजदूर वर्ग की जिन्दगी को सुधारने के लिए संघर्षरत थे।

अंतराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन–: अंतराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन आज चौराहे पर खड़ा है। तमाम प्रमुख पूंजीवादी देशों में ट्रेड यूनियन सदस्यता घट रही है। इसमें से अधिकांश देशों में छटनी के कारण मजदूरों की संख्या कम होना एक कारण है मगर वैंश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ मजबूत संघर्ष चलाने से इन देशों के ट्रेड यूनियनों के नेतश्त्व का इंकार भी एक कारण है। अमरीकी सरकार व सी. आई. ए. खुले आम ट्रेड यूनियनों को धन बांटने के लिए इस्तेमाल कर रहे है ताकि पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष करने से इनके नेतश्त्व को रोका जा सकें। अंतराष्ट्रीय मुद्राकोश व विश्वबैक को तब आपत्ति नहीं होती जब ट्रेड यूनियनों का नेतश्त्व पूंजीवाद के खिलाफ आग उगले मगर व्यवहार में वर्ग सहयोग नीतियाँ अपनाऐ।

मजदूर वर्ग को विचारधारा रहित बनाना उसकी वर्ग चेतना को खत्म करना– यह पूंजीवादीवादी वर्ग के सबसे बडें हथियार रहे है। अतः यह स्वभाविक है कि विश्व स्तर पर, मजदूर वर्ग के संघर्षों में वह जुझारू धार नहीं रही जो पूंजीपति वर्ग के अहम हितों पर चोट पहुचाऐं।

आज विश्व पूंजीवाद की इसमें गहरी दिलचस्पी है वह उन्नत पूंजीवादी देशों के ट्रेड यूनियन आन्दोलनों में श्रमिकों के अभिजात्य तबके को विकसित करे। यही कारण है कि विकासशील देशों को ट्रेड यूनियन आन्दोलन उन्नत पूंजीवादी देशों के ट्रेड यूनियन आन्दोलनों से उचित एकजुटता या समर्थन नहीं पाता। ढ़ाई शताब्दियों से ज्यादा के लम्बे इतिहास के बावजूद इंग्लैण्ड का मज़दूर वर्ग सामाजवादी बदलाव के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर समाजवादी चोगे में दक्षिणपंथी भेड़ के प्रतिक बन गये है। हालाँकि वे दो बार चुने गये मगर मार्ग्रेट थैचर द्वारा लाए गये मजदूर विरोधी कानूनों को रदद करने का उन्हें समय नहीं मिला। कमोबेश यही हालात अन्य प्रमुख पूंजीवादी देशों में भी है।

दुनिया के मजदूर वर्ग को आज विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता की जरूरत है जो वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर मजदूरों की आम समस्याओं के आधार पर बनाई जाय। मजदूर वर्ग के संगठन के तौर पर ट्रेड यूनियनों को हर प्रकार के शोषण के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। अंतराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन को

किसी भी देश पर आक्रमण, आर्थिक नाकेबंदी या बाधाएँ तथा विदेशी सैनिक अड्डों का विरोध करना चाहिए। टीयू आन्दोलन को नवउपनिवेशवाद का विरोध करना चाहिए और तमाम मुक्ति संघर्षो का समर्थन करना चाहिए। विश्व टीयू आन्दोलन को सभी प्रकार के वित्तिय व साम्राज्यवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हुए ऐसे सामाजिक वैश्वीकरण का समर्थन करना चाहिए जो मेहनतकश जनता के हालात में सुधार लायें। एकताबद्ध टीयू आन्दोलन को हड़ताल के अधिकार समेत, मज़दूर वर्ग के सभी जनवादी व टीयू अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाना चाहिए। उसे परमाणु अस्त्रों पर पाबन्दी और परमाणु भण्डारों के सम्पूर्ण खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। टीयू आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य मानव द्वारा मानव के शोषण को हमेशा के लिए खत्म करना है, जो सिर्फ मज़बूत वर्ग संघर्ष से ही हासिल किया जा सकता हैं।

आइ. सी. एफ. टी. यू. और डब्ल्यू सी. एल. के मिलकर एक संगठन बनाने की घटना को इस संदर्भ में देखना चाहिए। इन दोनों संगठनों के बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, और दोनों ऐसी स्थित में है कि आई. एल. ओ की गतिविधियों पर नियंत्रण कर सकते है। अपने ट्रेड यूनियनों को मजबूत बनाने के लिए आइ. एल. ओ. के संशोधनों को भी ये दोनों इस्तेमाल करने की स्थिति में है।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सी. जी. टी. (फ्रांस) ने सी. आई. टी. यू. को एक अंतराष्ट्रीय मीटिंग में आमंत्रित किया था। मुझे उस मीटिंग में हिस्सा लेने का मौका मिला और मैने उपर दिये गये तमाम मुद्दों को वहाँ रखा जो अंतराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन की वास्तविक एकता के लिए महत्वपूर्ण है। सी. आई. टी. यू. ने इस नये विश्व टीयू केन्द्र में शामिल होने से इंकार कर दिया मगर विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता का आधार बनाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। सी. आई. टी. यू. ने वैचारिक मतभेदों से उपर उठकर मजदूर वर्ग के समान मुद्दों पर साझे आन्दोलन चलाने की जरूरत पर बल दिया।

डब्लू. एफ. टी. यू. तथा 16 करोड़ सदस्यता वाले विश्व के सबसे बडे ट्रेड यूनियन संगठन, ऑल चाईना फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स को भी हिस्सेदार बनाने पर सी. आई. टी. यू. ने बल दिया।

पिछले साल नवम्बर की पहले हप्ते में बिना (ऑस्ट्रिया) में आई. टी. यू. सी. नामक नये विश्व फैडरेशन का गठन हो गया। मगर इसकी वहीं नीतियॉ है जेा आई. सी. एफ. टी. यू. तथा डबलू. सी. एफ. की है। दुनिया पर कब्जा जमाने के लिए सामाजवादी मंसुबों के खिलाफ लड़ने को कोई संकल्प इस नये संगठन ने नहीं लिया। विकासशील देशों में मजदूर वर्ग द्वारा लड़े जा रहे क्रान्तिकारी संघर्षो को समर्थन नहीं दिया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका का मजबूती से विरोध करने के बजाय उनसे सौदेबाजी करने व उनसे समझौते करने का नज़रिया अपनाया गया। इस नये संगठन का उद्देश्य पूंजीवादी ढ़ांचे के तहत रह कर सिर्फ आर्थिक संघर्षो में हिस्सा लेना भर है। इस सबसे पता चलता है कि यह नया संगठन वर्ग संघर्ष और मजदूर वर्ग के राजनैतिक हस्तेक्षप को नकारता है।

मगर हमें यह सोचना चाहिए कि कोसाटू (द. अफ्रीका), कट (ब्राजील), जीफोन्ट (नेपाल) सी. जी. टी. (फ्रांस) के. सी. टी. यू. (द. कोरिया) जैसे जुझारू संगठन और कुछ अन्य संगठन वामपंथी रूझान वाले ट्रेड यूनियन क्यों इस नये संगठन में शामिल होने की जरूरत महसूस कर रहे है। शायद वे इस गलतफहमी में हें कि संगठन के अंदर से वे जझारू नीति के अपनाये जाने के लिए संघर्ष करेंगे। इन संगठनों के साथ हमारे गहरे रिश्ते है और भविष्य में भी रहेंगें, हालांकि हम अपनी समझ को बरकरार रखेगें।

आई. टी. यू. सी. से सम्बद्ध कई संगठनों के साथ सी. आई. टी. यू. बिरादना सम्बन्ध है। हम इन सम्बन्धों को और भी मजबूत बनाते रहेगें। जब भी आई. टी. एफ. टी. यू. सम्बद्ध संगठन हमें न्यौता देते है, हम मीटिंगों में हिस्सा लेते है। एक सही समझ बनान के लिए मतभेदों पर बातचीत जरूरी है।

अमरीकी ट्रेड यूनियनों के केन्द्र ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. के एक धडें ने इस नये संगठन की नीतियों का विरोध किया है और वे हमसे बिरादना सम्बन्ध बनाए हुए है। हम भी उनसे पूरा सहयोग करते है और इसे हमें काफी लाभ पहुंच रहा है। ' सदर्न इनीशिएटिव आन ग्लोबलाईजेशन एण्ड टीयू राइट्स सिगटूर में ऑस्ट्रेलियन कांउसिल आफ ट्रेड यूनियन्स के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध बने हुए है। और हम उन्हें और मजबूत बनाने की कोशिश में है।

सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में समाजवाद के तोडें जाने के बाद से डब्लू. एफ. टी. यू. काफी कमजोर पड़ गया है। पहले तो इसके पास 650 लोग काम करते थे। मगर फिर उन्होने वर्ग संघर्ष और सामाजिक बदलाव की नीतियाँ ही छोड़ दी। अपने केन्द्र को चलाने में ही उन्हों आर्थिक कठिनाई होने लगी। संघर्ष के सारे सम्पत्तियों को टी. यू. आई ट्रांस्पोर्ट के महामंत्री ने हड़प लिया

मगर क्यूबा की ट्रेड यूनियनों की पहल पर डबलू एफ. टी. यू. को नऐ सिरे से जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ है। सन 2005 में हुए हवाना सम्मेलन को रूझान पहले के सम्मेलनों से अलग था। नव निवाचित महामंत्री ने नये जान डालने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए है। पिछले साल 20–21 दिसम्बर को ब्रसेल्स में हुई अध्यक्षीय मीटिंग में सी. आई. टी. यू. को भी आमंत्रित किया गया। 21वी सदी में अंतराष्ट्रीय टीयू आन्दोलन के सामने खडी चुनौतियॉ के बारे मे हमने अपनी समझ वहॉ रखी। डबलू एफ. टी. यू. के महामंत्री के न्यौते पर सी. आई. टी. यू. का एक प्रतिनिधि मण्डल एथेन्स जाएगा जहॉ उसका नया मुख्यालय बनाया गया है। वहीं आगे सहयोग की दिशा पर चर्चा होगी।

डबलू एफ. टी. यू. की किसी भी विकसित पूंजीवादी देश में सबद्ध यूनियन नहीं है। आर्थिक साधनों की कमी से काम काज में अभी तक रूकावटें आ रही है मगर संगठन को पुर्नजीवित करने के लिए नये नेतश्त्व द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

सी. आई. टी. यू. का मानना है कि हालाकि निकट भविष्य में अंतराष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं है मगर राष्ट्रीय या क्षेत्रिय स्तर पर एक जुट कार्यवाहीयॉ करना सम्भव है ताकि नीचे से एकता विकसित हो सकें।

हमारे प्रयासों के फलस्वरूप, फरवरी में कोलकाता में खदान मजदूरों के संगठनों की अंतराष्ट्रीय मिटिंग होने जा रही है जिसमें अतंराष्ट्रीय संबद्धता वाली सभी यूनियनों के अलावा बिना किसी संबद्धता के यूनियनें भी शामिल होगी। और हम आम सहमति से नीतियॉ तय करेगी। इस प्रकार की उद्योग स्तरीय एकता भी विश्व स्तर की व्यापक एकता का रास्ता तैयार करेगी।

वैश्वीकरण ने पूंजीपति वर्ग को तेा इक्कठा कर दिया है मगर मजदूर वर्ग अभी भी बटा हुआ है और दुनिया के स्तर पर संघर्ष की कोई स्पष्ट नीति अभी तक बन नहीं पाई है। सी. आई. टी. यू. का यह 12वॉ सम्मेलन, इन पहलुओं पर भी विचार विमर्श करें ताकि अंतराष्ट्रीय टीयू आन्दोलन में हम ज्यादा कारगर भूमिका अदा कर पाये। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बडी संख्या में विदेशी है बिरादराना प्रतिनिधि आऐ है। उनका स्वागत करते हुए हम अत्यधिक सम्मान महसूस करते है। आइऍ हम इन प्रतिनिधियों का आश्वासन दे कि भविष्य में मित्रता के रिश्तों को मजबूत करने के लिए सी. आई. टी. यू. कश्त्र संकल्प है। बिना विश्व स्तरीय एकता के मजदूर वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता।

व्यापक वर्ग संघर्ष की ओर आगे बढ़ों–: पिछले ढ़ाई सालों में यूपीए सरकार का काम, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यकम में दिये गये अधिकाशं वायदों के सारे आम उल्लंघनों का कच्चा चिटठा है। मेहनतकश जनता के काम और जिन्दगी के हालात काफी बिगड़ते गये है मगर पूंजीवादी वर्ग यूपीए सरकार द्वारा दिये गये रिआयतों के मजे लूट रहा है सेंसेक्स का 14000 अकों की उंचाई से आगे निकल जाना और कई नीजी कम्पनियों द्वारा एक साल में ही महालाभ कमाना इस कठोर सच्चाई का लक्ष्ण है। मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लागू की जा रहीं

वैश्वीकरण की नीतियों ने मजदूर वर्ग के शोषण की रफतार और भी तेज कर दी है। किसानों और खेती हर मजदूरों के हालात भी बदतर हो गऐ है। यूपीए शासन के दौरान सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आवश्यक वस्तुओं की किमतें आसमान छू रही है जिसे हमारे देश के सबसे गरीब तबकों की पीड़ा बढ़ती जा रही है।

ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून पारित होने के बावजूद देश के गॉव और शहरों दोनों में ही बेरोजगारी की समस्या बढती चली जा रही है। रोजगार की तलाश में निकलने वाली युवा पीडी के बीच घोर निराशा फैंल रही है। भारत के विशाल जन समुदाय की जिन्दगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढय जाने से अंधकारमय हो गई है। शिक्षा व्यवस्था के व्यवसायीकरण के कारण आम आदमी के लिए उच्च शिक्षा पाना एक सपना बनकर रह गया है। हालाकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की तादाद बढती जा रही है। मगर सरकारी आकड़ों में हेराफेरी करके यह दिखाया जा रहा है कि गरीबी घट रही है। सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद के बढने से अपने आप गरीबी कम नही हो जाती मगर वैश्वीकरण की तथा तथाकथित उपलब्धियों का ढींढोरा पीटने के लिए, इस कटु सत्य को भुला दिया गया है।

स्वाभाविक है कि मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के बीच असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल 14 दिसम्बर को हुई हड़ताल के विशाल सफलता से देश में उभरते हालात की जीती जागती मिसाल है। देश के मजदूर वर्ग मे एकता की प्रबल इच्छा बहुत बढ़ चुकी है। इसका सबुत इस बात मे दिख रहा था कि हालांकि राष्ट्व्यापी हड़ताल में हड़ताल विरोधी संगठनों के मजदूरों के बडें तबके भी उसमें उत्साह से शामिल हो गये थे।

देश भर में पैदा हुए सकारात्मक महौल का हमें पुरा फायदा उठाना चाहिए। हालाकि ऐसे कुछ धुधंले मामले है जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मगर नीचे से एकता बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करना जरूरी है ताकि पूरे मजदूर वर्ग की एकता बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ते जाये।

यह भी जरूरी है कि मजदूर वर्ग और किसानों के सांझा संघर्ष को आगे बढाया जाए ताकि हमारा प्रतिरोध इतना ताकतवर हो जाये कि शासक वर्ग भी इसे नजर अंदाज न कर पाएं हमारे देश की वस्तुगत परिस्थिति इस नजरिए के लिए अत्याधिक सकारात्मक है।

मौजुदा हालात यह मांग कर रहे है कि मजदूर वर्ग तमाम मेहनतकश जनता अहम हितों के संरक्षक के रूप में उभरे ताकि वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्षो में वह एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकें। इसी नजरीए के तहत हमें महिलाओं, छात्रों व नवजवानों के आन्दोलनों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करना है, सांस्कृतिक कार्यकत्ताओं व वैज्ञानिकों के साथ रिस्ते बढ़ाने है जिसमें हमारा संघर्ष हर तबके को छुएं। इसके लिए हमें जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच को मजबूत करना है।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मजदूर वर्ग का बहुमत हिस्सा अभी भी पूंजीवादी व सामंती विचार धाराओं के प्रभाव में है। शोषक वर्ग के खिलाफ राजनैतिक संघर्ष में मजदूर वर्ग का उतारने के लिए इन विचार धाराओं के खिलाफ संघर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

जब पूरी दुनिया में वेश्वीकरण के खिलाफ संघर्ष आगे बढ़ रहे है, तब यूपीए सरकार अमरीकी साम्राज्यवाद के दुनिया पर कब्जा करने के मनसूबों के सामने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को समर्पित विभिन्न रियायतें हमारे देश को विदेशी पूंजी पर निर्भर बना देगी। यह पूंजी भारत मं विकास केलिए नही बल्कि मुनाफे के लिए लगाई जा रहीं है।

मौजूदा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय परिस्थितियों की चुनौतियों का सामनाना करने के लिए हमें सी. आई. टी. यू का ऐसा मजबूत संगठन बनाना जरूरी है जो मजदूर वर्ग को न केवल रोजमर्रा के संघर्ष में बल्कि सामाजिक बदलाव

के संघर्ष में भी कारगर नेतृत्व दे।
मुझे पूरा विश्वास है कि यह 12 वाँ सम्मेलन खड़ी चुनौतियों के हर पहलू पर विचार करके हालात से निबटने के असरदार तरीके तय करेगा।

नव उदारवादी वैश्वीकरण के रूप चल रहा पूंजीवादी विकास का मौजूदा दौर लम्बे समय तक बरकरार नहीं रह सकता। पूरी दुनिया का मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता, इजारेदार पूंजी के हथकंड़ों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। मजदूर वर्ग को हमें यह विश्वास दिलाना चाहिए ताकि वह अपनी ऐतिहासिक भूमिका को दृढ़ता से पूरा कर सकें।

पूंजीवादी व्यवस्था का पतन तय है। उसकी कब्र खोदने वालों को हमें तैयार करना चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को पुरा करें।

हम होंगे कामयाब एक दिन '

मज़दूर वर्ग की एकता जिन्दाबाद '
पूंजीवादी वैश्वीकरण मुर्दाबाद'
सी. आई. टी. यू. जिन्दाबाद '
दुनिया भर क मज़दूर एक हो।

एम. के. पन्धे
अध्यक्ष

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियों,

सी.आई.टी.यू. के दिसम्बर 2003 में सम्पन्न महाधिवेशन के बाद, अर्न्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जिनका हमारे देश के मजदूर वर्ग और मजदूर आन्दोलन पर दूरगामी असर पड़ेगा। ये बदलाव जहाँ एक ओर बहुत से अवसर लेकर आऐं हैं वहीं दूसरी ओर अनेकों चुनौतियाँ भी साथ लाऐं हैं। हमें इन पर बहुत गहरायी से विचार करना होगा ताकि हम मजदूर वर्ग के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सफलता से मुकाबला कर सकें।

1.2 पिछले दौर में मजदूर आन्दोलन और जनवादी आन्दोलन के कई नेतृत्वकारी साथी दिवंगत हो गए हैं, जिनका देश के विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान मजदूर आन्दोलन और जनवादी आन्दोलन के कई साथी, शोषण के खिलाफ संघर्षों के दौरान और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए, हम अपने बहादुर साथियों को मन की गहराईयों से याद करते हुए सम्मानपूर्वक श्रद्धांजली अर्पित करते हैं।

2. अर्न्तराष्ट्रीय परिस्थितियाँ

2.1 इस महाधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में अर्न्तराष्ट्रीय परिदश्श्य पर बदलते हालातों की विस्तार से चर्चा की गयी है।

2.2 इस दौर में अर्न्तराष्ट्रीय परिदृश्य में हम ने देखा है कि अमरीकी प्रशासन के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों ने बहुत ही कपटपूर्ण ढ़ंग से आधिपत्य करने के कुत्सित इरादे से, विकासशील देशों पर हमले किए हैं, साथ ही साथ राजनैतिक, आर्थिक एवं सैन्य मोर्चों पर यह भी देखा है कि :–

- मध्य एशिया में अमरीका और उसके सहयोगी साम्राज्यवादियों द्वारा की गयी हमलावर कार्यवहियों के खिलाफ जनता ने अपनी आवाज जोरदार ढ़ंग से बुलन्द की है।
- साम्राज्यवादी देशों सहित विश्व के अनेक क्षेत्रों में भारी जन समूहों ने, इन हमलों के खिलाफ आगे आकर अपनी आवाज बुलन्द की है।
- यूरोपीय संघ सहित पूरी दुनियाँ में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ हड़ताली कार्यवाहियों में भारी वशद्धि हुई है।
- लैटिन अमरीकी देशों में वामपंथी शक्तियों के पक्ष में भारी राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, और अंत में
- अमरीकी सिनेट के चुनावों में राष्ट्रपति बुश की पार्टी की पराजय हुई है।

3. राष्ट्रीय परिस्थितियाँ:

3.1 सीटू के 11वें महाधिवेशन में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया था कि "सरकार की प्रतिगामी नीतियों के विरूद्ध आक्रामक जन आन्दोलन के लिए अथक प्रयास करते हुए, हमें साम्प्रदायिकता और

जनता की एकता को तोड़ने एवं उसका ध्यान बाँटने के इरादे से, शासक वर्गों द्वारा फैलाई गयी विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाना होगा। यह काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी जनविरोधी नीतियों कारण जनता से कट चुकी भाजपा स्वयं को पुनः सत्ता में बनाए रखने के इरादे से आक्रामक साम्प्रदायिकता को पुर्नजीवित करने के लिए प्रयासरत है। और यदि हम वास्तव में, आम जनता एवं मजदूर वर्ग को संगठित करते हुए, जन आन्दोलन को साम्राज्यवादी एवं पूँजीवादी ताकतों के खिलाफ असरदार ढ़ंग से सक्रिय करते हुए सही दिशा देना चाहते हैं तो सत्ता पर काबिज इन साम्प्रदायिक ताकतों के खतरनाक खेल का मजबूती से लगातार मुकाबला करना ही होगा।'' देखा जाय तो हमारे 11वें महाधिवेशन संदेश संक्षिप्त में यह था कि हमें एक ओर सत्ता पर काबिज साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग करके सत्ता से बाहर फैकना होगा, तो दूसरी ओर साम्राज्यवादी एवं नव उदारवादी नीतियों के विरूद्ध लड़ाकू ताकतों को मजबूत करना होगा।

3.2 संतोषपूर्वक कहा जा सकता हैं कि हमारे 11वें महाधिवेशन के बाद, हम राजग गठबंधन को सत्ता से बाहर करने में सफल हुए हैं। देश की शासक शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन करने में, देश के मजदूर आन्दोलन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी का परिणाम है कि सप्रग सरकार केन्द्र की सत्ता में आयी जो नव उदारवादी नीतियों के विरूद्ध अनवरत संघर्ष चलाने वाली वामपंथी शक्तियों पर ही निर्भर है।

3.3 जुलाई 2004 में नासिक में आयोजित सीटू जनरल कौंसिल मीटिंग में, चुनावों के बाद के परिदृश्य में सीटू के समक्ष मौजूद काम को रेखांकित करते हुए कहा गया कि ''राजग सरकार की करारी हार ने मजदूर वर्ग में बहुत उँची आकांक्षाऐं पैदा कर दी हैं, जो उसके शासनकाल में अपने अधिकारों और रोजी–रोटी पर आयद घातक हमलों के विरूद्ध जमकर लड़ता रहा। ये आकांक्षाऐ स्पष्ट रूप से माँग करती है कि सघन अभियान और सक्रियता के द्वारा जनवादी अधिकारों का विस्तार करते हुए, सरकार की आर्थिक नीतियों को जनता के हित में मोड़ने के लिए काम करना होगा, अन्यथा हौंसले पस्त होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता और जो सत्ता पर काबिज होने की ताक में बैठी साम्प्रदायिक शक्तियों को ही मजबूत करने में ही सहायक होगी। मजदूर वर्ग की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता को इस दिशा में संगठित करके आन्दोलन को मजबूत करे और उसका राजनैतिक दायित्व है कि साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग करते हुए, जनता के हित में काम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते वामपक्ष को मजबूती प्रदान करे। जमीनी स्तर पर मजदूर वर्ग की सक्रियता ही सरकार की नीतियों के विरूद्ध वामपंथ के हस्तक्षेप को प्रभावशाली बना सकता है। ऐसे हस्तक्षेप ही साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग करते हुए देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाऐ रखने के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है।''

3.4 उपरोक्त समझदारी के तहत, 11वें महाधिवेशन के बाद के दौर के हालातों और अपनी सक्रियता के असर पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

3.5 संप्रग सरकार के वर्ग चरित्र के बारे में तथा एकता और संघर्ष के द्वारा, सरकार की उदारवादी नीतियों के खिलाफ आन्दोलन को मजबूत करने के अपने दायित्व के बारे में हमें कोई भ्रम नहीं है।

3.6 पिछले ढ़ाई साल का अनुभव बताता है कि विशेष रूप से आर्थिक व विदेश नीति के मामले में, काँग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार भी उन्ही नीतियों को अपना रही है, जिन पर राजग सरकार चल रही थी।

3.7 राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम में यह जोड़ा गया था कि *''पुरानी परम्परा के अनुसार ही स्वतंत्र विदेश नीति को ही अपनाया जाएगा।''* और *''एक ध्रुवीय दुनियाँ के विरोध करते हुए, विश्व सम्बन्धों में बहुध्रवीय बनाने का काम करना होगा''*। परन्तु इस समझदारी के विरूद्ध जाकर, तेजी से बदलते अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति के परिपेक्ष में, संप्रग सरकार का झुकाव साफतौर पर, आक्रामक अमरीकी साम्राज्यवाद के पक्ष में हैं। अंर्न्तराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी में ईरान के परमाणु मसले पर भारत सरकार ने अमरीकी साम्रज्यवाद का ही समर्थन किया है। इसने राजग सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए, 10 वर्षीय सैन्य समझौते के माध्यम से 'रणनीतिक सहयोग' जारी रखा है और

अमरीका के पक्ष में निहायत ही गैर जरूरी आणविक समझौता किया है। इस तरह गुटनिरपेक्ष नीति से दूर जाते हुए अमरीकी साम्राज्यवादी गुट के पक्ष में अनावश्यक झुकाव है, और यदि विदेश नीति के मोर्चे पर इस रूख को, बिना प्रभावी विरोध के ही जारी रहने दिया जाता है तो इसका प्रभाव आन्तरिक राजनीति और अर्थनीति पर भी निश्चित रूप से होगा।

4. वामपंथ और वाम जनवादी मोर्चे की सरकारों की भूमिकाः

4.1 इस संदर्भ में वामपंथ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की, वाम व जनवादी मोर्चे की सरकारों की अहम् भूमिका को समझना होगा। याद रखना होगा कि पूँजीवादी व्यवस्था की उदारवादी नीतियों के अंर्तगत वर्तमान साम्राज्यवाद समर्थक नीतियों के ढ़ाँचे में काम करने की इन सरकारों की अपनी सीमाऐं हैं। अर्द्ध संघीय ढ़ाँचे में रहते हुए, एक राज्य सरकार के रूप में, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों देय धन के उपयोग के मामले में थोपी गयी उदारवादी नीतियों की सीमाओं में ही काम करना पड़ता है। फिर भी ये राज्य सरकारें राजनैतिक रूप से तथा अर्थनीति के मामले में लोकतांत्रिक ढ़ंग अपनाते हुए, अपनी जनता के अधिकारों के पक्ष में काम कर रही हैं। भारत सरकार के साम्राज्यवाद की ओर झुकाव का इन राज्यों की जनता ने जोरदार विरोध किया है, और वामपंथी नेतश्त्व वाली सरकारों ने विदेश नीति के इस भटकाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की है। अर्थनीति के मोर्चे पर भी इन राज्य सरकारों का गम्भीर प्रयास है कि विकास का लाभ आम आदमी तक पहुँचे ताकि वो अपने जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बना सके। ये राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन करके मजदूरों के अधिकारों में कटौती के प्रयासों का भी विरोध करती हैं। जहाँ एक ओर केन्द्र सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बनाने में टालम टोल कर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार अपने राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं कृषि मजदूरों के लिए पी.एफ./सामाजिक सुरक्षा लागू कर भी चुकी है। इस सरकार ने राज्य के बन्द कारखानों के मजदूरों को भी कुछ राहत दी है, जबकि केन्द्र सरकार और काँग्रेस व भाजपा शासित राज्य सरकारों ने इन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी उदारवादी नीतियों के अन्धानुकरण में ये राज्य सरकारें आड़े भी आ रही हैं।

4.2 हमे देश में मजदूर और जनवादी आन्दोलन के संदर्भ में इन वाम नेतश्त्व की सरकारों की मौजूदगी के प्रभाव का ठीक–ठीक आकलन करना होगा। याद होगा कि भारत में पहली बार प० बंगाल सरकार ने ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी मागों के लिए हड़ताल करने का अधिकार दिया। वाम सरकार ने ही यह सुनिश्चित किया कि औद्योगिक विवाद के दौरान पुलिस मालिकों के पक्ष में दखलन्दाजी नहीं करे। देशी–विदेशी प्रचार माध्यमों और वाम विरोधी व्यक्तियों और एजेन्सियों ने वामपंथ और वामपंथी सरकारों को बदनाम करने की सोची समझी कोशिशों को गम्भीरता से लेना होगा। वामपंथ और वामपंथी सरकारों के विरोध में चलने वाले अभियानों के खिलाफ मुहिम चलाकर, वामपंथ और उसके नेतश्त्व वाली सरकारों की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग को ही आगे आना होगा।

5. आर्थिक नीति के मुद्देः

5.1 पिछले महाधिवेशन के बाद हम ने देखा है कि संप्रग सरकार भी राजग के दौर में लागू नीतियों को ही लागू रखे हुए है, कुछ मामलों में तो इसने और भी अधिक जोरदार ढ़ंग से एवं तेजी के साथ गति पकड़ ली है। पिछले दौर में पेश किए गए बजट और कानूनी पहल उसी प्रतिगामी प्रवश्त्ति को ही दर्शाती है। मजदूर आन्दोलन और जन संगठनों के तेज होते संघर्षों के परिपेक्ष में वामपंथी पार्टियों के दबाव के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम वजूद में आया है। इस कानून में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को वर्ष में न्यूनतम् 100 दिन काम देने का प्रावधान है, परन्तु शुरूआती दौर में यह सिर्फ 200 जिलों में ही लागू किया गया है, इस घोषणा के साथ कि यह अगले 5 वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाएगा। परन्तु राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम में घोषित कई अन्य जन हितकारी वायदे अभी भी लागू नहीं किए गए हैं, अलबत्ता आर्थिक सुधारों की आड़ में, संप्रग सरकार कुछ चुने हुए क्षेत्रों में देशी–विदेशी बड़े पूँजीपतियों पर अनेक रियायते लुटा रही है।

5.2 उदारवादी नीतियों को जारी रखते हुए, खाद्यान्न और कृषि उत्पाद सहित आयात को उदार बना दिया है, और

आयात से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिए गए है। कृषि लागतों में भारी मूल्य वृद्धि और विश्व व्यापार संगठन की शर्तों का पालन करने का ही परिणाम है कि कृषि संकट दिनोंदिन गहराता ही जा रहा है। देशी कृषि उत्पाद बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे है और खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, जो पूरी जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा का गम्भीर संकट बढ़ता ही जा रहा है, जो अन्ततः ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गरीबी और बेराजगारी में भारी बढ़ोत्तरी कर रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ और आन्ध्र प्रदेश के किसानों द्वारा की जा रही आत्म हत्याओं में लगातार वृद्धि समस्या की गहरायी को साफतौर पर दिखाता है।

5.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को दी गयी खाद्यान्न खरीद की इजाजत देने से, इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बडे देशी कॉरपोरेटस् के आने की संभावना हो गयी है। साथ ही साथ समर्थन मूल्य की घोषणा करने में देरी करके और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बन्द करके एफ.सी.आई की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही योजनावद्ध तरीके से, निजी व्यापारियों को एफ.सी.आई. पर हावी होने का अवसर दिया गया है। नतीजतन एफ.सी.आई. के द्वारा खाद्यान्न खरीद में भारी गिरावट आयी है। इस तरह से एफ.सी.आई. को समाप्त करके निजी व्यापारियों को खुलकर खेलने की भूमिका तैयार कर ली गयी है। दूसरी ओर देशी खरीद के दौरान, किसानों को दिए गए मूल्य से कहीं बहुत अधिक मूल्य पर, लाखों टन गेहूँ आयातित किया गया है। यह सब इस इरादे किया गया है कि खाद्यान्न उत्पादक किसान और उपभोक्ता दोनों ही को निजी व्यापारियों की अधिकाधिक मुनाफा कमाने की राक्षसी भूख के हवाले कर दिया गया है, अन्ततः खाद्यान्न बाजार पर निजी व्यापारियों का ही कब्जा हो जाएगा।

5.4 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (1) अधिनियम को पारित करके, इन क्षेत्रों को विकसित करने वाले निजी क्षेत्र और उनमें लगने वाले उद्यम, दोनों को ही न्यूनतम् जबावदेही के साथ कर रहित निजाम कायम करने का अधिकार दे दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (2) अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (3) में कार्यरत मजदूरों को बुनियादी श्रम कानूनों के अर्न्तगत संरक्षण एवं अधिकार को भी पूरी तरह से नकारना ही है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (3) के लिए अधिग्रहण की जाने वाली कृषि योग्य भूमि के मालिक किसानों को उचित मुआवजा का भुगतान और पुर्नवास की व्यवस्था भी नहीं करेगें। इस तरीके से यह नव उदारवादी ढ़ाँचे के अर्न्तगत तथाकथित विकास विस्थापन का पर्याय ही सिद्ध होगा।

5.5 ''प्रभावशाली और सक्षम'' बनाने के नाम पर, वित्त क्षेत्र को अनियंत्रित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के नियंत्रण को लगभग समाप्त करने और निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी पूँजी के नियंत्रण में देने के इरादे से संसद में दो बिल पेश भी किए जा चुके हैं। यदि ये बिल पास हो गए तो देश की आर्थिक स्वायत्तता पर बहुत ही बुरा असर होगा। रक्षा उत्पादन जैसे संवेदनशील एवं रणनीतिक महत्व के सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कमजोर करने के लिए, इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और देशी निजी कम्पनियों को घुसाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण जैसे टेलीकॉम, बन्दरगाह, हवाई अड्डा आदि बुनियादी ढ़ाँचागत क्षेत्र के विस्तार एवं मजबूत करने की समुचित तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता, हमारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के पास होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

5.6 राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कम्पनियों का विनिवेश नहीं किया जा सकता इसलिए सप्रग सरकार नवरत्न कम्पनी की परिभाषा को ही बदलने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कम्पनी की कार्यनिष्पादन क्षमता को शेयर बाजार में इस कम्पनी के शेयरों के मूल्य के बढ़ने से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि कम्पनी को शेयर बाजार की हेराफेरी के माफिक बनाया जा सके।

5.7 सरकार रक्षा उत्पादन के सार्वजनिक क्षेत्र और आर्डीनेन्स फैक्ट्रियों पर केलकर कमैटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहती है। वह ऑर्डीनेन्स फैक्ट्रियों का निगमीकरण करके तथा रक्षा मंत्रालय की अन्य सार्वजनिक कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम करने जैसे तमाम प्रयास अन्ततः विदेशी कम्पनियों सहित निजी क्षेत्र के लिए रक्षा उत्पादन

के क्षेत्र में प्रवेश आसान बनाना ही मुख्य मकसद है। सार्वजनिक क्षेत्र–निजी क्षेत्र साझाकरण के नाम पर एवं कई अन्य तरीकों से कुछ और क्षेत्रों में इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

5.9 सार्वजनिक क्षेत्र–निजी क्षेत्र साझाकरण, अर्थात् (Public Private Partnership) के नाम पर बिजली, पानी, स्वास्थय सेवाएं जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जन सेवाओं का पहले ही निजीकरण किया जा चुका है। जन उपयोगी सेवाओं में ... जैसे रास्ते का अपनाये जाने का सीधा अर्थ यह है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा अपनी भुगतान क्षमता कम होने के कारण इन सेवाओ से वंचित रहे और निजी कम्पनियाँ आऐ दिन, इन सेवाओं के मूल्यों में मनचाही वृद्धि करके भारी मुनाफा बटोर सकें। ऐसी विनाशकारी प्रवशत्तियों के और भी कई उदाहरण मौजूद हैं।

5.10 राजग सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्तमान सरकार पेशंन फण्ड नियमन एवं विकास प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश लेकर आयी है। यह प्रयास सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी तरह की पेशंनों को 'परिभाषित लाभ' की धारणा से 'परिभाषित योगदान' की धारणा में बदलना ही है। सामाजिक सुरक्षा के तहत मजदूरों और कर्मचारियों से प्राप्त फण्डों को वापसी के लिए अनिश्चितता से भरे शेयर बाजार में ले जाना चाहती है। इस तरह का प्रयास अन्ततः सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को निजी हाथों में सौपने की कोशिश ही कहा जा सकता है।

5.11 खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खतरे बहुत ही व्यापक हैं। अनेकों विदेशी व्यापारिक कम्पनियाँ संयुक्त उद्यम के द्वारा अथवा भारतीयों के साथ आपूर्ती के अनुबन्धों का सहारा लेकर पहले ही खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश पाने की कोशिशों में हैं। अति विशाल विदेशी व्यापारिक कम्पनियों और देशी निजी व्यापारियों को खाद्यान्न के व्यापार में प्रवेश का सीधा अर्थ यह है कि उनको खुदरा व्यापार में घुसने का रास्ता देना।

5.12 पिछले दो वर्ष से सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का राग अलापा जा रहा है। रोजगार विहीन विकास का सारा लाभ सिर्फ बड़े पूँजीपतियों को ही मिल रहा है। इस तथाकथित 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर के दौर में, 1980 के दौर के मुकाबले रोजगार के अवसर बहुत कम पैदा हुए हैं। जबकि उस दौर में औसतन विकास दर मात्र 4 से 5 प्रतिशत ही थी। इस विकास दर के दिखावे से अर्थ व्यवस्था में उभरते संकट पर पर्दा डालकर नहीं रख सकता है। यह संकट, तेजी से बन्द होती औद्योगिक इकाईयों, श्रमिकों के अस्थायीकरण और किसानों द्वारा की जा रही आत्म हत्याओं के रूप में स्पष्ट दिखने लगा है, और जनता के हितों की कीमत पर, सारा लाभ प्रभावशाली और अमीरों के हाथों में जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में अनपायी गयी नव उदारवादी नीतियों का अनुभव यह दिखाता है कि करोड़ों आम लोगों के हिस्से का धन कुछ थोड़े से पूँजीपतियों के हाथों में स्थानान्तरित हो रहा है। धन–सम्पत्ति के स्थानान्तरण की यह प्रक्रिया नयी सदी के दौरान अपनायी गयी दूसरे दौर की उदारीकरण की नीतियों का परिणाम है।

5.13 संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के मामले में भारत विश्व के 177 देशों से 126वें स्थान पर ही है। विश्व की कुल आबादी का 17 प्रतिशत जनता के लिए भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.35 प्रतिशत ही स्वास्थय पर खर्च करती है। इतने प्रतिशत आबादी में विश्व के 23 प्रतिशत बच्चे प्रसूति के दौरान मौत का शिकार बन जाते हैं, जो संख्या के लिहाज से 5 लाख प्रतिवर्ष होता है और 20 प्रतिशत माँ मौत का शिकार बन जाती हैं। तथा 68 प्रतिशत कोढ़ एवं 30 प्रतिशत टी.बी. के शिकार हैं (10वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वॉल्यूम के अनुसार) शुद्ध पीने योग्य पानी और सफाई पर, केन्द्र व राज्य सरकारों (दोनो मिलाकर) का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.2 प्रतिशत ही हैं। हमारे देश की एक तिहाई आबादी अनपढ़ है और 50 प्रतिशत बच्चे 8वीं कक्षा में पहुँचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। आम आदमी की इतनी बद्तर हालात के बावजूद भी, 11वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह दावा किया गया है कि *''औसत आदमी को आर्थिक सुधारों से लाभान्वित हुआ है।''*

5.14 वर्ष 1990 और 2002 के दौरान विश्व स्तर पर गरीबी में थोड़ी सी कमी आयी है। यह थोड़ा सा अन्तर भी

चीन के कारण है जहाँ विश्व बैंक के सुझायी गयी नीतियों के बजाय, जनहितकारी वैकल्पिक नीतियाँ अपनाने के कारण करोड़ो लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है। वर्ष 2006 की संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2002 में भारत की श्रमिक जनता का 31.2 प्रतिशत दक्षिण एशिया की श्रमिक जनता के समान, एक डालर से भी कम प्रति दिन के वेतन पर गुजारा करने के लिए मजबूर है। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में कमी आने की भारत की दर 8.2 प्रतिशत के मुकाबले चीन में यह दर 19 प्रतिशत रही है।

5.15 जनगणना के अनुसार बेराजगारों की संख्या वर्ष 1991 में 1 करोड़ 38 लाख से बढ़कर 2001 में 4 करोड़ 52 लाख हो गयी अर्थात् पिछले 10 वर्षों में ही बेरोजगारी तीन गुना बढ़ी है। उसके बाद की एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार बेराजगारी और गरीबी के आँकड़े बहुत ही खतरनाक स्थिति बयान करते हैं। सभी आर्थिक मानदण्ड गरीबी और गैर बराबरी के लगातार बढ़ते जाने की ओर ही इशारा करते हैं। और यह सभी अर्थव्यवस्था के अस्थिर होने के ही लक्षण हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में पूरी तरह से असफल ही रही हैं। नयी पारी में इसमें लगातार गिरावट पूँजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट की ओर इशारा करती है। *''भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बनता जा रहा है''* के बड़े–बड़े दावों के साथ आर्थिक सुधारों की वकालत और प्रचार के बावजूद भी बड़े पैमाने पर आम जनता का मोह भंग हुआ है। मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों ने भी इन नीतियों के खतरों को समझने में मदद की है। वर्तमान हालात की यह माँग है कि जनता के हर वर्ग को लामबन्द करके, जनविरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ जन संघर्षों को विस्तारित करते हुए लगातार तेज किया जाय।

6. व्यापार ढ़ाँचे में परिवर्तन

6.1 हमें यह भी समझना होगा कि इस नव उदारवादी अर्थ व्यवस्था में व्यापार के ढ़ाँचे में ही यह बदलाव आया है कि तेजी से बदलते बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी हावी हो गयी है। इसने उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की सारी बनावट और ढ़ाँचे में ही कुछ ऐसे भारी बदलाव ला दिए हैं कि पुराने उद्योगों के साथ साथ अमतौर पर श्रमिकों के लिए स्थिति को बहुत संकटपूर्ण बना दिया है। इन बदलावों का प्रभाव मुख्य रूप से उद्योग/व्यवसाय में उत्पादन सम्बन्धों और नियमन के ढ़ाँचे को ही बहुत अधिक भंगुर बना दिया है। कुल मिलाकर ये सभी परिवर्तन ऐसी दिशा में जा रहे हैं, जो रोजगार की गुणता और श्रमिकों पर बहुत ही गम्भीर प्रभाव डाल रहे हैं।

6.2 वित्तीय पूँजी के अत्यधिक प्रभाव ने बहुत से उद्योगों में तो व्यापार के स्वरूप को ही बदल दिया है। उत्पादन और विपणन को अलग–अलग कर दिया गया है। और उत्पादन को भी अनेक टुकड़ों में बाँट दिया गया है ताकि उत्पादन में बड़े पैमाने पर एवं हर स्तर पर आऊट सोर्सिंग की जा सके। एक औद्योगिक संस्थान की जिन उत्पादन ईकाईयों को, जिनमें बड़े पैमाने पर श्रमिको को रोजगार में लगे हुए है, अपना उत्पाद उसी संस्थान की विपणन ईकाई को बाजार से भी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि उत्पादन ईकाई या तो घाटे में चलती है अथवा मुनाफा मामूली ही होता है, जबकि विपणन ईकाईयाँ बहुत भारी मुनाफा कमाती है। संकट के नाम पर, उत्पादन ईकाईयों में कार्यरत कामगारों को लाभ में अपने हिस्से और अधिकारों का बलिदान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्पादक शक्तियों की कमाई से अतिरिक्त लाभ बनाने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। और यह बहुत अधिक मुनाफे की कमाई व्यापारिक पुर्नगठन के नाम पर हो रही है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो दूरी बनती जाती है, क्योंकि उत्पादक का उत्पाद अन्ततः विपणन द्वारा बहुत ही सस्ते में लूट लिया जाता है जो अनाप–शनाप मुनाफा कमा रहे हैं और श्रमिक भी अपना हिस्सा बड़े पैमाने पर खो रहे हैं। परम्परागत उद्योगों जैसे चाय उद्योग और बहुत सी उपभोक्ता वस्तुऐं बनाने वाले उद्योगों में यह रवैया साफतौर पर देखने को मिलता है। यह तरीका अर्न्तराष्ट्रीय पूँजीतंत्र को और अधिक मजबूत कर रहा है, जो पूँजीवादी उत्पादन में वृद्धि करते हुए बड़े पैमाने पर श्रमिकों को विस्थापित करता है। बहुत से पुराने उद्योग, जो स्वयं को आधुनिक नहीं बना पाए और भारी–भरकम श्रमिकों को साथ लेकर बाजार

की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके और अन्ततः समाप्त ही हो गए। यही वह तरीका है जिसे वित्तीय पूँजी, लाभ कामने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले श्रमिकों के लिए संकट पैदा रकने के लिए अपनाती है। कम वेतन और बेहद घटिया सेवा शर्तों के साथ सिर्फ अनौपचारिक क्षेत्र में ही कुछ रोजगार पैदा हो रहे है। नव उदारवादी नीतियों के तहत पूँजीवादी निजाम का यह सबसे खूंखार चेहरा है, जिसके खिलाफ हमें मजबूती से टकराना होगा।

7. श्रम अधिकारों पर हमला

7.1 नव उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद से मजदूर वर्ग के अस्तित्व पर खतरा कई गुना बढ़ गया है। नयी सदी में शुरू किए गए 'दूसरी पीढ़ी' के आर्थिक सुधारों को लागू करने के साथ ही नव उदारवादी निजाम ने अधिक प्रशासनिक, संस्थागत तथा वैचारिक रूप से स्वयं को और अधिक पुर्नगठित कर लिया है। इसके ढ़ाँचे को अन्तराष्ट्रीय ऐजेन्सियों ने बहुत ही सोची–समझी साजिश के तहत तैयार किया है। इन दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का मुख्य केन्द्र बिन्दु वित्तीय क्षेत्र को पूरी तरह से उदार बनाना, श्रम शक्ति को पूरी तरह से अस्थायी व ठेका मजदूर बनाने के इरादे से श्रम कानूनों को बदलना और व्यापार उद्योग को पूरी तरह से उदार एवं नियमन से मुक्त बनाना ही है।

7.2 उपरोक्त तीनों ही केन्द्र बिन्दुओं का पूरा हमला श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके जीवन पर ही है। विशेष रूप से सारी प्रक्रिया पूँजीवाद के पक्ष में श्रम बाजार को मुक्त बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करने पर केन्द्रित है, जो मजदूर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है।

7.3 उदारवादी नीतियों का लागू करने के बाद श्रम अधिकारों पर दो प्रकार का हमला किया जा रहा है। मसलन एक ओर वर्तमान कानूनों को लागू ही नहीं किया जा रहा है, तो दूसरी ओर नए उद्योगों को श्रम कानूनों के परिपालन से मुक्त रखने की बात की जा रही है। इस समझ के पीछे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा पूँजी निवेश आमंत्रित करने के अनुकूल वातावरण देने का तर्क दिया जाता है। इसके लिए श्रम कानूनों को लागू कराने वाली जाँच मशीनरी को मृतप्रायः बना दिया गया और कुछ राज्यों में तो बाकायदा सरकारी आदेश भी जारी किए गए हैं। और कुछ राज्यों में आंतरिक आदेश देकर इन्स्पेक्शन को दिखावटी बना दिया गया है। श्रम विभाग की, औद्योगिक विवाद निपटारा करने वाली मशीनरी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया है।

7.4 आज के औद्योगिक वातावरण में न्यूनतम् वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम आदि कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन एक रिवाज बन गया है। संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम का उल्लंघन सबसे ज्यादा हो रहा है, उसमें भी यह सर्वाधिक सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है।

7.5 इसके साथ–साथ इन्स्पेक्शन मशीनरी को समाप्त करके, केन्द्र सरकार एवं कुछ एक राज्य सरकारों ने एक नयी व्यवस्था लागू की है जिसके तहत मालिकों को श्रम कानूनों के परिपालन किए जाने के बारे में स्वंय ही प्रमाणित करके देना होता है। इस तरह का प्रयास मालिकों द्वारा वेतन भुगतान, श्रम अधिकारों, स्वास्थय और संरक्षा से सम्बन्धित श्रम कानूनों के परिपालन न करने से सम्बन्धित अपराध को बहुत ही हल्केपन से नजर अन्दाज करते हुए वैधानिकता प्रदान करना ही है। राजग सरकार ने ट्रेड़ यूनियनों के सख्त एतराजों को पूरी तरह से नजर अन्दाज करते हुए, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेशों) में ''निश्चित अवधि का रोजगार वाला श्रमिक'' नाम से श्रमिकों की एक नयी श्रेणी और जोड़ दी। स्थायी कार्यों के अस्थायीकरण को संस्थागत स्वरूप देने के इरादे से ही ऐसा किया गया ताकि संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निधारित जिम्मेदारियों के परिपालन से बचा जा सके। केन्द्र में सरकार बदलने के बाद, श्रम मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए यह संसद में अधिसूचित किया जाएगा, परन्तु अभी तक भी इसे लागू नहीं किया गया है। अब यह निश्चित अवधि का रोजगार बेलगाम तरीके से सार्वजनिक उद्यमों सहित

अनेकों उद्योगों में लागू किया जा रहा है। यह सब कुछ अपराध को कानूनी जामा पहनाने तथा अपराधी पूँजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए ही किया जा रहा है।

7.6 श्रम कानूनों को तोड़ने के लिए उकसाने का काम सरकार द्वारा किए जाने के दो आयाम हैं। एक तो बुनियादी श्रम कानूनों के न पालन करने की इजाजत देना और इसके विरूद्ध संघर्ष करने के ट्रेड़ यूनियन अधिकारों में कटौती करना। जो न्यूनतम् वेतन कानून की परिधि में आने वाले, सामान्यतया 50 प्रतिशत से अधिक कामगारों को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम् वेतन के बराबर क्या उसके करीब–करीब का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गाँव, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और मुरादाबाद, पंजाब के लुधियाना और जालंधर, गुजरात के बड़ोदा, अहमदाबाद और सूरत, उड़ीसा के तलचर, झारखण्ड़ के रांची और बोकारो, आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम् सहित करीब करीब हर जगह यही कहानी मौजूद है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में तमाम औद्योगिक विवाद काम के घंटे, न्यूनतम् वेतन, बुनियादी अधिकारों से सम्बन्धित वर्तमान श्रम कानूनों के बारे में ही होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इन हालातों में श्रम कानूनों के परिपालन के बारे में मालिकों को स्वयं प्रमाणित करने की जिम्मदारी देने वाले सरकार में बैठे लोगों की आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है।

7.7 दूसरा आयाम है, वर्तमान श्रम कानूनों को इस तरह से बदलने का प्रयास कि कानूनों का उल्लंघन और लागू न करने को वैधानिकता दी जा सके। इस पर श्रम कानूनों में किस तरह के परिवर्तन करने हैं, उन्हे भारत सरकार अन्तिम रूप दे चुकी है। दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट को इन परिवर्तनों के लिए आधार बनाया गया है। देश की पूरी श्रम शक्ति को ठेका मजदूर बनाने और ''हायर एण्ड फायर'' की व्यवस्था के हवाले करने के इरादे से मुख्य रूप से औद्योगिक विवाद और संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियमों को इन परिवर्तनों का लक्ष्य बनाया गया है। ट्रेड़ यूनियन अधिनियम में पहले ही ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं जिनके कारण ट्रेड़ यूनियन बनाना और उसे पंजीकृत कराना अधिक मुश्किल हो गया है और साथ ही साथ सम्बन्धित अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि तथ्यहीन आधार पर, कभी भी किसी भी यूनियन की पंजीयन समाप्त किया जा सके।

7.8 कार्यस्थल के अनौपचारीकरण और अस्थायीकरण का कोशिशें एक और अशुभ लक्षण है। पिछले 2–4 वर्षों के दौरान स्थायी कामगारों के साथ–साथ उसी जगह और उसी काम के लिए ठेका कामगारों को काफी बड़े पैमाने पर लगाने की प्रवशत्ति भी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ही देखने में आयी है। समान काम करने के बावजूद भी ठेका मजदूरों को स्थायी मजदूरों के वेतन के दसवें भाग के बराबर वेतन दिया जा रहा है। यद्यपि कानूनों में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फिर भी प्रशासन के संरक्षण में ही लगभग पूरे देश में यह सब चल रहा है। विनर्माण में लगे पूरे निजी क्षेत्र में इस तरह की अवैधानिक गतिविधियाँ चल रही हैं। और ऐसा बहुत सी सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों में भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा उत्पादन कार्य ही बड़ी संख्या में ठेकेदारों को आऊट सोर्स किया जा रहा है। श्रम शक्ति से अधिकाधिक अतिरिक्त मूल्य पैदा कराने के लिए कार्य स्थल पर रोजगार के रिश्तों को एकदम से भंगुर बनाने की कोशिशें जारी हैं।

7.9 राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम के बावजूद भी संप्रग सरकार ''हायर एण्ड फायर'' की नीति की ओर बढ़ रही है। 2005–2006 की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में श्रमिकों के लिए 'अन्दर और बाहर' की नीति की वकालत की गयी है। साथ ही साथ श्रम कानूनों को उस दिशा में बदलने की कोशिशें भी की जा रही है। सरकार ने संसद में विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी बिल पेश किया जिसमें निवेशकों को श्रम कानूनों को लागू करने की वाध्यता से मुक्त रखने का प्रावधान है। इसके विरूद्ध मजदूर आन्दोलन के तीखे तेवरों और संसद के अन्दर वामपंथी पार्टियों के जबरदस्त विरोध के दबाव में सरकार को इन प्रावधानों को वापस लेना पड़ा।

7.10 इस सदर्भ में श्रम बाजार को अनियमित करने के पक्ष में न्यायपालिका की बदलती हुई भूमिका को भी समझना होगा। यह समय की कसौटी पर जाँचा परखा तथ्य है कि न्यायपालिका राजसत्ता का ही एक अंग है। शासक वर्गों का हिस्सा होने के कारण, शासक वर्गों के हितों में काम करती है। उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद

उच्चतर न्यायालयों के श्रम सम्बन्धी मामलों में अनेक आदेश ऐसे हैं जो उपरोक्त सपाट सत्य को सिद्ध करते हैं। इन परिवर्तनों पर हम रांची में सम्पन्न हुई सीटू जनरल कौसिंल मीटिंग में चर्चा कर चुके हैं और इस महाधिवेशन में इस विषय पर आगे की चर्चा एक अलग कमीशन करेगा।

7.11 श्रम अधिकारों पर मड़राते खतरों में, सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का बदला हुआ रूख एक और खतरा है। वर्तमान में देश की कुल श्रम शक्ति में से सिर्फ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों ही पी.एफ., ईएस.आई., पेंशन आदि के रूप में सामाजिक सुरक्षा के लाभ हासिल हैं। अब सरकार इन न्यूनतम् एवं सीमित सामाजिक सुरक्षा को समाप्त करके अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेना चाहती है।

7.12 प्रशासनिक व्याज दरें को लगातार कम करते जाने के परिणाम स्वरूप छोटी बचतों और पी.एफ. पर व्याज दरें लगातार घटती ही जा रही है।

7.13 हर आने वाली सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मगरमच्छ के आँसू तो बहाती है लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लाभ की कोई योजना अभी तक भी नहीं बनायी है। तथ्य यह है कि देश की कुल श्रम शक्ति में 93 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं और सरकार वर्तमान योजनाओं के अर्न्तगत मिलने वाले लाभों में भी कटौती करना चाहती है।

7.14 एक ओर भयंकर तेजी से बढ़ती मँहगाई और मुद्रास्फीती ने आम जनता के जीवन पर बहुत गम्भीर चोट मारी है, तो वहीं सरकार मूल्य सूचकांक की गणनाओं में हेरा–फेरी करने की मशक्कत में लगी हुई है। तमाम ट्रेड़ यूनियनों के भारी विरोध के बावजूद भी लेबर व्यूरो शिमला ने आधार वर्ष 2001 बनाकर मूल्य सूचकांक की एक नई श्रेणी जारी कर दी है, जो मजदूरों के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। ट्रेड़ यूनियनों के भारी विरोध ा के बाद प्रधानमंत्री को भी ट्रेड़ यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक सूचकांक पुर्नविचार कमैटी नियुक्त करने के लिए सहमत होना पड़ा है। लेकिन नयी मूल्य सूचकांक श्रेणी जारी है, जो करोड़ों मजदूरों को मंहगाई भत्तें भुगतान में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

7.15 देश का अभिजात्य शासक वर्ग जिस उदारवादी आर्थिक नीतियों की वकालत करता है, उन्ही नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ही उपरोक्त सारी कार्यवाहियाँ की जा रही है। यह उदारवाद वर्तमान पूँजीवाद का सबसे खूंखार चेहरा है। पूँजीवादी व्यवस्था में ही काम करते हुए पिछली सदी के दौरान मजदूर वर्ग ने जो कुछ हासिल किया है, उसे पूँजीवाद अपने इन हमलों के माध्यम से छीन लेना चाहता है।

7.16 उदारवाद और पूँजीवाद का कट्टर समर्थक मीडिया से प्रचार चल रहा है कि श्रमिक अधिकारों को समाप्त करने से रोजगार अधिक अवसर पैदा होगें और ट्रेड़ यूनियनों का असर समाप्त कर देने से अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश होगा। लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। जो लोग इस तरह के विचारों की वकालत करते हैं, वो या तो यह जानते ही नहीं कि पूँजीवादी व्यवस्था किस तरह से काम करती है, अथवा वो जान बूझकर कुत्सित इरादे से अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रगतिशील आन्दोलन और ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन का एक हिस्सा और यहाँ तक कि परम्परागत वामपंथ का एक छोटा हिस्सा भी इन घातक नीतियों के झाँसे में आ गया
है।

8. संघर्षों के बारे में

8.1 हम महाधिवेशन के दस्तावेज के ही हिस्से के रूप में गतिविधियों पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इसलिए हम विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में चली सांगठनिक गतिविधियों और संघर्षों का विस्तारित व्यौरा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम इस दौरान हुए संघर्षों के कुछ अति महत्वपूर्ण पहलुओं पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ ही कर रहे हैं।

8.2 इन घातक उदारवादी व्यवस्था के खिलाफ पूरे विश्व में भारी विरोध हो रहा है। पूरे विश्व में होने वाली घटनाऐं इस सत्य को पुनः सिद्ध कर रही है कि वर्ग संघर्ष ही अनेक उतार–चढ़ावों से गुजरते हुए, तमाम तरह के शोषण से मुक्ति का एक मात्र रास्ता है। पिछले महाधिवेशन के बाद का दौर में शासन–सत्ता के अत्याचार के विरूद्ध, पूरे देश में मजदूरों ने बहुत ही बहादुरी के साथ संघर्ष चलाए हैं। अधिकांशतया ये संघर्ष श्रम कानूनों को पालन कराने को लेकर ही रहे है। इस प्रकार तथाकथित निवेशक समर्थक माहौल पैदा करने के लिए, सरकार की श्रम कानूनों के उल्लघंन को बढ़ावा देने वाली नीति का विरोध करने के लिए सीटू हमेशा तैयार है। महाधिवेशन के बाद सम्पन्न सीटू की जनरल कौंसिल व कार्यसमिति की मीटिंगों के आव्हान् पर ''राजसत्ता द्वारा प्रायोजित श्रम कानूनों के उल्लघंन'' के विरूद्ध शानदार संघर्ष चलाए गए हैं।

8.3 एक तथ्य यह भी है कि 19 अगस्त 2006 को प्रधानमंत्री के साथ केन्द्रीय मजदूर संगठनों की मीटिंग में, सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने एक स्वर से यह मुद्दा उठाया और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसे मानकर राज्य सरकारों के साथ बात करने का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद वामपंथी सासंदों द्वारा श्रमिकों के कानूनी अधिकारों पर हमले और श्रम कानूनों के उल्लंघन का यह मामला संसद में बहुत ही जोरदार ढ़ंग से उठाया गया। और बहुत से गैर वामपंथी सांसदों ने भी उनका साथ दिया। इसके परिणाम स्वरूप श्रम कानूनों के उल्लंघन के मसले पर चर्चा करने के लिए, केन्द्रीय श्रम मंत्री को राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ, केन्द्रीय मजदूर संगठनों की मीटिंग बुलानी पड़ी। जहाँ सरकार को श्रम कानूनों के उचित ढ़ंग से लागू न किए जाने का मामला स्वीकार करके उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देना पड़ा। श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला सभी ट्रेड़ यूनियनों के लिए एक साझा मुद्दा है। इस प्रक्रिया के तहत, मालिकों के भारी विरोध और सरकार की झिझक के बावजूद भी, 2007 के शुरूआत में होने वाले 41वें श्रम सम्मेलन के एजेण्ड़े में ''हिंसा से बचने के लिए श्रम कानूनों के परिपालन को मजबूत करना'' शामिल करना पड़ा है।

8.4 पिछले महाधिवेशन के बाद के समय में 24 फरवरी 2004, 29 सितम्बर 2005 और 14 दिसम्बर 2006 को तीन देशव्यापी हड़तालें हुई हैं। इन तीनों हड़तालों में, पहले के मुकाबले सभी क्षेत्रों के सर्वाधिक मजदूरों और आम जनता ने भाग लिया। इन सभी देशव्यवापी संयुक्त कार्यवाहियों में सीटू ने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की है।

8.5 पिछले समय में अनेकों उद्योगवार आन्दोलनात्मक कार्यवाहियाँ भी हुई हैं। इनमें से कोयला उद्योग के मजदूरों के द्वास पहले तीन दिन, उसके बाद छह दिन की हड़ताल और उससे पहले चलाए गए अभियानों के दबाव में सरकार को अपनी जिद छोड़कर, मजदूरों की माँग के अनुरूप मंहगाई की शत–प्रतिशत भरपाई के साथ 5 वर्षीय वेतन समझौते की माँग स्वीकार करनी पड़ी। दिल्ली व मुम्बई हवाई अड्डों के निजीकरण के विरोध में चले संघर्ष में सीटू ने अपनी भूमिका अदा की। इस संघर्ष के समर्थन में सीटू राज्य कमैटियों द्वारा आयोजित विरोध कार्यवाहियाँ भी विशेष रूप से नोट करने की बात है। बहुत से संघर्षों में से कुछ प० बंगाल के जूट व चाय बागान के मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, ट्रान्सपोर्ट कामगारों द्वारा की गयी आन्ध्र प्रदेश, तमिलानाडु और हरियाणा में की गयी हड़ताल, राज्य स्तरीय लामबन्दियाँ एवं केरल में धरना–घेराव, उड़ीसा मे लौह अयस्क खदान मजदूरों की हड़ताल, हरियाणा के कताई मिलों के मजदूरों की दो बार की गयी अनिश्चितकालीन हड़तालें आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं।

8.6 एक और उल्लेखनीय संघर्ष, जुलाई 2006 में 10 दिन तक आँगनवाड़ी कामगारों द्वारा संसद पर दिया गया धरना और क्रमिक भूख हड़ताल है। नियमित किए जाने, वेतन बढ़ोत्तरी और रिटायरमैन्ट लाभ लागू करने की माँगों को लेकर दिए गए उपरोक्त धरने में सभी राज्यों से लगभग 15 हजार से अधिक आँगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायकों ने भाग लिया। इसने आँगनवाड़ी कर्मचारियों में जोश भर दिया है और हमारे आँगनवाड़ी फेड़रेशन के द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों के लिए एक कमैटी बनाने के लिए, सरकार पर असरदार दबाव भी बना है।

8.7 इस दौरान कुछ अन्य संयुक्त कार्यवाहियाँ हुई जिनके कारण अस्थायी रूप से ही सही परन्तु सरकार को

निजीकरण की मुहिम में अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। जब भारत सरकार ने नालको और नैवेली लिगनाईट का विनिवेश करने का निर्णय लिया तो, पहले नैवेली और फिर नालको कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के दबाव में सरकार को विनिवेश का फैसला वापस लेना पड़ा। उल्लेखनीय बात यह है कि विनिवेश के खिलाफ इस उग्र कार्यवाही का फैसला कर्मचारियों और अफसरों के द्वारा एकदम जमीनी स्तर पर लिया गया, जो विनिवेश के विरूद्ध उनकी गहरी एवं स्वःस्फूर्त भावनाओं की गहराई को स्पष्ट करता है। टेलीकॉम और बैंकिंग सैक्टर में भी इसी प्रकार की देशव्यापी कार्यवाहियाँ हुई हैं।

8.8 इस दौरान अनेकों संयुक्त संघर्ष देशव्यवापी एवं उद्योगों के स्तर पर किए गए हैं। अन्य केन्द्रीय श्रम संघों एवं स्वतंत्र फैड़रेशनों के साथ मिलकर संयुक्त संघर्षों आयोजित करने में सीटू ने अति महत्वपूर्ण नेतश्त्वकारी भूमिका अदा की है।

8.9 इन संयुक्त संघर्षों को मुख्य रूप से सरकार की उदारवादी नीतियों के विरोध में ही आयोजित किया गया। इन संघर्षों की तैयारी के स्तर पर संयुक्त मंच के घटक कुछ ट्रेड़ यूनियन संगठनों में कार्यवाही के प्रकार और अन्ततः हड़ताल कर निर्णय लेने में बहुत हिचकिचाहट देखने को मिली। यहाँ तक कि ट्रेड़ यूनियनों की स्पोंसरिंग कमैटी के आव्हान् पर किए गए अभियान और संघर्ष के दौरान यह देखने में आया है कि कुछ राज्यों में कुछ ट्रेड़ यूनियनों की उपस्थिति औपचारिक अथवा वास्तव में न के बराबर ही रही है।

8.10 संयुक्त रूप से तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अभियान में भी यह कमी देखने को मिली है कि कुछ राज्यों और उद्योगों में हमारी पहल करने तरीके में कमी और अन्य यूनियनों को मिलाकर चलने में भी कमी रही है। हमारा अनुभव यह बताता है कि संयुक्त कार्यक्रम के साथ–साथ हमारी स्वतंत्र गतिविधियाँ, दूसरे संगठनों को संयुक्त कार्यक्रमों में असरदार ढ़ंग से शामिल होने के लिए मजबूर करती हैं।

8.11 हमें यह भी समझना होगा कि स्वतंत्र एवं संयुक्त संघर्षों दोनों के ही संदर्भ में हम लगातार और प्रभावी संघर्षों को चलाने में अक्षम हैं, यह बहुत भारी कमजोरी है। हमारी इस अक्षमता ने ऐसा वातावरण बना दिया हैं कि मजदूर हमारे आवाहन् को महज रस्म अदायगी ही समझने लगे हैं। यह स्थिति संघर्षों को मिलीटेन्ट बनाने के हमारे प्रयासों को भारी नुकसान पहुँचाती है। इस पर हमें पूरी गम्भीरता से विचार करके, जल्द से जल्द इस कमजोरी को दूर करने के तरीके ढूढ़ने होगें।

9. जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच

9.1 हम अपने पिछले महाधिवेशन में लिए गए निर्णय, जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच को सक्रिय बनाने के मामले में असफल रहे हैं। स्पोन्सरिंग कमैटी के कुछ एक घटक संगठनों की ओर से जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच को सक्रिय बनाने के मामले में विरोध है। पिछले महाधिवेशन के बाद के दौर में सीटू जनरल कौंसिल एव कार्यसमिति की मीटिंगों में हम ने यह निर्णय लिया था कि जनता के बहुत ही अहम् मुद्दों पर दोस्ताना जन संगठनों को साथ लेकर संयुक्त गतिविधियाँ और जनता की लामबन्दी करनी होंगी। परन्तु इस पर कुछ नहीं हां सका है, यहाँ तक कि हम इस पहल की प्राथमिकता को ही समझ पाने में असफल रहे हैं। हम अपने दोस्ताना जन संगठनों को साथ लेकर चलने की योजना को, न तो सीटू केन्द्र और ना ही राज्य स्तर पर, एक दो को छोड़कर, हमारे एजेण्डे में कोई जगह ही न मिल सकी है। जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच जैसे मंच के महत्व एवं क्षमता को समझने में हमारी कमजोरी को ही दिखाता है। यह रवैया दिखता है कि शोषणकारी व्यवस्था के विरूद्ध आम जनता और मजदूर वर्ग को लामबन्द करके बड़े विशाल एवं शक्तिशाली आन्दोलन के निर्माण करने जैसे हमारे प्रमुख काम के प्रति हमारा रवैया किस कदर औपचारिक व रश्म अदायगी वाला है। आने वाले समय में हमे अपनी इस गम्भीर कमजोरी को दूर करना ही होगा।

10 असंगठित क्षेत्र में कार्य

10.1 हम पहले ही यह समझ चुके है कि उदारवादी नीतियों के चलते संगठित क्षेत्र तो सिकुड़ रहा है और असंगठित क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हो रहा है। वर्ष 2004–2005 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश की कुल श्रम शक्ति का 92–93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है। रोजगार में संगठित क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1980 में 9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004 में सिर्फ 7–8 ही रह गया है।

10.2 असंगठित क्षेत्र में हमारे काम में कुछ हद तक सुधार तो हुआ है और आज सीटू की कुल सदस्यता के आधे से कुछ अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की ही है। हड़ताल सहित सीटू की विभिन्न गतिविधियों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भागीदारी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। कर्नाटक, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में सीटू की सदस्यता में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सदस्यता 70–80 प्रतिशत से कहीं अधिक है। अखिल भारतीय स्तर की हड़तालों दौरान, सड़क व रेल जाम आयोजित करने, जिससे हड़ताल बहुत असरदार प्रतीत होती है, में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भूमिका बहुत ही अहम् होती है। मण्ड़ीयों में कार्यरत मजदूर, सिर पर बोझा उठाने वाले, ऑटो ड्राईवरों के द्वारा हड़ताल करने पर आम हड़तालें अधिक प्रभावशाली हो जाती है।

10.3 पिछले दौर में असंगठित क्षेत्र में अपने काम को तेज करने के लिए प्रयास किए गए हैं। असंगठित क्षेत्र कोओर्ड़ीनेट कमैटी ने अपना दूसरा सम्मेलन 3–4 अक्टूबर 2005 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में आयोजित किया गया। 16–17 राज्यों से 345 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन ने नई कोओर्ड़ीनेशन कमैटी का चुनाव किया जिसके संयोजक का. पी.के. गांगुली हैं। सीटू सेन्टर में का. पी.के. गांगुली, का. डब्ल्यू.आर. वरदराजन, का. रंजीत बसु और का. हेमलता को मिलाकर एक सब कमैटी बनायी है, जो ऑल इण्डिया कोओर्ड़ीनेशन कमैटी ऑफ अनऔग्रेनाईजड् वर्कर्स के काम पर ध्यान देगी।

10.4 इस सम्मेलन ने एक माँग–पत्र स्वीकृत किया, जिसे लेकर दिल्ली में जंतर–मतंर पर 8 दिसम्बर 2005 को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की एक विशाल रैली आयोजित की गयी। उसके बाद बाद कोओर्ड़ीनेशन कर्मटी ने माँग–पत्र विशेष रूप से समान वेतन, न्यूनतम् वेतन और असंगठित क्षेत्र के लिए एक मुकम्मल कानून बनाने को लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जो दिसम्बर 2006 में देशव्यापी हड़ताल में बदलना था परन्तु स्पोन्सरिंग कमैटी द्वारा घोषित 14 दिसम्बर 06 की अखिल भारतीय हड़ताल के कारण टाल देना पड़ा, लेकिन 14 दिसम्बर की अखिल भारतीय हड़ताल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने बहुत भारी संख्या में भाग लिया। कुछ राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, प० बंगाल, त्रिपुरा आदि में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की माँगों के समर्थन में राज्य स्तरीय जत्थे/रैलियाँ आयोजित की गयी, जिसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बहुत भारी समर्थन मिला है। इसका अर्थ है कि हम उचित ढ़ंग से संगठित करके संघर्ष की समझ के साथ यदि इन मजदूरों के पास जाऐं तो ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं।

10.5 कई राज्यों में, ईंट भट्टा उद्योग, कताई मिलों, मण्ड़ी कामगारों, बीड़ी, निर्माण उद्योग, प्राईवेट ट्रान्सपोर्ट, एफ.सी.आई. के पल्लेदारों के हड़ताल सहित कई कार्यवाहियाँ की गयी हैं।

10.6 प० बंगाल में सीटू ने किसान सभा के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की पहल की है। सीटू और किसान सभा के नेतृत्व की संयुक्त मीटिंग करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया।

10.7 हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करके संघर्ष की कार्यवाहियाँ करने के बारे में अपने काम पर सीटू की जनरल कौसिंल, कार्यसमिति और सम्मेलनों में चर्चा करते आ रहे हैं परन्तु फिर भी कई काम ऐसे है जिन्हे

अभी तक भी लागू ही नहीं किया गया है। अभी तक भी कुछ राज्यों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सब कमैटी और कोओर्डीनेशन कमैटियों का गठन ही नहीं किया गया है।

10.8 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच अपने काम को मजबूती प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों/व्यवसायों की पहचान करें, जहाँ बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत हैं। क्षेत्रों को प्राथकिता देकर कैडर और आर्थिक क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखकर, उचित योजना के अनुसार काम करना होगा। सिर्फ तुरत की माँगों पर ही प्रतिक्रिया करने की अपनी कमजोरी को भी दूर करना होगा। सभी राज्यों में मौजूद ऐसे उद्योगों व क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर काम करने से सीटू का विस्तार संभव है।

10.9 इन प्राथमिकता के उद्योगों/व्यवसायों में अध्ययन व सर्वे करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की गम्भीर समस्याओं को ध्यान में रखकर, माग–पत्र तैयार करके, राज्यवार अभियान चलाऐ जाऐं, तभी अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यदि कोई वर्तमान कानूनी कल्याणकारी व्यवस्था हो तो (अर्थात् कल्याण फण्ड/बोर्ड आदि जैसे कि बीड़ी व निर्माण उद्योग के मजदूरों के लिए हैं आदि) का उपयोग मजदूरों के साथ सम्पर्क साधने के लिए किया जा सकता है।

10.10 इसके अलावा बीड़ी, आंगनवाड़ी, निर्माण इत्यादि में अर्थात् असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी संख्या काम करती है। यदि इन कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को लगाया जाय है तो उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

10.11 चूंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी और दलित श्रेणियों से आते हैं और वे मलिन बस्तियो में रहते हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का नामो निशां तक नहीं होता, इसलिए जरूरी हो जाता है कि कामकाजी स्थलों की समस्याओं के साथ–साथ सी.आई.टी.यू. को ही उनके सामाजिक मुद्दों, लिंग सम्बन्धी मुद्दों, निरक्षरता, आवासीय समस्याओं इत्यादि को उठाए ताकि उनका विश्वास हासिल किया जा सके। इसके अलावा बीच–बीच में स्वयं सेवी समूह/ऋण सम्बन्धी जरूरत पूरी करने में मददगार सिद्ध होने वाले समूह इत्यादि का गठन करने पर विचार किया जा सकता है; इससे श्रमिक वर्ग के संघर्ष को मजबूत बनाने के काम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में नए विश्वास का संचार होगा।

11. कामकाजी महिलाएं

11.1 कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.) का आठवां सम्मेलन 3–5 नवम्बर, 2006 को विशाखापत्तनम में हुआ था। इस सम्मेलन में 418 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये प्रतिनिधि 16 राज्यों से आए थे। जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से किसी प्रतिनिधि ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। संयोजक की रिपोर्ट तथा दस्तावेज 'असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाएं' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ये दोनों रिपोर्टें इस महाधिवेशन की दूसरी सामग्री के साथ आपको दिए जा रहे हैं। समन्वय समिति का गठन 45 सदस्यों के आधार पर किया गया है। कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर कामों के बारे में सी.आई.टी.यू. घोषणा पत्र का प्रारूप भी इस सम्मेलन में पेश किया गया था; उसे भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

11.2 सी.आई.टी.यू. की अनेक राज्य समितियों विशेष तौर पर हिन्दी भाषी राज्यों की समितियों की ओर से कामकाजी महिलाओं की समितियों का गठन नहीं किया गया और यदि किया गया है तो वे काम नहीं करतीं। सी. आई.टी.यू. के महाधिवेशनों, जनरल कौंसिल एवं कार्य समिति की बैठकों में बार–बार निर्णय लिए गए हैं पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।

11.3 कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन के पहले सी.आई.टी.यू. की राज्य समितियों और

राज्य समन्वय समितियों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी; उनके द्वारा भेजे गए उत्तरों से सी.आई.टी.यू. यूनियनों में महिला उप समितियों का गठन करने के लिए राज्य समन्वय समितियों के साथ मिल कर काम करने के मामले में राज्यों की ओर से कुछ प्रयास किए जाने के संकेत मिले हैं। किन्तु अधिकांश महिला उप समितियां काम नहीं करती हैं। महिला उप समितियों के समुचित ढंग से काम करने पर ट्रेड यूनियन कामों के लिए महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में सहायता मिलती है। और इस तरह उन्हें आगे चल कर नेतृत्वकारी पदों के लिए भी पदोन्नत किया जा सकता है। सी.आई.टी.यू. की सभी राज्य समितियों को जितना शीघ्र हो सके इन उप समितियों का गठन कर लेना चाहिए।

11.4 सी.आई.टी.यू. की कुछ राज्य समितियों और सम्बद्ध श्रमिक संघों की ओर से हर साल 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जाता है। भले ही उनमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। विमल रणदिवे स्मारक दिवस हर साल 10 अप्रैल को एक व्याख्यान कराने की बजाए सभाओं, संगोष्ठियों, गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन करके मनाया जाता है। हमें इस दिवस पर व्याख्यान कराने की बजाए कुछ दूसरे ढंगों से भी मनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

11.5 सामान्य तौर पर इस अवधि में लगभग सभी राज्यों में सी.आई.टी.यू. की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में निश्चित तौर पर सुधार आया है। अनेक राज्यों में कामकाजी महिलाओं की ओर से पुलिस अत्याचारों का सामना किया गया; सेवायोजकों द्वारा की जाने वाली प्रतिशोध कार्रवाईयों का डट कर मुकाबिला किया गया। दिल्ली में आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों एवं समस्याओं को लेकर एक विशाल धरने और क्रमिक अनशन का कार्यक्रम चलाया गया था; आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस अवधि की यह एक उल्लेखनीय घटना है।

11.6 सी.आई.टी.यू. की कुल सदस्य संख्या में कामकाजी महिलाओं के अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई है। वार्षिक विवरणियों के अनुसार पिछले महाधिवेशन के समय यह अनुपात 20 प्रतिशत था; 2005 में बढ़ कर 27.7 प्रतिशत हो गया। कर्नाटक में यह अनुपात 57 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि असम, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात लगभग 45 प्रतिशत है।

11.7 यह अनुभव किया गया है कि अनेक श्रमिक संघ कामकाजी महिलाओं की बड़ी सदस्य संख्या होने पर भी जानबूझ कर या अनजाने में ही वार्षिक विवरणियों में इसका उल्लेख नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप रिकार्ड में महिलाओं की असल संख्या प्रतिबिम्बित नहीं होती। उदाहरण के लिए, बीड़ी श्रमिकों तथा घरेलू काम धंधों में लगे श्रमिकों की कुछ यूनियनें दर्शाती हैं कि उनके सभी सदस्य पुरुष हैं; निश्चित तौर पर हकीकत में ऐसा नहीं है। राज्य समितियों को सुनिश्चत करना होगा कि उनके यहां इस तरह से काम न हो।

11.8 कुछ प्रगति हो जाने पर भी समग्र रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने की ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। क्या सी.आई.टी.यू. में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या की बढ़ोतरी सम्बन्धित राज्य समन्वय समितियों द्वारा किए गए जागरूक एवं सुनियोजित प्रयासों के कारण हुई है? यह बहस का विषय है। अनेक राज्यों में सदस्य संख्या में बढ़ोतरी अधिकतर आंगनवाड़ी कर्मचारियों, बीड़ी श्रमिकों इत्यादि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच किए गए प्रयासों के कारण हुई है। जहां यह तथ्य हमारी कमजोरी को दर्शाता है वहीं आज की स्थितियों में उन सम्भावनाओं की ओर भी हमारा ध्यान खींचता है कि कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों को सक्रिय बना कर कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी संख्या को हम अपने साथ ला सकते हैं।

11.9 सी.आई.टी.यू. के 11वें महाधिवेशन में हमने कामकाजी महिलाओं के बीच अपने कामों में मजबूती लाने के लिए अनेक काम करने का फैसला किया था। उनमें से अधिकांश काम पूरे नहीं हुए और या उन्हें आंशिक तौर पर किया गया है। सी.आई.टी.यू. के विभिन्न स्तरों पर सी.आई.टी.यू. समितियों और उससे सम्बद्ध यूनियनों के

पदाधिकारियों में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय सुधार आया है। सी.आई.टी.यू. अथवा कामकाजी महिलाओं की राज्य समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए जाने की स्थिति में महिला सदस्यों अथवा नेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान न किए जाने के मामले में कुछेक राज्यों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। कामकाजी महिलाओं को सम्मेलनों के प्रतिनिधि के रूप में चुनने और उन्हें समितियों में शामिल किए जाने का विरोध अब भी विभिन्न स्तरों पर जारी है। बैठक में भाग लेने के लिए जाने पर यात्रा का खर्चे और इसके लिए अवकाश प्राप्त करने जैसी कठिनाईयों का उल्लेख नहीं किया गया है। थोड़े समय का नोटिस देकर महिलाओं को बैठक में बुलाना ठीक नहीं; उनके लिए अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की वैकल्पिक व्यवस्था करना अत्यंत कठिन होता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

11.10 कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन हुए 27 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। हम अब भी इसके उद्देश्यों, गतिविधियों, इसके ढांचे तथा कामों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का विकास नहीं कर सके हैं। कुछ एक राज्यों में राज्य समन्वय समितियों में शिक्षिकाओं, राज्य सरकारी कर्मचारियों इत्यादि भी शामिल हो जाती हैं और उनका सम्बन्ध गैर सी.आई.टी.यू. यूनियनों के साथ होता है। कुछ राज्य समितियों में इस तरह के पदाधिकारी लगातार बने रहते हैं। इसी तरह कन्वेंशनों को सम्मेलनों और संयोजक को सचिव का नाम दे दिया जाता है; इससे समन्वय समिति के दर्जे के बारे में कुछ सीमा तक भ्रांति पैदा हो जाती है। समन्वय समितियों के बारे में एक प्रभाव यह भी पाया जाता है कि ये मध्यम श्रेणी की कर्मचारियों के मंच हैं; यह प्रभाव आज भी हमारे अनेक साथियों में बना हुआ है। सी.आई.टी.यू. के दसवें महाधिवेशन ने ''कामकाजी महिलाएं–एक वर्गीय परिप्रेक्ष्य'' विषय पर कमिशन में विस्तृत बहस का आयोजन करके इस प्रश्न पर विचार किया था। इसके साथ समन्वय समितियों में काम करने वाली महिलाओं के बीच एक और रुझान पाया जा रहा है; वे समन्वय समितियों में इस तरह से काम करती हैं, मानों वे सी.आई.टी.यू. से स्वतंत्र संस्थाएं हों। इन दोनों गलत रुझानों को छोड़ना होगा; इसमें सुधार लाना होगा।

12. साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष

12.1 हमारा 11वाँ महाधिवेशन राजग के अंधकारमय शासन के दौरान सम्पन्न हुई थी। राजग वास्तव में विभिन्न राजनैतिक दलों और गुटों के गैर–सैद्धान्तिक एवं अवसरवादी गठजोड़ का सिर्फ एक मुखौटा था जिसके पीछे आर. एस.एस. का राजनैतिक औजार भाजपा, उसकी साम्प्रदायिक–फासीवादी विचारधारा एवं राजनीति को स्थापित करने की कोशिश के लिए ही सरकार चला रही थी। मुख्यमंत्री स्वयं नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही गुजरात में नरसंहार कराया गया, जो इनके साम्प्रदायिकता की सोच का सबसे विभत्स रूप था।

12.2 हमारे 11वाँ महाधिवेशन ने मजदूर वर्ग और ट्रेड़ यूनियनों का आव्हान किया था कि वह, जनता को साम्प्रदायिक आधार पर बाँटकर देश की एकता और अखंण्ड़ता के लिए गम्भीर खतरा बनी साम्प्रदायिक ताकतों के विरूद्ध, कृतसंकल्प होकर लगातार संघर्ष करें। इस महाधिवेशन ने मजदूर वर्ग को स्पष्ट दिशा दी कि जनता की एकता की रक्षा के लिए उसे नेतृत्वकारी भूमिका अदा करते हुए साम्प्रदायिक–फासीवाद के विरूद्ध संघर्ष चलाना ही होगा ताकि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा की जा सके।

12.3 11वाँ महाधिवेशन के बाद बीते तीन वर्षो के दौरान, सीटू एक संगठन के रूप में क्या यह दावा कर सकता है कि अपने दायित्व को उचित ढ़ंग एवं पूरी तरह से निभाया है? नहीं। सी.आई.टी.यू. ने अपने जन्म से ही साम्प्रदायिकता के खिलाफ संकल्प लिया था। हमने अपने स्थापना महाधिवेशन, उसके बाद के महाधिवेशनों और सीटू की जनरल कौंसिल व कार्यसमिति की मीटिंगों में साम्प्रदायिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते आ रहे हैं। हम ने इस मसले पर अपने महाधिवेशनों के दौरान दो बार कमीशनों में भी चर्चा कर चुके हैं। अपनी जनरल कौसिल के दौरान, हम विशेष चर्चा करके साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक शक्तिों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए रणनीति एवं कार्ययोजना विकसित की थी। लेकिन अधिकांशतया इसे व्यवहार में लाने के मामले में हम असफल ही रहे हैं।

12.4 फिर भी भाजपा के कई वर्ष के शासन के दौरान ही जनता के अनेकों हिस्से उसके खिलाफ खड़े हो गए। संघ परिवार द्वारा की गयी तमाम कार्यवाहियाँ और हिन्दुत्व के आक्रामक प्रचार के बावजूद भी उन्हे अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, आई.एम.एफ. व विश्व बैंक द्वारा थोपी गयी उदारवादी आर्थिक नीतियों को काँग्रेस से भी कहीं अधिक खूंखार ढ़ंग से लागू करने के कारण भी जनता के अनेक हिस्से भाजपा से कट गए। इन सभी तथ्यों को तेजी से उभारने वाले जनता के आन्दोलनों, जिनमें सी.आई.टी.यू. की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही, के द्वारा ही अन्ततः भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबन्धन को हराया जा सका।

12.5 संप्रग सरकार के बनने के बाद की स्थिति का, नासिक में सम्पन्न हुई जनरल कौंसिल मीटिंग में मूल्यांकन करते हुए, हम ने यह नोट किया था कि साम्प्रदायिक शक्तियाँ हार तो गयी हैं परन्तु समाप्त नहीं हुई हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये राजनैतिक रूप से परास्त हुए हैं, परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि इन्हें राजनैतिक रूप से परास्त करने में जिन लोगों ने भी भूमिका अदा की है, वो सभी इनकी साम्प्रदायिक विचारा धारा के विरूद्ध ही हों। क्योंकि बहुत से लोगों को इनसे दूर करने में इनकी आर्थिक नीतियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चूंकि इनकी हार में अनेक तरह की शक्तियों की भूमिका रही है, इसलिए हमें याद रखना होगा कि जनता के काफी बड़े हिस्से की चेतना पर इनकी साम्प्रदायिक सोच का प्रभाव आज भी विद्यमान है। मौका मिलने पर यह फिरकापरस्ती कभी भी साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का काम कर सकती है, इसलिए साम्प्रदासिकता के विरूद्ध संघर्ष आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना तीन साल पहले था।

12.6 यह सच है कि आज संघ परिवार और तमाम साम्प्रदायिक ताकतें कुछ हद तक बिखरी हुई हैं। और अभी तक भी वे चुनावी हार के झटके से उभर नहीं सके हैं। स्वयं संघ परिवार में ही कई स्तर पर उठा–पटक जारी हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों की साम्प्रदायिक सोच का ताल्लुक है, उसके राजनैतिक धुर्वीकरण की संभावना हमेशा बनी रहती है, यह तो सिर्फ समय मिलने का मामला है। संघ परिवार इस मौके के लिए काफी हाथ–पांव मार भी रहा है।

12.7 भाजपा और संघ परिवार के कई अन्य सदस्य रोजाना ही एक के बाद दूसरा मुद्दा पकड़कर साम्प्रदायिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे आतंकवाद के मुद्दे को भी साम्प्रदायिकता के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं। कभी कश्मीर का सवाल अथवा अफजल गुरू को फाँसी दिए जाने के सवाल को, पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ जनता के दिमागों में जहर भरने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चर कमैटी की रिपोर्ट, जो देश के मुस्लिम अल्पसंख्यको की बदहाली का बयान करती है, को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे है। लगातार मनगढ़न्त 'तुष्टिकरण'' की नीति बताकर, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों पर दोषारोपण करते हुए तथाकथित वोटबैंक बनाने का राग अलाप रहे है। सच्चाई यह है कि भाजपा साम्प्रदायिक सद्भाव और जनता की एकता को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजनैतिक एवं विचारधारात्मक स्तर पर साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की जिम्मेदारी हमारे पूरे संगठन को ही लेनी होगी।

12.8 प्राकृतिक रूप से ही मजूदर वर्ग अपनी वर्गीय स्थिति और उत्पादन की मुख्य शक्ति होने के कारण, साम्प्रदायिकता के विरूद्ध कहीं अधिक असरदार ताकत है। और साम्प्रदायिकता के विरूद्ध संघर्ष में सबसे आगे रहने की सर्वाधिक क्षमता भी इसी में है। यह सुनिश्चित करना ट्रेड़ यूनियनों, विशेष रूप से सी.आई.टी.यू. की ही जिम्मेदारी है कि मजदूर वर्ग अपनी इस अति महत्वपूर्ण भूमिका को वास्तव में अदा करे।

12.9 मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग का काफी बड़ा हिस्सा कमोवेश आज हिन्दुत्व के प्रभाव में है। इस संघर्ष के लिए यह बहुत जरूरी है कि मजदूर वर्ग के दिमागों से साम्प्रदायिक भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कुठ विशेष कदम उठाऐ जाऐं। ट्रेड़ यूनियनों और सीटू के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण एवं लम्बे दौर की जिम्मेदारी है। किसी भी इन्सान के अर्न्तमन में बहुत गहरे तक बैठे विचारों को निकालना कोई आसान काम नहीं है। यह काम रोजमर्रा के ट्रेड़ यूनियन काम का हिस्सा होना जरूरी है। मजदूरों को वास्तव में धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम मजदूर वर्ग

के वर्गीय संघर्ष के द्वारा ही संभव है।

12.10 सी.आई.टी.यू. के लिए लम्बे समय से लम्बित पड़े काम को आने वाले समय में अत्यन्त प्राथमिकता के साथ करना अति आवश्यक हो गया है।

13 सामाजिक प्रश्न

13.1 भारत के मजदूर वर्ग के सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जातिवादी ताकतों के द्वारा मजदूरों को जातिवाद के आधार पर बाँटकर और जातिवादी अपील करके राजनैतिक लाभ उठाने के लगातार होते प्रयास।

13.2 पहले से ही उलझी हुई सामाजिक स्थिति को वर्तमान दौर की विनाशकारी उदारीकरण–वैश्वीकरण की नीतियों ने और अधिक गम्भीरता उलझा दिया है। बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के समाप्तीकरण की स्थिति ने नौजवानों में गम्भीर असंतोष पैदा कर दिया है, जिसे जातिवादी शक्तियाँ अपने क्षुब्ध राजनैतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर रही है।

13.3 संप्रग सरकार ने अपने न्यूनतम् साझा कार्यक्रम में निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए आरक्षण लागू करने का वायदा किया था। नियोक्ता वर्ग न सिर्फ निजी क्षेत्र में किसी भी तरह के आरक्षण का सख्त विरोध कर रहा है, बल्कि वो इन वर्गों की प्रगति के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने के नाम पर सारे मामले को ही घालमेल करना चाह रहा है।

13.4 हमें आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक रूख अख्तियार कराना चाहिए। सदियों से वंचित रही पिछड़ी, दलित, शोषित जातियों को कुछ राहत देने के लिए ही शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। अतीत में इन जातियों को समान अवसर देने से वंचित रखते हुए भेदभाव का शिकार बनाया जाता रहा है, इसलिए यह आरक्षण सिर्फ भरपाई के लिए उनके पक्ष में थोड़ा सा पक्षपात है। अतः हमें पूरी दृढ़ता के साथ "आरक्षण विरोधी आन्दोलन" का जमकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि इनके पीछे यथास्थिति बनाऐ रखने के निहितार्थ ही काम कर रहे होते हैं। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने सम्बन्धी कानून के पक्ष में हमें मजबूती से आगे आना ही होगा।

13.5 जातिवाद का एक और रूप यह है कि जाति की श्रेष्ठता और जाति आधारित शोषण को बनाऐ रखने के लिए हिंसा पर उतारू हो जाना, जो जातिवाद का सबसे घातक रूप है। जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति छुआछूत की प्रथा मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे घिनोना और क्रूर तरीका है। हमें सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज पूरी दृढ़ता से बुलन्द करनी चाहिए।

13.6 सच्चर कमैटी रिपोर्ट में रोजगार के मामले में सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यकों ही बदहाली को ही दर्ज किया गया है। जबकि अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति भी बिलकुल ऐसी ही है। विकास की प्रक्रिया में इन सभी को उचित स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

13.7 भारत में साम्प्रदायिक एवं आर्थिक हमलों की शिकार सबसे अधिक महिलाऐं ही होती हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव और शोषण खतरनाक ढ़ंग से बड़ा है। उपभोक्ता संस्कृति के उभार के कारण नारी की देहष्टि का फूहड़ नंगेपन के साथ व्यवसायीकरण ने महिला उत्पीड़न को और भी अधिक बढ़ा दिया है। महिलाओं को असमान वेतन व सेवाशर्तों के साथ बेहद असुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और रोजगार पर भी सर्वाधिक हमला महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। मजदूर वर्ग को ही महिलाओं के प्रति होने वाले अनेकों तरह के मानसिक/शारीरिक शोषण व उत्पीड़न के विरूद्ध लड़ते हुए, उनके सशक्तीकरण के लिए काम करना होगा।

13.8 इसलिए हमें सी.आई.टी.यू. में मजदूर वर्ग के आर्थिक मुद्दों के साथ–साथ इन सामाजिक मुद्दों को भी उठाना होगा।

14. ट्रेड़ यूनियन शिक्षा

14.1 ट्रेड़ यूनियन संगठन और आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए ट्रेड़ यूनियन शिक्षा को हमेशा ही एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता रहा है। भुवनेश्वर दस्तावेज में कैडर की शिक्षा और प्रशिक्षण को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। दस्तावेज कहता है कि आज के दौर में विश्व पूँजीवाद के बढ़ते विचारधारात्मक हमलों के मद्देनजर ट्रेड़ यूनियन शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। लेकिन उसके बाद के विश्लेषणों में हम ने पाया कि इस मामले में हमारी परफौरमैन्स बहुत ही कमजोर रही है। इस कमजोरी का बड़ा हिस्सा सीटू केन्द्र पर ही आयद होता है। सिर्फ पिछले ही कुछ सालों में सीटू केन्द्र ने ट्रेड़ यूनियन शिक्षा के लिए कुछ गम्भीर प्रयास किए हैं। का० बी. टी.आर. के जन्मशताब्दी वर्ष को इस प्रक्रिया के लिए चुना गया था। तीन केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियन स्कूल ही आयोजित किए गए हैं, जिनमें एक दक्षिणी क्षेत्र के लिए तिरूअनन्तपुरम् में जो अँग्रेजी में किया गया। हिन्दी भाषी क्षेत्र के लिए हिन्दी में दिल्ली में किया गया। पूर्वी क्षेत्र के लिए बंगाली में कोलकाता में आयोजित किया गया। इन स्कूलों के लिए विषय थेः– (1) क्रान्तिकारी और सुधारवादी ट्रेड़ यूनियनवाद (2) साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद (3) आज का पूँजीवाद और नयी आर्थिक नीतियाँ (4) संगठन (5) आज की परिस्थितियाँ और हमारा दायित्व।

14.2 सीटू केन्द्र के द्वारा केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियन स्कूल आयोजित करने का यह पहला प्रयास था। उचित तैयारी न होने और कुछ अन्य कमियों के कारण, ट्रेड़ यूनियन स्कूल को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी और स्कूल में भाग लेने वाले साथियों की ओर से कुछ आलोचना भी आयी है, लेकिन एक अच्छी शुरूआत के रूप में इसका स्वागत भी हुआ है और इसको जारी रखने की माँग की गयी है।

14.3 सी.आई.टी.यू. के लिए यह गर्व की बात है कि हम अपने प्रथम महा सचिव स्व० का० पी० राममूर्ती की याद में एक स्थायी ट्रेड़ यूनियन स्कूल एवं अनुसंधान केन्द्र शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल भवन के लिए प्लाट लेने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए फण्ड एकत्र करने का काम भी प्रगति पर है। फिर भी बाद में यह तय किया गया है कि स्कूल के भवन का इन्तजार किए बिना ही ट्रेड़ यूनियन कक्षाऐं चलाई जाऐं। तद्नुसार यह तय हुआ है कि तीन क्षेत्रों के लिए, केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियन स्कूल की एक और श्रंखला प्रारम्भ की जाए। हिन्दी भाषी द्वोत्र के लिए तीन दिन की ट्रेड़ यूनियन कक्षाऐं सीटू केन्द्र में की जा चुकी हैं। पुराने अनुभव को ध्यान में रखकर इस बार कक्षाऐं हर लिहाज से बेहतर ढ़ंग से आयोजित की गयी और ट्रेड़ यूनियन कक्षाओं भाग लेने वाले साथियों ने भी संतोष व्यक्त किया है।

14.4 चुनावों एवं कुछ अन्य अति आवश्यक कार्यों के कारण दो अन्य क्षेत्रों में ट्रेड़ यूनियन कक्षाऐं आयोजित नहीं की जा सकी हैं। इस महाधिवेशन के बाद जल्द से जल्द शेष दोनों क्षेत्रों के लिए ट्रेड़ यूनियन कक्षाऐं आयोजित की जाऐगी, यह अपेक्षा रखना सर्वथा उचित ही होगा।

14.5 यह खुशी की बात है कि कुछ राज्य कमैटियाँ समय–समय पर अपने यहाँ राज्य, जिला एवं यूनियन स्तर के कैडर के लिए ट्रेड़ यूनियन कक्षाऐं आयोजित करती रहती हैं। और जब भी आवश्यता हुई है सीटू केन्द्र ने उन्हे शिक्षक मुहैया कराऐ हैं। केन्द्रीय स्तर पर ट्रेड़ यूनियन कक्षाऐं आयोजित करना सीटू केन्द्र की जिम्मेदारी है, तो समान रूप से अन्य स्तरों के लिए कक्षाऐं आयोजित करना राज्यों की जिम्मेदारी बनती है। जबकि कुछ राज्य कमैटियाँ अपनी इस जिम्मेदारी को निभा भी रही हैं, परन्तु कुछ अन्य इस महत्वपूर्ण काम में कुछ भी नहीं कर रही हैं। आशा है कि जल्द ही ऐसी राज्य कमैटियाँ अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझेंगी और सीटू केन्द्र उनकी हर संभव सहायता हमेशा करेगा।

14.6 भोपाल में सम्पन्न हुई सीटू कार्य समिति और उसके बाद जुलाई 2006 में सम्पन्न हुई सीटू जनरल कौंसिल की अन्तिम मीटिंग में यह स्वीकार्य किया गया था कि का० पी० राममूर्ती स्मारक ट्रेड़ यूनियन स्कूल की स्थापना की हमारी पहल के लिए, हमारे बिरादराना ट्रेड़ यूनियन संगठनों जैसे बैंक, इन्श्योरेन्स, राज्य व केन्द्र सरकार कर्मचारियों, टेलीकॉम आदि की मदद इस स्कूल को तैयार करने तथा चलाने में ली जा सकती है। बिरादराना ट्रेड़ यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस बीच हम एक प्लाट प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं हो रहा है वह है पी० राममूर्ती स्मारक फण्ड, कई राज्य कमैटियाँ अपना कोटा पूरा नहीं कर रही है। राज्य कमैटियों को इस फण्ड में अपना कोटा पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठाने होगें, इसके लिए विस्तारित जानकारी अलग से दी जाएगी।

सीटू पत्रिकाऐं

14.7 हम सीटू केन्द्र से तीन पत्रिकाऐं प्रकाशित कर रहे है:– (1) वर्किंग क्लास (अँग्रेजी में) प्रकाशन का 37वाँ वर्ष (2) सीटू मजदूर (हिन्दी में) प्रकाशन का 29वाँ वर्ष (3) वॉयस ऑफ वर्किंग वूमेन (अँग्रेजी में) प्रकाशन का 27वाँ वर्ष है। पिछले 7 वर्ष से एक त्रैमासिक ''पत्रिका'' हिन्दी में प्रकाशित की जा रही है जिसका प्रसार मुख्य रूप से आँगनवाड़ी कामगारों में ही है। सीटू के यह सभी प्रकाशनों में सीटू की गतिविधियों का विवरण व सामरिक मुद्दों पर सीटू का दशष्टिकोण प्रकाशित किया जाता है और साथ ही साथ ये सभी पत्रिकाऐं हमारे कैडर को शिक्षित भी करती है। सीटू केन्द्र का प्रयास हैं कि इन पत्रिकाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार किया जाए जिसके लिए इनके सम्पादक मण्ड़ल की बैठकें समयबद्ध ढ़ंग से होती रहें, ताकि सुधार की दिशा में योजनाबद्ध ढ़ग से काम हो सके। लेकिन राज्य कमेटियाँ, उद्योगवार फेडरेशन और सम्बद्ध यूनियनें इन पत्र–पत्रिकाओं के वितरण को बढ़ाने में अपेक्षित पहल भी नहीं कर रही है। लगातार रिपोर्टें भेजना सुनिश्चित किया जाय। सीटू सचिवमण्ड़ल सहित, सीटू राज्य कमेटियों का नेतश्त्व इन पत्र–पत्रिकाओं में अपना योगदान नहीं दे रहे है, यदि करें तो इनमें छपने वाली सामग्री बहुत बेहतर हो सकती है।

14.8 सीटू केन्द्र ने इस दौरान कोई नया प्रकाशन नहीं निकाला है, जो बहुत भारी गलती है। इस काम को आने वाले समय में पूरी गम्भीरता से लेना होगा।

14.9 कई राज्य कमेटियाँ, उद्योगवार फेड़रेशन, और कुछ यूनियनें स्थानीय भाषाओं में अपने पत्र–पत्रिकाऐं प्रकाशित कर रहे हैं। राँची में सम्पन्न हुई सीटू जनरल कौंसिल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सीटू केन्द्र सभी सीटू के पत्र–पत्रिकाओं के सम्पादकों की मीटिंग बुलाकर, अनुभवों को आपस में बाँटकर, इन पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन में सुधार किया जा सकता है, इनके द्वारा हम अपने अभियान में सुधार कर सकते हैं।

15 का० पी० राममूर्ती की जन्मशताब्दी

15.1 हमारे प्रथम महा सचिव का० पी० राममूर्ती का जन्मशताब्दी वर्ष 20 सितम्बर 2007 से प्रारम्भ होगा।

15.2 का० पी.आर. के नाम से प्यार एवं सम्मानपूर्वक पुकारे जाने वाले का० पी० राममूर्ती का अथक संघर्ष, कुर्बानियों से भरपूर, जेल में बीता जीवन रहा है। का० पी.आर. का जीवन शासक वर्गों के साथ–साथ गैर जनवादी एव सामन्ती परम्पराओं के अनवरत टकराव का रहा है।

15.3 का० पी.आर. अद्भुत गुणों और क्षमताओं से भरपूर शख्सियत रहे हैं। वो जन नेता, ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के संगठनकर्ता, प्रभावी वक्ता और ओजस्वी व प्रतिभाशाली सासंद, प्रभावी पत्रकार, वैचारिक वाद–विवाद कर्ता और योग्य शिक्षक रहे हैं।

15.4 का० बी.टी. रणदिवे ने अदम्य व्यक्तित्व के धनी का० पी.आर. को श्रद्धांजली देते हुए उनके योगदान को निम्न शब्दों में बयान किया:–

''जब 1970 में हम सीटू की स्थापना कर रहे थे, तो महासचिव जैसे रणनीतिक महत्व के नेतृत्वकारी पद के लिए का० पी.आर. सर्वसम्मत पसन्द थे। यह महसूस किया गया कि उनका परिपक्व व व्यापक अनुभव, अखिल भारतीय स्तर पर ट्रेड़ यूनियन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा संगठन के लिए मददगार हो सकती है। और उन्होने सी.आई.टी.यू. को विस्तार करने तथा ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन में एक अग्रणी केन्द्र के रूप में उभरने में बहुत मदद की। उन्होने सीटू के स्थापना महाधिवेशन में चर्चा की दिशा को समझने मे कोई देरी नहीं की। माहधिवेशन के तमाम डेलीगेटों का गुस्सा डाँगे एण्ड कम्पनी के नेतृत्व के सुधारवादी/समझौतावादी रवैऐ के खिलाफ फूटा पड़ रहा था। इस तरह से एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया था कि नवजात संगठन कहीं ए.आई. टी.यू.सी. के साथ विवाद एवं शब्द युद्ध में फंसकर, अपना आधार खो सकता है। इस खतरे को ध्यान में रखकर का० पी.आर. ने तुरन्त प्रस्ताव रखा कि तमाम यूनियनें एवं राज्य कमेटियाँ इस महाधिवेशन के तुरन्त बाद ट्रेड़ यूनियन एकता के लिए एक सप्ताह का सघन अभियान चलाऐं। ऐसा किया भी गया तो संगठन उचित रास्ते पर चल निकला।''

15.5 हमें इस महाधिवेशन में यह निर्णय लेना है कि सेमीनार, स्मृति व्याख्यान माला, नए प्रकाशन लाकर, ट्रेड़ यूनियन कक्षाऐ अयोजित करके तथा अन्य तरीकों से का० पी. राममूर्ती की जन्मशताब्दी मनायी जाए। इस महाधिवेशन के तुरन्त बाद सीटू सचिव मण्डल इस बारें में एक मुकम्मल योजना तैयार करेगा।

16. संगठन पर

16.1 हमारे लिए संगठन सदा ही गहरी चिन्ता का विषय रहा है। हालाँकि पहले के मुकाबले सुधार तो हुआ परन्तु यह बहुत ही मामूली सा तथा विस्तार के नजरिए से असमान है।

16.2 संगठन की मजबूती और ताकत के लिए सदस्यता एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है। यद्यपि हमने अपने 10वें महाधि वेशन में 40 लाख सदस्यता का लक्ष्य रखा था, जो हमें 11वें महाधिवेशन तक पूरा करना था, परन्तु यह लक्ष्य हम आज तक भी हासिल नहीं कर सके हैं। किन्ही कारणों से, हालाँकि हम अभी भी लक्ष्य से कुछ पीछे हैं। 11वें महाधिवेशन के बाद वर्ष 2003 की सदस्यता 33,31,414 से 5 लाख बढ़कर 2005 में 39 लाख हो गयी है। लेकिन इन आँकड़ों में हमारी काफी गम्भीर खामियाँ छिपी हैं। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और जम्मू–कश्मीर आदि चार राज्यों से नयी सम्बद्धता एवं नयी सदस्यता की कोई सूचना नहीं है। कुल सदस्यता में से 24 लाख प० बंगाल और केरल की है, जबकि शेष 15 लाख में अन्य सभी राज्य हैं। तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश की सदस्यता 3–3 लाख, कर्नाटक की 1,19,000 त्रिपुरा की 1,34,000 और अन्य सभी राज्यों की सदस्यता एक लाख से कम ही है। कुल मिलाकर यह स्थिति निश्चित रूप से उत्साहवर्धक तो कतई नहीं है।

16.3 हमें महसूस होता है कि हिन्दी भाषी राज्य बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं और आज भी उनकी कमजोरी बनी हुई है। हिन्दी भाषी राज्यों के नेतश्त्व की लगातार मीटिंगें आयोजित करके संगठन को विस्तार देने के लिए सीटू केन्द्र द्वारा दिशा निर्देश देकर मदद की जा रही है। हिन्दीभाषी राज्यों के नेतृत्व के साथ सलाह मशविरा करके सांगठनिक काम को ध्यान में रखकर एक विस्तश्त प्रश्नावली तैयार की गयी है। इस प्रश्नावली के आधार पर सम्बन्धि ात राज्य कमेटियों विस्तार से चर्चा करने के बाद संगठन के विस्तार की योजना बनाऐं। बहुत ही कम राज्य कमेटियों ने इस मसले पर सिर्फ संरचनात्मक तरीके से प्रतिक्रियाऐं की है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सांगठनिक मामलों में विचार बड़े ही असंगठित एव दिशाहीन से हैं। कुछ क्षेत्रों में यह संगठन के ठहराव अथवा गिरावट के रूप में भी दिखायी दे रहा है।

16.4 इस संदर्भ में यह ध्यान में रखना होगा कि पिछले महाधिवेशन के बाद के दौर में सीटू की राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम एवं राज्य स्तरीय आन्दोलनो में खाशी बढ़ोत्तरी हुई है। कमजोर क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में अनेकों आन्दोलन और संघर्ष हुए हैं। परन्तु खेद का विषय है कि ऐसी सफल कार्यवहियों को भी हमेशा की तरह सांगठनिक

ताकत में बदलने में असफल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा के पानीपत के कताई मिलों के 20,000 मजदूरों की लगातार सफल हड़ताल जो 2004 एवं 2006 में दो बार सीटू के नेतृत्व में ही हुई, और मालिको और राज्य प्रशासन को मजदूरों की कुछ मुख्य माँगों को मनवाने के लिए मजबूर भी किया जा सका, परन्तु इन मजदूरों में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही सीटू यूनियनों के साथ जोड़ा जा सका है। ऐसे ही उदाहरण कहीं अन्यत्र के भी हो सकते हैं। संघर्षो को सांगठनिक दशष्टिकोण से संचालित करने, प्रभावशाली सांगठनिक ढ़ाँचे की कमी और संघर्ष के बाद की स्थितियों को सांगठनिक दशष्टिकोण से संचालन करने की कमी आदि की कमजोरियाँ ही इस तरह की असफलताओं के प्रमुख कारण हैं। भुवनेश्वर दस्तावेज में इस तरह के हालात को संचालित करने की दिशा दी गयी है, परन्तु हम उन्हे न तो अपने जेहन में ही रखते है, और ना ही उन्हे व्यवहार में ही लाते हैं।

16.5 संघर्ष और संगठन के विस्तार के लिए उद्योगवार फेड़रेशन भी अच्छे हथियार हो सकते हैं। सांगठनिक जिम्मेदारियों का उचित निस्तारण के लिए, हमारे फेड़रेशनों के काम करने के तौर–तरीकों में भी सुधार की आवश्यकता है। पेट्रोलियम और रक्षा उत्पादन में नेतृत्वकारी भूमिका के अलावा भी कोयला, स्टील, निर्माण, सड़क यातायात, प्लान्टेशन, जल, आँगनवाड़ी, बिजली, बीड़ी, एफ.सी.आई. मैड़ीकल रिप्रेजेंटेटिवस् आदि दस फेड़रेशनों का नेतृत्व सी.आई.टी.यू. ही करती है। देश भर में फैली हुई अनेकों ईकाईयों वाले कई उद्योगों में हमारे पास कोओर्डीनेशन कमैटियाँ भी है। एक दो को छोड़कर अधिकांश फेड़रेशन इस दौरान सक्रिय बने रहे हैं। कोयला, स्टील, आँगनवाड़ी, पेट्रोलियम, सड़क यातायात, निर्माण, मैड़ीकल रिप्रेजेंटेटिवस और बिजली आदि फेड़रेशनों ने अखिल भारतीय अभियानों और संघर्षों में पहल करने की भूमिका अदा की है। अन्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय संघर्ष तो हुए है, परन्तु अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक माँगों के लिए आन्दोलन तैयार करने में अखिल भारतीय फेड़रेशनों की भूमिका देखने में नहीं आयी है। इस कमजोरी के कारण कमजोर राज्यों में, सम्बन्धित उद्योगों में अपनी सदस्यता और प्रभाव बढ़ाने में हम असफल रहे हैं। अधिकांशतः फेड़रेशनों की एक और कमजोरी यह है कि अखिल भारतीय नेतृत्व की प्रभावशाली ढ़ंग से काम करने वाली टीम विकसित करने में असफलता है।

17. संगठन : कुछ चिन्ताजनक विषय

17.1 औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बनावट और चरित्र में आ रहे तेज बदलावों के मद्देनजर सी.आई.टी.यू. संगठन की वर्तमान संरचना हमारी विन्ता का विषय है।

17.2 सांगठनिक स्थिति में असमानता एक बड़ी समस्या है। यह असमानता न सिर्फ राज्यों के बीच है, बल्कि उद्योग के अन्दर ही कारखानों के बीच भी है, साथ ही साथ राज्यों के अन्दर भी विद्यमान है।

17.3 हमारे परम्परागत रूप से मजबूत राज्यों से बाहर, अन्य राज्यों में संगठित क्षेत्र के बड़े कारखानों में हमारी उपस्थिति नगण्य है, साथ ही साथ जिन राज्यों के संगठित बड़े कारखानों में थोड़ा बहुत हमारी मौजूदगी है भी, उनमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच हम बहुत ही कम संख्या को ही अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने में सफल हो सके। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ हम संगठित क्षेत्र में बहुत कमजोर हों परन्तु असंगठित क्षेत्र में निर्णायक ढ़ंग से बहुत मजबूत हों। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक बहुत बड़े हिस्से को संगठित कर पाने की हमारी कमजोरी तो हमारे बहुत मजबूत राज्यों में भी बनी हुई है।

बनावट में परिवर्तन

17.5 उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद, संगठित क्षेत्र में नए लगे कारखानों व औद्योगिक संस्थानों में ट्रेड़ यूनियनों की मौजूदगी अभी भी होनी है।

17.6 हमारे सामने बहुत ही विकट स्थिति है। उदारवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप एक ओर संगठित क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, तो दूसरी ओर ठेकेदारी और आऊट सोर्सिंग की प्रक्रिया के माध्यम से संगठित क्षेत्र के अन्दर ही, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसी ही सेवा शर्तों के साथ काम करने वाले मजदूरों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि

हो रही है। ऐसे मजदूरों को छोटी एवं अतिसूक्ष्म विनिर्माण ईकाईयाँ में काम पर रखा जा रहा है, जो संगठित क्षेत्र की सीमाओं में ही काम कर हीं हैं और पूरी तरह से उन बड़ी संगठित क्षेत्र की ईकाईयों पर ही निर्भर भी हैं। इस स्थिति में संगठित क्षेत्र में हमारी कमजोरी, संगठित उद्योगों में कार्यरत इन असंगठित मजदूरों को संगठित न कर पाने के कारण हमें और अधिक कमजोर बना रही है।

17.7 असंगठित क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा और सिर्फ हाथों से एवं निम्न स्तरीय कुशल कार्यों तक ही सीमित भी नहीं रह गया है। उच्च स्तरीय मशीनीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं और कुशल काम भी इस असंगठित ढ़ाँचे में ही हो रहा है। साथ ही साथ तकनीकी विकास और तेजी से बढ़ते कृषि संकट के कारण, कृषि में रोजगार बहुत तेजी से घट रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य काम–धन्धों में, गैर–कृषि मजदूरों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यदि संगठित की जा सके तो, यह ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के लिए भावी शक्ति हो सकती है। लेकिन हमारा काम अभी सिर्फ परम्परागत असंगठित क्षेत्र के भी बहुत छोटे से हिस्से तक ही सीमित है। यहाँ तक कि परम्परागत असंगठित क्षेत्र के काम–धन्धों में हमारी पहुँच अभी मजदूरों की संख्या एवं काम–धन्धों के प्रकार के लिहाज से भी बहुत ही छोटे से हिस्से तक ही है।

18. सांगठनिक पहल का परिपेक्ष

18.1 सी.आई.टी.यू. की कार्यवाहियो को विस्तार देने की योजनाऐं बनाते समय हमें उक्त वर्णित परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा। हमें संगठित क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसके असंगठित मजदूरों को संगठित करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी हड़ताल करने की क्षमता का प्रभाव सरकार और पूँजीपतियों पर बहुत व्यापक होता है और इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व रखने वाले रणनीतिक उद्योग भी शामिल हैं। संगठित क्षेत्र में हमारा काम दोनों स्तरों पर साथ–साथ होना चाहिए (1) संगठित क्षेत्र के ढ़ाँचे में ही ठेकेदारी एवं सहयोगी ईकाईयों के कामगारों के नाम से कार्यरत असंगठित मजदूरों के बीच (2) संगठित क्षेत्र में ही स्थापित होने वाली नयी औद्योगिक ईकाईयों में पहुँच बनाना। ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन को प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करके तथा अपने आप को अच्छी तरह से इस जिम्मेदारी के लिए तैयार करके इन दोनों पहुलओं पर काम करना होगा, उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद जुड़ने वाली नयी पीड़ी के मजदूरों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा। संगठित क्षेत्र की सीमाओं में कार्यरत ठेका एवं अन्य मजदूरों को संगठित करने के काम को हमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने काम का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा।

18.2 अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के काम को पूरी गम्भीरता से लेना होगा। हमें अपने काम का विस्तार बहुत फैले हुए असंगठित क्षेत्र में करने के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा सांगठनिक पहल कदमी पर ध्यान देना होगा। 1998 में चैन्ने में आयोजित सीटू जनरल कौंसिल और फिरोजाबाद में आयोजित 2005 के ऑल इण्डिया कोओर्डीनेशन कमैटी ऑफ अनऔग्रेनाइजड सैक्टर वर्कर्स के पिछले सम्मेलन में पहले ही हम अपना दृष्टिकोण तय कर ही चुके हैं। जमीनी स्तर पर हमारी सांगठिनक पहल का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम–धन्धे व ट्रेड़ आधारित यूनियनों के विकास पर और प्रत्येक क्षेत्र से बुनियादी मुद्दों पर आधारित आन्दोलन खड़े करने का होना चाहिए। यह काम करने से, कहने में आसान लगता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र बहुत उलझा हुआ है। सिर्फ कुछ एक मामलों को छोड़कर अधिकांश में नियोक्ता ही निश्चित नहीं है। असंगठित क्षेत्र के अधिकांश काम–धन्धों के मामले में हमें राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासन को ही अपना लक्ष्य बनाना होगा। अंसगठित क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करते समय हमें इसके बहुत ही उलझे हुए चरित्र को भी ध्यान में रखना होगा। मानव व आर्थिक शक्ति के मामले में, संगठित मजदूर आन्दोलन को अति सक्रियता की भूमिका अदा करनी होगी। असंगठित क्षेत्र को संगठित किए बिना संगठित मजदूर आन्दोलन एक सीमा तक ही आगे जा सकता है। और मजदूर वर्ग का आन्दोलन अपने अन्तिम लक्ष्य के लिए सामाजिक–राजनैतिक जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकेगा।

18.3 हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि कार्य स्थल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने और उन्हे कानूनी संरक्षण दिलाने के मकसद से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सामूहिक माँगों के लिए अभियान चलाने की

दोनों जिम्मदारियों को साथ–साथ चलाना होगा ताकि इन मजदूरों को विभिन्न श्रम कानूनों का संरक्षण मिल सके। जब सरकार श्रम कानूनों में मालिकों के हितों के अनुसार बदलाव करना चाहती है तो ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन को सभी श्रम कानूनों के समान रूप से लागू करने के वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ आगे आना ही होगा। हमें सभी सम्बन्धित कानूनों में मजदूर हित के लिए परिवर्तन कराने पर जोर देने के साथ–साथ स्व–रोजगार मजदूरों सहित सभी तरह के मजदूरों के लिए एक मुकम्मल सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने की माँग को भी पूरे जोरदार ढ़ंग से उठाना होगा।

18.4 संगठित क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने और बहुत ही विस्तारित असंगठित क्षेत्र में अपने सांगठनिक विस्तार की दोनों जिम्मेदारियों के लिए हमारी सांगठनिक पहल बहुत ही आवश्यक है।

19. ट्रेड़ यूनियनें और गैर–सरकारी संगठन

19.1 अनेक गैर–सरकारी संगठन कई रूपों में, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में बहुत सक्रिय हो रहे हैं। वो विशेष रूप से सेटी, इन्वायरमैन्ट और पौल्यूशन जैसे अनेक मुद्दों के मामले में संगठित क्षेत्र में भी काम कर रहे है। उनमें से कुछ एक कई मामलों में विशेष रूप से अनुसंधानिक अध्ययन करके अच्छे प्रकाशन ला रहे हैं, जिन्हे मजदूर आन्दोलन अपनी उचित रणनीति बनाने में बहुत अच्छी तरह उपयोग कर सकता है। परन्तु उनमें से कई एक वकालत के नाम पर सम्बन्धित मामलों में ट्रेड़ यूनियनों को समाप्त कर देना चाहते है। कई मोकों पर सरकारी एजेन्सियाँ और जुड़े हुए प्रतिष्ठान जानबूझकर इन्हे प्रोत्साहित भी करते है। ये अनेक गैर–सरकारी संगठन कई दफा जानबूझकर ट्रेड़ यूनियन कार्कर्ताओं के बीच यह भ्रम फैलानें की कोशिश भी करते हैं, जैसे वो सम्बन्धित क्षेत्रों में ट्रेड़ यूनियनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन गैर–सरकारी संगठनों को अनेकों माध्यमों से बहुत भारी तादाद में विदेशी फण्ड मिलता है। और फण्ड के स्रोत इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि वो अपनी गतिविधियाँ कितने ट्रेड़ यूनियनों के क्षेत्र में चला रहे हैं।

19.2 सरकार, मीडिया और यहाँ तक कि आई.एल.ओ. भी भ्रम पैदा कर रहा है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ट्रेड़ यूनियनें नजरअन्दाज कर रही है, सिर्फ गैर–सरकारी संगठन ही उनके बीच काम कर रहे हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि ट्रेड़ यूनियनों को बदनाम करके मजदूरों को उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखने का मुख्य मकसद है। हमें ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के विरूद्ध होने वाले दुष्प्रचार का जमकर मुकाबला करना होगा। ट्रेड़ यूनियनें मजदूरों के संगठन होने के नाते उनके प्रति जबाववदेह हैं। गैर–सरकारी संगठन सदस्यता आधारित संगठन हैं इसलिए मजदूरों के प्रति जबाववदेह भी नहीं हैं, वो अपने दानदाताओं के प्रति ही जबाववदेह हैं। इसलिए गैर–सरकारी संगठन ट्रेड़ यूनियनों के विकल्प नहीं हो सकते हैं।

19.3 एक गैर–सरकारी संगठन बहुत अच्छा तो हो सकता है, परन्तु वह वर्गीय संगठन नहीं हो सकता, जो पूँजीवादी वर्गों के साथ टकराव लेने वाले कार्यक्रम करे। शासक वर्ग और सरकार सोचे–समझे तरीके से ट्रेड़ यूनियनों के मुकाबले इन गैर–सरकारी संगठनों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और कभी–कभी ट्रेड़ यूनियनों का स्थान इन गैर–सरकारी संगठनों को देते हैं। यह आजकल अर्न्तराष्ट्रीय चलन बन गया है। इसका शासक वर्गों के लिए बहुत फायदे का है, क्योंकि इन गैर–सरकारी संगठनों का वकालत करना अन्ततः पूँजीवादी व्यवस्था के साथ समझौता करके ही चलना होता है, और ये कभी भी पूँजीवादी व्यवस्था के समक्ष न तो कोई सवाल खड़ा करते हैं और ना ही इस व्यवस्था की क्षमता को चुनौती ही देते हैं।

19.4 वर्गीय संघर्ष का एक अति महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ट्रेड़ यूनियनों को अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करने के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए मजदूर वर्ग में अपना विस्तार करना होगा। इस प्रकार गतिविधियों और गैर–सरकारी संगठनों के साथ हमारे सम्बन्धों के मामले में हमारी समझ साफ हो जाती है। हमें यह भी याद रखना होगा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के बारे में हमारी पहल और असरदार दखलन्दाजी की कमजोरी इन गैर–सरकारी संगठनों को बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। हमें यह कमजोरी दूर करनी ही होगी

और साथ ही साथ गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर भी सावधानी पूर्वक नजर रखनी होगी। हम न तो इनको ट्रेड़ यूनियनों की भूमिका में काम करने की इजाजत दे सकते है, और ना ही इन पर निर्भरता अथवा इनके एजेण्डे के अनुसार चलने की इजाजत दी जा सकती है।

20. भावी कार्य

20.1 कामरेड़, आज के हालात हमारे लिए गम्भीर चुनौतियाँ लेकर आए हैं, तो साथ ही साथ बहुत सारे अवसर भी दे रहे हैं। नव उदारवादी ढ़ाँचे में आम आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था उसके जीवन के लिए गम्भीर संकट ही पैदा कर रही है। अर्थ व्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ती हुई दर के बावजूद भी जनता के लिए इतनी कष्टदायी परिस्थितियाँ कभी नहीं रही। देश के हर क्षेत्र और जनता के हर हिस्से में होने वाले विरोध से यह साफतौर पर जाहिर हो जाता है। जनता का सर्वाधिक संगठित हिस्सा होने के नाते मजदूर वर्ग को नीतियों में बदलाव लाने के लिए मजबूर करने के मकसद से विरोध की इस भावनाओं को नव उदारवादी नीतियों के विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन के रूप में संगठित करना होगा।

20.2 आज हमारे सामने देश का राजनैतिक परिदश्श्य भी बहुत उलझे हुए चरित्र का है। चूंकि शासक पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वह अपने ही बूते पर सत्ता में बनी रह सके, इसलिए बिना रूकावट के वह जन विरोधी नीतियों का पालन नहीं कर पा रही है। मजदूर एव जनवादी आन्दोलन के विरोध के बावजूद भी शासक पार्टी किसी भी कीमत पर अपने उदारवादी ऐजेण्डे को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मजदूर वर्ग के आन्दोलन के द्वारा उनके रास्ते में अवरोध खड़े कर देने के बावजूद भी शासक वर्ग प्रशासन एवं विधायिका के माध्यम से श्रम अधिकारों में कटौती करने की लगातार कोशिश कर रही है। सरकारी मदद से मालिकों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन और अपने श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूरों के द्वारा आन्दोलन लगातार तेज हो रहा है।

20.3 इस सारे परिपेक्ष्य में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर आन्दोलन का दखल आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें शासक वर्गों को पीछे धकेलने की प्रभावी ताकत है। केन्द्र में वर्तमान शासक गठबन्धन का वामपंथ पर निर्भर होना यह दर्शाता है कि शासक वर्गों की जनता से राजनैतिक पकड़ कमजोर हुई है। इसमें मजदूर आन्दोलन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। विनाशकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ जन विरोधा को संचालित करने की पहल मजदूर आन्दोलन को ही करनी होगी। इसी प्रक्रिया के द्वारा ही मजदूर आन्दोलन, साम्राज्यवाद विरोधी और जन समर्थक नीतियों के उद्देश्य के साथ तीसरे मोर्चे के गठन के लिए आवश्यक हालात पैदा करने में भूमिका अदा कर सकता है। समूचे मजदूर आन्दोलन को इस दिशा में ले जाने के लिए सी.आई.टी.यू. को ही पहल करनी होगी।

20.4 इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर, देशव्यापी जन आन्दोलन का नेतृत्व करने में स्वयं को सक्षम बनाने के वास्ते सीटू को अपने आपको सांगठनिक रूप से तैयार करना होगा। जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच को पुनः क्रियाशील बनाने की सकारात्मक परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए फौरी तौर पर हमें समान विचारों वाले तथा अपने जन संगठनों के संयुक्त संघर्षों और गतिविधियों में जबरदस्त तेजी लानी होगी। ट्रेड़ यूनियन मोर्चे की अन्य संयुक्त कार्यवाहियों के साथ–साथ इसके लिए भी पहल करनी होगी।

20.5 यह पहल जमीनी स्तर पर भी जानी चाहिए। हमारी राज्य कमैटियों जिला कमैटियों और संस्थान स्तर की यूनियनों को लगातार जनता के तमाम हिस्सों और जन संगठनों को इस भावी संघर्ष में लाने के हर संभव प्रयास करने होगें। हमारा अनुभव यह है कि जहाँ कहीं भी मजदूर आन्दोलन ने गम्भीरता से प्रयास किए हैं, वहाँ किसानों, छात्रों और नौजवानों आदि का सामूहिक संघर्ष में सक्रिय सहयोग भी मिलता है।

20.6 अन्य सभी को सक्रिय बनाने के लिए, सर्व प्रथम हमें अपने संगठन को अधिक मजबूत, संगठित और व्यवस्थित करना होगा। मजबूत सीटू के बिना न तो असरदार संयुक्त आन्दोलन हो सकता है, और ना ही आम जनता को

आन्दोलित किया जा सकता है। हमें ताकतवर जन कार्यवाहियाँ चलाने की अपनी क्षमता को समझकर सीटू संगठन को आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ाना होगा।

20.7 एक बड़ा संघर्ष हमारी पहल के इन्तजार में है। यद्यपि नालको, नैवेली लिग्नाईट और एन.एम.डी.सी. (नेशनल मिनरल डेवलेपमैन्ट कॉरपोरेशन) के कर्मचारियों की कार्यवाहियों के द्वारा निजीकरण विरोधी मुहिम को एक गति मिल चुकी है जिससे साफतौर यह संदेश गया है कि "निजीकरण नहीं चलेगा"। 14 दिसम्बर की आम हड़ताल की भारी सफलता इस ओर स्पष्ट इशारा करती है कि जनता इन उदारवादी नीतियों के विरूद्ध जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार है।

20.8 उपरोक्त्त दशष्टिकोण के साथ इस 12वें महाधिवेशन को निम्नलिखित फौरी कार्यो को लेकर चलना होगा।

- साम्प्रदायिता और नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के विरूद्ध संघर्ष करो।
- नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के विरूद्ध होने वाले हर अभियान और संघर्ष में "काम करने का अधिकार बुनियादी अधिकार हो" की माँग को केन्द्रीय नारा बनाओ।
- दमनकारी नीतियों, श्रमिकों के अधिकारों पर घातक हमलों और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ होने वाले राष्ट्रव्यापी संघर्षों को तेज करो और उनके समर्थन में एकजुटता की कार्यवाहियाँ चलाओ।
- श्रम कानूनों को लागू करने तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन को ट्रेड़ यूनियन के देशव्यापी अभियानों एवं कार्यवाहियों का केन्द्रीय मुद्दा बनाओ।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों के संरक्षण के लिए अलग–अलग मुकम्मल कानून तुरन्त बनाऐ जाने के लिए अभियान तेज करो।
- तुरन्त एक मुकम्मल कानून बनाने, न्यूनतम् वेतन कानून लागू करने तथा "समान काम के लिए पुरूष व महिला कामगारों को समान वेतन देने" की माँगों को असरदार बनाने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में गतिविधियाँ तेज करो।
- अलग–अलग क्षेत्रों एवं उद्योगों में चल रहे मजदूरों व कर्मचारियों संघर्षों को मुख्य धारा में लाओ।
- संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के आन्दोलन में एकता कायम करो और संगठित क्षेत्र की यूनियनें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की माँगों के लिए भी आवाज बुलन्द करें।
- सामाजिक सुरक्षा के वर्तमान उपायों पर होने वाले हमलों के विरूद्ध अभियान और संघर्ष का निर्माण करो और सभी मजदूरों के लिए मुकम्मल सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करो।
- ट्रेड़ यूनियनों की स्पोन्सरिंग कमैटी और जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच को पुनः क्रियाशील बनाने के गम्भीर प्रयास करो, ताकि राष्ट्रव्यापी व्यापक आन्दोलन का आव्हान किया जा सके।
- लगातार और सघन अभियान चलाते हुए 45 लाख सदस्यता के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करो।
- निकट भविष्य में "पी. राममूर्ती इन्स्टीटयूट ऑफ ट्रेड़ यूनियन एजूकेशन एण्ड रिसर्च" को जल्द सं जल्द स्थापित करो।
- सभी स्तरों पर ट्रेड़ यूनियन शिक्षा का निश्चित अंतराल से आयोजन सीटू संगठन की नियमित गतिविधियों का हिस्सा बनाओ।
- पिछले दिसम्बर 2005 में भोपाल में आयोजित सीटू कार्यसमिति की बैठक द्वारा तय किए गए "कैडर का विकास और ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन" दस्तावेज पर संगठन के हर स्तर पर सघन और संरचनात्मक बहस आयोजित करो।

20.9 हमें उपरोक्त सभी काम पूरी गम्भीरता से करने हैं ताकि हम अपने निर्धारित मजिंल तक पहुँचने में सक्षम हो सकें। शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में आम जनता की व्यापक एवं प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए हमें अपनी स्वतंत्र गतिविधियों पर विशेष जोर देना होगा।

20.10 नव–उदारवादी नीतियों के घातक खतरे के खिलाफ पूरी दुनियाँ के स्तर पर व्यापक विरोध हो रहा है। विश्वव्यापी संघर्षों का लगातार सिलसिला इस सत्य को स्थापित करता है कि संघर्षों में चाहे कितने ही उतार–चढ़ाव आऐं अथवा कितना ही दमन एवं गैरसैद्धान्तिक समझौतों के बावजूद भी वर्ग संघर्ष ही बदलाव की अग्रगामी शक्ति है।

20.11 ''साम्राज्यवादी वैश्वीकरण'' के रूप में वर्तमान पूँजीवाद का अमानवीय चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। मानवीय चेहरे की बातों के ढ़कोसले से इसको छुपाया नहीं जा सकता। इतिहास अपनी निर्धारित दिशा में ही बढ़ता रहेगा और इसकी चालक शक्ति वर्ग संघर्ष ही है। शासक वर्ग चाहे कितनी ही वाधाऐं खड़ी करें वर्ग संघर्ष का कारवाँ और अधिक मजबूत व व्यापक होते हुए आगे बढ़ता ही रहेगा। सामाजिक–आर्थिक विकास की इस गति को समझते हुए मजदूर वर्ग को अपनी पूरी उर्जा इस अमानवीय व्यवस्था को उखाड़ फैंकने में लगानी होगी।

20.12 हमें अन्तः विश्व की जनता पर पूरा भरोसा है कि आणविक शस्त्र और सैन्यीकरण को विश्व पर कब्जा जमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आम जनता स्वयं ही अपनी मंजिल निर्धारित करेगी।

20.13 इस अवसर पर सी.आई.टी.यू. की तमाम यूनियनें यह अहद् लें कि अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगें और संगठन में जहाँ कहीं भी सुस्ती है, उसे पूरी तरह से समाप्त करते हुए विजय की ओर आगे बढ़ते जाऐगें।

- वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष में मजदूर वर्ग और जनता की एकता जिन्दाबाद!
- साम्राज्यवादी ताकतों का नाश हो।
- समाजवादी व्यवस्था के लिए संघर्ष जिन्दाबाद!
- सी.आई.टी.यू. जिन्दाबाद!
- दुनियाँभर के मेहनतकशों एक हो!

चित्रव्रत मजूमदार
महासचिव

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट

अध्यक्ष मंडल और साथियों,

मैं आपके समक्ष वर्श 2003–04, 2004–05 और 2005–06 की सीआईटीयू के लेखाजोखा की ऑडिट रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, जो कि आप के बीच वितरित कर दी गई है।

आपके समक्ष प्रस्तुत की गई ऑडिट रिपोर्टें पिछले अधिवेशन के बाद हुई सीआईटीयू की कार्यकारिणी कमेटी और जनरल काउंसिल की बैठकों में, स्वीकारी जा चुकी है। अब आपकी स्वीकशति के लिए प्रस्तुत की जा रही है ।

फंडों पर

इस बार हमारी वर्ष 2005 की सदस्यता लगभग 40 लाख तक पहुंच गई है और यदि हमारी राज्य कमेटियां संबद्धता शुल्क नियमित रूप से एकत्र करने और सीटू सेंटर में वर्ष के अनुसार जमा करें, तब सीटू सेंटर को भविष्य में खर्चे का सामना करने में कोई आर्थिक कठिनाई का सामना नही करना पड़ेगा। परन्तु खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आय /व्यय का लेखाजोखा चारों ओर और भी बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम, हमारी आय का एकमात्र साधन, संबद्धता शुल्क का नियमित रूप से भुगतान करें।

बी टी आर फंड

सीटू की कार्यकारिणी कमेटी और जनरल काउंसिल की बैठकों में बहुत बार राज्य कमेटियों द्वारा किए गए वादों की बजाय बीटी रणदिवे मैमोरियल फंड का चंदा रूक गया है। परन्तु मैं इस अधिवेशन का ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहता हूँ कि ट्रस्ट के लिए (भूमि किराया, प्रापर्टी टैक्स, पानी और बिजली का भुगतान और रखरखाव) हेतु 3 लाख के करीब वार्शिक खर्चा होता है। आपको यह निर्णय लेना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इन वार्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए फंड नियमित रूप से मिले, जोकि अभी तक सीआईटीयू फंडों से लोन लेकर पूरा किया जा रहा है।

पी राममूर्ति टीयू स्कूल फंड

कामरेड पी राममूर्ति के जन्मशती समारोहवर्ष इस वर्ष सितम्बर माह में आरम्भ होगा और हमारे स्थापक महासचिव को श्रद्धांजली के रूप में एक स्थाई स्कूल और रिसर्च सेंटर बनाने के लिए यह बिल्कुल ठीक समय है। अभी तक हम केवल लगभग 35 लाख का फंड एकत्र कर पाए हैं और बहुत सी राज्य कमेटियां अभी तक फंड एकत्र कर रहीं हैं। भूमि प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं, जैसा कि सरकार पहले से ही वादा कर चुकी है परन्तु इसी बीच हमे फंड के साथ तैयार रहना चाहिए।

सुनामी राहत फंड

सुनामी राहत फंड के लिए हमें लगभग एक करोड़ पांच लाख की राशि प्राप्त हुई है। जैसा कि पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, तमिलनाडु राज्य कमेटी के समन्वय और सलाह से सुनामी पीड़ीतों को राहत और मदद पहुँचाने के लिए इस फंड को इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया गया है।

आज इस अवसर पर हम एल– अवेनिर सोषल (फ्रांस), इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट ब्रिटेन), ज़ेनरोरेन (जापान) और ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स जैसे संगठनों से प्राप्त हुए चंदे के लिए आपकी ओर से उन्हें आभार प्रकट करते हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं।

इसी के साथ आपके समर्थन के लिए मैं इस रिपोर्ट को पेश करता हूँ।

बधाई के साथ,

रंजीत बसु
कोषाध्यक्ष

अखिल भारत सम्मेलन
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
January 17-21, 2007 BANGALORE

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर सी आई टी यू के दायित्वों पर घोषणापत्र

सीआईटीयू का बारहवां अधिवेशन, अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन जोकि 3 से 5 नवम्बर 2006 को विशाखापत्नम में हुआ, में स्वीकार की गई रिपोर्ट का समर्थन करता है और इसकी राज्य कमेटियों और संबंधित यूनियनों का उस सम्मेलन में स्वीकार किए गए कार्यों को करने का आहवान करता है।

सीआईटीयू यह समझता है कि मजदूर वर्ग को एकजुट होने के लिए कामकाजी महिलाओं एक बड़ा वर्ग ट्रेड यूनियनों आन्दोलनों की मुख्य धारा में लाना होगा। सीआइटीयू यह समझता है कि कामकाजी महिलाओं के मुद्दे केवल महिलाओं से ही संबंधित नही हैं, बल्कि मजदूर वर्ग से संबंधित है और ट्रेड यूनियन आंदोलन में संबोधित करने की आवश्यकता है। इसी समझ के साथ और कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ट्रेड यूनियन आंदोलन में जगह पाएं, सीआईटीयू ने सन् 1979 में अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीआटीयू) का गठन किया।

वार्षिक विवरणी के अनुसार वर्तमान समय में सीआईटीयू में 22.72 प्रतिशत महिला मजदूरों की सदस्यता है। परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करते हुए पता चला कि बहुत सी यूनियनें वार्षिक विवरणी जमा कराते समय महिलाओं की सदस्यता नही दिखाते, सीआईटीयू की सदस्यता में महिला सदस्यों का अनुपात लगभग 25 प्रतिशत होगा। सीआईटीयू नेतश्त्व वाले संघर्षों और अभियानों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी कामकाजी महिलाएं, मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, न केवल यूनियन में बढ़चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बल्कि मजदूरों के अन्य विभागों को संगठित करने में सहायता कर रही हैं। भविष्य में उन्हें सीआईटीयू का और अधिक कार्यभार सौंपने के लिए उनका विकास करने और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

निर्णय लेने वाली कमेटियों में पिछले कुछ सालों की तुलना में आज अधिक महिला सदस्य हैं। जबकि यह एक अच्छा कदम है, हमें यह नोट करना होगा कि यह सीआईटीयू के महिला सदस्यों के हिस्से में बढ़ोतरी को प्रभावित नही करता। सीआईटीयू का यह बारहवां अधिवेशन घोषणा करता है कि सीआईटीयू अपने नेतश्तव में और अधिक महिलाओं को लाने के प्रयत्न करता रहेगा। अवसर देने पर, महिलाएं, न केवल महिलाओं की यूनियनों बल्कि अन्य यूनियनों का भी नेतश्त्व करने में स्वंय को काबिल सिद्ध कर सकती है।

सीआईटीयू का यह बारहवां अधिवेशन, अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन में संशोधित निम्न संगठनात्मक कार्यों का समर्थन करता है:

1. विभिन्न स्तरों की कामकाजी महिला समन्वय समितियों की भूमिका स्पष्ट करके उनका विकास करने के लिए कामकाजी महिला समन्वय समिति और सीआईटीयू के नेतश्त्व में राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला आयोजित करना।
2. सभी राज्यों में जहां भी संभव हो राज्य और जिला स्तर की कामकाजी महिला समन्वय समितियों का गठन करें और संबंधित सीआईटीयू राज्य कमेटियों के दिशानिर्देशों के चलते उनकी सही कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना।
3. सभी सीआईटीयू संबंधित यूनियनों में महिला सदस्यों सहित महिलाओं की उप समितियों का गठन करें; राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठकों में उनकी कार्यप्रणाली पर विचार करें और उनके नियमित रूप से कार्य करने के प्रयत्न सुनिश्चित करें।
4. कामकाजी महिलाओं की मांगों पर अभियान चलाएं और यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न करें कि सीआईटीयू की राज्य कमटियां महिला मजदूरों की मुख्य मांगों पर विचारविमर्श कर जहां भी संभव हो स्थानीय /जिला /राज्य स्तर पर, अभियानों की योजना बनाएं और उन्हें लामबंद करें।
5. असंगठित क्षेत्र में, जिसमें घर कामगार मजदूर शामिल हैं, महिला मजदूरों के विभिन्न विभागों को संगठित करने के लिए गम्भीर प्रयत्न करें। उन क्षेत्रों-- उद्योगों की पहचान करें जहां बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं काम करती हैं। सीटू की राज्य कमेटियों में विचार करके प्राथमिकताओं का निर्णय लें और लक्ष्य बनाकर उन्हें संगठित करने के लिए ठोस योजनाएं बनाएं।
6. सीआईटीयू और विभिन्न स्तरों पर संबंधित यूनियनों की निर्णायक कमेटियों में महिलाओं की भागीदारी में वश्द्धि करने के प्रयत्न करें।
7. कामकाजी महिलाओं के लिए नियमित रूप से अलग से ट्रेड यूनियन कक्षाऐं आयोजित करें; सीआईटीयू की कक्षाओं में महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की सही भागीदारी सुनिश्चित करें।

ACCOUNTS FOR THE YEAR 31st MARCH 2004

AUDITORS' REPORT

We have examined the Balance Sheet of Centre of Indian Trade Unions as at 31 st March, 2004 and the Income & Expenditure account and Receipt and Payment account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said institution.

We have obtained all the information and explanations and in our opinion, proper books of account have been maintained by the above named institution so far as appears from our examination of the books subject to the notes on accounts.

In our opinion and to the best of our knowledge, and according to information given to us, the said accounts read with the Notes on Accounts give a true and fair view:-

1. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named institution as at 31.03.2004 and
2. In the case of the income and expenditure account, of the excess of income over expenditure for the year ending 31-03-2004

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2004

RECEIPTS	RUPEES	RUPEES	PAYMENTS	RUPEES	RUPEES
OPENING BALANCE			Magazine Expenses		407,352.00
Cash in hand	127,993.00		Meeting, Rally & Seminar Expenses		44,516.00
Cash at Banks	2,447,038.00	2,575,031.00	Travelling & Conveyance Exp.		161,778.00
Sale of Magazines		581,013.00	Vehicle Expenses		114,101.00
Publication Income		20,113.00	Bank Charges		10,160.00
Affiliation Fee		4,929,099.00	Building Maintenance Expenses		132,852.00
Bank Interest		57,269.00	Electricity & Water Expenses		16,992.00
Donation		314,766.00	Medical Expenses		49,117.00
Interest on F.D.R.		145,012.00	Miscellaneous Expenses		47,899.00
Miscellaneous Income		1,898.00	Communication Expenses		145,632.00
Decrease in Loans & Advances		33,874.00	WSF India Trust A/c		18,033.00
Advace AFFI (AP A/C)		1,283.00	26th Feb., Convention		6,000.00
U.P. State Committee		683.00	AICCWW Conference		22,659.00
			XI Conference A/c		172,077.00
			Relief & Subsidy		12,106.00
			Staff Welfare		4,670.00
			Rent & Taxes		78,277.00
			Repair & Maintenance		139,241.00
			Printing & Stationery		121,495.00
			Tea & Teffin Expenses		38,496.00
			News Papers & Periodicals		30,888.00
			Wages		616,350.00
			Internal Audit Expenses		3,082.00
			Addition to Fixed Assets		78,470.00
			BTR Trust		6,426.00
			F.D.R. with Banks		5,103,363.00
			Gujrat Riot Relief Fund		53,140.00
			Gujrat Eqrthquake Relief Fund		11,857.00
			CLOSING BALANCE		
			Cash in hand	115,615.00	
			Cash at Banks	897,397.00	1,013,012.00
		8,660,041.00			**8,660,041.00**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
(SECRETARY)

Sd/-
(TREASURER)

Place : New Delhi
Dated : 7/9/2004

AUDITORS' REPORT
As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2004

EXPENDITURE	RUPEES	RUPEES	INCOME	RUPEES	RUPEES
Magazine Expenses		407,352.00	Sale of Magazines		581,013.00
Meeting, Rally & Seminar Expenses		44,516.00	Publication Income		20,113.00
Travelling & Conveyance Exp.		161,778.00	Affiliation Fee		4,929,099.00
Vehicle Expenses		114,101.00	Bank Interest		57,269.00
Bank Charges		10,160.00	Donation		314,766.00
Building Maintenance Expenses		132,852.00	Interest on F.D.R.		436,344.00
Electricity & Water Expenses		16,992.00	Miscellaneous Income		1,898.00
Medical Expenses		49,117.00			
Miscellaneous Expenses		47,899.00			
Communication Expenses		145,632.00			
WSF India Trust A/c		18,033.00			
26th Feb., Convention		6,000.00			
AICCWW Conference		22,659.00			
XI Conference A/c		172,077.00			
Relief & Subsidy		12,106.00			
Staff Welfare		4,670.00			
Rent & Taxes		78,277.00			
Repair & Maintenance		139,241.00			
Printing & Stationery		121,495.00			
Tea & Teffin Expenses		38,496.00			
News Papers & Periodicals		30,888.00			
Wages		616,350.00			
Internal Audit Expenses		3,082.00			
Audit Fee		5,400.00			
Depreciation		353,457.00			
Excess of Income over Expenditure tfd. to Balance sheet		3,587,872.00			
		6,340,502.00			**6,340,502.00**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
(SECRETARY)

Sd/-
(TREASURER)

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

Place : New Delhi
Dated : 7/9/2004

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2004

LIABILITIES	RUPEES	RUPEES	ASSETS	RUPEES	RUPEES
GENERAL FUND			FIXED ASSETS		1,253,084.00
Opening Balance	8,962,338.00		(As per Schedule attached)		
Add: Surplus from Income &	3,587,872.00				
Expenditure account		12,550,210.00	INVESTMENTS		
			Fixed Deposits with Banks	9,370,734.00	
			Intt. Accrued on FDR	291,332.00	9,662,066.00
CURRENT LIABILITIES &			CURRENT ASSETS,		
PROVISIONS			LOANS AND ADVANCES		
a) Current Liabilities			a) Current Assets		
T.N. State Committee Fund	2,073.00		Balance with Banks	897,397.00	
Advance from AFFI	1,283.00		Cash in hand	115,615.00	
Transport Seminar Fund	30,000.00		b) Loans & advances	666,887.00	1,679,899.00
U.P. State Committee	683.00		(Advances recoverable in		
Audit fee payable	10,800.00	44,839.00	cash or kind for which value		
			to be received.)		
		12,595,049.00			12,595,049.00

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

AUDITORS' REPORT
As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
(SECRETARY)

Sd/-
(TREASURER)

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

Place : New Delhi
Dated : 7/9/2004

ACCOUNTS FOR THE YEAR 31st MARCH 2005

AUDITORS' REPORT

We have examined the Balance Sheet of Centre of Indian Trade Unions as at 31 st March, 2005 and the Income & Expenditure account and Receipt and Payment account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said institution.

We have obtained all the information and explanations and in our opinion, proper books of account have been maintained by the above named institution so far as appears from our examination of the books subject to the notes on accounts.

In our opinion and to the best of our knowledge, and according to information given to us, the said accounts read with the Notes on Accounts give a true and fair view:-

1. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named institution as at 31.03.2005 and

2. In the case of the income and expenditure account, of the excess of income over expenditure for the year ending 31-03-2005

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

RECEIPTS	RUPEES	RUPEES	PAYMENTS	RUPEES	RUPEES
OPENING BALANCE			Magazine Expenses		505,707.00
Cash-in-hand	115,615.00		Meeting, Rally & Seminar Exp.		316,452.00
Cash at Banks	897,397.00	1,013,012.00	Legal Exp.		300.00
Sale of Magazines		619,390.00	Travelling & Conveyance		122,291.00
Publication A/c		1,592.00	Vehicle Expenses		164,217.00
Affiliation Fee		1,650,412.00	Bank Charges		4,408.00
Bank Interest		23,165.00	Building Maintenance Exp.		61,268.00
Donation		442,972.00	Electricity & Water Exp.		32,002.00
Interest on F.D.R.		639,919.00	Medicall Exp.		116,323.00
Miscellaneous Income		420.00	Miscellaneous Exp.		70,839.00
Interest on Income Tax Refund		1,567.00	Communication Exp.		185,589.00
Com. P.Rammurthy Fund		989,552.00	Publication Exp.		9,611.00
Tsunami Victim Relief Fund		4,496,870.00	Rent & Taxes		26,918.00
Staff Contributory Fund		40,000.00	Repair & Maintenance		121,744.00
			Printing & Stationery		102,098.00
			Tea & Tiffin Exp.		40,261.00
			Staff Welfare		40,000.00
			NPMO rally Exp.		7,972.00
			News Papers & Periodicals		22,379.00
			Wages		581,800.00
			Addition to Fixed Assets		34,350.00
			Addition to Loans & Advances		160,878.00
			Interest Accrued on FDR		619,652.00
			BTR Trust		137,951.00
			CLOSING BALANCE		
			Cash-in-hand	109,825.00	
			Cash at Bank	6,324,036.00	6,433,861.00
TOTAL Rs.		**9,918,871.00**	**TOTAL Rs.**		**9,918,871.00**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/- Sd/- Sd/-

(PRESI (SECRETARY) (TREASURER)

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

Place : New Delhi

Dated : 7/11/2005

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

EXPENDITURE	RUPEES	RUPEES	INCOME	RUPEES	RUPEES
Magazine Exp.		505,707.00	Sale of Magazines		619,390.00
Meeting, Rally & Seminar Exp.		316,452.00	Publication		1,592.00
Legal Exp.		300.00	Affiliation Fee		1,650,412.00
Travelling & Conveyance Exp.		122,291.00	Bank Interest		23,165.00
Vechile Exp.		164,217.00	Donation		442,972.00
Bank Charges		4,408.00	Interest on F.D.R.		639,919.00
Building Maintenance Exp.		61,268.00	Miscellaneous Income		420
Electricity & Water Exp.		32,002.00	Interest on Income Tax Refund		1,567.00
Medicall Exp.		116,323.00			
Miscellaneous Exp.		70,839.00			
Communication Expenses		185,589.00			
Publication Exp.		9,611.00			
Rent & taxes		26,918.00			
Repair & Maintenance		121,744.00			
Printing & Stationery		102,098.00			
Tea & Tiffin Exp.		40,261.00			
Staff Welfare		40,000.00			
NPMO Rally Exp.		7,972.00			
News Papers & Periodicals		22,379.00			
Wages		581,800.00			
Audit Fee		5,510.00			
Depreciation		204,512.00			
Excess of Income Over Expenditure Transferred to Balance Sheet		637,236.00			
Total Rs.		**3,379,437.00**	**Total Rs.**		**3,379,437.00**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- Sd/- Sd/-
(PRESII (SECRETARY) (TREASURER)

Place : New Delhi
Dated : 7/11/2005

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2005

LIABILITIES	RUPEES	RUPEES	ASSETS	RUPEES	RUPEES
GENERAL FUND ACCOUNT			**FIXED ASSETS**		
Opening Balance	12,550,210.00		(As per Schedule attached)		1,082,922.00
ADD: Surplus from income					
& Expenditure Account	637,236.00	13,187,446.00			
			INVESTMENTS		
			Fixed Deposits with Banks	9,370,734.00	
			Interest Accrued		
CURRENT LIABILITIES &			on F.D.R.	910,983.00	10,281,717.00
PROVISIONS			**CURRENT ASSETS AND**		
a) Current Liabilities			**LOANS & ADVANCES**		
T.N.State Committee	2,073.00		A) Current Assets		
Advance From Affi	1,283.00				
Tsunami Victims Relief Fu	4,496,870.00		Balance with Banks	6,324,036.00	
Com. P.Rammurthy Fund	989,552.00		Cash in hand	109,825.00	
Transport Seminar Fund	30,000.00				
U.P. State Committee	683.00		b) Loans & Advances	965,717.00	7,399,578.00
Staff Contributory Fund	40,000.00		(Advances recoverable		
Audit Fee Payable	16,310.00	5,576,771.00	in case or kind for which		
			value to be received)		
		18,764,217.00			**18,764,217.00**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- Sd/- Sd/-
(PRESI (SECRETARY) (TREASURER)

Place : New Delhi
Dated : 7/11/2005

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

ACCOUNTS FOR THE YEAR 31st MARCH 2006

AUDITORS' REPORT

We have examined the Balance Sheet of Centre of Indian Trade Unions as at 31 st March, 2006 and the Income & Expenditure account and Receipt and Payment account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said institution.

We have obtained all the information and explanations and in our opinion, proper books of account have been maintained by the above named institution so far as appears from our examination of the books subject to the notes on accounts.

In our opinion and to the best of our knowledge, and according to information given to us, the said accounts read with the Notes on Accounts give a true and fair view:-

1. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named institution as at 31.03.2006 and

2. In the case of the income and expenditure account, of the excess of income over expenditure for the year ending 31-03-2006

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2006

RECEIPTS	RUPEES	RUPEES	PAYMENTS	RUPEES	RUPEES
OPENING BALANCE			Magazine Expenses		559,080.00
Cash in hand	109,825.00		Meeting, Rally & Seminar Exp.		369,437.00
Cash at Banks	6,324,036.00	6,433,861.00	Travelling & Conveyance Exp.		163,726.00
Sale of Magazines		654,861.00	Vehicle Expenses		154,270.00
Publication A/c		13,020.00	Bank Charges		33,407.00
Affiliation Fee		3,250,700.00	Building Maintenance Expenses		150,450.00
Bank Interest		85,382.00	Electricity & Water Expenses		37,745.00
Donation		283,045.00	Medical Expenses		6,642.00
Interest on F.D.R.		653,574.00	Miscellaneous Expenses		23,555.00
Miscellaneous Receipts		8,760.00	Communication Expenses		227,173.00
Com. P. Ramamurthy Fund		1,856,752.00	Publication Expenses		9,485.00
Tsunami Victim Relief Fund		1,258,036.00	Rent & Taxes		27,203.00
Realisation of Loan & Advances		3,230.00	Service & Maintenance		269,824.00
J & K Earthquake Relief Fund		64,143.00	Printing & Stationery		187,465.00
Realisation FDR		2,431,743.00	Tea & Tiffin Expenses		57,013.00
			News Papers & Periodicals		27,207.00
			Wages		617,500.00
			Right to Work Convention		7,700.00
			Addition to FDR		6,000,000.00
			BTR Trust		436,390.00
			Addition to Fixed Assets		447,660.00
			Audit Fee		16,310.00
			J & K Earthquake Relief Fund		100,000.00
			Bad Debts		3,527.00
			CLOSING BALANCE		
			Cash in hand	38,006.00	
			Cash at Banks	7,026,332.00	7,064,338.00
		16,997,107.00			**16,997,107.00**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/- Sd/- Sd/-

(PRESID (SECRETARY) (TREASURER)

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

Place : New Delhi

Dated : 7/1/2006

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2006

EXPENDITURE	RUPEES	RUPEES		INCOME	RUPEES	RUPEES
Magazine Expenses		559,080.00		Sale of Magazines		654,861.00
Meeting, Rally & Seminar Exp.		387,118.00		Publication A/c		13,020.00
Travelling & Conveyance Exp.		163,726.00		Affiliation Fee		3,250,700.00
Vehicle Expenses		175,649.00		Bank Interest		85,382.00
Bad Debts		8,527.00		Donation		287,084.00
Bank Charges		33,407.00		Interest on F.D.R.		813,076.00
Building Maintenance Expenses		150,450.00		Miscellaneous Income		8,760.00
Electricity & Water Expenses		37,745.00				
Medical Expenses		6,642.00				
Miscellaneous Expenses		23,555.00				
Communication Expenses		227,173.00				
Publication Expenses		9,485.00				
Rent & Taxes		27,203.00				
Service & Maintenance		269,824.00				
Printing & Stationery		187,465.00				
Tea & Tiffin Expenses		57,013.00				
News Papers & Periodicals		27,207.00				
Wages		617,500.00				
Right to Work Convention		7,700.00				
Depreciation		209,565.00				
Audit Fee		5,612.00				
Excess of Income over Expenditure tfd. to Balance sheet		1,921,237.00				
		5,112,883.00				**5,112,883.00**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- Sd/- Sd/-
(PRESID (SECRETARY) (TREASURER)

Place : New Delhi
Dated : 7/1/2006

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2006

LIABILITIES	RUPEES	RUPEES	ASSETS	RUPEES	RUPEES
GENERAL FUND			**FIXED ASSETS**		1,321,016.00
Opening Balance	13,187,446.00		(As per Schedule attached)		
Add: Surplus from Income &					
Expenditure account	1,921,237.00	15,108,683.00	**INVESTMENTS**		
			Fixed Deposits with Banks	12,938,991.00	
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			Interest Accrued on F.D.R.	1,002,614.00	13,941,605.00
a) Current Liabilities			**CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**		
Tsunami Victim Relief Func	5,754,905.00		a) Current Assets		
Com. P. Ramamurthy Func	3,346,303.00		Balance with Banks	7,026,332.00	
Transport Seminar Fund	30,000.00		Cash in hand	38,006.00	
Staff Contributory Fund	40,000.00		b) Loans & advances	1,958,544.00	9,022,882.00
Audit Fee Payable	5,612.00	9,176,820.00	(Advances recoverable in cash or kind for which value to be received.)		
		24,285,503.00			24,285,503.00

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- Sd/- Sd/-
(PRESID (SECRETARY) (TREASURER)

Place : New Delhi
Dated : 7/1/2006

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

STATEMENT SHOWING STATEWISE MEMBERSHIP AS PER ANNUAL RETURNS RECEIVED TILL 31.12.2006

Name of the State	Unions Submitting Returns			Position of membership according to Annual Returns		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Andaman & Nicobar	8	9	8	2242(-)	2287(-)	2727(-)
Andra Pradesh	701	761	687	225146(50640)	265057(64641)	300285(72491)
Assam	80	77	78	56012(25635)	60667(25875)	59085(28327)
Bihar	9	11	12	8292(921)	12185(4907)	22415(9871)
Delhi	73	75	72	27003(1103)	24107(1004)	27955(1292)
Goa	7	7	7	1174(116)	947(67)	551(7)
Gujrat	19	18	19	8917(1033)	8532(987)	11238(1307)
Haryana	22	15	17	31167(13584)	25393(8533)	47845(17538)
Himachal Pradesh	28	31	31	12345(6503)	14801(6983)	16746(7378)
Jammu & Kashmir	2	2	2	6352(24)	6204(19)	6376(42)
Karnataka	106	104	104	94341(39696)	95865(57418)	118839(67785)
Kerala	879	860	837	949075(276751)	979003(288125)	1054978(307969)
Madhya Pradesh	62	64	64	19309(2960)	22017(3805)	23075(4154)
Maharashtra	58	61	60	56747(5399)	71189(16033)	71049(17623)
Orissa	69	71	73	50222(13006)	60997(6134)	82235(23039)
Punjab	76	83	83	61373(2711)	61100(5621)	79214(13507)
Rajasthan	71	68	61	30116(2556)	30138(2623)	29675(336)
Tamilnadu	464	477	472	242328(36456)	273159(29084)	329015(70331)
Tripura	32	33	35	98785(21824)	114824(35711)	134215(41959)
Uttar Pradesh	79	75	65	21611(307)	20148(381)	22560(654)
West Bengal	969	936	899	1259850(128908)	1303554(163742)	1401711(194257)
Uttaranchal	37	39	41	11506(2356)	11855(2208)	15657(2703)
Chhatishgarh	16	14	16	15428(1151)	13871(1928)	17279(1584)
Jharkhand	19	18	24	41007(2981)	36174(2151)	43269(4193)
Meghalaya	0	1	0		1460(-)	
Arunachal Pradesh	0	1	0		17900(-)	
Sikkim	0	0	1			370(-)
Total	**3886**	**3911**	**3768**	**3330348(636621)**	**3533434(727980)**	**3918364(888347)**

Year	No. of Unions		Membership
1983	1854		1890993
1984	2005		1575655
1985	1717		1716457(132536)
1986	2412		1844273(209348)
1987	2350		1680884(206482)
1988	2618		1919280(264507)
1989	3114		2425000(247388)
1990	2934		2095550(245060)
1991	2783		2088218(291228)
1992	3343		2381012(321620)
1993	3156		2371405(306344)
1994	3198		2470131(261980)
1995	3523		2784050(358188)
1996	3645		2805127(435285)
1997	3804		2917200(506097)
1998	3502		2881478(483373)
1999	3929		3296808(550583)
2000	3789		3128788(647020)
2001	3797		3152565(600941)
2002	4169		3464745(680117)

** Figures in ( ) indicates female membership*

BTR MEMORIAL FUND

COLLECTION UP TO 31.12.2006

STATE	AMOUNT RECEIVED	COMMITTED AMOUNT
West Bengal	Rs.5,867,615.00	Rs.10,000,000.00
Andhra Pradesh	Rs.1,524,005.50	Rs.1,500,000.00
Assam	Rs.84,180.00	Rs.500,000.00
Bihar	Rs.77,522.00	Rs.800,000.00
Delhi	Rs.115,430.00	Rs.200,000.00
Kerala	Rs.3,542,500.00	Rs.5,000,000.00
Madhya Pradesh	Rs.76,342.00	Rs.200,000.00
Orissa	Rs.136,813.50	Rs.500,000.00
Punjab	Rs.447,152.00	Rs.1,000,000.00
Rajasthan	Rs.300,615.00	Rs.500,000.00
Tamilnadu	Rs.562,580.00	Rs.3,000,000.00
Tripura	Rs.30,280.00	Rs.500,000.00
Karnataka	Rs.260,016.00	Rs.700,000.00
Himachal Pradesh	Rs.13,756.00	Rs.200,000.00
Haryana	Rs.50,950.00	Rs.200,000.00
Maharashtra	Rs.261,482.00	Rs.1,000,000.00
Uttar Pradesh	Rs.171,750.00	Rs.500,000.00
Goa	Rs.50,000.00	Rs.150,000.00
Gujrat	Rs.14,000.00	Rs.100,000.00
Andaman & Nicobar	Rs.5,000.00	
Jharkhand		
Uttaranchal		
Individuals/Union/Federatic	Rs.888,351.00	
BankUnions/Federation	Rs.574,114.00	
Insurance (AIIEA)	Rs.412,000.00	
AISGEF	Rs.631,670.00	
	Rs.16,098,124.00	**Rs.26,550,000.00**

COM. P.RAMAMOORTI T.U. SCHOOL FUND as on 31.12.2006

CITU, Goa State Committee	Rs.1,206.00
CITU, U.P. State Committee	Rs.21,860.00
CITU, A.P. State Committee	Rs.245,399.00
CITU, Chhatishgarh State Committee	Rs.4,151.00
CITU, Tripura State Committee	Rs.10,000.00
CITU, M.P. State Committee	Rs.14,274.00
CITU, Karnataka State Committee	Rs.52,879.00
CITU, Kerala State Committee	Rs.1,022,143.00
CITU, Punjab State Committee	Rs.75,259.00
CITU, Tamilnadu State committee	Rs.718,000.00
CITU, J & K State Committee	Rs.1,240.00
CITU, Orissa State Committee	Rs.14,491.00
CITU, Haryana State Committee	Rs.40.00
CITU, Assam State Committee	Rs.10,000.00
CITU, West Bengal State Committee	Rs.500,000.00
CITU, Jharkhand State Committee	Rs.6,500.00
CITU, Gujrat State Committee	Rs.1,000.00
CITU, Maharashtra State Committee	Rs.20,000.00
Association of SAIL Employees, Kolkata, W.B.	Rs.10,000.00
2nd World Conference of Oil, Gas, Refinary Trade Union	Rs.700,000.00
I.E.L.Employees Union, U.P.	Rs.10,000.00
Central Zone Insurance Employees Association, Chhatishgarh	Rs.10,000.00
TOTAL	**Rs.3,448,442.00**

COLLECTION FOR "TSUNAMI VICTIM'S RELIEF FUND" AS ON 31.12.2006			
Name	**Amount**	**Name**	**Amount**
L'Avenir Social , France	Rs.4,560,125.00	Lal Jhanda Hero Cycle majdoor Union, Punjab	Rs.40,000.00
Indian Workers Association, Great Britain	Rs.588,215.00	Lal Jhanda Rockman Cycle Mazdoor Union, Punjab	Rs.19,000.00
Mr. H.Mahadevan, Deputy General Secretary, WFTU (The amount originally came from Zenroren, Japan)	Rs.227,469.00	Lal Jhanda Highway Workers Union, Punjab	Rs.4,500.00
All-China Federation of Trade Unions	Rs.3,270,000.00	Lal Jhanda Avon Bycycle Component Union, Punjab	Rs.4,000.00
Bharat Electronics Employees Union, Ghaziabad	Rs.5,000.00	Lal Jhanda Avon Cycle Mazdoor Union, Punjab	Rs.12,000.00
CITU, Orissa State Committee	Rs.35,400.00	Lal Jhanada Vyas Eng. Mazdoor Union, Punjab	Rs.9,000.00
Collection from CITU Centre Comrades, Delhi	Rs.5,380.00	Lal Jhanda K.W.Majdoor Union, Punjab	Rs.8,500.00
CITU, Chhatishgarh State Committee	Rs.10,449.00	Lal Jhanda K.W.Rim Mazdoor Union, Punjab	Rs.2,500.00
BHEL, Kamgar Union, Hardwar	Rs.6,000.00	Amritsar CITU, Punjab	Rs.10,500.00
Ms. Meenakshi Marwah, New Delhi	Rs.2,500.00	Lal Jhanda (Mangli Div.) Hero Cycle Workers Union, Punjab	Rs.13,000.00
Com. B.D.Prasad, Bokaro Steel, Jharkhand	Rs.3,500.00	Aska Co-Operative Sugar Industry Sramik sangh, Orissa	Rs.2,165.00
All India Road Transport Federation, Kerala	Rs.10,000.00	CITU, Sirmour District Committee, H.P.	Rs.11,800.00
Mr. Rana Siddiqui, New Delhi	Rs.6,000.00	Himachal Hotel Mazdoor Lal Jhanda Union, H.P.	Rs.6,000.00
J.K.Tyre Karmachari Ekta Union (CITU), Rajasthan	Rs.187,190.00	CITU, Goa State Committee	Rs.63,700.00
Phal Sabji Vikreta Vyapar Sangh, Rajasthan	Rs.5,000.00	CITU, Maharashtra State Committee	Rs.600,000.00
Bharat Earth Movers Limited, Karnataka	Rs.5,000.00	Workers of M/s National Controls (India), Goa	Rs.351.59
Construction Workers Federation of India, West Bengal	Rs.5,000.00	Hindustan Cocacola Bottleing South West (Pvt.Ltd.) Employees Union, karnataka	Rs.14,605.00
Com. B.T.Virendra Kumar, Karnataka	Rs.1,872.00	Wipro Karmikara Sangha, Karnataka	Rs.39,632.00
CITU, Assam State Committee	Rs.20,000.00	CITU, Mysore District Committee, Karnataka	Rs.3,120.00
B.H.E.kamgar Trade Union, M.P.	Rs.2,000.00	Foods Fats & Fertilizers Staff & Workers Union, A.P.	Rs.12,500.00
Com. S.K.Dhar, New Delhi	Rs.100.00	Rubber Workers Union, Haryana	Rs.2,600.00
All India Federation of Anganwadi Workers and Helpers, New Delhi	Rs.30,850.00	Mr. Prem Gupta, H.P.	Rs.21,200.00
National Coal Organisation (G.O.I.) Employees Association, Jharkhand	Rs.7,000.00	Mr. J.J.Nath, NRMU, Maharashtra	Rs.500.00
C.F.J.V. Workers Ekta Union, H.P.	Rs.29,000.00	Mr. P.K.Sen Sharma, NRMU, Maharashtra	Rs.300.00
Larjee Project Workers Union, H.P.	Rs.72,450.00	Vikrant Tyres Employees Union, Karnataka	Rs.244,000.00
Steel Workers Federation of India, W.B.	Rs.10,000.00	Suman Dandass	Rs.500.00
Karnataka Workers Union, Karnataka	Rs.56,632.00	Bank Interest Received	Rs.263,946.00
Keonjhar Industrial Workers Union, Orissa	Rs.5,000.00		
TOTAL COLLECTION			**Rs.10,577,051.59**

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

STATEWISE MEMBERSHIP OF UNIONS & No.OF DELEGATES FOR THE XII CONFERENCE

		YEAR	NO.OF	G.C.	W.C.
STATE	Data	2005	DELEGATES	MEMBERS	MEMBERS
ANDAMAN	TOTAL MEM	2623	2	0	0
ANDHRA PRADESH	TOTAL MEM	291665	183	31	9
ASSAM	TOTAL MEM	58047	36	6	2
BIHAR	TOTAL MEM	22415	14	2	1
CHHATISHGARH	TOTAL MEM	14053	9	2	0
DELHI	TOTAL MEM	27512	17	3	1
GUJRAT	TOTAL MEM	11238	7	1	0
H.P.	TOTAL MEM	16746	10	2	1
HARYANA	TOTAL MEM	45936	23	4	1
JAMMU & KASHMIR	TOTAL MEM	6376	4	1	0
JHARKHAND	TOTAL MEM	43269	27	5	1
KARNATAKA	TOTAL MEM	118839	74	13	4
KERALA	TOTAL MEM	1054823	659	113	33
M.P.	TOTAL MEM	27567	17	3	1
MAHARASHTRA	TOTAL MEM	63521	40	7	2
ORISSA	TOTAL MEM	82235	51	9	3
PUNJAB	TOTAL MEM	74636	47	8	2
RAJASTHAN	TOTAL MEM	24866	16	3	1
T.N.	TOTAL MEM	317717	199	34	10
TRIPURA	TOTAL MEM	134215	84	14	4
U.P.	TOTAL MEM	21722	14	2	1
UTTARANCHAL	TOTAL MEM	16006	10	2	0
W.B.	TOTAL MEM	1401711	876	150	43
GOA	TOTAL MEM	551	1	0	0
SIKKIM	TOTAL MEM	370	1	0	0
ARUNACHAL PRADESH	TOTAL MEM		1		
TOTAL MEMBERSHIP		**3878659**	2422	415	120
ADD.FROM CENTRE			11	10	5
			2431	**425**	**125**

NOTE:-

1. Minimum 15% representation must be given to female comrades in the delegation. 2. Some unions have their membership spread in 2 or more states. Accordingly as per the mutual understanding, the following addition/deletions are included/excluded in the membership of respective states

Name of the Union	M.P.	Maharashtra	Chhatisgarh	U.P.	Uttaranchal
1.Lal jhannda coal mines mazdoor union, Maharashtra	2317	-2317			
2. M.P.Med.& Sales Rep.Union	-818		818		
3. Coal Field lab.union, singrl.	-916			916	
4. Koyla Sramik Sangh, Chhtg.	4044		-4044		
5. U.P.Med.&Sales Rep.Union				-562	562
	4627	**-2317**	**-3226**	**354**	**562**

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

गतिविधियों का रिपोर्ट

दिसम्बर 2003 में हुए सीटू के 11वें सम्मेलन के बाद, तेजी से बदलती हुई सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति के की पश्ष्ठभूमि में, मजदूर वर्ग आंदोलन ने उचित गति प्राप्त की। इसमें सीटू की अहम भूमिका रही। इस समय के दौरान शासक वर्ग की ओर से मजदूरों के मूल अधिकारों पर गहरा और क्रूर आक्रमण हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की मुहिम पर अपना क्रूर ठप्पा लगाया। सीटू का 11वां सम्मेलन तमिलनाडु में हुआ, सरकार और शासक वर्ग तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कि हड़ताल करने के मूल अधिकार पर कानूनी रोक लगाने की कोशिश का हम डट कर मुकाबला करेंगे और देशभर में इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ेंगे।

11वें सम्मेलन के इस आह्वान के बाद, सीटू के नेतश्त्व में देशभर में मजदूरों को लामबंद किया गया ओर 24 फरवरी 2004 को, प्रायः सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक देशव्यापी सशक्त हड़ताल की। एनडीए की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पहली बार मजदूर वर्ग की ओर से इस तरह की आवाज उठीं इस हड़ताल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 14वीं लोकसभा चुनाव सर पर था और एनडीए सरकार अपना इंडिया साइनिंग का तथाकथित अभियान शुरू करके दोबारा सत्ता प्राप्त करने की कोशिश मे जुटी थी। सरकारी कर्मचारियों की इस देश व्यापी हड़ताल ने केन्द्र में तख्ता पलटने के माहौल को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संसदीय ओर राज्य स्तर के चुनाव

11वीं कान्फ्रेन्स के बाद, 14वों लोकसभा चुनाव सीटू के लिए महत्वपूर्ण था। सम्मेलन ने मजदूरों से आव्हान किया कि वे साम्प्रदायिक और जनविरोधी एन डी ए सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके। भाजपा गठबंधन को सत्ता से हटाने में मजदूर वर्ग की अहम् भूमिका रही। एन डी ए के पांच साल के शासन काल में लगातार, अपनी कमियों के बावजूद, मजदूर वर्ग ने उदारीकरण और साम्प्रदायिकता का विरोध किया। इस दौरान चार देशव्यापि हड़तालें ओर न जाने कितनी क्षेत्रीय स्तर की हड़तालें और आंदोलन छेड़े गए।

चुनाव की घोषणा के बाद, सीटू ने भजपा गठबंधन को हराने और केन्द्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना, जिसमें वामदलों की भूमिका हो, का आव्हान किया। इस संबन्ध में सीटू ने एक पुस्तिका भी निकाली जिसकी करीब नौ हजार कापियां विभिन्न राज्यों में बेची गईं। जिन राज्य समितियों ने केन्द्र से ये पुस्तिकायें ली, वें हैं दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश और आसाम। बंगाल और उड़ीसा में पुस्तिका का अनुवादित रुप भी बांटा गया। कुछ राज्य समितियों ने इस संबंध में अपने खुद के पर्चे और पुस्तिकायें भी निकाली– जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश।

पूरे देश में खासकर जंहा वामदलों के उम्मीदवार खड़े थे, सीटू कार्यकर्ताओं ने चुनाव में सकिय रुप से अभियान में योगदान किया। सीटू के काफी नेता चुनाव में खड़े होकर संसद तक पंहुचे। सी पी एम के 44 संसद सदस्यों में, ट्रेडयूनियनों से संबंन्धित काफी मेम्बर हैं। आंध्र प्रदेश में, जंहा विधान सभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए, सीटू के पूर्व सचिव, एम ए गफूर, सी पी एम के 9 विधायकोंमें से एक है। उड़ीसा और कर्नाटक में भी सी पी एम के सदस्य विधान सभा में चुने गए।

मई 2006 में, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडू, आसाम और पांडीचेरी में विधान सभा चुनाव हुए। ये चुनाव मजदूर वर्ग के लिए महत्वपपूर्ण थे, खासकर पश्चिम बंगाल और केरल में, जंहा वामपंथी ताकतें सशक्त हैं। इन दो राज्यों में भी सीटू ने चुनाव अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया – पर्चे निकाले, और लोगों के बीच प्रचार किया कि क्यों वामदलों को विजयी बनाना मजदूरों के जीवन और अधिकारों के लिए जरुरी है, खासकर नई आर्थिक नीतियों को परास्त करने के लिये। बंगाल और केरल में वाम गठबंधन की भारी विजय और तमिलनाडू और आसाम में वामपंथी ताकतों का सशक्त होना – दोनों ने केन्द्र में वामदलों की राजनैतिक भूमिका को और सुदश्ढ़ किया, साथ में देश भर में मजदूर वर्ग के संघर्षों को भी प्रोत्साहन दिया।

तीन आम हड़तालें

इस दौरान, तीन देशव्यापि आम हड़तालें भी हुई – 24 फरवरी,2004 29 सितंबर,2004 और 14 दिसंबर 2005 – और हर हड़ताल में मेहनतकश जनता की साझेदारी बढ़ी। इन तीनों हड़तालों में सीटू ने फिर एक बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 फरवरी, 2004 की हड़ताल में इण्टक, बी एम एस और एच एम एस ने हिस्सा नहीं लिया, पर बाकि दो हड़तालों में इण्टक और बी एम एस को छोड़कर, बाकि सभी केन्द्रीय ट्रेडयूनियन शामिल हुए।
इन हड़तालों मे खास बात यह थी कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। किसान वर्ग का समर्थन भी बराबर बना रहा, खासकर 24 फरवरी और 29 सितंबर की हड़ताल के दौरान। पिछली दिसंबर 14 हड़ताल में कुछ राज्यों से ऐसी समर्थन की रिपोर्टें मिली।

हांलाकि केन्द्र स्तर पर इण्टक और बी एम एस हड़ताल के हिस्से नहीं थे, जमीनी स्तर पर इन संगठनों से जुड़े कई लोग हड़ताल में शामिल हुए, खासकर कोयला खदानों , बैंकों और बीमा संबन्धित क्षेत्र में भारत इलैक्ट्रानिक्स

, बैंगलोर में सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों और बंदरगाहों में 14 दिसंबर की हड़ताल काफी कामयाब रहीं।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ इन हड़तालों से एक चीज साफ तौर पर साबित हुई कि जमीनी स्तर पर इन नीतियों के खिलाफ मजदूरों की एकजुटता बढ़ी है।

अखिल भारतीय पहल

(काम करने के अधिकार पर कन्वेन्शन)
2004 में नासिक में सीटू जनरल काउंसलिंग और तत्पश्चात अगरतला में हुई कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार 12–13 मार्च 2005 में काम के अधिकार का अखिल भारतीय कन्वेन्शन कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसमें सभी राज्यों और औदयोगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हुआ। कुल 735 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। कुछ स्वाधीन यूनियनों ने भी शिरकत की जिसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, राज्य और केन्द्र सरकार कर्मचारी संगठन, संचार कंपनियों आदि के संगठन भी थे। किसान, छात्र, महिला संगठनों के सदस्य भी कन्वेन्शन में शामिल हुए।
कन्वेन्शन ने एक घोषणा पत्र पारित किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि देश भर में संयुक्त मोर्चा आदि निकाला जाएगा जिसके बाद संसद पर मार्च होगा और देश भर में काम के अधिकार के मुद्दे पर जन आंदोलन को तेज किया जाएगा। 2005 में बेरोजगारी विरोधी दिवस भी मनाया गया जिसमें सीटू की सभी राज्य समितियों ने हिस्सा

लिया। पर 2006 में, काफी राज्य समितियों ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट नहीं पेश की।

पेटेण्ट कानून, विश्व व्यापार संगठन आदि

दिसंबर 2004 में पेटेण्ट अधिनियम जारी करने के खिलाफ आंदोलन में चारों ओर से भारी योगदान रहा। इस अधिनियम के खिलाफ सीटू ने देश भर मे और अन्य केन्द्रीय यूनियनों को लामबंद करने में फिर एक बार पहल की। हमारी रिपोर्ट के अनुसार काफी जन संगठन, प्रोफेशनल्स आदि ने विरोध में हिस्सा लिया। फरवरी 2005 में देश भर के औद्योगिक इलाकों में कन्वेन्शनों, विरोध प्रदर्शनों आदि का आयोजन किया गया। 26 फरवरी को देश भर में प्रदर्शन हुए और दिल्ली में संसद भवन पर कम से कम 10,000 लोंगों ने विरोध मार्च में हिस्सा लिया। संसद के अंदर वामपंथी पार्टियों ने बढ़ चढ़ कर इस विरोध का समर्थन किया। अंततः पेटण्ट बिल पास करने के पूर्व केन्द्र सरकार को वामदलों के काफी सुझावों को मानना पड़ा। तत्पश्चात 13 दिसंबर को विश्व व्यापार संगठन विरोधी प्रदर्शनों में भी जनवादी ताकतों ने भारी संख्या में मजदूरों व किसानों का साथ दिया।

सम्राज्यवाद–विरोधी प्रदर्शन

दिसम्बर,2005 को भोपाल में हुई सीटू कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार देश भर में अमरीकी राश्ट्रपति जार्ज बुष की भारत यात्रा के विरोध में प्रदर्षन हुए। इन प्रदर्शनों में मजदूरों ने बहुत उत्साह से भाग लिया और मार्च 2–3 को देष व्यापी विरोध मार्चों में अमरीकी साम्राज्यवाद और भारत सरकार के आत्मसमपर्ण के खिलाफ नारे लगाए। कलकत्ता, केरल और मुम्बई की रैली में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली में भी हजारों की तादाद में लोग षामिल हुए।

सामूहिक मॉगों पर सयुंक्त ट्रेड यूनियन कार्यकम

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और अखिल भारतीय एम्पलायीस फेडरेशन के निर्णय के अनुसार 20 अगस्त, 2004 को सभी राज्यों और औद्योगिक केन्द्रों में नौ मॉगों पर प्रदर्शन इत्यादि हुए। यह नौ मॉगें थी– भविश्य निधि पर ब्याज दर घटाने का विरोध, संचार, बीमा, हवाई, यातायात क्षेत्रों में विदेषी निवेष बढ़ाये जाने का विरोध, लघु उद्योगों के लिए आरक्षित बस्तुओं में से 85 प्रतिषत वस्तुएँ कम करने के खिलाफ , असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों और खेत –मजदूरों के लिए काम और सामाजिक सुरक्षा के इंतजाम किए जाएँ, सार्वजनिक क्षेत्र मे ' बीमार'' कम्पनियों का पुर्नउत्थान, लेबर कानून का सही तरह लागू करना, मजदूरों का सारा बकाया देना और न्यूनतम वेतन लागू करना। हमारी रिपार्ट के अनुसार हर राज्य और उनकी राजधानियों में इन मॉगों पर प्रदर्शन हुए।

निजीकरण का विरोध

निजीकरण के विरूद्ध अनेक क्षेत्रों में, जैसे बैंक, बीमा, संचार आदि में संघर्ष हुआ। दिसम्बर, 16, 2004 कोल तेल उद्योग में निजीकरण के विरोध में एक दिन की सम्पूर्ण हड़ताल हुई। इस हड़ताल की खास बात यह थी कि इसका नेतृत्व करने वाली ' नैशनल यूनाइटेड फोरम' में सीटू , एटक और इंटक के अलावा, शिवसेना से संबधित और कुछ आजाद यूनियने भी शामिल हुई। इस एकता के पीछे सीटू की महत्वपूर्ण भूमिका थी जबकि बाकी केन्द्रीय यूनियनें इसके विरूद्ध थीं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 6 के हड़ताल– विरोधी फैसले के बाद यह पहली राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक हड़ताल थी।

यू पी ए सरकार के सत्ता सभालने के बाद, भेल में 10 प्रतिशत विनिवेश के खिलाफ जून, 2005 में सभी ट्रेड यूनियनों ने आवाज उठाई। वामपंथी पार्टियों के कड़े विरोध के बाद सरकार को भेल विनिवेश के निर्णय को वापिस

लेना पड़ा। फिर 2006 में सरकार ने एक बार फिर नालको और नेवेली लिगनाईट में विनिवेश की पहल की। इस पर एक बार फिर सरकार को पीछे हटना पड़ा क्योंकि इन दोनों कम्पनियों के मजदूरों ने हड़ताल के रूप में कड़ा विरोध किया। इन दोनों हड़तालों में सीटू ने कम ताकत के बावजूद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे खास बात यह थी कि इन हड़तालों में जमीनी स्तर पर मजदूर भारी संख्या में सामने आए। अफसरों और मजदूरों के विरोध से साक्षित हो गया कि विनिवेश के खिलाफ भारी एकजुटता है। एक और महत्वपूर्ण घटना थी, एयरपोर्ट आथोरेटी के कर्मचारियों की निजीकरण के विरूद्ध हड़ताल और संघर्ष। 124 हवाई अड्डों के 22 हजार कर्मचारियों ने 1 फरवरी से काम ठप्प कर दिया। वे दिल्ली और मुबंई हवाई अड्डों के निजीकरण का विरोध कर रहे थे। हड़ताल 4 फरवरी तक चली और पुलिस दमन का सामना करते हुए आखिर तक कर्मचारियों ने केन्द्रीय उड्यन मंत्री के इस आश्वासन पर कि एक त्रि–दलीय कमेटी बनाई जाएगी, अपनी हड़ताल खत्म की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि एयरपोर्ट 'आधुनिकिकरण में एयरपोर्ट आथोरेटी की भूमिका और कर्मचारी सबंधित मुद्दों पर बातचीत करके ही फैसला लिया जाएगा। इस हड़ताल को ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि एयरपोर्ट कर्मचारी संघ किसी भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से सबंधित नहीं है पर संघर्ष के दौरान उन्होंने सीटू के साथ करीबी संपर्क बनाए रखे, जो अब भी जारी है– यू पी ए की उन नीतियों के खिलाफ जो देश के हवाई अड्डों को निजी या विदेशी हाथों में सौंपना चाहती है।

असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र मजदूरों का दूसरा अखिल भारतीय कन्वेंशन 3–4 अक्टूबर को फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, में हुआ। विभिन्न राज्यों से 345 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। मॉग पत्र में 15 मुख्य मॉगें थीं– केन्द्रीय कानून का गठन, न्यूनतम वेतन बढ़ाना और लागू करना, सभी सामाजिक सुरक्षा कदमों को लागू करना इत्यादि। कन्वेंशन ने मालिक – मजदूर रिश्ते को औपचारिक बनाने की मॉग की और कार्य सबंधित सुरक्षा व स्वास्थय सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। छोटे स्तर और लघु उद्योगों पर नीतियों में बदलाव की मॉग करते हुए, कन्वेंशन ने वस्तु आरक्षण को फिर से लागू करने पर जोर दिया जिसे बड़े उद्योग और विदेशी कम्पनियों पर रोक लग सके। तत्पश्चात् कन्वेंशन के निर्णय के अनुसार भारी प्रदर्शन दिल्ली के पटेल चौक में हुआ। करीब बीस हजार मजदूरों ने इसमें भाग लिया जो कि विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुँचे, जैसे दूर–दराज त्रिपुरा, आसाम, केरल यहॉ तक कि अरूणाचल प्रदेश से थी। इसके बाद जून,2006 समन्वय समिति की बैठक ने मॉग पत्र पर देश–व्यापी अभियान छेड़ने का निर्णय लिया। खासकर समान वेतन, न्यूनतम वेतन और केन्द्रीय का गठन। इन सभी मॉगों पर दिसम्बर 2006 में देश–व्यापी हड़ताल करने का फैसला किया, पर 14 दिसम्बर की अखिल भारतीय आम हड़ताल के आह्वान के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।

कामकाजी महिलाएँ

इस दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति की पहल पर तारीख को एक देश –व्यापी अभियान छेड़ा गया।इस अभियान की मॉगे थी–– समान काम के लिए समान वेतन जच्चा–बच्चा सुविधाएं और केच का आयोजन, महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानून, रात की शिट पर काम कर रही महिलाओं पर रोक उठाने के खिलाफ, घरेलू कामकाजी महिलाओं लिए कानून। इस अभियान का सामना एक अखिल भारतीय कन्वेंशन के रूप में हुआ जो 17 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में संपन्न हुआ। तकरीबन सभी राज्यों से करीब 900 कामकाजी महिलाओं ने कन्वेंशन में हिस्सा लिया। इसके बाद पटेल चौक तक मार्च हुआ और दो लाख हस्ताक्षरों की याचिका को सरकार को सौंपी गई।

आंगनवाड़ी फेडरेशन

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स फेडरेशन राज्य स्तर और देश भर में अभियान और संघर्ष छेड़ने

में लगातार सकिय रही। पर दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, अखिल भारतीय स्तर पर नौकरियों को नियमित करने की मॉग पर महीने भर का अभियान छेड़ा गया और करीब एक लाख हस्ताक्षर इकट्ठे किये गए। इसके बाद दिल्ली में अप्रैल 2005 को एक अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स कन्वेंशन हुआ जिसमें 6000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। दूसरी खास घटना थी जुलाई 2006 में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को संसद के सामने दस दिन लंम्बा 24 घंटे का धरना और कमिक भूख हड़ताल । इसमें करीब 20 हजार लोगों ने देश– भर से हिस्सा लिया जिसमें मुख्य मॉगे थी नौकरियों को नियमित करना, वेतन बढ़ाना और रिटायरमेंट सुविधाएं। धरने के आखिरी दिन एक प्रतिनिधि समूह प्रधानमंत्री से मिला। इससे वकर्स को प्रोत्साहन तो मिला ही साथ ही सरकार पर भी दबाव पड़ा जिसके चलते एक कमेटी का गठन हुआ जो इन मॉगों पर गौर करेगी। 20 हजार महिलाओं द्वारा इस तरह का धरना और रीले भूख हड़ताल ट्रेड यूनियन इतिहास में पहली बार देखी गई।

तेल उद्योग में फेडरेशन की स्थापना

इस दौरान सीटू के पहल में एक बड़ी उपलब्धि रही तेल और प्राकशतिक गैस कर्मचारी महासंघ का गठन। यह एक स्वतंत्र महासंघ है जिसमें खनिज तेल क्षेत्र के विभिन्न ट्रेड यूनियनों से सबंधित यूनियन एवं स्वतंत्र यूनियन भी शामिल हैं। यह महासंघ 2005 में हलदिया में आयोजित तेल कर्मचारियों के सम्मेलन में गठित हुई। तेल क्षेत्र में निजीकरण का विरोध करने के लिए तेल उद्योग में निजीकरण के विरूद्ध संयुक्त मोर्चा " पी एन जी डब्लयू एफ आई " के गठन में सीटू ने जो पहल ली और उसके बाद इस फोरम के तहत जो कार्यकम आयोजित किए गए उससे महासंघ के गठन में मद्द मिली। पी एन जी डब्लयू एफ आई अब सबसे बड़ा महासंघ है जिसमें सार्वजनिक तेल कम्पनियों के तकरीबन सभी बड़ी यूनियनें शामिल है और जिसमें सीटू के नेता अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं।

सुनामी राहत और कोष

दिसम्बर 2004 में जब दक्षिणी तट्टीय राज्यों में सुनामी से कहर ढाया तब सीटू के केन्द्र से लेकर इकाईयों और कार्यकर्ताओं तक सभी तुरंत राहत कार्य में जुट गए। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेष जैसे राज्यों में सीटू के सकीय कार्यकर्ताओं सबसे पहले राहत कार्य में शामिल होने वालों में से थे। अंडमान में समस्याएं कहीं ज्यादा थी। सीटू के केन्द्रीय अपील के तहत यहां इकट्ठा करने के इलावा पं बंगाल राज्य कमेटी ने अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर अंडमान में आर्थिक माली और शारीरिक मद्द पहुँचाने में पहल की। तमिलनाडु राज्य कमेटी ने राज्य में राहत कार्य को संगठित करने में सराहनीय काम किया। हर स्तर पर चंदा इकट्ठा करने की मुहीम चलाई गई। कुछ चंदा अंतराश्ट्रीय बिरादराना संगठनों से भी मिला। रिर्पोटस के मुताबिक सीटू कार्यकर्ताओं की भूमिका को जनता और प्रशासन दोनों ने माना।

सीटू केन्द्र ने तमिलनाडु के लिए एक लाख रूपये और आंध्र प्रदेश के लिए 50 हजार रूपये सुनामी के तुरंत बाद भेजने के इलावा एक " विशेष सुनामी राहत कोष " की अपील भी जारी की जिसे अच्छी प्रतिकिया मिली। देश–भर में सीटू यूनियनों द्वारा जमा किए गई बड़ी रकम के अलावा चीन के ए सी एफ टी यू और जापान के जेनरोन से भी मदद मिली। फ्रॅस के ब्लज ने भी राहत कार्य में ठोस मद्द की। सी जी टी द्वारा जमा किए गए कोष से दक्षिण चेन्नई, कुडडलोर, नागपटटीनम् और नागरकैल (तमिलनाडू) और पांडिचेरी में सूनामी पीड़ित जनता के बीच सिलाई मशीन,साइकिल, रिक्शा, स्कूल बैग बांटा गया। 27 से 30 अकटूबर,2006 तक यह वितरण कार्यकम हुआ। विभिन्न राज्यों और इकाईयों से और विदेशी ट्रेड यूनियन से सीटू के सूनामी राहत कोष में अब तक 1,05,77,051 रूपये प्राप्त हुए। राहत कोश का बकाया धन से तमिलनाडू में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस रकम के प्रभावशाली प्रयोग के लिए पीड़ित इलाकों में पुर्नगठन के काम को सीटू की पहल में सही तरीके से योजना बनानी पड़ेगी।

इसी तरह से जम्मू कश्मीर की सीटू इकाई ने भयानक भू–स्खलन से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य संगठित करने में सराहनीय पहल की। सीटू केन्द्र ने चंदा इकट्ठा करने की अपील की और घटना के तुरंत बाद केन्द्रीय कोष से एक लाख रूपये भेजे। इस अपील की प्रतिकिया अन्य राज्यों से अच्छी नहीं रही, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य कमेटी ने लाखों रूपये जमा किये और प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचाई ।

इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ बड़े आन्दोलन हुए जैसे मेडिकल और बिकी एजेटों की दिसम्बर 2005 में तीन दिन की हड़ताल, बिजली एक्ट के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा जनवरी 2006 को संसद पर मार्च, पं बंगाल में जुट और चाय बागान मजदूरों की अनिषचित कालीन हड़ताल केरल में बागान मजदूरों की हड़ताल, आंध्र प्रदेष तमिलनाडु और हरियाणा में सड़क यातायात मजदूरों की हड़ताल केरल के राज्य स्तर पर यातायात मजदूरों का लामबंद होना, लोहा उद्योग और खदान मजदूरों का उड़ीसा में संघर्श, हरियाणा में स्पिनिंग मिल मजदूरों की दो बार हड़ताल आदि।

राज्यों की रिपार्ट

असम–

केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रायः सभी विरोध कार्यकम और अभियान– चाहे वे स्वतंत्र रूप से हो या बाकी यूनियनों के साथ संयुक्त हों– असम में कार्यान्वित किए गये और इनकी रिपोर्ट सीटू केन्द्र को भेजी गई।

आमगुड़ी– शिवसागर इलाके में पाये गए तेल क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों को सौंपने के सरकारी फैसले के खिलाफ 21 अप्रैल,2005 को शिबसागर जिले में आयोजित 'बंद '' एक महत्पूर्ण संघर्ष था। अन्य यूनियनों और जन संगठनो के साथ सीटू ने इस संघर्ष को अयोजित करने में नेतश्त्व लिया।

असम के चाय बागानों में मैनेजमेंट के प्रहार के खिलाफ इस दौरान कई आंदोलन छेड़े गए। 25 फरवरी 2005 को राज्य भर के मोटर कर्मचारियों ने उनके संयुक्त मोर्चे के अपील पर दिन–भर क हड़ताल की और विधान सभा के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया। मार्च,10 ,2005 को अस सरकार के विभिन्न विभागों के तीन हजार मास्टर रोल कर्मचारियों ने नियमिकरण की मॉग को लेकर विधान सभा के सामने विशाल प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने उनकी इस मांग को अततः मंजूर कर लिया। सीटू इकाईयों ने कलथानी प्रोडक्ट लिमिटेड जोरहट में चल रहे ट्रेड यूनियन अधिकारों की नामंजूरी टी यू का पंजीकरण न होने और यूनियन नेताओं के विक्टिमाईसेशन के खिलाफ राज्य भर में समर्थक कार्यकम किए। इन इकाईयों ने अपने अपने कार्य स्थलों में आंदोलन किए और मुख्य मंत्री और लेबर कमीशन को तार भेजे। सभी राश्ट्रीय कार्यकमों में भागीदारी के अलावा असम राज्य सीटू से तेल मजदूर तेल क्षेत्र के कान्ट्रेक्ट मजदूर प्लाईवुड मजदूर आंगनवाड़ी वकर्स निजी हस्पतालों के कर्मचारी और नर्सें और चाय बगानों में कई कार्यकमों के बारे में रिपोर्ट मिली है।इस दौरान असम राज्य सीटू ने राज्यस्तरीय टीयू स्कूल भी आयोजित किया। इस बीच अरूणाचल प्रदेश राज्य इकाई बनने के बाद वहॉ से भी मजदूरों और कर्मचारियों के व्यापक स्तर पे लामबंद होने की खबर मिली है।

आंध्र प्रदेश

केन्द्र में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रायः केन्द्र निर्धारित सभी संघर्षों और आंदोलनों का राज्य स्तर पर पालन हुआ। स्वंतत्र रूप से और संयुक्त रूप से सीटू द्वारा अभियान के बाद लगभग 17,000 कर्मचारियों ने 4 जुलाई,2005 को हडताल की गई। हड़ताली कर्मचारियों की मॉग थी मोटर गाड़ियों पर करों की घटौती, हाई स्पीड डीजल पर कर की कटौती राज्य सरकार द्वारा । राज्य परिवहन निगम को रू0 1350 करोड़ बकाया की पूर्ति सभी नियमित मजदूरों

को पक्की नौकरियां इत्यादि। सीटू और एटक संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल का आह्वान किया जिसमें इंटक ने भी हिस्सा लिया। हड़ताल कामयाब रही। इस बीच अदालत के अंतरिम फेसले की वजह से हड़ताल को स्थगित करना पड़ा जिससे सरकार से बातचीत हो सके। पर सरकार से बातचीत नाकामयाब रही और एक बार फिर 18 अक्टूबर,2005 को सड़क यातायात कर्मचारियों ने हड़ताल जारी की। तत्पष्चात् सरकार की ओर संयुक्त मोर्चे की कुछ बातचीत हुई और हड़ताल समाप्त हुई।

जून,2–16, 2005 को विशाखापट्टनम इस्पात प्लांट के 8,000 ठेका मजदूर हड़ताल पर रहे। उनकी मांग थी वेतन में बढ़ोतरी सालाना बोनस ई एस आई सुविधाएं इत्यादि। हड़ताल का आह्वान सीटू ,एटक और एच एम एस ने कियां इसके बाद यूनियनों और विशाखापट्टनम की जनता के दबाव से मैनेजमेंट को बातचीत करने पर मजबूर होना पड़ा, और एक अंतरिम समझौता हुआ। शुरूआती तौर पर वेतन को रू0 300 महीना बढ़ाने और बोनस की मॉग को मान लिया गया।

21 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2005 तक एक 28 दिन की 750 किमी0 लम्बी पदयात्र का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा विशाखापट्नम के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरी और साथ में मजदूरों खेत मजदूरों, और गरीब जनता की दयनीय हालातों पर जनता का ध्यान आकर्षित किया गया। विशाखापट्नम जिले में काफी बागानों के मजदूरों ने 12 दिन तक काम ठप्प किया। करीब 5000 पक्के और मौसमी मजदूरों ने इसमें हिस्सा लिया। तत्पश्चात दिहाड़ी को रू0 68 से बढ़ाकर रू0 73 किया गया और फल इक्टठा करने की पगार को भी रू0 1/47 से बढ़ाकर रू0 1/60 किया गया। इससे जन – जातियों के बीच अच्छा प्रभाव पड़ा। काकीनाड़ा बंदरगाह मजदूरों ने जहाजों के दूसरे मार्ग पर ले जाना और मजदूरों को नौकरी से बहाल करने के विरोध में आंदोलन छेड़ा। जिला सीटू ने इस संघर्ष का नेतृत्व किया हालांकि, यह 2000 मजदूर असल में एच एम एस से सबंधित थे। 31 गोदामों के सामने धावा बोला गया और करीब 250 मजदूरों को गिरतार किया गया। गुटंर जिले की एक जूट मिल में मैनेजमेंट 11 यूनियनों के साथ एक मजदूर विरोधी समझौता किया परंतु सीटू ने इसका हिस्सा बनने से साफ इंकार कर दिया। मजदूरों ने सीटू का साथ दिया जिसके बाद लड़ाकू संघर्श के बाद लॉक आउट कर दिया गया। हमारे दखल के बाद बाकी यूनियनों ने समझौते में तबदीली की मॉग की जिसके बाद लॉकआउट उठा लिया गया और निकाले गए कर्मचारियों को काम पर वापिस लिया गया। बोनस समझौते में भी बदलाव लाए गए। गुटूंर में ही तेलगू देसम पार्टी ने एक सहकारी चीनी मिल को निजि हाथों में सौंप दिया था। 500 मजदरों को नौकरी से बहाल किया और सिर्फ 74 को काम पर रखा गया सीटू के नेतृत्व में संयुक्त आंदोलन छेड़ा गया जिसकी वजह से चीनी मिल को अपना सहकारी स्वरूप वापिस मिला और निकाले मजदूरों को वापिस बुलाया गया। इसके इलावा ग्राम पंचायत स्लेट मजदूर आटोरिक्षा चालक, चावल मिल मजदूर आंगनवाड़ी मजदूरों आदि ने भी कई संघर्ष किये। राज्य स्तर पर स्वास्थय सेवा मजदूर और बिजली क्षेत्र में ठेका मजदूरों ने भी नियमित होने की अपनी मॉग पर संघर्ष किर्य एक लंबे संघर्ष के बाद बिजली क्षेत्र के ठेका मजदूरों का वेतन बढ़ा।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मॉगों को लेकर और उनके लिए एक उचित कानून बनाने के मुददे पर सीटू राज्य समिति ने राज्य– भर के जत्थे निकाले। राज्य के विभिन्न कोनों से अक्टूबर 2006 को आठ जत्थे निकाले गए जो हर शहर और मंडल से होकर गुजरे और 15 दिन में करीब 25,000 किमी0 का फासला तय कर पाए। 19 अक्टूबर को यह आठों जत्थे हैदराबाद में सम्मिलित हुए जहॉ एक विषाल जन सभा का आयोजन हुआ जिसका संबोधन सीटू महासचिव चित्रब्रत मजमूदार और पूर्व राज्य महा सचिव बी बी राघवुलु ने किया। 11,000 मंडलों में कमेटियों का गठन हुआ और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के 21 सुत्रीय मॉगपत्र पर हस्ताक्षर इकटठा करने के अभियान का एलान किया गया। कई इलाकों में प्रशासन की ओर से रूकावटें डालने के बावजूद जत्थे और रैलियॉ निकाली गई, 36 लाख हस्ताक्षर इकटठे किये गए जो कि मुख्य मंत्री को सौंपे गए।

जत्थों का अनुसरण करते हुए,27 नवम्बर को जिला स्तर पर हर जिला कार्यालय के सामने धरना डाला गया जिसमें हजारों की संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। लेकिन उनकी उचित मॉगों को मानने के बजाय पुलिस ने कई जिलो

में शांतिपूर्ण धरनों पर बर्बर लाठी चार्ज किया जिसमें कई मजदूर जिनमें महिलाएं भी थी को चोटें भी आई कुछ को हिरासत में भी लिया गया

बिहार

राज्य भर के यातायात कर्मचारियों ने 21 दिसम्बर 2004 को पटना में एक भारी प्रदर्शन किया और एक राश्ट्रीय यातायात नीति और सामाजिक सुरक्षा कदमों की मॉगे उठाई उनका मानना था कि चालकों और हेल्परों को कई बार पुलिस असामाजिक तत्वों उग्रवादियों से शारीरिक आकमण का सामना करना पड़ा है। हालांकि देश– भर में जरूरी चीजों का आवागमन बनाए रखने में उनका योगदान है उनका जीवन असुरक्षित है।
सितम्बर 23 को पटना में ही बीड़ी उद्योग के मजदूरों ने प्रदर्शन किया और न्यूनतम वेतन लागू करने पहचान पत्र और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की मॉग की। राज्य में गुण्डा राज और मालिकों के अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई गई।

25 सितम्बर को के आह्वान पर एक बार फिर पटना में स्वास्थय और दवा बिक्री करने वाले कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रदर्शन किया।उनकी मॉग थी कि दवाओं में मूल्यों में कटौती काले धंधों पर रोक इत्यादि। इस समय के दौरान ,रेलवे ठेका मजदूरों और केटरिंग कर्मचारियों ने भी आंदोलन किये।

छत्तीसगढ़

केन्द्र –स्तर नई नीतियों आदि पर हुए कार्यकमों में शामिल होने के अलावा राज्स समिति और संबंधित यूनियनों ने कई स्वतंत्र आंदोलन अभियान चलाए। 31 सूत्रीय मांग पत्र पर दिसम्बर 22, 2004 को राज्य व्यापी रैलियां निकाली गई राज्य बिजली बोर्ड के रख रखाव से जुड़ी नौकरियों के निजिकरण के विरूद्ध प्रदर्शन किए गए 17–19 और 25–26 अप्रैल,2005 को मंडी मजदूर यूनियनों और किसानों ने मिलकर संयुक्त जीप जत्था निकाला जिसकी मुख्य मॉग थी मडी कानून में बदलाव जिससे मजदूरों को अपना हक मिले और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी पर रोक लगे। निजिकरण के बावजूद सीटू की बाल्को यूनियन ने अपनी मुहिम जारी रखी । सीटू के दखल और हड़ताल के धमकी के स्टेरलाइट मैंनेजमेंट को दो मृत मजदूरों के परिवारों को मुआवजा और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देनी पड़ी। इसके बाद मैनेजमेंट ने सीटू यूनियन अध्यक्ष और खजांची को निलंबित कर उन पर अरोप पत्र जारी किया। लेकिन 18–19 अप्रैल की संपूर्ण हड़ताल के बाद मैनेजमेंट को यह आदेश वापिस लेना पड़ा। बालको की सीटू यूनियन विनिवेश के सरकारी फेसले के खिलाफ सभी यूनियनों और मजदूरों को संघर्ष से जोड़ने में कामयाब रही।

राज्य समिति की पहल से राज्य की राजधानियों में सरकार की जन –विरोधी नितियों और जनजातियों व दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया। 11 जुलाई, 2005 को रायपुर जिला कलेक्टर के दतर के सामने कई स्वास्थय सेवा से सबंधित कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगें थी कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जिसे मार्च 2005 में बंद कर दिया गया था को फिर से लागू किया जाए।
इसी दिन आंगनवाड़ी वकर्स और हेल्पर्स ने भी अपने 6 सूत्रीय मॉगपत्र पर रायपुर में विशाल प्रदर्शन किया। आइ सी डी एस के पुर्नगठन ,भविश्य निधि और डी ए वेतन दर में वश्द्धि पेंशन की सुविधा आदि पर प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया गया।

हरियाणा

हरियाणा में असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के द्वारा बहुत बड़ा संघर्ष किया गया। जंगल विभाग के 45,00 दिहाड़ी मजदूरों को हरियाणा सरकार ने पक्की नौकरी का आश्वासन दिया था पर अंततः उन्हें छटनी के कगार आ खड़ा

होना पड़ा। सीटू के नेतृत्व में मजदूरों ने जनचेतना को जगाने तथा छटनी के इरादों को खत्म करने के लिये प्रतिरोध को संगठित किया।

24 फरवरी के बाद हरियाणा के कई जिलों में जुझारू ईंट भटटा मजदूर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर गये। मालिकों और प्रबंधकों ने पुरुष में पुलिस कार्यवाही निजी आकमणों और नेताओं को झूठे पुलिस केसों में फसाने के हथकंडो पर दबाव में न आने वाले मजदूर मुकम्मिल हड़ताल पर चले गए इससे राज्य के प्रबंधकों पर दबाव पड़ा क्योंकि वे बीचवचाब और बातचीत का सहारा लें और ईट भट्टा के मालिकों को मजबूरन मजदूरी मंहगाई भत्ता जैसे मुद्दे थे तय करना पड़ा । सन् 2006 में ईठ भट्टा में इसी तरह की अनिश्चित हड़ताल को संगठित किया गया जिसमें मजदूरी बढ़ाने की बात रखी गई।

इसी बीच हरियाणा के पानीपत के कपड़ा मिल के मजदूर भी 24 फरवरी से बेमियादी हड़ताल पर चले गये यह हड़ताल करीब दस दिन तक चलती रही और आखिर कार मिल मालिकों को सीटू यूनियनों से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब ईट भट्टा मजदूरों ने भी जोरदार संघर्श को संगठित किया जिसका मुददा बेहतर मजदूरी और बेहतर हालात थी। मई 2006 में फिर से पानीपत के कपड़ा मिल के करीब 300 मिलों के मजदूरों ने पुलिस ज्यातियों को बहादुरी से झेलते हुए बेमियादी हड़ताल की। और सीटू यूनियनों से समझौता करने पर बाध्य किया।

12 जुलाई,2004 को हिसार में एक मंजिला भवन पर काम करते हुए पांच मजदूर भवन ढहने की वजह से मर गये। हमेशा की तरह जिला प्रशासन सीटू के भवन निर्माण कामगार यूनियन की मुआवजे की मॉगों पर ध्यान नहीं दिया। 13 जुलाई को यूनियन ने मजदूरों के शवों को लेकर अस्पताल से डिप्टी कमिशनर के दतर तक एक विशाल जूलूस निकाला और वहॉ प्रदर्शन किया । आखिर कार इस बात पर सहमति हुई कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,15,000 रू0 का मुआवजा मिलेगा। यूनियन ने यह मॉग रखी कि सेन्ट्रल एक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाना चाहिए।

पानीपत में 20,000 पिट करघा मजदूर काम रहे है इनमें से ज्यादा तर पं बंगाल के माईग्रेट मजदूर है। ये जमीन के नीचे बने हुए छोटे गडढों में कंबल और कार्पेट बनाने का काम करते है। एक्सपोर्ट के लिये बनाये गये इस माल से मालिक ढेरों मुनाफा कमाते हैं। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती । सीटू और इफटू के नेतश्त्व में मजदूरों ने मालिकों पर दबाव डाला कि वे 22, सितम्बर 2005 में एक त्रीसूत्रीय समझौते पर दस्तखत करें पर मालिकों ने समझौते को लागू नहीं किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि 18 से 26 अक्टूबर तक डी एल सी के दतर के आगे लगातार धरने दिये जाते रहे। 29 अक्टूबर को इटू के पी पी कपूर और सीटू के जय भगवान को पुलिस स्टेशन के सामने गुण्डो द्वारा पिटवाया गया लेकिन पुलिस ने नेताओं को ही गिरतार कर लिया । हजारों मजदूरों ने प्रदर्शन किया और नेताओं को छुड़वाकर हस्पताल ने गये और 30 अक्टूबर 2005 को खुद व खुद हड़ताल हो गयी।

हरियाणा के रोडवेज मजदूरों ने राज्य सरकार पर सफलता पूर्वक दबाव डाला कि प्राइवेट लकजरी बस आपरेटरों को और ज्यादा रूटों पर बस चलाने की इजाजत न दी जाय। इसके लिये उन्होंने चार दिन तक पूर्ण हड़ताल की जिससे राज्य बस परिवहन सेवा पूरी तरह ठप्प रही बावजूद इसके कि पुलिस कार्रवाही हुई और नेताओं को बड़ी संख्या में गिरतार किया गया । हरियाणा रोडवेज के सारे यूनियन इस संघर्ष में शामिल हुए।

इस के दौरान सीटू ने कई संघर्षों का नेतश्त्व किया जो स्पीडोमैक्स और एम टैक जैसे व्यापारिक प्रतिशठानों द्वारा चलाये गये थे। ये संघर्ष छटनी और '' विक्टिमाइजेशन '' के कांट्रेक्ट ' अनुबंधित ' मजदूरों द्वारा की गयी हड़ताल एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसने मालिकों को मजदूरों की मुख्य मॉगों को मानने पर मजबूर कर दिया। परंतु सबसे अहम संघर्ष करनाल घरौंदा और पुतेल में लिबर्टी फुटवियर के जूतों की तीन फैक्ट्रियों का था। 2006

की 26 जून को यह संघर्श शुरू हुआ जब मैनेजमेंट प्रबंधकों ने यूनियन के सात पदाधिकारियों को निलम्बित किया और पुलिस द्वारा गिरतार करवा लिया। उन पर हत्या का झूठा आरोप लगाया गया लिवर्टी के पंबंधक 2005 के अक्टूबर में जो यूनियन के साथ त्रिसूत्रीय अग्रीमेंट हुआ था उसे लागू करने में देर लगा रहे हैं। यूनियन ने पिछले छः महीने से श्रम विभाग से बातचीत चला रही है। इस पृष्ठभूमि में यूनियन लीडरों को गिरतार कर उनको विकट्रीमाइज करने के कारण तीन फैक्ट्रियों में स्वतः ही हड़ताल शुरू हो गयी जो 26 जून 2006 से 2006 के दिसम्बर अंत तक चली। लेकिन 124 मजदूरों को धमकियां दी गयी और बड़े पैमाने पर नौकरी से मुअत्तिल सैकड़ों मजदूरों को /डिसमिस कर दिया गया। मजदूरों पर लाठी चार्ज करने और गिरतार करने के बावजूद हड़ताल नहीं टूटी। हड़ताली लिबर्टी मजदूरों का साथ देने के लिये पूरे राज्य में भाई चारे के कार्यकम संगठित किये गये। अंत में 22 दिसम्बर 2006 को प्रबंधकों और यूनियन के बीच डी एल सी की उपस्थिति में समझौता हो गया।

हिमाचल प्रदेश

सीटू की पहल की वजह से हिमाचल प्रदेश के मजदूरों द्वारा करीब सब इंडिया आह्वान का बहुत असरदार तरीके से जबाब दिया गया। आल इंडिया प्रोग्रामों के अलावा हिमाचल प्रदेश का सीटू कई सेक्टरों में हड़ताल के साथ–साथ बहुत से अन्य संघर्शों से जुड़ी है हिमाचल प्रदेष के पी डबलयू डी विभाग के दिहाड़ी मजदूरों ने बहादूरी से राज्य सरकार के इरादों को सफलतापूर्वक नश्ट कर दिया। राज्य सरकार हजारों दिहाड़ी मजदूरों की छंटनी करने पर तुली थी। बहुसंख्यक बी एम एस यूनियनों के नेतश्त्व की मुखालफत करते हुए पी डबलयू डी के मजदूरों ने सीटू के नेतश्त्व में लगातार धरने प्रदर्षन किये और अंत में राज्य सरकार को झुकना पड़ा और 29 मार्च को संतोशजनक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

दिसम्बर 2004 को सीटू के नेतृत्व में सतलज नदी के दो हाइडल प्रोजेक्ट के 1500 ठेकेदारों के मजदूरों ने एक यूनियन बनाई और सामाजिक सुरक्षा मैडिकल सहायता सुरक्षा और मजदूरी के मामलों में श्रम कानूनों को लागू करने के लिये आंदोलन किया। तुरंत ही प्रबंधक और एम टी पी सी जो कि प्रमुख मालिक है चालू हो गये और मजदूरों को धमकी दी कि वे सीटू में षामिल न हों, और 2005 के 3 फरवरी में होने वाली रैली को बंद करें। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और गोली चलायी गयी मजदूरों ने हमलों और उनकों दबाने के सारे हथकंडों का बहादुरी से सामना किया और आखिर कार प्रबंधकों को बातचीत करने के लिये मजबूरन बैठना पड़ा और तनख्वाह में घटौती और नेताओं के विरूद्ध उठाये गये कदमों को वापस लेना पड़ा।

शिमला से 15 किमी0 दूर तोशाली रिजार्ट का केस सामने आया, जहॅा हिमाचल में होटल मालिकों के द्वारा बड़े पैमाने खौफनाक तरीके अपनाये जा रहे हैं। सितम्बर 2004 में मालिकों ने 32 कर्मचारियों को आनन फानन में नौकरी से निकाल दिया और मुख्य काम ठेकेदारों को सौंप दिया। मजदूरों और कर्मचारियों के विरोधों के बावजूद मालिकों ने प्रबंधकों की मिली भगत से बाहर से काम करने वालों को बुलाया और उन्हें बंद करके रखा। 25 मार्च 2005 को ऐसा ही एक कर्मचारी मश्त पाया गया और उसके शव को जानबूझकर छुपा कर रखा गया इसके विरोध में शिमला के सब होटलों में आधे दिन की हड़ताल हुई और 9 अप्रैल को पूरे दिन की हड़ताल हुई और जिला कलेक्टर के सामने धरना भी हुआ। इसके बाद ही कानूनी तहकीकात का आर्डर पास हुआ जिसमें यूनियन भी शामिल हुई।

इसी दौरान सीटू ने चार छोटे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मजदूरों को सगठित किया, जिनके नाम थे, खोली आंध्रा 2 धनवी 2 और रोवान/ कई हड़तालों और संघर्षों के बाद कोलदम,पार्वती और उहाल पावर प्रोजेक्ट में सीटू की स्थिति मजबूत और पक्की हुई। राज्य में हाइडल प्रोजेक्ट मजदूरों के जोरदार संघर्ष ने कई प्रोजेक्ट के मालिकों और ठेकेदारों को सीटू यूनियनों से समझौता करने पर मजबूर किया। एन एच पी सी में चमेरा योजना में हिन्दुस्तान कनसट्रक्शन कारपोरेशन के मुख्य ठेकेदार ने 10 जून तीन मजदूरों के साथ सीटू के राज्य नेता बाबूराम विजय सिंह और दानसिंह भंडारी को अपने भाड़े के गुण्डों द्वारा बेरहमी से कत्ल करवा दिया। 11 तारीख को पूरे हिमाचल में इस भयंकर घटना की निंदा हुई, और राज्य के सब प्रोजेक्टों ही हड़ताल हुई। सीटू ने वहां पर संघर्श

जारी रखा और यह मांग रखी की जल्द से जल्द हत्यारों को भी गिरतार किया जाए, साथ ही एच सी सी के कर्मचारियों को भी गिरतार किया जाये। एच सी सी को ब्लैकलिस्ट किया जाये और मारे गये लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाये। करीब 70 दिनों के लिये चमेरा 3 का पूरे प्रोजेक्ट का काम काज ठप्प रहा। दबाव में आकर पुलिस को एच सी सी के तीन अधिकारियों को हत्या के जुर्म में गिरतार करना पड़ा। सीटू और उससे जुड़े संगठनों तथा अन्य जन संगठनों ने एकता बरकरार रखने के लिये अनेक कार्यकम किये। संघर्ष के दौरान राज्य सीटू के जनरल सेकेट्ररी कशमीर सिंह ठाकुर को गिरतार कर लिया गया और लॉकअप में उनकी भयंकर पिटाई हुई। राज्य के सारे हाइडल प्रोजेक्ट फिर से एकता के लिये हड़ताल पर रहे। आखीर कार ठेकेदार एन एच पी सी और राज्य सरकार ने सम्मिलित रूप से मजदूरों को पॉच महीने से रूकी हुई तनख्वाह बांट दी। लेकिन अभी तक करीब तीन सौ मजदूरों को काम पर दोबारा नहीं रखा गया और पुलिस अषांति और भयंकर जाड़े के बावजूद प्रोजेक्ट साइट पर अब भी संघर्ष जारी है।

इस दौरान राज्य में सीटू ने एक और महत्वपूर्ण बात की अगुवाई की। राज्य में लोक मोर्चा नामक एक जनता का मंच बनाया गया जो अन्य जन संगठनों से जुड़ा था। जिसका काम केन्द्रीय और राज्य सरकार की नीतियों के विरूद्ध जन आंदोलन चलाना था। जिससे राज्य में जनहित के लिये विकास कार्यकम को बढ़ावा दिया जाये। इस मंच से सीटू के पहल पर पूरे राज्य में कई अभियानों को संगठित किया गया प्रदर्षन निकाले गये। ये प्रदर्शन राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच जो एम ओ यू पर हस्ताक्षर के विरोध में संगठित किये गये। एम ओ यू पर हस्ताक्षर का नतीजा था– बड़े स्तर पर सरकारी दतरों में कटौती जन सुविधाओं पर जो सबसिडी है उसमें काफी ज्यादा कटौती, ठेकों में बढ़ोतरी और सरकारी रोजगार वगैरह।

जम्मू कश्मीर

हिमाचल प्रदेश हाईडल प्रोजेक्ट वकर्स की उपलब्धियों के प्रेरणा लेकर जम्मू में सेवा हाईडल प्रोजेक्ट के मजदूरों से 14 दिसम्बर 2004 से हड़ताल शुरू की। मैनेजमैंट और ठेकेदारों ने मजदूरों को हताश करने की हर सम्भव कोशिश की पर उनकी हर कोशिश असफल रही। यहॉ तक कि उन्होंने इंटक के नेताओं का इस्तेमाल हड़ताल तोड़ने के लिये किया। ग्यारह दिन की हड़ताल के बाद कंपनी मालिक गेमन इंडिया को समझौता करना पड़ा तथा मजदूरों की कई मांगें जैसे नियुक्ति पत्र पहचान पत्र स्वास्थय सुविधाएं आदि को मानना पड़ा । मजदूरों की एकता में फूट डालने की कोशिश अब भी जारी है। जून में मुख्य ठेकेदार गेम इंडिया ने मजदूरों दबाने की नई योजना बनाई, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया और कुछ को तो यातनाएं भी दी गयी। प्रदर्षनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया और कई गॉव वालो को हिरासत में लिया गया। लेकिन मजदूर अब भी डटकर अधिकारियों के हर हमले का सामना कर रहे हैं।

उधमपुर –बारामूला के रेलवे निर्माण मजदूरों को भी पुलिस प्रशासन और आइकेन सबंधित कंपनी के एच सी सी गुण्डों की कूरता का सामना करना पड़ा। अब तो मिलेटरी भी मजदूरों पर आत्याचार ढहा रही है। एच सी सी ने सभी मजदूर की सुरक्षा सबंधित कानूनों का उलंघन किया और जब मजदूरों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें अनसुनी कर दिया गई। आखिरकार 2 अगस्त 2004 को मजदूरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। मैनेजमैंट ने मजदूरों के नेताओं को मान्यता देने से इंकार कर दिया। उन्हें गिरतार किया और उग्रवादी करार देने की कोशिश की। लेकिन हड़ताल तोड़ने में वे कामयाब नहीं हुए। 10 अगस्त को मजदूरों पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें काफी मजदूर हताहत हुए और एक मजदूर हनीफ मोहम्मद की बाद में मश्त्यू हो गई।

11 सितम्बर को बनीहाल में बंद घोषित हुआ। बगलीहार और टुल हस्ती के मजदूरों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। मजदूरों और ग्रामवासियों ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाइवे पर रास्ता रोको अभियान आरंभ किया। उनके समर्थन में हिमाचल के हाईडल मजदूरों ने भी हड़ताल की। मिलिट्री व पुलिस इस्तेमाल कर के हड़ताल का दमन किया गया।

मोटे तौर पर मजदूरों को उग्रवादी करार देकर अधिकारियों ने आतंक माहौल बना दिया। पर इस सबके बावजूद हाईडल मजदूर और कोयला खदान मजदूरों का संघर्ष जारी है। राज्य में आंगनवाड़ी भी संगठित हो रहे हैं। तीनों आम हड़तालें राज्य में संपूर्ण रही।

राज्य के इतिहास में पहली बार श्रीनगर में 9 अगस्त 2005 को करीब 25,000 कर्मचारियों का प्रदर्षन हुआ। प्रदर्शन का आयोजन संयुक्त मोर्चो ने किया जिसमें ट्रेड यूनियनें, सरकारी कर्मचारी संघ अध्यापक, आंगनवाड़ी मजदूर और हेल्पर्स ठेका मजदूरों आदि ने हिस्सा लिया। उनकी मॉगे थी, ठेका मजदूर को नियमित करना, नई पेंशन योजना को वापिस लेना रहबर–ए– तालीम के अध्यापकों को नियमित करना, राज्य में सार्वजनिक कंपनियों को पूर्नउत्थान करना इत्यादि। शेर –ए–कश्मीर पार्क में एकत्रित हुए और सरकारी जन– विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।

मध्य प्रदेश

अक्टूबर 2004 में रेवा में उप–लेबर कमिशनर के दफतर के सामने एक भारी प्रदर्शन का आयोजन हुआ। आंगनवाड़ी हेड–लोड मजदूर बीड़ी और निर्माण कार्य में जुटे मेहनतकशों आदि ने इसमें हिस्सा लिया और लेबर कानून लागू किये जाने सामाजिक सुरक्षा नियमिम नौकरियां जैसे मॉगों को उठाया।

भेल के विनिवेश के विरूद्ध सेमीना प्रदर्शन इत्यादि किए गए और प्रधानमंत्री को इस विषय पर हजारों पोस्टर कार्ड भेजे गए। ' होली '' उत्सव के बावजूद 10–12 केन्द्रों में बेरोगारी विरोधी दिवस मनाया गया। बाल विवाह और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पर हुए हमले के विरोध में भी अभियान चलाए गए। नागदा में ग्रेसीम इन्ड्रस्ट्री के मजदूरों ने नया वेतन समझौता किया। नेशनल फरटीलाइजर के ठेका मजदूरों ने हड़ताल की और समझौते पर हस्ताक्षर करने में कामयाब हुए। इसी तरह एम पी इ के के ठेका मजदूरों ने भी अपनी मॉगों पर हड़ताल की और उन्हें मनवाने में कामयाब रहे। मण्डीदीप 20 औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों पर दमन के विरोध में दो बड़े प्रदर्षन और एक दिन भर का सत्याग्रह हुआ। जूलाई 2005 में अखिल भारतीय कोयला मजदूर हड़ताल की तैयारी में भी राज्य के कोयला क्षेत्रों में अभियान और सांगठनिक बैठकें की गई। कार्यकर्ताओं की चेतना बढ़ाने के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि अभियान सबंधित पर्चे, पुस्तिकायें आदि निकाली जाएँ।

भोपाल में 257 महिलाओं ने 45 दिन की औजार बंद हड़ताल की। इन महिलाओं ने ज्यादातर भेल भोपाल के मश्त कर्मचारियों की विधवाएं थी जिन्हें लेडीज क्लब वेलफेयर सोसाइटी द्वारा परिचालित मसाला पापड़ केन्द्र में नौकरियां दी गयी थी। सीटू ने इनके संघर्ष की अगुवाई की जिसमें उसे भेल यूनियन का पूरा सहयोग मिला अंततः आश्वासन मिलने के बाद यह हड़ताल वापिस ले ली गई।

महाराष्ट्र

21 अगस्त 2004 को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की समन्वय समिति ने एक महा ट्रेड यूनियन अधिवेशन का आयोजन किया इसमें रेलवे हवाई उड़ान बैंकों बंदरगाहों होटल उद्योग आदि के नेताओं ने हिस्सा लिया। अधिवेशन की मुख्य मॉगें थी हवाई अड्डों के निजिकरण पर रोक, संचार,बीमा, बैंक और नागरिक उडडयन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की दर को घटाया जाय। इस संयुक्त अधिवेशन में सीटू एटक के इलावा कामगार अघाडी ने भी हिस्सा लिया। और उनके नेताओं ने अधिवेशन को संबोधित किया। महाराष्ट्र में घरेलू काम काज में लगे व्यक्तिओं को संगठित करने की एक नई पहल हुई है। इसमें ज्यादा तर महिलाएं है। कई जिला समितियों का गठन हो चुका है और 23 जुलाई,2004 को पूणे में एक प्रदर्षन भी हुआ। जिसमें करीब 1,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया और फिर

जूलूस बना कर जिला कलेक्टर से मिलने गए। इसमें महिलाओं की भारी तादाद में हिस्सेदारी रही।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को लामबंद करने में सीटू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई अगस्त 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से राज्य और जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्र मजदूर आथोरिटिज के गठन की घोषणा की। पर इस निर्णय को अब तक लागू नहीं किया गया। राज्य सीटू असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हकों के लिये लगातार संघर्ष छेड़े हुए हैं। हाथ का काम करने वाले मजदूर निर्माण मजदूर आटो रिक्षा चालक गन्ना काटने वाले और फेरी लगाने वाले के बीच भी काम जोरो से चल रहा है। जिला स्तर पर इन क्षेत्रों में सीइएटी की नासिक फैक्ट्री में 17,00 मजदूरों ने सीटू के नेतश्त्व में बारह दिन की हड़ताल की। हड़ताल का समापन मांगपत्र पर समझौते से हुआ हलांकि यह हड़ताल का मुख्य मुद्दा नहीं था। जुलाई 2005 को बंद हुई फैक्ट्रियों के मजदूरों का राज्य स्तरीय अधिवेशन मुम्बई में हुआ। मुख्य मांगे थीं– पं बंगाल जैसा कानून जिसमें सरकार प्रभावित मजदूरों को 1,000 रूपये मासिक भत्ता दे।

इराक में अमरीकी घुसपैंठ की दूसरी सालगिरह के अवसर पर मार्च 2005 की रैली में सीटू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय आह्वान पर पेटेंट एक्ट के विरोध में भी विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किये गये। मुम्बई में झोपड़ी पटिटयां गिराए जाने के विरोध में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डाभोल प्रोजेक्ट पर सीटू द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटीशन एक निर्णायक मोड़ पर है। इस विशय में एरेर समेत सभी प्रतिवादकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। वेस्ट कर्मचारियों ने सार्वजनिक यातायात के निजिकरण के विरोध में एक सशक्त अभियान छेड़ा। 25 अगस्त 2005 को मुम्बई के बनमाली हाल में एक अधिवेशन हुआ जिसमें मजदूरों ने विश्व बैंक के मुम्बई और महाराष्ट्र हमें सार्वजनिक यातायात के निजिकरण के मनसूबे का कड़ा विरोध करने का फैसला लिया।
हड़ताली हवाई अड्डा कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में फरवरी 2006 में सीटू ने कार्यक्रमों के आयोजन में पहल की। मुम्बई में निजिकरण के विरूद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का अधिवेशन भी हुआ।

उड़ीसा

जुलाई,28, 2004 भुवनेशवर में विधान सभा के सामने बी जे पी / बी जे डी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना हुआ। राज्य भर से मजदूरों ने इस धरने में हिस्सा लिया और रू0 100 न्यूनतम वेतन निजीकरण पर रोक सामाजिक सुरक्षा और त्रिदलीय समिति में सीटू के सदस्यों को शामिल करना इत्यादि मॉगें उठाई।
27 फरवरी 2005 को हजारों बीड़ी मजदूरों ने उप कमिशनर के सामने प्रदर्शन किया। उड़ीसा बीड़ी मजदूर संघ में नेतश्त्व इस प्रदर्शन ने 10 सूत्रीय मॉगपत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्शित किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या काफी अच्छी थी। जनवरी 7,2005 को भुवनेशवर में दो हजार मजदूरों ने लेबर कमिशनर के कार्यालय और स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया ओसवाल इंडिया जे के मिल ' रायगढ़' और एस बी आई के अस्थायी कर्मचारियों के हमले के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन ने असंगठित क्षेत्र जैसे बीड़ी आंगनवाड़ी निर्माण कार्य आदि में जुटे मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा की भी मॉग उठाई।

जनवरी 10, 2005 की उड़ीसा सेल्स रेप्रेसेन्टेटिव यूनियन के सदस्यों ने भुवनेशवर में एक रंगीन लड़ाकु प्रदर्शन किया जिसके पूर्व राज्य श्रम और स्वास्थय मंत्री को ज्ञापन दिया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उड़ीसा की प्राकशतिक सम्पदा की लूट राज्य और उसके मजदूरों को उचित दाम न देने और प्रदुषण बढ़ाने में इन भारतीय और विदेशी कंपनियों की नीतियों के खिलाफ कई प्रोग्राम हुए। मई, 24 को इ एस आइ के क्षेत्रीय प्रमुख कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ और इ एस आइ स्कीम में मजदूरों की संख्या बढ़ाए जाने की मॉग रखी गई।

रायगढ़ में जे के पेपर मिल में 1100 नियमित और 3000 ठेका मजदूर काम करते हैं। ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन से कही कम मजदूरी मिलती है। अक्टूबर 2004 में इन मजदूरों ने अपनी एक यूनियन बनाई। मालिक सिंघानियां ने वही किया जो ज्यादातर मालिक करते है। उसने गणेशवर राव जो यूनियन महासचिव थे, को काम

से बाहर निकाल दिया। उड़ीसा सरकार सिंघानियां के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा रही है जबकि यह कंपनी मजदूरों की मेहनत के बूते पर फोटो कापी बेचकर भारी मुनाफा कमा रही है। मजदूरों का संघर्ष अब भी जारी है। अक्टूबर – नवम्बर 2005 को धरने, रास्ता रोको प्रदर्शन आदि किये गए मुख्य उद्देश्य था कोरियन कंपनी पासको को उड़ीसा सरकार द्वारा लोहा खनिज समर्पण और आयात करने और परदीप बंदरगाह के पास खेतभूमि पर गोदाम–भण्डार बनाने की अनुमति का विरोध। जनवरी 2006 में बारबिल में ' खनिज संपत्ति को बचाओ'' अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय खनिज नीति बनाने की मॉग रखी गई। 29 अक्टूबर को जाजपुर में फैरो–केाम प्लांट के निजिकरण के विरोध में बंद का आयोजन हुआ। सीटू ,एटक,एच एम एस, और इंटक ने संघर्ष की अगुवाई की। इसके पूर्व 21 अक्टूबर को एक अधिवेषन की भी आयोजन हुआ था।

उड़ीसा सरकार द्वारा कलिंग स्टूडियो,ओ टी डी सी कलिंग आयरन वर्कर्स के निजीकरण के निर्णय के विरोध में राज्यपाल के घर के बाहर 3 नवम्बर को प्रदर्शन और धरना किया गया इसके बाद 29 नवम्बर को विधान सभा के सामने सीटू के नेतश्त्व में एक बार फिर प्रदर्शन हुआ। 3,000 मजदूरों ने विधान सभा तक मार्च में हिस्सा लिया और न्यूनतम वेतन बढ़ाने निर्माण उद्योग में कल्याणकारी कोश बनाए जाने बीड़ी मजदूरों के लिए पहचान पत्र और आंगनवाड़ी वकर्स और हेल्पर्स के लिए भत्ते की मॉग की। उड़ीसा में सीटू समाज के हर तबके से लोगों को सरकार की खनिज आयात की नीतियों के खिलाफ संघर्ष की ओर आकर्शित करने में कामयाब रही।

पंजाब

15,अगस्त ,2004 को लुधियाना साइकिल उद्योग के हजारों मजदूरों ने श्रम कानून लागू करने की मॉग पर प्रदर्शन कियां फैक्ट्री एक्ट का उलंघन करते हुए इन मजदूरों से अतिरिक्त घंटे काम कराया जाता है और इसके लिए पगार भी नहीं दी जाती। अब मालिकों ने मजदूरों पर बड़े स्तर पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है, लेकिन मजदूरों की एकता बनी हुई है और वे इस प्रहार का डटकर मुकाबला कर रहे हैं।लुधियाना के साइकिल उद्योग के मजदूरों का संघर्ष इस दौरान लगातार चलता रहा है वे अपनी यूनियन का पंजीकरण श्रम कानून को लागू करने साइकिल उद्योगपतियों और प्रशासन के खिलाफ अपना संघर्ष बनाए हुए हैं।14 और 24 अप्रैल,2004 को इस दिशा में सभी साइकिल फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन किए गए। मई,12,2005 को यूनियन पंजीकरण के दतर के सामने भी विरोध सभा हुई। इसमें 3000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। 31 जुलाई,2005 को सीटू के नेतृत्व में लुधियाना में एक विशाल प्रदर्शन हुआ जिसमें मजदूर अधिकार और यूनियन पंजीकरण का मामला जोर शोर से उठाया गया। आखिरकार साइकिल उद्योग के मजदूरों का संघर्ष कामयाब हुआ और पंजाब सरकार ने सात में से तीन यूनियनों को पंजीकरण मंजूर किया। लेकिन साइकिल उद्योगपतियों में सबसे बड़ा हीरो ग्रुप ने मजदूरों से बदला लेने के लिए अपनी रोकमैन इकाई में ताला बंदी कर दी। क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का कर वे मजदूरों बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मजदूरों ने उनके इस मनसूबे और ताला बंदी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और उनका यह संघर्ष अब तक जारी है।

इस दौरान ईट भट्टी उद्योग में भी संघर्ष हुए। इस उद्योग के मजदूर एक गम्भीर संकट के दौर से गुजर रहे है क्योंकि सरकार ने इन उद्योगों को लाई एस से ईठें बनाने का आदेश दिया है क्योंकि मालिक ऐसा करने से इंकार कर रहे है एक के बाद एक भट्टीयां बंद होती जा रही है। पंजाब के ईट भट्टी मजदूरों के संघर्श के बाद राजस्थान पंजाब और हरियाणा के ईट भट्टी मजदूरों ने संयुक्त संघर्ष छेड़ा जिसका समापन 13 दिसम्बर 2004 को संसद मार्च से हुआ। मुख्य मॉगे थी ईट बनाने में लाई एस का इस्तेमाल अनिवार्य न बनाया जाए। डी सी एम ओसवाल एग्रो मैनेजमैंट द्वारा गुण्डा और पुलिस का इस्तेमाल कर सीटू नेताओं पर हमले के विरूद्ध भी आंदोलन छेड़ा गया जिसकी वजह से 16 सीटू नेता गिरतार किए गए और उन पर झूठे केस थोपे गए। बिजली कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध में संघर्षरत रहे। सीटू ने हड़ताल और समर्थन सभाएं आयोजित करने में फिर एक बार पहल की। 16 दिसम्बर 2004 को पी एस इ बी के कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल हुई। उसके बाद 19–20 अप्रैल

2005 को पी एस इ बी कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में दो दिन की हड़ताल की। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सीटू ने इस संघर्ष में भरपूर योगदान दिया। पेटेंट विधेयक के विरोध में 29 दिसम्बर 2004 को चंडीगढ़ में एक विशाल धरने और रैली का आयोजन हुआ। जिसके बाद पी सी एम आर एस यू के कर्मचारियों ने सेक्टर 17 में एक मशाल जूलूस निकाला। 6 फरवरी 2005 को चंडीगढ़ में एक और अधिवेशन का आयोजन किया गया। जंगल विभाग में काम कर रहे मजदूरों ने 21 दिसम्बर मुख्य संरक्षक के दतर के सामने राज्य स्तर पर रैली निकाजी और अपनी नौकरियों के नियमितिकरण समय पर वेतन देने और उचित औजार देने की मॉग की। एफ सी आई कर्मचारियों ने दिल्ली में मुख्य कार्यालय के सामने संयुक्त धरना दिया। इसमें ज्यादातर सीटू के सदस्य थे। फिर 29 जनवरी उप–कमिशनर के दतर के सामने एक और धरना हुआ जिसमें लगभग 2000 एफ सी आई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त समिति के आह्वान पर चंडीगढ़ यूनियन टैरीटरी और मुनिसिपल कारपोरेशन के 5000 कर्मचारियों ने 1 फरवरी 2005 को एक बड़ी रैली निकाली।

इस दौरान महत्वपूर्ण यह हुई कि सीटू की पहल से एक संयुक्त महासंघ का गठन हुआ। जिसमें पंजाब सरकार के कर्मचारी अध्यापक संघ स्वास्थय सेवा के कर्मचार इत्यादि शामिल हुए। पी एस इ बी कर्मचारियों ने भी एक संयुक्त मोर्चो बना लिया हैं राज्य जिला और लोकल स्तर पर अधिवेशनों में करीब 50,000 कर्मचारियों ने हिस्सा लियां सीटू की पहल पर एन पी एम ओ की बैठक 27 मई 2005 को चंडीगढ़ में हुई जिसमें आने वाले संघर्षों के लिए एक कार्यकम की रूपरेखा खीचीं गई।

4–9 नवम्ब को राज्य भर में जत्थे निकाले गए जिनमें पूरे पंजाब के मजदूरों से अच्छी प्रतिकिया मिली। सीटू के झण्डे तले मजदूरां ने विभिन्न मॉगे उठाई जैसे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, श्रम कानून का लागू करना, उद्योगों आफिसों में ठेके पर कर्मचारियों को रखने का विरोध इत्यादि। जत्थों का समापन लुधियाना में 9 नवम्बर,2005 को एक विशाल रैली से हुआ जिसमें हजारों की तादाद में मजदूरों ने हिस्सा लिया। 2006 श्रम अधिकारों पर हमले के विरूद्ध एक और जत्था निकाला गया जिसमें मजदूरों की अच्छी भागीदारी रही। सीटू ने यू टी सरकारी कर्मचारियों की चंडीगढ़ में हड़ताल को भी पहल की। चंडीगढ़ यातायात कंपनी के चुनावों में सीटू नेताओं को गोपनीय मतदान में भारी सफलता मिली और मैनेजमैंट को हार कर कुछ साथियों को नौकरी से बहाल करने के निर्णय को वापिस लेना पड़ा। हड़ताली हवाई अड्डा कर्मचारी ओसवाल मिल मजदूरों पर लाठी चार्ज और हिमाचल में सीटू के सकिय कार्यकर्ताओं के कत्ल के खिलाफ सभी जिलों में समर्थन प्रदर्शन आयोजित किए गए।

राजस्थान

अक्टूबर 2004 में रावलगढ़ अनुपगढ़ घरसाना आदि में सिंचाई के लिए पानी के किसान संघर्ष में सीटू ने मुख्य भूमिका निभाई। राज्य सीटू ने समर्थन प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग के खिलाफ बंद में सकिय हिस्सा लिया। राज्य सरकार के 2004 के वायदों से मुकरने के बाद घरसाना के किसानों ने अक्टूबर 2006 में एक बार फिर पानी के लिये संघर्ष शुरू किया। इस बार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे मजदूर किसानों पर पुलिस से वहशीयापन हमला बोला। राज्य सीटू अध्यक्ष हेतराम बेनीवाल को गिरतार कर भरतपुर जेल में बंद कर दिया गयां पर अत्याचार से किसानों का मनोबल नहीं टूटा और वे और भी भारी संख्या में आंदोलन से जुड़ गए। सीटू यूनियनों ने इस संघर्ष के लिए राज्य भर में समर्थन अभियान आयोजित किए।

सरदारगढ़ जैतसार और सूरतगढ़ में स्थित स्टेट फार्म कारपोरेशन जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में है के तीन खेतों के मजदूरों ने 11 अप्रैल 2004 से हड़ताल शुरू की। उनकी मॉगें थी 20 साल से काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों का नियमितिकरण मृत कर्मचारियों के परिवार को काम दिया जाय और मजदूर और यूनियन कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बंद हो। राज्य भाजपा सरकार ने इसका जबाब मजदूरों उनके परिवारों खासकर महिलाओं पर कड़ा हमला करके दिया। पर मजदूरों का मनोबल मजबूत रहा और उन्होंने सरकार को 25 अप्रैल 2005 को समझौते पर

हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया। तत्पश्चात हड़ताल वापिस ले ली गई। राजस्थान के खेत मजदूरों को 2006 में आंदोलन का एक दौर और छेड़ना पड़ा क्योंकि मैनेजमैंट समझौते को लागू नहीं कर रही थी। मेडिकल प्रतिनिधियों कंकोली के टायर मजदूरों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और आंगनवाड़ी क्षेत्र में भी आंदोलन और संघर्षों की रिपोर्ट मिली है।

तमिलनाडु

राज्य समिति को योजना के अनुसार राज्य भर में लगातार हर क्षेत्र मं गतिविधियां हुई। असंगठित क्षेत्र में साल भर अभियान हुए और एक समन्वय समिति का गठन हुआ। ग्राम पंचायतों के तीस हजार से अधिक मोटर पम्प चालक और बीस हजार सफाई कर्मचारियों ने जिला अधिकारी के सामने प्रदर्शन किये। उनकी मॉग थी कि लेबर कमिशनर के आदेश का पालन किया जाए जिसके अनुसार मासिक वेतन रू0 400 से बढ़ाकर रू0 1980 किया जाना था। मार्च 18, 2005 को नागरकोल में सिलाई उद्योग के मजदूरों की समन्वय समिति का गठन हुआ जिसमें 13 जिलों के सिलाई करने वाले मजदूर एकत्रित हुए और आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। 17 मई 2005 150 केन्द्रों में 70,000 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने एक एतिहासिक प्रदर्शन किया इसमें महिलाओं का भारी योगदान रहा। निर्माण उद्योग बीड़ी हथकरघा बिजलीकरघा, सिलाई मछली उद्योग आटो रिक्शा चालकों इत्यादि ने कार्यकम में हिस्सा लियां उनकी मॉगे थीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये कल्याण बोर्ड को दोबारा चालू किया जाए न्यूनतम वेतन उचित दर पर तय हो और उसे लागू किया जाए। ठेका और अनियमित प्रथा खत्म हो। एक लम्बे संघर्ष के बाद तमिलनाडु सरकार ने निर्माण उद्योग मजदूरों के लिए रू0 200 मासिक पेंषन की घोशणा की परंतु अन्य उद्योगों के मजदूरों को इससे वंचित रखा। मजदूरों की मॉग थी कि कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन हो उसमें सीटू का प्रतिनिधित्व हो और अन्य उद्योगों के मजदूरों को भी पेंषन की सुविधा दी जाए। टेनरी कर्मचारी चार दिन की राज्य व्यापी हड़ताल पर गए। 2 अप्रैल को बीमा योजना की मॉग को लेकर हथकरघा कर्मचारियों ने राज्य भर में प्रदर्शन आयोजित किए। 17 अप्रैल को सहकारी कर्मचारियों ने काम की सुरक्षा की मॉग को लेकर चैन्नई में एक विशाल धरना किया। 9 सितम्बर 2005 को सभी जिलों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने रैली आयोजित की। खासकर कोयम्बटूर और कन्याकुमारी में मजदूरों की हिस्सेदारी अच्छी रही। 26 अगस्त 2006 को तीन हजार से अधिक माल ढोने वाले कर्मचारियों ने चैन्नई में राज्य सचिवालय तक जूलूस निकाला। राज्य समिति के मार्ग–दर्शन के अनुसार कई औद्योगिक महासंघ और यूनियनों ने यह फेसला किया कि अभियानों और संघर्षों को और मजबूत करने के लिए और बड़े मुद्दों पर संयुक्त कार्यकम आयोजित करने के लिए वे सांगठनिक पहल करेगें। बी टी आर जन्म शताब्दी के संदर्भ में राज्य सीटू ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और अन्य कई प्रोग्राम करने का फेसला किया। कमेटी ने ये भी तय किया कि तमिल में पुस्तकें निकाली जाएगी। तीन साल से रूका हुआ वेतन समझौता समझौतों और कोर्ट के निर्देशों की अवमानना और ठेका एवं पार्ट–टाइम मजदूरों के वेतन के मुद्दों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने अभियान और संघर्ष की योजना बनाई। 16 जून 2004 को सीटू से जुड़े हुए राज्य यातायात कर्मचारी महासंघ ने डिंडीगल में सफल राज्य स्तरीय अधिवेशन किया। यह अधिवेशन पेंशन सुविधाएं न मिलने और दमन के खिलाफ और मजदूरों के हकों की पुर्नप्राप्ति के लिए आयोजित किया गया। मजदूरों की मॉग को लेकर 22–29 जून तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसका एक विशाल प्रदर्शन से हुआ और मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया गया।

5 सितम्बर 2004 को तुतुकड़ी बंदरगाह के निजिकरण के विरोध में हजारों मजदूरों ने पुराने बंदरगाह के गेट पर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल जूलूस निकाला और संघर्ष को तीव्र करने का ऐलान किया। 15–22 सितम्बर 2004 को पूरे राज्य में अभियान –सप्ताह मनाया गया। जिसकी प्रमुख मॉगें थी बोनस एक्ट में संशोधन इलेक्ट्रीकसीटी एक्ट को वापिस लेना भविष्य निधि में दोबारा 12 प्रतिशत ब्याज दर सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी इकाइयों को पुर्नजीवित करना और हड़ताल करने का अधिकार। 2004 में तमिलनाडु की सार्वजनिक इकाईयों में तीन क्षेत्रों में आंशिक सफलता हासिल हुई जब मजदूरों ने कई सालों वेतन संशोधन और सालाना बोनस की मॉग को लेकर हड़ताल करने का फेसला किया। राज्य यातायात और बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए अंतरित राहत

को मंजूरी मिली हलांकि यह नए समझौते की पूरी अवधि के लिए लागू नहीं होगी। साथ में 10 प्रतिषत बोनस की भी मंजूरी मिली। इस दोरान चीनी मजदूरों ने लगातार हड़ताल का कार्यकम किया। ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था और हड़ताल तभी वापिस ली गई जब एक संतोषजनक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 12 अगस्त वीटीयोन इंडिया लि0 " गाड़ी के पुर्जे " बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी की ईकाई के मजदूरों के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता दक्षिणी चैन्नई के तामबरम में जमा हुए मैनेजमैंट ने वहॉ किसी प्रकार की ट्रेड यूनियन गतिविधि को मंजूरी देने से इंकार किया और तमिलनाडु सरकार के डिप्टी लेबर कमिशनर के बुलावे के बावजुद दस बार त्रिपक्षीय बैठक में नहीं आए। बल्कि मैनेजमैंट ने कुछ कर्मचारी और ट्रेनियों को डरा धमका के उनसे जबदस्ती व्यक्तिगत समझौता फार्म पर हस्ताक्षर करवा लिए। लड़ाकू प्रदर्शन में कई केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेता, केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के नेता और बी इ एफ आई नेताओं ने एलान किया कि एक हौंडा बनाने की कोशिश का डट का मुकाबला होगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चुनौतियों का सामना किया जाएगा। अखिल भारतीय सड़क परिवहन कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अगस्त 2005 के दूसरे सप्ताह में चार दिन का अभियान हुआ। राज्य परिवहन, टैम्पो टैक्सी और आटोरिक्शा चालकों ने अभियान में हिस्सा लिया जिसमें जत्थे नुक्कड़ सभाएं और पर्चे बांटे गए। 16 अगस्त को चैन्नई की सड़कों पर एक भारी प्रदर्शन हुआ जिसके बाद परिवहन मंत्री को ज्ञापन दिया गया। राज्य परिवहन और बिजली कर्मचारियों की मॉगों पर राज्य सरकार ने बात चीत करने से इंकार कर दिया। परिवहन क्षेत्र में 31 अगस्त 2005 को एक दिन की हड़ताल में सीटू एल पी एफ ' डी एम के ' एटक और अन्य यूनियनों ने भाग लिया बिजली क्षेत्र में सीटू द्वारा 15 अक्टूबर को हड़ताल हुई। डी एम के की यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया पर उनका योगदान विशेष नहीं रहा। 3 नवम्बर 2005 से बिजली बोर्ड के 20,000 से भी अधिक ठेका मजदूरों ने अनिशचित कालीन हड़ताल की जो सीटू के नेतश्त्व में 9 दिसम्बर तक चली। 21,000 ठेका मजदूरों में से 12,500 को राज्य सरकार ने दीपावली एक्स ग्रेशिया देने से इंकार कर दिया। हड़ताल को तब वापिस लिया गया जब सरकार ने 7,500 और मजदूरों को रू0750 एक्स ग्रेटिया देने की घोषणा की। सरकार को 2,500 ठेका मजदूरों के विलयन की भी घोषणा पर बाध्य होना पड़ा। के आइ सी एम फैक्ट्री मशरूम आयात की एक इकाई में 280 मजदूरों ने जिनमें 130 महिलाएं थीं अनिशचित कालीन हड़ताल की। वे अपने 23 साथियों के जिनमें पॉच महिलाएं थीं विक्टिमाइजेशन का विरोध कर रहे थे। दो सौ दिन की इस हड़ताल के बाद समझौता हुआ और काम शुरू किया गया। कांचीपुरम में रेशम बुनकरों ने एक हप्ते की कामयाब हड़ताल की जो मालिकों द्वारा पूर्व समझौता न लागू करने के विरोध में थी।

1968 में जमीदारों द्वारा 44 दलित महिलाओं को जिंदा जलाए जाने की घृणित घटना की याद में नागपटटीनम जिले के वेनमानी गॉव में एक सभा हुई। सीटू ने इस सभा के लिए जत्थों का आयोजन किया। 1,800 कार्यकर्ताओं के 90 जत्थे बनाए गए जिन्होंने 4000 गॉवों की यात्रा की और 5000 कि0मी0 की दूरी तय की। इस साल बी टी आर सेनटेनरी पर भी कार्यकम हुए। नारे लगाते हुए तत्थे गॉवों से गुजरे और वहॉ के निवासियों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया।

8 मार्च 2005 को सैकड़ों कामकाजी महिलाओं ने चैन्नई और अन्य जिलों में प्रदर्शन किया और अपनी 13 सूत्रीय मॉगें उठाई। बाद में एक प्रतिनिधि मण्डल राज्यपाल से मिला और अपनी मॉगों के सर्मथन में 50,000 हस्ताक्षर उनकों सौपे।

1947 में रेल कर्मचारियों पर गोलियॉ चलाने के विरोध में उनकी याद में पदयात्राएं निकाली गई और गोल्डन रॉक त्रिची में एकत्र हो शहीद दिवस मनाया गया। सीटू के 19 जत्थों ने इस कार्यकम में हिस्सा लिया। तमिलनाडु सीटू ने विधान सभा चुनाव में विचारमग्न होने के बावजूद कामकाजी महिलाओं के विशाल प्रदर्शन का आयोजन जनवरी 2006 में किया। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र की लगभग 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। पॉच केन्द्रों में – चैन्नई, त्रिची तिरूपुर, मदुरई और नागरकोल– जूलूस और रैलियॉ निकाली गई जो कि कामकाजी महिला समन्वय समिति के नेतृत्व में हुई।

उत्तर प्रदेश

27 अगस्त 2004 को लखनऊ में विधान सभा के सामने विभिन्न जिलों के मजदूरों का विशाल प्रदर्शन हुआ। वे श्रम कानून को लागू करने, बंद फैक्ट्रियों को खोलने और न्यूनतम वेतन में वश्द्धि की मॉग कर रहे थे। तत्पश्चात मुख्य मंत्री ने मजदूर नेताओं को बुलाया जिसमें एक विस्तार में ज्ञापन उन्हें पेश किया गया। फिरोजाबाद के कॉच उद्योग के 2 लाख से ज्यादा मजदूर एक लंबे अरसे से श्रम कानून को लागू करने न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें कुछ भा प्राप्त नहीं हुआ । 5 अक्टूबर 2004 को इन मजदूरों ने फिरोजाबद में धरना दिया जिस पर पुलिस ने निर्मम लाठी चार्ज किया आसू गैस छोड़ी और फिर फायरिंग की। कई लोग घायल हुए और कुछ को गिरतार कर लिया गया । दूसरे दिन भी फायरिंग जारी रही। 6 अक्टूबर को भारी संख्या में मजदूर एकत्रित हुए और रेल यातायात को काफी देर तक रोके रहे, 11 अक्टूबर को एक बार फिर हजारों मजदूरों ने निशेध आज्ञा का उलंघन करते हुए प्रदर्शन किया। सीटू इलाके में चूड़ी सिरामिक जैसे उद्यागों में मजदूरों को संगठित करने में जुटी है।

मालिक – प्रशासन की मिली भगत और दमन के खिलाफ फिरोजाबाद के कॉच की चूड़ी बनाने वाले मजदूरों का संघर्ष अब भी जारी है। कॉच उद्योग कांतिकारी मजदूर संघ ''सीटू'' के महासचिव 2004 में गिरतार किया गया और गैंगस्टर कानून के तहत जेल में डाला गया। दो साल बाद जून 2004 में जब उन्हें बेल पर छोड़ा गया था तब तीन दिन अंदर उन्हें मालिकों के आदेश पर दोबारा पकड़ कर झूठे केस लगाकर फिर जेल में डाल दिया गया। पर इसका मजदूरों के मनोबल और एकता पर कोई असर नहीं पड़ा और वे अब भी प्रशासन के खिलाफ संघर्षरत है कॉच की चूड़ी बनाने वाले मजदूरों का आंदोलन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

15 फरवरी 2005 को असंगठित क्षेत्र उद्योगों के 10 लाख मजदूर और 30,000 मेडिकल प्रतिनिधियों ने राज्य व्यापी हड़ताल की। वे सलाहकार समिति के सुझाव जिसके अनुसार रू0 3500 न्यूनतम वेतन किये जाने बात थी को लागू करने की मॉग कर रहे थे। हड़ताल का नेतश्त्व संयुक्त संघर्ष समिति ने किया जिसमें सीटू एटक, एच एम एस, बी एम एस, ईटक एच एम के पी, ए आइ सी सी टी यू और एफ एम आर ए आई शामिल थे। चूड़ी चमड़ा रबर विस्कुट प्लास्टिक इत्यादि के मजदूरों ने हड़ताल में मालिकों और प्रशासन की धमकियों के बावजूद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
29 जनवरी को जे के जूट मिल को गैर कानूनी ढंग से बंद करने के विरोध में जे के जूट मिल मजदूर पंचायत सीटू ने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। बाद में कानपुर के एडिशनल लेबर कमिशनर को एक ज्ञाप दिया गया। 7 फरवरी को कंपनी के जनरल मैनेजर का कार्यालय पर 24 घंटे का धरना किया गया। अगर इसके बावजूद मिल नहीं खोली गई तो मजदूरों ने अपने आंदोलन को और तीव्र करने का निर्णय लिया है।
रिहंद और उचाहार जो एन टी पी सी के अधीन है में सीटू यूनियन के गोपनीय चुनाव में विजयी हुई । आंगनवाड़ी कर्मचारी और अन्य यूनियनों ने इलाहाबाद ,मुरादाबाद, बिजनौर और कानपुर में फरवरी मार्च के दौरान सभाएं की जिनका उद्देश्य था आंगनवाड़ी आंदोलन को और मजबूत करना।

उत्तरांचल

इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य–भर में संघर्श हुए। गढ़वाल मंडल विकास निगम का संघर्ष उल्लेखनीय रहा। राज्य भर में प्रदर्शन हुए और देहरादून मुख्य कार्यालय पर धरना हुआ। कर्मचारी नौकरियों का नियमितिकरण इत्यादि की मॉग कर रहे थे। जलसंस्थान – जल निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न रूप के संघर्श किये जैस प्रदर्शन भूख हड़ताल धरना इत्यादि उनकी मॉगों भी कुछ अलग नहीं थीं जैसे नियमितिकरण वेतन और अन्य सुविधाओं का दिया जाना और विभाग की शाखाएं बनाने का विरोध जिससे निजिकरण का रास्ता साफ हो।

ओ एन जी सी मुख्य कार्यालय के ठेका मजदूरों ने नियमतिकरण और वेतन व बोनस दर बढ़ाए जाने की मॉग को लेकर आंदोलन किया। संचार विभाग के ठेका/ अनियमित कर्मचारियों ने भी इस तरह की मॉगों को लेकर लड़ाकू संघर्ष किया। आंगनवाड़ी मजदूरों ने राज्य–व्यापी आंदोलन छेड़े और अपनी वेतन बढ़ोतरी इत्यादि मॉगों को उठाया जिसकी वजह से आज यह कार्यकर्ता सीटू से जुड़े हुए है। हरिद्वार स्थिति दिव्य योग आश्रम ट्रस्ट जिसमें मजदूर दवाएं बनाने का काम करते है एक लंबा संघर्ष हुआ। प्रशासन और मुख्यमंत्री को शह पर मैनेजमैंट ने मजदूरों की भारी छटनी की लेकिन यूनियन ने इसका मुँह तोड़ जबाव देते हुए न्यूनतम वेतन दिए जाने आठ घंटे से ज्यादा काम करने का विरोध और 21 मई 2005 के समझौते को लागू करने की मॉग को और भी बुलंद किया। जिला सीटू के नेतृत्व में किया गया यह संघर्ष इंटक और अन्य केन्द्र ट्रेड यूनियनों को भी अपने से जोड़ने में सफल रहा। चीनी मिल मजदूरों के संयुक्त संघर्ष के फलानुसार राज्य सरकार को वेतन आयोग बिठाने की मॉग को मानना पड़ा और आखिर वेतन बढ़ोतरी पर ट्रेड यूनियनों से बात कर समझौता हुआ। इसके इलावा सीटू ने स्वतंत्र और संयुक्त रूप से राज्य भर में कई संघर्ष छेड़े। इन सभी संघर्षों में एक विशेष बात साफ तरह से सामने आई कि श्रम कानूनों का उलंघन और मजदूरों पर दमन हर क्षेत्र में बढ़ रहा है।

गुजरात

राजकोट जिले के नवलखी इलाके में नमक मजदूरों ने वेतन न दिये जाने के विरोध में भूख हड़ताल की। अब उन्हें समूहों में वेतन दिया जा रहा है। इस दौरान बंदरगाह मजदूरों ने भी संघर्ष किये और मछली क्षेत्र में मजदूरों के संघर्श की भी खबरें मिली है। भावनगर में बी पी एल कार्ड की मॉग रखते हुए सैकड़ों गरीब मजदूर भूख हड़ताल पर गए। सीटू के नेतृत्व में करीब 34,000 हजार मजदूरों ने हिस्सा लिया। कार्ड और राषन वितरण की पक्की तारीख तय करवाने में ये संघर्ष कामयाब रहा। कच्चे मकानों के नियमितिकरण की मॉग को लेकर असंगठित क्षेत्र के 80,000 हजार मजदूरों ने आंदोलन छेड़ा। अब तक हजारों शहरी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जमीनें मिल गई है पर गृह विभाग से पानी अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस वजह से मजदूर नाराज है और सीटू के संघर्ष की तरफ खिंचे चले आ रहे है। यह आंदोलन अब जूनागढ़ भरौच बनसकंठ आदि जिलों की तरफ भी फेल रहा है।

13 सितम्बर 2005 को भावनगर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्षन का आयोजन हुआ जिसमें हजारों मजदूरों और आम जनता ने हिस्सा लिया। पुलिस लाठी चार्ज और गिरतारियों का बहादुरी से सामना करते हुए जनता ने जिसमें काफी औरतें भी थीं जमीन नौकरियां और रोटी दिए जाने की मॉग उठाई । बड़े नेताओं के इलावा काफी कार्यकर्ता लाठी चार्ज में घायल हुए। इसके इलावा 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 20 मार्च को बेरोजगारी विरोधी दिवस, 1 सितम्बर को साम्राज्यवाद –विरोधी दिवस मनाने में भी सीटू ने अगुवाई की। इसमें अन्य जन संगठनों ने भी हिस्सा लिया।

केरल

सभी केन्द्रीय कार्यकम राज्य भर में संयुक्त और स्वतंत्र रूप से प्रभावकारी तरीके से संपन्न हुए। इस दौरान केन्द्रीय कार्यकमों के इलावा सीटू और अन्य उद्यागों की यूनियनों ने कई आंदोलन छेड़े जिनमें हड़तालें भी की गई। 26 जुलाई,2004 को पॉच दिन के लिए राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों ने इंटक और बी एम ए के इलावा विधान सभा के सामने धरना दिया। वे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों विघटन और 69 में से 41 इकाईयों को बंद करने के यूपीएफ सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे थे। करीब 1000 कर्मचारियों ने धरने में हिस्सा लिया। और अन्य क्षेत्रों की यूनियनों ने इसमें उनका साथ दिया। प्रोग्राम का मजदूर –कर्मचारियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर 29 मार्च 2005 को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने इकाईयों के विघटन के खिलाफ एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। काफी और चाय बागानों के इलावा अन्य बागानों के मजदूरों ने 13 सितम्बर से अनिश्चित हड़ताल की जो 22 सितम्बर तक चली। हड़ताल तब खत्म हुई जब बागान श्रम समिति को राज्य श्रम मंत्री की अध्यक्षता पर बैठक

करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद वेतन बढ़ोतरी पर समझौता हुआ।

अलपुजा की स्अील इंडस्ट्रीज लि0 ' सिल्क' ने निजिकरण का कड़ा विरोध किया। सिल्क और आटोकेस्ट जो सिल्क की सहायक कंपनी है के निजिकरण के खिलाफ भी कई धरने और जूलूस निकाले गए। यूडीएफ सरकार की पीछे हटने वाली नीतिओं के विरोध में असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपना संघर्श लगातार कायम रखे हुए है। इसमें फायर काजू हथकरघा मछली पकड़ने वाले इत्यादि हजारों की संख्या में शामिल है और आगनवाड़ी और बीड़ी मजदूर भी। 2004 और 2005 के बीच कॉपर मजदूरों ने विभिन्न जिलों में कई अनिश्तिकालीन हड़ताले की जिसकी वहज से सरकार और प्रबंधकों को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। इसी तरह के एस आर टी सी ,के एस पी बी पानी वितरण इत्यादि जन सेवाओं के कर्मचारी भी यूडीएफ सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष पर उतरे।

10 मार्च 2005 को टी यू प्रायोजन समिति की छतरी तले तिरूवंतपुरम और अन्य जिलों में जूलूस निकाले गए। यह कार्यकम मुख्य कार्यालयों के सम्मुख विरोध दिवस के उपलक्ष में हुए जिनमें प्रमुख मॉगे थी विदेशी निवेश की दर को कम करना, नई पेंशन योजना को खारिज करना इत्यादि। करशका सघंम खेत मजदूरों की यूनियनों ने 9–10 मई 2005 तक 72 घंटे का धरना दिया और विदेशी मुद्रा कमाने वाली नगद फसलों की सुरक्षा के लिए अलग पैकेज की मॉग रखी।

10 मई को राज्य सचिवालय के सामने 25,000 मजदूरों ने घेरा डाला और केरल लोडिंग ,एण्ड अनलोडिंग प्रोहिटबिशन आफ अनलाफुल प्रेक्टिसस और रेगुलेशन आफॅ वेजस एक्ट को वापिस लेने की मॉग उठाई। इसका नेतृत्य सीटू ,एटक, और बी एम एस ने किया। 11 मई को हथकरघा मजदूरों ने केन्द्रीय और राज्य दतरों के सामने हथकरघा उद्योग की सुरक्षा की मॉग करते हुए घेरा डाला। इसमें सीटू एटक यू टी यूसी और एच एम एस के मजदूरों ने हिस्सा लिया। ढाई लाख काजू मजदूरों के संघर्ष का भी सीटू नेतश्त्व कर रही है। इसमें वेतन बढ़ोतरी भविष्य निधि कोष में मालिकों का नियमित योगदान नौकरियों की सुरक्षा आदि की मॉगें उठाई गई। 31 मई को कलैक्ट्रेट तालुक और ग्राम दतरों के सामने हजारों काजु मजदूरों ने घेरा डाला।

31 मई 2005 को निजि यातायात मजदूरों ने सीटू ,एटक इंटक बी एम एस और एस टी यू के नेतृत्व में सचिवालय और कलैक्ट्रेट के सामने जूलूस निकाला और एक नई परिवहन नीति न्यूनतम वेतन और रोजगार सुरक्षा की मॉग की। 11 मार्च 2005 को आगनवाड़ी मजदूर और हेल्पर्स से सचिवालय के सामने धरना दिया और पेंशन और अन्य सुविधाओं की मॉगे की।

अप्रैल 25 को सीटू के नेतश्त्व में निर्माण उद्योग के मजदूरों ने एक जूलूस निकाला और निर्माण उपकरण उपलब्ध कराने की मॉग की जिनकी कमी से उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है।

राज्य परिवहन की कर्मचारी भी लगातार संघर्षरत है क्योंकि नए कर्मचारियों को नियमित दर पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इंटक समेत सभी ट्रेड यूनियनों ने 20 मई को एक मानव श्रश्खंला बनाई जो ग्रामीण पानी सप्लाई के निजिकरण के विरोध में थी।

केरल की राज्य– स्तरीय टीयू प्रायोजक समिति ने संयुक्त रूप से 5 जुलाई 2005 को हड़ताल का आह्वान किया। तीन मुख्य मॉगे थी– राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के निजिकरण पर रोक पाम्परिक उद्योगों की संरक्षा और अन्य उद्योगों में ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर निर्णय।

यह हड़ताल राज्य भर में कामयाब रही और इसमें समाज के सभी तबकों का समर्थन रहा।

3 अगस्त 2005 को रेलवे केटरिंग मजदूरो ने , कांट्रेट केटरिंग वकर्स युनियन, केरल के नेतश्त्व में नई दिल्ली के जन्तर मन्तर तक जूलूस निकाला और रेल मंत्री से मॉग की कि वे नई केटरिंग नीति का पूर्नवालोकन करे। 23 अगस्त को एक बार फिर केरल के रेलवे लाइसेन्सड कुलियों ने संसद मार्च किया और पार्सल लोडिग व अनलोडिग के निजीकरण का विरोध किया। 2006 में केरल में विधान सभा चुनाव हुए। सीटू के नेतश्त्व में मजदूर वर्ग ने चुनाव में सकिय हिस्सा लिया और यूडी एफ सरकार को परास्त करने का अभियान चलाया। वामजनवादी मोर्चा ' एल डी एफ' चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हुआ और सीटू के कोई नेता चुनाव जीत कर विधान में पहुँचे। इनमें से कुछ को मंत्री पद का भार भी मिला।

2006 में राज्य सीटू ने पेट्रोल पदार्थों के बढ़ते दामों के विरूद्ध आम हड़ताल की जो पूरी तरह सफल रही।

पश्चिम बंगाल

जहां राज्य में हड़ताल सहित सभी केन्द्रीय कार्यक्रमों का आयोजन प्रभावशाली तरीके से किया गया वहीं सीटू की राज्य समिति और सम्बद्ध यूनियनों ने इस मध्यावधि अवधि में विभिन्न आंदोलनों और अभियानों को चलाने के लिए पहलकदमियां की हैं।

कोलकाता में एनपीएमओ के झण्डे तले 1 अक्टूबर, 2004 को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। कई हजार मजदूरों–किसानों–कर्मचारियों–छात्रों–युवाओं तथा महिलाओं ने उस रैली में हिस्सा लिया था। उनकी मांग थी कि एनडीए की आर्थिक नीतियों को बदला जाए और जन पक्षीय कार्यक्रमों और नीतियों को तेजी से लागू किया जाए जिसके लिए सांझा न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

राज्य के 19 जिलों में 9–14 अगस्त, 2004 को 10–सूत्रीय मांगों पर एक व्यापक अभियान चलाए गए। रेल हाकर्स यूनियन, मटिया मजदूर यूनियन, समाचार पत्र विक्रेता यूनियन तथा रेलवे कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 13 अगस्त को दो घण्टों के लिए रेल रोको कार्रवाई का आयोजन किया गया।

इन सभी तीन वर्षो 2004, 2005, 2006 में 1 सितम्बर वाले दिन साम्राज्यवाद विरोधी दिवस मनाया जाता रहा और उस दिन विशाल जन सभाओं और जुलूसों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया। अनेक जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इंडियन आयरन एण्ड इस्पात कम्पनी, एइस्को, बर्नपुर के अधिकारियों तथा श्रमिकों ने 'एइस्को बचाओ समिति' के झण्डे तले 30 जनवरी 2005 को भारती भवन में एकत्रित होकर सेल में एइस्को के विलय, उसके आधुनिकीकरण तथा उसके संयंत्र का विस्तार करने की अपनी मांग के लिए संघर्ष तेज करने का फेसला किया। एम के पन्धे ने उस सभा को सम्बोधित किया था। एइस्को के श्रमिकों की ओर से अपना संघर्ष जारी रखे जाने की चरम परिणति आखिरकार एइस्को का सेल में विलय करने के सरकार के फेसले के रूप में हुई।

सीटू ने जनता की सभी श्रेणियों के लिए अपनी 22–सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष की एक विस्तश्त योजना तैयार की थी। आंदोलन का यह कार्यक्रम एनपीएमओ के झण्डे तले चलाया गया था। यह कार्यक्रम इस तरह थाः

1. पूरे राज्य में 28 जनवरी को विशाल प्रदर्शन।
2. सभी जन संगठनों के साथ मिल कर हर साल 8 मार्च को राज्य भर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
3. राज्य में व्यापक स्तर पर हर साल 28 मार्च को बेरोजगारी विरोधी दिवस मनाया गया।

सभी जिलों में अनेक सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया जिनकी चरम परिणति 17 अप्रैल, 2005 को कोलकाता में आयोजित एक विराट जन सभा के रूप में हुई।

सीटू का स्थापना दिवस 30 मई 2005 को पूरे राज्य में मनाया गया। उस दिन रक्त दान शिविरों, स्वास्थ्य की जांच शिविरों, मरणोपरान्त अंग दान शपथ पत्र भरने के शिविर इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए थे। श्रमिकों ने पूरे उत्साह के साथ इन सभी कार्यक्रमों में शिरकत की थी।

दुर्गापुर तथा उसके आस–पास के इलाकों में नए नए स्थापित उद्योगों के श्रमिकों सेवायोजकों की ओर से श्रम कानूनों तथा कारखाना अधिनियम का घोर उल्लंघन किए जाने से बेहद परेशान हैं। इन सभी 20 इकाईयों के श्रमिक पूरे एक महीने तक सघन अभियान चलाने के बाद हड़ताल की कार्रवाई करेंगे। हड़ताल की सम्भावनाओं को देखते हुए मालिकों को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

जूट श्रमिक त्रिपक्षीय समझौते की धज्जियां उड़ाने वाले सेवायोजकों के खिलाफ हड़ताल की कार्रवाई तथा लामबंदी लगातार कर रहे हैं।

उत्पीड़न के खिलाफ और वैध लायसेंस जारी किए जाने की मांग को लेकर हजारों रेल हाकरों की ओर से व्यापक स्तर पर लामबंदी की जा रही है। उन्होंने कुछ संसद सदस्यों के साथ रेलवे मंत्री से मुलाकात की थी। अभी तक उन्हें आश्वासन तो दिए गए हैं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दसियों हजार बीड़ी श्रमिकों की ओर से अपनी दस सूत्रीय मांगों के लिए लगातार हड़ताल की कार्रवाई की गई। उनकी मांगों में 1000 बीड़ियों के पीछे पारिश्रमिक के रूप में 50 रुपए देने; महंगाई भत्ता देने, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन देने, पहचान पत्र देने और मिनी सिग्रेट पर दी गई कर रियायत वापस लेने की मांग भी शामिल है। हड़ताल का असर झारखण्ड के पड़ोसी जिलों में भी महसूस किया गया। उन जिलों के बीड़ी श्रमिकों ने भी हड़ताल में भाग लिया।

पूरे जूट उद्योग में 11 दिन के लिए मुकम्मल हड़ताल की गई। पश्चिम बंगाल की 59 जूट मिलों के अढ़ाई लाख श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। यह हड़ताल 29 दिसम्बर 2003 को शुरू हुई और 8 जनवरी 2004 तक जारी रही। जूट श्रमिकों की यह एक ऐतिहासिक हड़ताल थी। इस उद्योग में सक्रिय सभी श्रमिक संघों ने एकजुट होकर हड़ताल का नेतृत्व किया और इसे सफलता दिलाई। जूट मिल मालिकों को मजबूर होकर 8 जनवरी, 2004 को यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। उनकी अधिकांश मांगे मान ली गई जो पिछले काफी समय से लम्बित पड़ी थीं। इसके साथ ही मालिकों ने ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम पर अमल करना भी मान लिया। एक बार फिर, जूट श्रमिकों की विशाल संख्या तथा साधारण क़िसान जनता जूट श्रमिकों की हड़ताल के समर्थन में आगे आई थी। सीटू ने जूट श्रमिकों के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी; उसने इस संघर्ष के माध्यम से इसे और मजबूत बनाया है; इसके साथ ही साथ जूट पैकेजिंग एक्ट 1987 के बचाव के मुद्दे ने इसे एक सामाजिक आंदोलन बना दिया जो पिछले आम चुनावों में प्रतिबिम्बित हुआ है।

वर्ष 2006 के शुरू में एक बार फिर राज्य में जूट श्रमिकों को महंगाई भत्ता लागू करने से मालिकों के इन्कार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाना पड़ा; उनकी मांग थी कि पिछले समझौते को सही ढंग से लागू किया जाए। राज्य के श्रम मंत्री की ओर से स्थिति में तत्काल दखल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप मालिकों को यूनियनों के साथ समझौता करना पड़ा। जूट उद्योग में समझौते को ठीक ढंग से लागू करने और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर एक बार फिर 4 सितम्बर 2006 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई।
इस मध्यावधि में चाय बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से वेतन वश्द्धि तथा दूसरी मांगों के लिए जबरदस्त अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। राज्य के श्रम विभाग ने पूरी तत्परता से इसमें दखल दिया जिसके

परिणामस्वरूप यूनियन तथा बगीचा मालिकों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए।

स्पंज आयरन तथा स्टील उद्योगों के श्रमिकों की ओर से श्रम कानूनों के उल्लंघन, कानूनी तौर पर देय सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने से इन्कार किए जाने के खिलाफ और प्रदूषण नियंत्रण के कदम उठाने की मांग के पक्ष में राज्य सीटू के नेतश्त्व में जुलाई–अगस्त 2006 के बीच चरणबद्ध ढंग से आंदोलन चलाया गया। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में दखल दिया गया और एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया जिसमें सीटू भी शामिल है।

सीटू जनरल कौंसिल के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों और औद्योगिक केन्द्रों में धरनों, प्रदर्शनों इत्यादि का आयोजन करके दमन विरोधी दिवस मनाया गया।

राज्य के सभी जिलों और कामकाजी स्थलों में सितम्बर 2006 में 14 दिसम्बर की देशव्यापी हड़ताल की तैयारियों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों की परिणति कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्रमिकों की विराट रैली के रूप में हुई। पूरे राज्य के कई लाख श्रमिकों ने इस रैली में भाग लिया।

राज्य सीटू की ओर से किसान सभा की सहायता से गैर कृषि ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया गया। सीटू और राज्य किसान सभा का एक विराट सम्मेलन 15 अक्टूबर 2006 को कोलकाता में आयोजित किया गया जिसमें 12000 किसान और मजदूर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने संघर्ष का कार्यक्रम तैयार किया और इसी तरह के संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन जिला एवं ब्लाक स्तर पर करने का फैसला भी किया गया। इस कार्यक्रम में भागीदारी के चलते ग्रामीण श्रमिकों को सीटू के सदस्य बनाया जा सका है।

अण्डमान

वन विकास कर्मचारी संघ के नेतृत्व में वन श्रमिकों की ओर से वेतनों के भुगतान की मांग को लेकर 12 अगस्त 2005 से क्रमिक अनशन का कार्यक्रम चलाया गया। उल्लेखनीय है कि इन कर्मचारियों को जून 2005 से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। पहले सुनामी और उसके बाद वेतन न मिलने से श्रमिकों को भारी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी और इसके कारण उनके परिवार भूखों मरने लगे।

इस समीक्षा अवधि में इस द्वीप समूह के नाविकों की ओर अपनी मांगों के लिए अलग–अलग तरह से आंदोलन चलाया गया। पीडब्ल्यूडी वर्कर्स तथा द्वीप समूह प्रशासन के कर्मचारियों एवं बंदरगाह व गोदी कर्मचारियों की ओर से इस दौरान अपनी मांगों के लिए संघर्ष किए गए जिसमें सीटू ने पूरी तनदेही से उनका साथ दिया। ये संघर्ष न केवल मांगों के लिए थे बल्कि उत्पीड़न की कार्रवाईयों के विरोध में भी चलाए गए थे।

राज्य सीटू ने इस समीक्षा अवधि में सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता तथा उनके पुनर्वास के लिए आगे बढ़ कर काम किया।

दिल्ली

दिल्ली सीटू अपनी अनेक कठिनाईयों और सीमाओं के होने पर भी इस मध्यावधि में दिल्ली में विभिन्न सेक्टरों के कर्मचारियों एवं श्रमिकों की केन्द्रीय लामबंदियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने न केवल वालंटीयरों की सेवाएं उपलब्ध कराई बल्कि दूसरे जरूरी प्रबंध भी किए। कामकाजी महिलाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन और

नवम्बर, 2004 में आयोजित संसद की ओर मार्च; 2005 में आंगनवाड़ी सम्मेलन; दिसम्बर 2005 में आयोजित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विराट रैली; जुलाई 2006 में आंगनवाड़ी महिलाओं का दस दिनों तक चला भूखहड़ताल का कार्यक्रम और 20 नवम्बर, 2006 को आयोजित किसान रैली इत्यादि कुछेक कार्यक्रमों में दिल्ली सीटू ने न केवल उनके समर्थन में बल्कि उनके आयोजन में एक प्रभावकारी भूमिका निभाई है। वजीरपुर, कीर्ति नगर, मंगोलपुरी, पटपड़गंज, समयपुर बादली इत्यादि दिल्ली के औद्योगिक केन्द्रों और इनके साथ–साथ नौएडा, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में स्थिति औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों की ओर से बड़े संघर्ष चलाए गए; ये संघर्ष न्यूनतम वेतनों के भुगतान, कामकाजी घण्टों, पीएफ, ईएसआइ इत्यादि से सम्बन्धित श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए गए थे। पुलिस के अत्याचार और मालिकों द्वारा की गई प्रतिशोध की कार्रवाईयां भी उन्हें संघर्ष के पथ से विचलित नहीं कर सकीं।

लगभग बहुसंख्य मामलों में सीआइटीयू की क्षेत्रीय समितियों को इन आंदोलनों का संचालन करना पड़ा। ये आंदोलन मालिकों तथा राज्य प्रशासन दोनों के खिलाफ चलाए गए। इस दौरान पुलिस थानों के सामने धरने दिए गए और प्रदर्शन किए गए। कई बार पुलिस मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन किए गए।

दिल्ली में लघु औद्योगिक इकाईयों के हजारों श्रमिकों ने राजघाट पर प्रदर्शन किया; उन्होंने रिंग रोड पर पूरी आवाजाई रोक दी। यह कार्रवाई दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में छोटे उद्योगों की इकाईयों को बंद करने के आदेश दिए जाने के खिलाफ की गई थी। श्रमिकों की मांग थी कि दिल्ली मास्टर पलान में बदलाव किया जाए और सरकारी आदेश के कारण खतरे में पड़ी दो लाख श्रमिकों की आजीविका को सुनिश्चित बनाया जाए। कुछ कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

राज्य सीटू की पहलकदमी पर असंगठित क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से मार्च 2006 में प्रदर्शनों, रैलियों का आयोजन किया गया।

सीटू की ओर से रिक्शापुलरों को बड़ी संख्या में 20 और 25 सितम्बर, 2006 को आयोजित विशाल प्रदर्शनों के लिए संगठित किया गया; ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा के खिलाफ दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए थे।

दिल्ली हवाई अड्डे के सैंकड़ों संविदा श्रमिकों ने 10 नवम्बर, 2006 को भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वे मांग कर रहे थे कि कार्गो हैंडलिंग के काम में ठेकेदारी प्रणाली समाप्त की जाए ओर संविदा श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के समान वेतनों का भुगतान किया जाए। उनकी ओर से वर्ष 2005 में भी अपना आंदोलन तेज किया गया और उसके फलस्वरूप प्रबंधन को सभी संविदा श्रमिकों के वेतनों में 625 रुपए की बढ़ोतरी करने की मांग मान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दिल्ली सीटू की ओर से दिल्ली हवाई अड्डे के आस पास तथा शहर के सभी औद्योगिक केन्द्रों में फरवरी 2006 में हवाई अड्डों के निजीकरण के खिलाफ विशाल प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

दिल्ली सीटू सुपर बाजार फिर से खोलने और उनके कर्मचारियों के वेतनों के भुगतान की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है।

अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश की भारत यात्रा के खिलाफ 2 मार्च 2006 को विशाल प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए दिल्ली सीटू ने पहलकदमी की थी। उसकी ओर से सीटू जनरल कौंसिल के आह्वान पर 10 अगस्त 2006 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पण विद्युत परियोजना के श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और उनके पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली में हिमाचल भवन के सामने एक प्रभावशाली प्रदर्शन का

आयोजन किया गया।

त्रिपुरा

राज्य सीटू को इस मध्यावधि में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा है। आतंकवादी गतिविधियों के कारण पैदा हुई इन परिस्थितियों में अनेक साथियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। इसके कारण राज्य के अनेक भागों में वे खुल कर सक्रिय नहीं हो सकते और उनकी गतिविधियों में रुकावट पैदा हुई है। सीटू इकाईयों ने बहादुरी के साथ इन सभी कठिनाईयों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक सभी केन्द्रीय कार्यक्रमों और अभियानों को पूरा किया है जिनमें हड़ताल की कार्रवाईयां भी शामिल हैं। अनेक श्रमिकों ने व्यापक स्तर पर इन कार्यक्रमों में शिरकत की है। इसके फलस्वरूप सीटू की सदस्य संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

चाय, आंगनवाड़ी, विद्युत, परिवहन, निर्माण, बीड़ी, जूट, ईंट भट्ठा, डेयरी, आटो रिक्शा और विभिन्न दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच इस समीक्षा अवधि में अनेक संघर्ष और गतिविधियां चलाई गईं।

राज्य सीटू ने पहलकदमी करते हुए जनता से जुड़ी सामान्य समस्याओं के लिए संयुक्त संघर्ष चलाने के लिए दूसरे श्रमिक संघों को भी शामिल किया है। अगरतला के टाउन हाल में 5 जून 2005 को राज्य स्तर के 'काम का अधिकार' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया ताकि बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके। पूरे राज्य में पोस्टर चिपकाए गए, पर्चे बांटे गए। लगभग 1600 प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया जिसे 17 जन संगठनों के नेताओं की ओर से सम्बोधित किया गया। यह फैसला किया गया कि सितम्बर महीने में ही इस अभियान को तृणमूल स्तर पर ले जाया जाएगा।

इस समीक्षा अवधि में मूल्य वृद्धि, पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी, साम्राज्यवाद के खिलाफ और दूसरे अनेक मुद्दों को लेकर अनेक राज्य स्तरी लामबंदियां संयुक्त रूप से की गई। विभाजक एवं उग्रवादी ताकतों के षडयंत्रों, साम्प्रदायिकता जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी राज्य सीटू की ओर से लामबंदियां की गई जिनमें साधारण श्रमिकों को भी शामिल किया गया था।

झारखण्ड

इस समीक्षा अवधि में राज्य सीटू की पहलकदमी पर संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में संघर्ष के अनेक कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा केन्द्र के आह्वान पर भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए लामबंदियां की गईं।

यह राज्य मूल रूप कोयला खदानों का क्षेत्र है। इसके अलावा यहां लौह अयस्क खदाने भी हैं; दो इस्पात संयंत्र, तेल शोध कारखाने, हैवी इंजीनियरिंग की इकाईयां, डीवीसी, वेगन इंडस्ट्री और अनेक छोटी और मंझौली इंजीनियरिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक इकाईयां भी यहां हैं।

बीसीसीएल तथा सीसीएल के कोयला खदान क्षेत्रों में सीआइटीयू एक बहुत बड़ी एवं प्रमुख ताकत है। वह हड़ताल की कार्रवाईयों सहित दूसरी सभी संयुक्त कार्रवाईयों के लिए दूसरे श्रमिक संगठनों को भी अपने साथ लाने की क्षमता रखती है। इस मध्यावधि में सभी तीनों देशव्यापी हड़तालों के समय इंटक तथा बीएमएस यूनियनें हड़ताल का विरोध करने का साहस नहीं कर सकीं थीं। इसके अलावा कोयला खदानों के प्रबंधनों को कई बार हड़ताल के नोटिस दिए गए और ये नोटिस पिछले तीन सालों में कोयला श्रमिकों के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दिए गए थे। ये नोटिस सीटू की पहलकदमी पर दिए जा सके थे और दूसरे श्रमिक संगठनों को भी उसके साथ इन कार्रवाईयों में शामिल होना पड़ा था। झारखण्ड के कोयला उद्योग में सीआइटीयू की प्रभावशाली स्थिति के कारण

ही सरकार को महंगाई भत्ते के पूर्ण निष्प्रभावन के साथ पांच वर्षों के लिए वेतन समझौता करने पर विवश किया जा सका था। कोलियरी क्षेत्र में हाल ही की भयानक दुर्घटना के बाद सीटू ने पूरे जोरशोर के साथ पहलकदमी करके राहत का काम किया था और प्रबंधन को सुरक्षा के प्रबंध करने के लिए मजबूर किया था। कोयला खदानों में सक्रिय सीटू यूनियनों ने विस्थापित होने वाले लोगों को मुआवजा एवं रोजगार दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में सीटू की ओर से नियमित कर्मचारियों एवं संविदा श्रमिकों दोनों के लिए अनेक प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सीटू की ओर से बोकारो इस्पात संयंत्र में बोनस के सवाल पर पहलकदमी किए जाने के फलस्वरूप बोकारो प्रबंधन को लगभग सीटू द्वारा प्रस्तावित बोनस फार्मूले के अनुसार अधिकतर मांगे मान लेने पर विवश होना पड़ा था। यद्यपि यह समझौता किसी सीमा तक संतोषजनक नहीं था।

जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक संघर्ष किए गए। इन संघर्षों के फलस्वरूप श्रमिकों की अनेक मांगे मानने के लिए सेवायोजकों को मजबूर होना पड़ा। जमशेदपुर की लगभग सभी औद्योगिक इकाईयों में प्रबंधन को 2006 में बोनस समझौते करने पर मजबूर होना पड़ा। ये समझौते श्रमिकों के संयुक्त संघर्षों के कारण हो सके थे और श्रमिकों की मांगों के अनुरूप थे। यही नहीं, आर्थिक नीतियों के प्रश्न पर भी देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया गया। राज्य में छोटी औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों ने इस हड़ताल में बढ़चढ़ कर भाग लिया।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन में सीटू ने अपनी ताकत बढ़ाने में सफलता हासिल की है। उसकी ओर से संयंत्र के समुचित कार्य संचालन और श्रमिकों की मांगों दोनों मुद्दों पर अनेक प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन कुछ पत्थर खदानों, लौह अयस्क खदानों, बीड़ी श्रमिकों, संविदा श्रमिकों के बीच संगठित किए गए।

राज्य सीटू ने श्रम कानूनों को लागू करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सर्व समावेशी कानून बनाने, न्यूनतम वेतनों में संशोधन करने जैसी मांगों के लिए राज्यव्यापी अभियान एवं आंदोलन चलाने में पहलकदमियां की थीं जिनकी परिणति अप्रैल 2006 में रांची में एक विराट प्रदर्शन के रूप में हुई थी।

कर्नाटक

सभी केन्द्रीय सीटू के आह्वानों पर आंदोलन ,प्रदर्षन, हड़ताले आदि आयोजित करने के इलावा, राज्य स्तर पर आंदोलन और अभियान छेड़े गए जो संगठित और असंगठित क्षेत्रों से सबंधित थे।
2 सितम्बर 2004 बैंगलोर में सीटू राज्य समिति के आह्वान पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने एक विशाल रैली निकाली। रैली की मुख्य मॉग थी कि राज्य सरकार असगठित क्षेत्र विधेयक मे संषोधन कर असगठित क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार को नियमित करने के उपाय करे ना कि छिट–फुट कल्याणकारी सुविधाओं पर जोर दे। इस विशाल रैली के बाद, राज्य सीटू के आह्वान पर सात जत्थे निकाले गए और इन मॉगों पर पुनः जोर दिया गया। इसके इलावा , पंचायत, निर्माण उद्योग, हमाली, बीड़ी उद्योग और आंगनवाड़ी क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों ने भी इन्हीं मॉगों को लेकर अभियान व आंदोलन छेड़े। इस संघर्श की वजह से सीटू की पहल पर राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए मिड –डे– मिल " दोपहर के भोजन " की सुविधा देनी शुरू की। निर्माण उद्योग में सीटू के आंदोलन और अभियानों के दबाव से निर्माण मजदूर कल्याणकारी बोर्ड का गठन हुआ और 10 साल पहले केन्द्र द्वारा घोषित योजना को कार्यान्वित करने की घोषणा की।

राज्य में आगनवाड़ी यूनियन के संघर्श काफी हद तक कामयाब रहे। ग्राम पंचायम कर्मचारी यूनियन ने भी अपने संघर्षों से काफी उपलब्धियां प्राप्त की। मिड डे मिल से जुड़े मजदूरों ने भी अपने मॉगों को ले कर संघर्ष किये

और काफी हद तक उन्हें मनवाने में सफल रही। इस दौरान लगातार चल रहे संघर्षों और अभियानों की वजह से हमाली महासंघ भी मजबूत हुआ। सीटू के बीड़ी मजदूर महासंघ भी लगातार अभियानों और सम्मेलन आयोजित करने में जुटा रहा। संघर्षों को और तेज करने की गतिविधि अब भी चल रही है। कुन्डापुर के टाइल मजदूरों ने भी अपने संगठन को और स्थिर कर लिया है और उत्तर कन्नड़ में उनकी प्रभाव अब तक बना हुआ है। बैगलोर की आटो रिक्शा चालक यूनियन भी लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रही है। मोटर और उनके हिस्से बनाने वाले उद्योगों से जुड़े मजदूरों ने भी राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन और रैलिया निकाली। वे सरकार द्वारा जनसुविधा सेवाओं में इस क्षेत्र को शामिल करने की नीति का विरोध कर रहे है। इन संघर्श में सीटू के साथ अन्य यूनियनों ने भी हिस्सा लिया । सीटू और उससे सबंधित यूनियन ने भारत गोल्ड माइन्स ' कोलर गोल्ड फील्ड '' में कंपनी की बंदी के खिलाफ संयुक्त संघर्ष किया। काफी मात्रा में सम्पदा होने के बावजूद सरकार इस कंपनी को निजी हाथों में सौंपने का प्रयत्न कर रही थी। पर अंततः बी जी एम एल की बंदी के ऐलान के बाद, सरकार अपने मजदूर–विरोधी इरादों पर डटी हुई है।

इस समय के दौरान, बैंगलोर स्थिति टोयोटा मोटर फैक्ट्री के मजदूरों ने सीटू की अगुवाई में पुलिस अत्याचार का सामना करते हुए एक गम्भीर संघर्ष किया। इसके तहत फैक्ट्री में कई दिन की हड़ताल भी हुई। राज्य में सभी क्षेत्रों की सीटू यूनियनों ने इस संघर्ष को समर्थन दिया, यहॉ तक कि संघर्षकारी मजदूरों को जापान की टोयोटा मजदूर यूनियन से समर्थन संदेश प्राप्त हुए।

टोयोटा संघर्ष के बाद, ट्रेड यूनियन आंदोलन को और विस्तश्त करने की ओर बैंगलोर यूनाईट ट्रेड यूनियन फोरम का गठन हुआ जिसमें मजदूरों की संयुक्त मॉगों कई कार्यक्रम हुए। इस फोरम को और सदृड़ बनाने की जरूरत है जिसमें सीटू की तरफ से पहल की जरूरत है। संगठित क्षेत्रों में सीटू ने कई संघर्शों की अगुवाई की जो मैसूर , बैंगलोर , टूमकूर आदि के मजदूरों को कई अधिकार दिलाने में सफल हुई। ननजानगुड़ के कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन भी आयोजन हुआ और बैंगलोर स्थिति मेटल कैप्स का मजदूर का संघर्श आज भी एतिहासिक माना जाता है।

आईटी/आई टी सी एस क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाने में भी सीटू की अग्रीम भूमिका रही, खासकर उन दिनों के दौरान जब बैंगलोर में एक महिला कर्मी का बलात्कार और खून हुआ । सीटू ने क्षेत्र में काम रहे कई कर्मचारियों से संपर्क किया और विस्तृत स्तर पर उनकी समस्याओं को लेकर अभियान छेड़ा जिसमें इस क्षेत्र में यूनियन बनाने की सामाजिक समस्याओं पर चर्चा हुई।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में, खासकर बी इ एल में मैनेजमैंट को सीटू को फिर बात चीत में शामिल करना पड़ा। बैंगलोर की इन इकाईयों में ज्यादातर एक ही यूनियन है जिसमें सीटू कार्यकर्ता सकिय है। सीटू के लगातार दखल से सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का संघर्ष सही दिशा पर रहा और लगातार क्षेत्र संरक्षा और सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मुहिम में जुटा रहा। बैंगलोर में गठित ज्वाइंट एक्शन फोरम में भी सीटू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर अखिल,भारतीय आम हड़तालों के आह्वान के दौरान ।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನ
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
I January 17-21, 2007 I BANGALORE I

DRAFT RESOLUTIONS

1. ON CONDOLENCE

This Twelfth Conference of CITU, being held at Bangalore (Karnataka) on January 17 - 21, 2007 expresses its deep sense of sorrow and pays its respectful homage to all leaders, cadres and activist of the working class and democratic movement, who passed away during the intervening period since our last conference.

This Conference records with deep grief the passing away of: Com. C. Kannan, Com. K. Ramani, Com. Amal Ghosh Dastidar, all former Vice Presidents of CITU.

This Conference mourns the death of and pays homage to the memory of:

Com. Ajit Chowdhury, Com. Parameshwar Singh, Com. M. Nanjappan, Com. Bikash Choudhury, Com. K.M. Abraham all Working Committee Members and Com. S. Sudevan (Chhattisgarh) and Com. R.S. Rajendran (Tamil Nadu) both General Council Members and Com. R. Pious D'Silva President, (A&N) State Committee.

Com. P. Sudhakaran (Kerala). Com. Mehboob Zahedi (W.Bengal), Com. Sheopat Singh (Rajasthan) all former Vice-Presidents and Com. P.K. Tandon, former Joint Secretary of All India Kisan Sabha, Com. T.K. Ramakrishnan (Kerala), Com. K.K. Pawar (Maharashtra), Com. Jayanta Bhattacharya (W.Bengal), Com.K. Krishnamoorthy(AP), Com. M.V. Narasimha Reddy (AP), Com. Kortala Satyanarayana all prominent leaders of the peasant movement.

Com. Bhan Singh Bhawara (UP), Com. Jagat Singh (Haryana), Com. Ram Swaroop Singh (UP), Com. Jogendra Prasad Singh (Bihar) all leaders of the Kisan and Agricultural workers.

Com. Aswini Kumar (Bihar), Com. Vijay Sharma (Rajasthan), Com. Sukhlal Gaur (Rajasthan), Com. Shyam Chandra Jha (Gurgaon/Haryana), Com. Kailaspati Roy (UP), Com. Gorakh Mal (Rajasthan), Com. Amba Pd. Dubey (Chhattisgarh), Com. Kaiser Imam (Bihar), Com. Albel Singh (Bijnore/UP), Com. C. Babu (A&N Islands), Com. K.R. Suundaram (Tamilnadu) all leaders of working class and TU movement who left us during this period since last Conference.

This Conference also expresses sorrow at the passing away of Com. Ram Sumer Yadav (UP), Com. Kanak Mukherjee (W. Bengal), Com. D. Sarda (AP), Com. Lusia Pereira (Goa), Com. Asha Kotia all

leaders of the working class and democratic movement.

Veteran Journalist Com. VR Bamma Reddy (AP), Com. OP. Grewal, (Janwadi Lekhak Sangh), Com. Braja Mohan Sharma (Assam), Com. G.C Graham (both leaders of All India Lawyers' Union), Com.RP Manchanda (leader of the Insurance Employees), Com. T.K. Balan (NGO Union).

This Conference pays respectful homage to Com. E.K. Nayanar, Com. Anil Biswas, Com. Subodh Roy (W.Bengal), all revolutionary leaders of the Communist movement in India.

The Conference also expresses grief at the passing away of Com. Hiren Mookherjee, (veteran communist leader and brilliant historian) Com. P.K. Vasudevan Nair (Leader of CPI Group in Parliament), Com. Sunil Sengupta, General Secretary of UTUC, Sri Dattopant Thengdi, Founder member of BMS, Sri Chandi Das Sinha, Secretary INTUC and pays its respectful homage.

This Conference expresses deep sense of sorrow at the passing way of Sri K.R. Narayanan, the former President of India, Sri Ravindra Varma former Labour Minister of India and Shri Kanshi Ram, Founder of Bahujan Samaj Party and pays respectful homage to the departed leavers.

This Conference pays its respectful homage to Sehnai Maestro Ustad Bismillah Khanji and the noted filmmaker Sri Hrihikesh Mukherjee.

This Conference deeply mourns the death and pays homage to the Palestinian leader Com Yaser Arafat.

This Conference condemns the heinous execution of the Iraqui leader Saddam Hussein and pays homage to his memory.

2. ON HOMAGE TO MARTYRS

This Twelfth Conference of CITU, being held at Bangalore (Karnataka) on January 17 - 21, 2007 respectfully remembers the courageous sacrifice of those leaders, cadres and activists of the trade unions, peasants, agricultural labour, youth, students and women who left a permanent impression on the democratic movement as a whole and continue to be a constant source of inspiration to the struggle of the toiling people.

This conference recalls the towering determination with which innumerable comrades of the democratic movement have embraced martyrdom confronting the heinous and ghastly attack of the political gangster, the police and employer/landlord nexus as in Hero Honda Motor Cycle workers of Gurgaon (Haryana) on innocent protesters in Ghodsana by the police of BJP Govt. in Rajasthan and on workers in Himachal Pradesh and severely condemns the barbaric act. The conference also condemns the brutal police firing on students in Rajasthan protesting fee hikes and on people of Silampur in Deli protesting against ceiling.

This Conference strongly condemns the heinous attacks perpetuated by the terrorist and divisive forces killing 100's and injuring 1000's through bomb blast, in Malegaon train blast in Belakaba (Jalpaiguri District) riots in Mangalore, in Jammu & Kashmir and elsewhere in the country and conveys heartfelt sympathy to the bereaved family members.

This Conference also respectfully remembers those who fell victim to the murderous attack of RSS,

TUJS, BJP, Trinamool Congress hooligans and other communalist and casteist forces in Tripura, West Bengal, Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra (Khairlalanji) and expresses deep sympathy with the bereaved members of the family.

This Conference records its deep sorrow at the loss of innocent lives and cattles in different parts of the country due to devastating floods, earthquake, Tsunami and other natural calamities. It also expresses deep grief at the death of 45 miners in an accident in Bharatdih Coal Mines. This Conference demands adequate relief to the affected families.

This Conference salutes the firm determination with which people of Afghanistan, Iraq, Palestine and elsewhere in the world have been resisting the naked barbarism against humanity perpetrated by US imperialism. While severely condemning the imperialist attack led by US this Conference expresses solidarity with the anti-imperialist movement world over.

This Conference most respectfully remembers the courageous sacrifice of these martyrs who have left indelible impression on the democratic movement as a whole and will remain a constant source of inspiration in our fight against exploitation and for the unity of the people and integrity of the nation.

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कमिशन दस्तावेज

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलनः हाल ही की कुछ घटनाएं और एकता का सुदृढ़ीकरण

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन में घटने वाली हाल ही की कुछ घटनाओं ने श्रमिक आंदोलन की ताकत का पूरा अहसास करा दिया है; इन घटनाओं को विश्व में बढ़ते चले जा रहे श्रमिक आंदोलन के परिपेक्ष में देखा जा सकता है। यह आंदोलन बड़े उत्साह के साथ इस पूरे भूमण्डल में फैलता जा रहा है। इन घटनाएं इस पूरे घटनाक्रम में अपना योगदान दे रही हैं। उनमें से कुछेक घटनाएं नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के हमलों, दिन प्रतिदिन गहरा रहे संकट जो इन नीतियों की अनिवार्य परिणति है और इन नीतियों के प्रचारकों के शिविर में उभरती हताशा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। यद्यपि नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के शुरूआती चरण में विकासशील देशों का मजदूर वर्ग इसके हमलों का शिकार हुआ था किन्तु ज्यों–ज्यों समय व्यतीत होता चला गया त्यों–त्यों विकसित देशों का मजदूर वर्ग भी नव–उदार आर्थिक नीतियों से छुटकारा हासिल करने के लिए अधिकाधिक संघर्ष के पथ पर आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है।

विकसित देशों के मजदूर वर्ग के आगे गम्भीर चिंता के विषय 'आउटसोर्सिंग' और 'ऑफ–शोरिंग' के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों और दूसरी वाणिज्यक सेवाओं को दूसरे स्थानों पर ले जाना है। इसका तात्कालिक दुष्प्रभाव विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जारी श्रमिक आंदोलन पर पड़ा है; उसकी सामूहिक सौदेबाजी की ताकत का ह्रास हुआ है। आगे चल कर मजदूरों पैनशनों, स्वास्थ्य योजनाओं और अवकाशों में कटौतियों के रूप में उन्हें नव–उदार आर्थिक नीतियों के हमले झेलने पड़े हैं; उनके रोजगारों के लिए खतरा दिन–प्रतिदिन बढ़ता चला रहा है। ये सभी घटनाएं इस समय इन देशों के श्रमिक आंदोलन के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रही हैं। बेरोजगारी के मोर्चे पर बद से बदतर होती जा रही हालत का कारक भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। विकसित देशों में श्रमिक आंदोलन के सामने मुख्य मुद्दे अल्प वेतन, निरंकुश कामकाजी स्थितियां, प्रबंधन के मनमाने कानून, लम्बे कामकाजी घण्टे तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का विखण्डन इत्यादि हैं; इसके बाद औद्योगिक बीमारी, उद्यमों में कामबंदियां और उससे जुड़ीं श्रमिकों की छंटनियों ने जलती में घी का काम किया है और इनके चलते लोगों बेरोजगारी की हालत बद से बदतर बनती चली जा रही है। पूरे विश्व में ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हो रहे हमले एक सामान्य–सी बात है; इसमें संदेह नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने पिछले सत्र में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में श्रमिक आंदोलन के सामने मुंह बांए खड़े ज्वलंत मुद्दों को इस तरह रेखांकित किया था, "काम का न होना, काम की गुणवत्ता, कामकाजी स्थलों

में मजदूरों की बात न सुना जाना, यौन उत्पीड़न एवं पक्षपात का जारी रहना, विश्वास न किए जाने की हद तक नौजवानों में फैली बेरोजगारी इत्यादि आज की राजनीति को संचालित करने वाले कारक हैं; इन्हें इस राजनीति का दिल भी कहा जा सकता है।'' महानिदेशक ने लोगों की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, ''लोग अपने घरों में, समाज में, अपने गुप्त मताधिकार का प्रयोग करते समय और जब कभी जरूरत महसूस हो अपनी शिकायतों को लेकर गलियों–सड़कों पर निकल कर जोरदार आवाज में आवाज उठाए जाने के रूप में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं।''

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की खास विशेषताएं

भूमण्डलीयकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की वर्तमान नीतियां भूमण्डलीय साम्राज्यवादी ताकतों ने गढ़ी हैं; ये नीतियां श्रमिक वर्ग के मोल पर पूंजीवादी श्रेणी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इसलिए कहा जाता है, ''भूमण्डलीयकरण साम्राज्यवादी और वर्गीय दोनों तरह का घटना विकास है। साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की व्याख्या कुछ इस तरह दी जाती है, *''यह वर्ग संघर्ष के इतिहास का एक प्रमुख कांड है। इसके फलस्वरूप विश्व पूंजीवाद को एक नये चरण में दाखिल होता है और पूंजीवाद एक नया वर्गीय रूप ग्रहण कर लेता है''*, आगे चल कर कहा गया है: *''इसलिए उदारीकरण केवल नीतिगत विकल्प नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसका संचालन साम्राज्यवाद के मौजूदा चरण में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी करती है।''*

भूमण्डलीयकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है, ''वर्तमान में भूमण्डलीयकरण के साथ केवल पूंजी के प्रवाह में सापेक्ष वृद्धि नहीं होती; यह 'चंचल धन' के रूप में वित्त के भूमण्डलीयकरण का प्रतिनिधित्व करता है और अधिकतर इसी का बर्चस्व इस प्रक्रिया में होता है। यह उत्पादन में पूंजी की गतिशीलता नहीं है जो सापेक्ष अर्थों में बढ़ी हो किन्तु यह वित्त में पूंजी की गतिशीलता है....एक बार इसके अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के जाल में फंस जाने पर विकासशील अथवा तीसरी दुनिया के देशों को स्थायी तौर पर बस एक ही बात के लिए चिंतित रहने लग जाते हैं कि वे अपने ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों के विश्वास को कैसे बनाए रखें...इसके लिए वे सरकार के खर्चों को नए सिरे से प्रतिबंधित करने लग जाते हैं, वे सब्सिडियां कम करते हैं, अर्थव्यवस्था को संकुचित करते हैं अर्थात् दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था की हवा निकाल देते हैं और श्रमिकों के अधिकारों में जबरदस्त कटौतियां करने लग जाते हैं।'' (प्रभात पटनायक)

विवादों से ग्रसे इन हालात में विभिन्न सामाजिक ताकतें अपने–अपने वर्गीय हितों के अनुसार रुख अपनाती हैं; यह स्वभाविक ही है। महत्वपूर्ण रेखांकित किए जाने योग्य बात यह है कि इन श्रेणियों की पहचान आय की विषमता, आदतों में अंतर अथवा सम्बन्धों में फर्क के साथ नहीं होती बल्कि उस सामाजिक उत्पादन में उनके स्थान और सम्बन्ध से होती है; उत्पादन के साधनों में उनका स्थान क्या है, इसी पर उनकी पहचान निर्भर करती है।'' ऐतिहासिक भौतिकवाद से हमें शिक्षा मिलती है, *''ये लोग क्या करते हैं; संकट का बोझ श्रमिकों के कंधों पर डालने का यत्न करते हैं–किन्तु इसके चलते संकट और अधिक तीखा हो जाता है। इस तरह वे अर्थव्यवस्था के नियमों को रचनात्मक उपयोग किए जाने का विरोध करते हैं और वे लगातार इस ढंग से काम करते हैं जिसका अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी दुष्प्रभाव पड़ता है।''* साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण ने पूरी दुनिया में अभूतपूर्व या दूसरे शब्दों में भयानक विषमताएं पैदा कर दी हैं। आगे चल कर उत्पादक शक्तियों का उनकी क्षमताओं से कम उपयोग करने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इस स्थिति में विकसित उत्पादक शक्तियों में विवाद और तीखे हो रहे हैं और उत्पादन सम्बन्ध टकरावपूर्ण होते चले जा रहे हैं।

वित्तीय पूंजी का भूमण्डलीय हमला

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विशेष तौर पर लाभान्वित होती है; विशेष तौर पर वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो अमरीका की है; असल में इस प्रक्रिया में नुकसान विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं

को उठाना पड़ता है। इसी लिए भूमण्डलीयकरण के बारे में ठीक ही कहा गया है, *''यह (भूमण्डलीयकरण) एक विचाराधारात्मक मुखौटा बन गया है; इस मुखौटे के नीचे अमरीकी निगमों का शोषणकारी स्वरूप छिपा हुआ है; वे शोषण करते हैं और खुद को मालामाल करते हैं। उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी असाधारण हद तक मालदार हो रहे हैं। भूमण्डलीयकरण शब्द अमरीकी साम्राज्यवाद के आधिपत्य का सूचक है।''* (जेम्स एवं हेनरी–2001)

देशी और विदेशी निजी इजारेदार पूंजी को करों और शुल्कों में अपार छूटें दी जा रही हैं; इससे राष्ट्र राज्यों की तकलीफे बहुत बढ़ गई हैं और सरकारों के कर राजस्व के मामले में एक महाविनाशकारी हालत पैदा हो रही है। राष्ट्र–राज्य दबाव में आते जा रहे हैं और समाज के ऊपरी आधे भाग के लिए करों की दरों को कम कर रहे हैं तथा करों का पूरा सीधे एवं टेढ़े ढंग से नीचे के आधे भाग के कंधों पर पूरी मजबूती से लाद रहे हैं। दूसरी ओर सरकारें भले ही निगमों को करों में भारी रियायतें क्यों न दे रही हों पर वे थोड़े बहुत करों का भुगतान भी नहीं करते और करों का भुगतान ईमानदारी से हो, सरकारें इसे सुनिश्चित बनाने में असफल सिद्ध हो रही हैं। किसी भी दूसरे औद्योगिक देश की तुलना में अमरीका में नैगम घरानों की ओर से दिए जाने वाले करों की दर सबसे कम है। फैडरल राजस्व का केवल 10 प्रतिशत भाग नैगम करों के रूप में सरकार को हासिल होता है और 47 प्रतिशत कर राजस्व वेतनों से हासिल होता है।

नव–उदार आर्थिक नीतियों ने किस तरह *''राष्ट्र–राज्य की सरकारों को सबसे बड़े जुआरी बना डाला है। उनकी यह स्थिति शायद ही पहले कभी रही हो।''* सरकारों को भारी भरकम कर रियायतें देने के फलस्वरूप राजस्व की जो क्षति होती है, उसकी भरपाई वे जिस धन से करती हैं उसे *''जुए से जुटाया गया राजस्व''* कहा जा सकता है। विभिन्न देशों में नव–उदार आर्थिक नीतियों के चलते 'जुए के धन' में भारी उछाल आया है। एक अध्ययन के अनुसार *''विश्वव्यापी स्तर पर नागरिकों ने 900 अरब अमरीकी डालर जुए पर खर्च किए हैं। दुखदायी है कि सरकारों ने कर दाताओं से वसूल किए गए करोड़ों डालर जुए के लिए नागरिकों को उत्साहित एवं प्रेरित करने से सम्बन्धित इश्तहारों को प्रकाशित करने के काम में कर डाले हैं। अकेले अमरीका में लगभग 500 करोड़ अमरीकी डालर हर वर्ष कम पढ़े लिखे और गरीब से गरीब लोगों को और अधिक जुआ खेलने की प्रेरणा देने एवं इसके लिए उत्साहित करने के लिए खर्च किए जाते हैं: आम एक दिन में दस लाख कमाना चाहते हैं तो धड़ल्ले से जुआ खेलें।''* सचमुच में ही यह जुआ अर्थव्यवस्था है!

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संचालन करने वाले बहुराष्ट्रीय निगम जिन देशों में काम करते हैं, वे कभी वहां अधिक विदेशी पूंजी नहीं लाए और न ही उन्होंने वहां नए रोजगारों का सश्जन किया है; यह एक वास्तविकता है। इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अथवा निगम उन देशों की पूंजी को हड़प लेती है और उनके रोजगारों की हत्या कर देती है। सबसे बढ़ कर बात तो यह है कि उनकी ओर से किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में *''नई तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी'' लाने में की कोशिशें कभी नहीं की गई। निवेश तथा रोजगार के मामले में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका पर कराए गए विभिन्न अध्ययनों में कहा गया है,* "लाभों और रायल्टियों के वार्षिक निर्यात की तुलना में पूंजी का आयात कहीं कम हुआ; आगे का निवेश स्थानीय पूंजी बाजार से हासिल की गई पूंजी तथा लाभों के पुनर्निवेश से किया गया....बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई काम नहीं किया गया।

आउटसोर्सिंग, आफ–शोरिंग तथा क्षेत्रीय व्यापार समझौते

ये कुछेक ज्वलंत विषय हैं जिनसे आज विश्व भर में श्रमिक वर्ग को दो–चार होना पड़ रहा है। ये विषय अथवा समस्याएं विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों दोनों में श्रमिक वर्ग को प्रभावित कर रही हैं। मूल देशों जहां से काम दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है और वे देश जहां काम ले जाया जाता है; इन दोनों ही तरह के देशों का मजदूर

वर्ग श्रम के शोषण की इस आधुनिक विधि अथवा तौर तरीकों, का शिकार हो रहा है। यह हमला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है; दोनों ही तरह के देशों के मजदूर वर्ग को संयुक्त रूप से इस हमले का प्रतिकार करना होगा; वास्तव में यह एक ऐसी समस्या है जिसमें इन दोनों तरह के देशों के मजदूर आंदोलन में तालमेल की जरूरत है। औद्योगिक एवं वाणिज्यक गतिविधियों को दूसरे स्थान अथवा देश में तबदील करने के पीछे काम करने वाला मुख्य उद्देश्य उत्पादन की लागत में कमी लाना और मजदूरों का शोषण करके पैदा किए जा रहे अतिरिक्त मूल्य (अथवा मुनाफे) में बढ़ोतरी करना। अब संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति आ जाने के फलस्वरूप इस तरह के लक्ष्यों की प्राप्ति अनेक आधुनिक तरीकों अथवा विधियों के द्वारा की जाती है। इसी तरह की एक विधि है: *''बिजनस प्रासैस आउटसोर्सिंग''।*

निश्चल अथवा ठहराव से पीड़ित बाजार के इस जहरीले चक्र ने पूरी दुनिया के पूंजीपति वर्ग को अपने लपेटे में ले लिया है; इसमें जी–8 देश भी शामिल हैं। पूंजीपति वर्ग अपने संकट का बोझ मजदूर वर्ग के कंधों पर डालने के लिए हमेशा एक के बाद एक हथकण्डे का अविष्कार करता रहा है। आगे चल कर वे पूंजीवाद समर्थक सत्ताधारी राजनीतिक दलों से अधिकाधिक रियायतें हासिल करता है ताकि अपने लाभ को कम होने से रोक सके। ये कदम 'उत्पादकता' में बढ़ोतरी करने, 'लागत कम से कम रखने' और बाजार में 'प्रतिस्पर्धी' बने रहने के लिए उठाए जाते हैं। इन मजदूर विरोधी हथकण्डों की अनुमति दिए जाने अथवा इसकी ओर से आंखें बंद रखने के पीछे असल कारणों में आर्थिक संकट के दुष्प्रभावों से पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करना शामिल है। किन्तु इसके साथ ही साथ इस तरह की स्थिति में शोषित मजदूर वर्ग द्वारा अपने प्रतिरोधी आंदोलन को और तेज कर दिया जाता है।

बिजनस प्रासैस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) अथवा जिसे 'आफ–शोरिंग' एवं 'आउटसोर्सिंग' कहा जाता है, पूंजीपति वर्ग के लिए घोर संकट के समय अपनी वाणिज्यक गतिविधियों को कम वेतनों पर स्थानों पर तबदील कर दिए जाने के आधुनिक हथकण्डे के अलावा और कुछ नहीं है। बीपीओ मजदूर वर्ग के शोषण का एक जरिया बन चुका है। यह एक हमला है; इसका शिकार मजदूर वर्ग विशेष तौर पर विकसित देशों के मजदूर वर्ग को बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में एक अध्ययन ने पूंजीपति वर्ग को कटघरे में ला खड़ा किया है; एक बिजनस मैनेजमैंट फर्म ने कहा है, ''अमरीकी कम्पनियां भारत में अपने काम की आउटसोर्सिंग करके हर साल अरबों डालर बचा लेती है। अकेले अमरीका के बैंक उद्योग ने पिछले चार सालों में भारत में अपने काम की आउटसोर्सिंग करके 8 अरब डालर बचा लिए हैं। अमरीका स्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भी आफ–शोरिंग तथा आउटसोर्सिंग से संचालिक अर्थव्यवस्था से सर्वाधिक लाभ कमाने या उठाने वालों में रही हैं। उदाहरण के लिए अकेले जी ई ने 18,000 आफशोर कर्मचारियों के माध्यम से प्रति वर्ष 35 करोड़ अमरीकी डालर से अधिक बचा लिए हैं। एक ही काम के लिए वेतन का अंतर 1:3 से लेकर 1:10 तक होता है।

क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की रूपरेखा साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा बनाई गई होती है; इन समझौतों से मजदूर वर्ग को अपार क्षति होती है। उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार समझौते (नाटा) अमरीका के मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीएए) की उदाहरण देखी जा सकती है। कैनेडा में नाटा के अमल में आने के पहले वर्ष में ही 2,50,000 रोजगारों पर कुल्हाड़ी चला दी गई थी। अमरीका में नाटा के चलते पांच लाख से अधिक रोजगारों की क्षति हो चुकी है। पता चला है कि नाटा के पहले तीन वर्षों में संयंत्र में कामबंदी के चलते 86 लाख लगभग रोजगारों पर लगे लोग विस्थापित हो गए थे। अनेक मैन्युफैक्चरिंग इकाईयां अमरीका से मैक्सीको तबदील कर दी गई हैं; वहां बेरोजगार श्रमिकों को काम पर रखा गया है और इसके बदले में उन्हें जो वेतन दिया जाता है, वह अमरीका में कुछ कम्पनियों द्वारा अपने श्रमिकों को दिए जा रहे वेतन का आठवां या उससे भी कम भाग होता है। एफटीएए के फलस्वरूप भी इसी तरह के विषम दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।

सफलता की कहानियों का जुनून हवा हो रहा है

नव–उदार आर्थिक नीतियों की तथाकथित सफलता की कहानियां बड़े जोर–शोर से सुनाई जा रही हैं; इसका धूमधड़ाके से प्रचार हो रहा है; यह एक घिसापिटा राग है और आंकड़ों की जादूगरी है; इसके अलावा और कुछ नहीं है।

कम से कम विकासशील देशों और मेहनतकश अवाम के मामले में तो यही कहा जा सकता है। जान राल्सटन सॉल ने अपनी पुस्तक 'द कलेप्स ऑफ ग्लोबलिज़्म' (अर्थात् भूमण्डलीयकरण का धाराशायी हो जाना) में रेखांकित किया गया है, *''भूमण्डलीय अर्थव्यवस्थाएं सरकारों को कमजोर करने, निगमों तथा बड़ी आय अर्जित करने वाले शीर्ष लोगों दोनों पर कर लगाए जाने को हतोत्साहित करने, जबरदस्ती करके विनियमन करने अथवा नियमों को तोड़ने और दिलचस्प बात तो यह है कि बड़े निगमों में काम करने वाले निजी क्षेत्र के टैक्नोक्रेट्स को भारी भरकम लाभ पहुंचाने जो असल पूंजीपतियों एवं उद्यमियों के लिए नुकसानदेह है, का हथियार बन कर रह गई हैं।''*

एक और आलोचनात्मक टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के अन्तर्गत आर्थिक नीतियां *''अस्थायी होती हैं, उनमें सुनियोजित ढंग से अस्थिरता लाई जाती है और उनमें संकट की सम्भावना लगातार बनी रहती है।''* (जयति घोष) इस स्थापना को पुष्ट बनाने वाले कुछेक कारक इस तरह हैं:

• नव–उदारीकरण की मूल शिक्षाओं (जो साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के मौजूदा ढांचे के लिए सैद्धांतिक समर्थन का रूप लेती हैं), पर एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगा है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ एवं इसी तरह के दूसरे संस्थान अपना औचित्य एवं समर्थन खोते चले जा रहे हैं।

• इसमें एक महत्त्वपूर्ण विरोधाभास दिखाई देता है और यह विरोधाभास निकट भविष्य में और महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। यह विरोधाभास है, मुद्रास्फीति की जरूरत जिसे परभक्षी वित्तीय पूंजी के लिए समग्र रूप में एक व्यवस्था पर थोप देती है। विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की अलग–अलग दरों को उत्साहित करते हुए भी वह इन कोशिशों में लगी रहती है ताकि अपने लाभों को बढ़ाया जा सके।

• विश्व की साम्राज्यवादी ताकतें विशेष तौर पर अमरीका आर्थिक संकट को कम करने अथवा उसकी उलटी गिनती के लिए कोई भी भूमिका निभाने से इन्कार कर रहा है; यह संकट उन्हें अपने निर्यातों के लिए शेष विश्व को एक बाजार के रूप में उपलब्ध कराता है, विशेष तौर पर वे देश जिनके लिए अपने ऋणों का पुनर्भुगतान करना जरूरी है।

• व्यापार में जबदस्ती उदारीकरण लागू कर दिए जाने पर भी अनेक कारणों के चलते अनेक देशों में विश्व व्यापार की वशद्धि दरों (मूल्य की दृष्टि से) में गिरावट आई है और इसके साथ ही साथ दुनिया भर में ग्रीनफील्ड निवेश की दरों में भी कमी आ रही है।

• साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की हाल ही की प्रक्रिया अधिकतर बढ़ती विषमताओं से चिन्हित होती है; ये विषमताएं देशों के भीतर तथा विभिन्न देशों के बीच दोनों ही जगहों पर विद्यमान हैं....दरिद्रता की निरंतरता का हठ अपने स्थान पर बना हुआ है और व्यवस्था के प्रचारकों द्वारा घोषित 'बदलाव' का कहीं नाम निशान दिखाई नहीं देता।

• भूमण्डलीयकरण विरोधी छाता आंदोलन राष्ट्रीय एवं भूमण्डलीय संदर्भ में इस तरह के बढ़ते असंतोष की एक अभिव्यक्ति है।

नव उदारीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत नीतिगत कार्रवाईयों की विफलताएं उभर कर सामने आ रही हैं; (कुछ लोग इसे ''साम्राज्यवादी सर्वानुमति के अन्तर्गत नए आर्थिक माडल'' का टूट जाना, कहना अधिक पसन्द करते हैं) इन विफलताओं को देखते हुए एक और संकट की बाढ़ की विभीषिका से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब एक नया नुसखा अपनाने की बातें की जाने लगी हैं। इस 'सर्वानुमति' के विरोधियों की आवाज और बुलंद होने लगी है; वे कहने लगे हैं, ''राज्यों को वापस लाओ!'' कुछ सीमा तक यह बात ''केनीसन की मांग प्रबंधन'' की नीतियों के प्रति फिर से उसी चाहत को दर्शाती हैं। वे मांग करने लगे हैं कि *''रोजगार प्रशिक्षण, दरिद्रता उन्मूलन तथा स्वः रोजगार के कार्यक्रमों में धन लगा कर बाजार के प्रहारों को नर्म बनाने के लिए राज्य का सीमित*

हस्तक्षेप होना चाहिए। कुछेक महानुभावों का तर्क है कि सट्टेबाजार के निवेश की बजाए पूंजी के उत्पादक निवेशों को उत्साहित करने के लिए पूंजी का नियंत्रण होना चाहिए।''

बढ़ते प्रतिरोधी संघर्ष

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के खिलाफ संघर्ष और नव–उदार आर्थिक नीतियों का विरोध पूरी दुनिया विकसित तथा विकासशील दोनों तरह के देशों में बढ़ता चला जा रहा है। अमरीका तथा युरोपीय महाद्वीप के विकसित देशों में श्रमिक वर्ग का आंदोलन उफान पर है। भूमण्डलीयकरण का प्रमुख झण्डाबरदार विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के लिए आर्थिक विषमताओं के विषय पर प्रस्तुत की है और उन्हीं खदशों की पुष्टि की है जो इसके आलोचकों ने वर्षों पहले इस पर टीका–टिप्पणी करते हुए व्यक्त किए थेः ''भूमण्डलीय असमानता तेजी से बढ़ रही है, और इसके साथ ही राष्ट्रों के बीच असमानताओं की खाई भी गहरी हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 1990 के बाद से *''भूमण्डलीय सकल घरेलू उत्पाद की वशद्धि दर पिछले दशकों की तुलना में मंद रही थी।''*

भूमण्डलीयकरण के सामाजिक आयाम विषय पर विश्व आयोग ने 2004 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि विकसित औद्योगिक देशों में आय तथा वेतन की असमानता बिना किसी अपवाद के बढ़ी है। अमरीका में 1990 की मध्यावधि अवधि के बाद के दशक सबसे अधिक वेतन पाने वाले 10 प्रतिशत लोगों की आय सबसे कम वेतन पाने वाले 10 प्रतिशत लोगों की आय से 450 गुणा अधिक थी। असल बात तो यह है कि क्लिंटन युग के पश्चात् अमरीका में न्यूनतम वेतनों में ठहराव अथवा निश्चलता की स्थिति बनी हुई है। अमरीका में श्रमिकों की आय में गिरावट पर टिप्पणी करते हुए बिल क्लिंटन ने 1990 के दशक में कहा था, *''हमने जिस भूमण्डलीय गांव की स्थापना के लिए इतना कड़ा परिश्रम किया था (अथवा बनाया है), असल में उसने हमारे कुछ लोगों के लिए भारी बेरोजगारी और अल्प वेतनों जैसी हालत पैदा कर दी है.....एक भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में जहां उत्पादन गतिशील हो और वह तेजी से कम वेतनों वाले स्थानों की ओर उड़ान भरता हो, में एक उच्च–वेतन वाली व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिशों की कठिनाईयों की पीड़ाओं का यह एक शक्तिशाली प्रमाण है।''*

इसी प्रकार युनाइटिड किंगडम और कैनेडा में असमानताओं की तीखी वृद्धि देखी गई है। अमरीका तथा यूके में उपभोक्ता ऋण इस समय असाधारण स्तरों को छू रहा है। अतः वहां इस बात की प्रबल सम्भावना है कि उपभोक्ताओं की विशाल बहुसंख्या के लिए ऋण के कारण उपजी हताशा और असंतोष उससे कहीं अधिक हो जितना निकट अतीत में दिखाई देता रहा है।

हाल ही के वर्षों में फ्रांस, इंग्लैंड तथा युरोप के अनेक अन्य देशों में श्रमिक वर्ग के कड़े संघर्ष देखा जाना स्वाभाविक ही है। फ्रांस के मजदूरों और छात्रों द्वारा रोजगार सुरक्षा कानून के खिलाफ चलाया गया संयुक्त आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसके अंतिम दौर में 7,00,000 लोगों की विशाल लामबंदी पेरिस में देखने को मिली थी। इसके साथ ही देश भर में 192 प्रदर्शन किए गए जिनमें 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इसी तरह निजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विखण्डन के खिलाफ फ्रांस का मजदूर वर्ग संघर्ष करता रहा है। वास्तव में, 1995 के बाद से ही फ्रांस में शिराक तथा उसके कठपुतली प्रधान मंत्री द्वारा नीतियों में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए ली गई पहलकदकमी के खिलाफ हड़तालों की जोरदार लहर चलती दिखाई दी है। ब्रिटेन में पेन्शन के लाभों में कटौती किए जाने के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा की गई विरोध हड़ताल अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल थी जिसमें लगभग 15 लाख श्रमिकों ने भाग लिया था और इस हड़ताल ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इटली में, श्रमिक वर्ग की ओर से लगातार चलाए गए संघर्ष के कारण सत्ताधारी श्रेणी को अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ा था। ग्रीस में हाल ही में हड़ताल हुई और इस हड़ताल को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई।

अमरीका का श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन बेरोजगारी की दिन प्रतिदिन गहराती चली जा रही समस्या के चलते बीपीओ के खिलाफ आंदोलन के लिए अपनी कमर कस रहा है। वे उन कम्पनियों का काम ठप्प कर रहे हैं जो

दूसरे देशों में सीधे अनुबंध करके विदेशी श्रमिकों से काम ले रही हैं। श्रमिकों की ओर से जुलाई 2003 के पहले सप्ताह न्यू यार्क के वालड्रोफ–आस्टोरिया के बाहर उस समय प्रदर्शन किया गया जब वहां आउटसोर्सिंग पर एक सम्मेलन हो रहा था। सिएटल में श्रमिकों की ओर से शहर के चैम्बर आफ कामर्स के कार्यालय के बाहर रैली का आयोजन किया गया; उस समय वहां एक ब्रिटिश आउटसोर्सिंग फर्म के साथ स्थानीय अधिकारियों की बैठक चल रही थी। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में जो तख्तियां उठा रखी थीं उन पर लिखा था, ''हमारे महान देश में विदेशी श्रमिकों का उपयोग गुलाम श्रमिकों के तौर पर किया जा रहा है; यह शर्म की बात है और इससे हमारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है।'' इस तरह के प्रदर्शनों ने न्यू जर्सी, वाशिंगटन, मैरीलैंड, कोन्नैटिकट तथा मिज़ूरी जैसे अमरीकी राज्यों के सिनेटरों को सीनेट में विधेयक पेश करने के लिए उत्साहित किया जिनमें राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी सेवा के रोजगारों में विदेशी आउटसोर्सिंग पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी।

भारत में हमारे अपने अनुभव के अलावा एशिया में संघर्ष का क्या अनुभव है। एशिया के विभिन्न देशों में श्रमिक वर्ग का आंदोलन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, नेपाल इत्यादि देश इन संघर्षों की अग्रणी पंक्तियों में खड़े हैं। दक्षिण कोरिया का ट्रेड यूनियन संगठन केसीटीयू वर्तमान में श्रमिक वर्ग के एक बहुत विशाल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इस आंदोलन के मुद्दे हैं: श्रमिकों के दमन के विरोध में, श्रमिक विरोधी कानून, मुक्त व्यापार समझौता, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। राष्ट्रीय स्तर पर 13 नवम्बर, 2006 को एक रैली का आयोजन किया गया था; उस रैली के लिए 1,50,000 से अधिक श्रमिकों की लामबंदी देखने को मिली; ये श्रमिक 193 स्थानीय यूनियनों के साथ सम्बन्ध रखते थे; उन लोगों ने चार घण्टे की चेतावनी हड़ताल में भाग लिया; उनकी मांग थी कि अनियमित श्रमिकों सम्बन्धी विधेयक को रोका जाए, औद्योगिक सम्बन्धों पर समझौते की मौजूदा योजना वापस ली जाए, कोरिया–अमरीका मुक्त व्यापार वार्ताएं बंद की जाएं और ओएचएस विधेयक में बुनियादी सुधार लाए जाएं इत्यादि। मलेशिया का श्रमिक आंदोलन निजीकरण विरोधी घोर संघर्षों की चपेट में है। पिछले वर्ष मई दिवस रैली में उसका मुख्य नारा था, *''भूमण्डलीयकरण श्रमिकों के अधिकारों का क्षरण करता है।''* नेपाल के लोगों ने राजशाही के खिलाफ और जनतंत्र के पक्ष में रक्तिम संघर्ष किए हैं; इन संघर्षों ने नेपाल में जन आंदोलन के एक नए इतिहास का सश्जन किया है। श्रमिक वर्ग ने सेना की गोलियां खाकर भी इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है।

दक्षिणी अफरीका तथा सब सहारा अफरीका में श्रमिक आंदोलन विश्व श्रमिक आंदोलन का केन्द्रीय बिंदु रहा है। यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण होगा कि अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अपनी हमलावरी कार्रवाईयों के लिए इन देशों को निशाना बनाया है। इसके परिणामस्वरूप अरब तथा पश्चिम एशिया के देशों में अमरीकी प्रशासन के खिलाफ लोगों का रोष एवं आक्रोश बढ़ा है। तेल क्षेत्र में सक्रिय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन महाद्वीपों के देशों में अधिक से अधिक तेज कुएं अपने कब्जे में ले रही हैं। इसके परिणामस्वरूप इन बहुराष्ट्रीय दैवों एवं उनका समर्थन करने वाली सरकारों और इन देशों के श्रमिकों के बीच टकराव तीखा होता चला जा रहा है। उपमहाद्वीप के लोगों के लिए नव–उदार आर्थिक नीतियां अमानवीय तकलीफें पैदा कर रही हैं। ट्रेड यूनियन अधिकारों पर जोरदार हमला किया जा रहा है। इस स्थिति में सब–सहारा अफरीका के अनेक देशों में जनवादी और संसद एवं संसद से बाहर चलने वाले संघर्ष उल्लेखनीय हैं।

लातिनी अमरीका की घटनाएं

लातिनी अमरीका के देशों की राजनीतिक घटनाओं ने साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के सिद्धांत के अन्तर्गत लागू नव–उदार आर्थिक नीतियों पर तीखा प्रहार किया है। इसके साथ ही इन नीतियों के खिलाफ पूरी दुनिया में चल रहे श्रमिक वर्ग के संघर्षों को इन तीखे प्रहारों से उत्साह एवं बढ़ावा मिलेगा। लोगों ने मत पेटियों के माध्यम से एक के बाद एक महाद्वीप के देशों में सरकारों को चुनावी पटखनी दी है। साम्राज्यवाद विरोधी और वाम पक्षी झुकाव रखने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब तक वेनजुएला, ब्राजील, अर्जनटाइना, बोलिविया, चिल्ली, उरुग्वे, निकारागुआ और एक्वाडोर जैसे देशों में इस तरह की वाम पक्षी रुझान रखने वाली सरकारें स्थापित हो चुकी हैं। किन्तु अमरीका की ओर से मैक्सीको के चुनावों ने नग्न रूप में सरे आम धांधली की गई थी। यदि

ऐसा न हुआ होता तो उसका नाम भी उपरोक्त देशों की सूची में शामिल हो गया होता।

लातिनी अमरीकी देशों की घटनाओं पर सही समझ बनाने के लिए हमें इसमें योगदान देने वाले दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारकों को देखना होगा–अमरीका समर्थक सत्ता के अन्तर्गत आर्थिक लूट, इसके परिणामस्वरूप लोगों की बढ़ती तकलीफें एवं शोचनीय हालत और पिछले कई दशकों से इन नीतियों के खिलाफ श्रमिक वर्ग द्वारा किए गए कठोर संघर्ष।

लगभग 1980 के दशक में लातिनी अमरीका के देशों मे सैनिक तानाशाहियों का खात्मा हो गया था और उसके चलते उन देशों में अमरीका के नियंत्रण वाली बुर्जुआ लोकतांत्रिक सत्ताओं का जन्म हुआ। तानाशाहों ने उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था; इसके कारण उन देशों को अमरीका के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सैनिक तख्ता पलट होने पर भी अमरीकी साम्राज्यवाद ने उन देशों में 'मुक्त व्यापार' की विचारधारा को लातिनी अमरीका का गठबंधन बनाने के लिए एक साधन के तौर पर स्थापित कर दिया। *''अमरीका के मुक्त व्यापार समझौते ने उन देशों में वही काम किया था जो सैनिक तख्ता पलट से किया गया था। इस समझौते से लातिनी अमरीकी देशों द्वारा अमरीकी साम्राज्यवादियों के निदेशों के पालन को सुनिश्चित बनाया गया।''* यह पर भी वही हथकण्डा अपनाया गया जो दूसरी जगहों पर अपनाया जाता रहा है। *''अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमरीकी राजकोष, विश्व बैंक तथा वाल स्ट्रीट की ओर से निदेशित नीतियों का पैकेज जिसे 'वाशिंगटन सर्वानुमति' का नाम दिया गया। इन नीतियों में इन देशों के बजट में थोक के भाव कटौतियां करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं का खात्मा करना, व्यापार का उदारीकरण, वित्तीय विनियमन, राज्य द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों का निजीकरण और हर चीज का बाजारीकरण इत्यादि शामिल है..लातिनी अमरीका तेजी से नव–उदारीकरण की अग्रणी आर्थिक एवं सामाजिक प्रयोगशाला बन गया।''* (डिस्पैचिज़ फ्राम लातिनी अमरीका)

लोगों के कष्टों का कोई हिसाब नहीं है; विषमताओं के कारण स्थिति और भी भयावह बन गई है। लातिनी अमरीका और कैरेबियन के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने नवम्बर 2004 में जारी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था, ''लातिनी अमरीका 2004 का विशेष परिदृश्य दर्शाता है कि 1990 के दशक के बाद से गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या 20 करोड़ से बढ़ कर 24 करोड़ हो गई है। लातिनी अमरीका में धन–सम्पदा का विशाल केन्द्रीयकरण शीर्ष 10 प्रतिशत जन संख्या के हाथों हुआ है। ब्राजील में शीर्ष एक प्रतिशत जन संख्या के पास लगभग 50 प्रतिशत उत्पादक भूमि का स्वामित्व है जबकि 54 प्रतिशत गरीब किसानों के पास कृषि योग्य भूमि का केवल 2.6 प्रतिशत भाग है। महाद्वीप के देशों में राष्ट्रीय आय में श्रमिकों का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। उदाहरण के लिए चिल्ली में यह भाग 48 प्रतिशत से कम होकर 38 प्रतिशत, अर्जन्टाइना में 41 प्रतिशत से कम होकर 25 प्रतिशत, मैक्सीको में 38 प्रतिशत से कम होकर 27 प्रतिशत रह गया है। वास्तविक वेतनों में भी तेजी से क्षरण हो रहा है और उत्पादन के साथ वेतन का भाग कम होता चला जा रहा है। अतः लातिनी अमरीका आय तथा सम्पत्ति की भयानक विषमताओं को झेल रहा है जबकि उसकी हालत तो दुनिया में पहले ही बदतर बनी हुई थी। घोर दरिद्रता की दलदल में गहरे धंसे लोगों और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। बोलीविया में 70 प्रतिशत लोग गरीबी के जबाड़े में फंसे हुए हैं। यह महाद्वीप औद्योगिक बीमारी और कारखानों में कामबंदी की चौंका देने वाली वृद्धि दर से पीड़ित है। बेरोजगारी की सुनामी खतरे के निशान को कब का पार कर चुकी है।

लातिनी अमरीका के लोगों का संघर्ष

उपमहाद्वीप में 'वाम एवं मध्य मार्गी उम्मीदवारों' की जीत का सिलसिला लोगों द्वारा कठोर संघर्ष चलाए बिना ही शुरू नहीं हुआ। लोगों के बढ़ते प्रतिरोधी संघर्ष ने पूरे लातिनी अमरीका में राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल डाला है। नव–उदार अर्थव्यवस्था में भीषण शोषण के खिलाफ लातिनी अमरीका के देशों में श्रमिक वर्ग की राजनीतिक लामबंदी में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। जनता के जबरदस्त दबाव के कारण पेरू, बोलीविया, एक्वाडोर तथा

अजर्नटाइना की अलोकप्रिय सरकारों को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पूरे क्षेत्र में तृण मूल स्तर पर चले जन आंदोलनों ने सरकारी सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण के लिए सरकारी पहलकदमियों को परास्त कर डाला। मैक्सीको में सेलवाडोर अटेनको के शहर में किसानों ने सफलतापूर्वक बहुराष्ट्रीय निगमों, स्थानीय उद्यमियों, सरकार के गठबंधन द्वारा कृषि भूमि और संरक्षित जमीनों पर अरबों डालर खर्च करके हवाई अड्डा बनाने की योजना को अमल में लाने से रोक डाला था। बोलीविया में एक बार फिर पड़ोसी संघों, यूनियनों तथा जन संगठनों की विशाल एकता और जुझारू लामबंदी देखने को मिली जब लोगों ने स्थानीय जल आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के फैसले को उलट डाला था। यह संघर्ष 'वाटर वार' के रूप में लोकप्रिय हुआ था।

आवास, पोषण, बच्चों की देख भाल, शिक्षा तथा दूसरे उत्पादक कार्यों जैसे बहुत ही बुनियादी सामाजिक दायित्वों जो दिन–प्रतिदिन की जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, से राज्य के पीछे हट जाने के खिलाफ और भी कई सफल जन आंदोलन चलाए गए हैं। केन्द्रीय अमरीका मुक्त व्यापार समझौते (साटा) को जबरदस्ती लागू करने के लिए चलाए गए व्हाइट हाउस के आक्रमक अभियान, टेलीसुर (वेनजुएला, अजर्नटाइना, उरूग्वे तथा क्यूबा के बीच स्थापित समाचार एवं टीवी नेटवर्क) के ट्रांसमिशन के माध्यम से हस्तक्षेप करने की बुश की धमकी, पेरू सरकार की ओर से अपनी सीमाओं में अमरीकी सेनिक अड्डा बनाने की अनुमति दिए जाने के चलते वाशिंगटन की भूमण्डलीय समरनीति का विस्तार किए जाने इत्यादि के खिलाफ लड़े गए संघर्षों का सर्वोपरि महत्त्व है। कुछ और यादगारी संघर्ष भी इन देशों की जनता ने किए हैं। इन संघर्षों में पेरू में (2000) जन लामबंदी, अजर्नटाइना (2001) में जन विद्रोह जैसी स्थिति और एक्वाडोर (1997, 2000, 2005) में हुए विद्रोह जिनमें स्थानीय लोगों की प्रमुख तौर पर भागीदारी रही थी, इत्यादि शामिल हैं। ये आंदोलन निर्णायक योगदान देने वाली संघर्ष की कार्रवाईयां थीं। इन आंदोलनों में जनता की विशाल लामबंदी देखने को मिली। जनता तथा श्रमिकों की यह लामबंदी लातिनी अमरीका की धरती पर चुनावी स्मर में वाशिंगटन के कठपुतली शासकों एवं सरकारों तथा उनकी नव–उदार सत्ताओं का तख्ता पलट देने के लिए थी।

लातिनी अमरीका में श्रमिकों द्वारा संचालित कारखाना आंदोलन

नव–उदीकरण की आर्थिक नीतियों की सत्ताओं की शुरूआत 1990 के दशक में हुई थी। लातिनी अमरीका के विभिन्न देशों में संरक्षणात्मक कानूनों एवं सब्सिडियों को समाप्त किए जाने सहित वित्तीय एवं आर्थिक विनियमीकरण के फलस्वरूप ये देश बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए आखेट स्थल अथवा शिकारगाह बन गए थे; उनके बाजारों में विदेशी उत्पादों की बाढ़ आ गई; स्वदेशी उद्योगों पर एक बड़ा धावा बोला गया; अनेक कारखाने बीमार पड़ गए और उनमें कामबंदी हो गई। इन हमलों की सबसे अधिक मार छोटे एवं मंझौले उपक्रमों पर पड़ी जो देश के घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करते थे। इन कारखानों के मजदूरों की ओर से इसके खिलाफ लगातार संघर्ष चलायागया और उन्होंने इस तरह के अनेक कारखानों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका सुचारू संचालन करके नए इतिहास का सृजन किया है। इस घटनाक्रम को ''श्रमिकों द्वारा संचालित कारखाना आंदोलन'' के नाम से जाना जाता है।''

इस घटनाक्रम ने लातिनी अमरीका में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को गुणात्मक बुलंदी प्रदान की है और पूरे महाद्वीप में चलने वाले श्रमिक आंदोलन में न केवल एक नए उत्साह, प्रेरणा एवं आशावादिता का संचार किया है बल्कि उनकी धारणाओं को भी पुष्ट एवं मजबूत किया है। राष्ट्रपति शावेज के शासन में वेनजुएला ने इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में महान एवं अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

लातिनी अमरीका के विभिन्न देशों में उन कारखानों जिन्हें जीवनक्षम बनाया जा चुका है, के श्रमिकों के एक सम्मेलन का आयोजन 27–29 अक्टूबर, 2005 को वेनजुएला की राजधानी करकास में किया गया था। उस सम्मेलन में 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये प्रतिनिधि नए सिरे से चलाए गए 235 कारखानों में काम करने

वाले श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 20 विभिन्न श्रमिक संगठनों से सम्बन्ध रखते थे। उसके उद्घाटन समारोह में 3000 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया था।

राष्ट्रपति शावेज ने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा था, ''यह पूंजीवाद है जो कारखानों को बंद करता है और श्रमिकों द्वारा इन कारखानों को फिर से चलाया जाना चाहिए।'' उन्होंने श्रमिकों के नियंत्रण वाले कारखानों के संघर्ष की तुलना 19 वीं शताब्दी के उस संघर्ष से की जो स्पेन के शासन से मुक्ति के लिए किया गया था। उन्होंने महाद्वीप में श्रमिकों की अपार शक्ति और सम्भावनाओं को रेखांकित करते हुए उनसे अपनी बेड़ियों को तोड़ डालने और पूंजीवाद को पीछे छोड़ देने का आह्वान किया। उन्होंने इस संघर्ष का वर्णन इन शब्दों में किया, *''इस संघर्ष का एक भाग सच्ची सम्प्रभुसत्ता तथा अमरीकी बर्चस्व से मुक्ति के लिए है।''* शावेज ने एक श्रमिक संघ के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, ''इस कभी सरकार का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए; यह स्वायत्तशासी हो और मुक्त होना चाहिए।'' उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा था, *''श्रमिकों की पीठ के पीछे सौदेबाजी करने वाले और मालिकों से श्रमिकों के जीवन का सौदा करके खुद को अमीर बनाने वाले श्रमिक नेताओं को श्रमिक आंदोलन से साफ़ करके बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए।''*

यही वह आंदोलन है; यह कोई अलग–थलग घटनाक्रम नहीं है किन्तु यह आंदोलन राजनीतिक अवधारणा एवं भविष्य दृष्टि को लेकर चलाया जाता है; यह भविष्य दृष्टि कराकस सम्मेलन की बहस से और स्पष्ट हो जाएगी। श्रमिकों के नेताओं ने श्रमिक आंदोलन की प्रकृति और उसके अंतिम लक्ष्यों का वर्णन करते हुए कहा, ''हमारा आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी और पूंजीवाद विरोधी है। यह व्यापक स्तर पर उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की सत्ता के खिलाफ श्रमिक वर्ग का एक संगठित आंदोलन है; यह बहुत बड़ा आह्वान है।'' उन्होंने घोषणा की, *''श्रमिक किस तरह अपने कारखानों, अपनी कम्पनियों को चला सकते हैं; इसका अर्थ है, हम अपने समाज को भी बेहरतर ढंग से चला सकते हैं।''*

राजनीतिक सबक

सबसे पहले यह समझ लेना बेहद महत्त्वपूर्ण है कि समाजवादी क्यूबा पूरे लातिनी अमरीकी महाद्वीप में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के लिए लगातार एक प्रकाश स्तम्भ बना हुआ है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, आर्थिक नाकाबंदी, अमरीकी साम्राज्यवादी तथा दूसरी प्रति क्रांतिकारी ताकतों की निरंतर जारी षडयंत्रकारी आक्रमक कार्रवाईयों के बावजूद क्यूबा द्वारा की गई महान आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति इन देशों के लिए जबरदस्त उत्साह एवं प्रेरणा का विषय है। क्यूबाई क्रांति द्वारा स्वास्थ्य, विज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई प्रत्येक उपलब्धि लातिनी अमरीका के देशों में श्रमिकों के लिए एक उदाहरण है; ये उपलब्धियां बताती हैं कि एक बार पूंजीवाद और अमरीकी साम्राज्यवाद की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिए जाने पर कोई भी राष्ट्र बहुत आगे बढ़ सकता है। तथापि, महाद्वीप के लोगों में वर्तमान में व्याप्त जागरूकता निश्चित तौर पर क्यूबाई क्रांति की रक्षा करने के लिए संघर्ष की शक्ति का स्त्रोत है।

फिर भी, चुनावी परिणामों के बारे में संतुलित विचार अपनाना जरूरी हो जाता है। महाद्वीप में जनता के संघर्षों की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। वर्गीय टकराव तथा वर्ग संघर्ष निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं। इन देशों ने वर्षों तक असंख्य संघर्ष किए हैं; उनके अनुभव बहुत समश्द्ध हैं; नव–उदार आर्थिक नीतियों की सत्ता खिलाफ उनकी राजनीतिक विचारधारा और उनकी अवधारणा बहुत स्पष्ट है। *''राजनीतिक अन्तर्वस्तु की पराकाष्ठा के रूप में इन प्रदर्शनों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है।''* (डेनियल विला, राजनीतिक टिप्पणीकार)

वेनजुएला में, राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज की सरकार ने एक क्रांतिकारी प्रक्रिया की शुरूआत की है जिसने महाद्वीप के लाखों–करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। बोलिवारियाई क्रांति जिस नाम से वेनजुएला की इस प्रक्रिया को जाना जाता

है, लातिनी अमरीका में सत्ता में विराजमान किसी भी दूसरी सामाजिक जनवादी (सोशल डेमोक्रेटिक) सरकार से अलग प्रकार की है; इसकी अपनी शान है; इसकी प्रकृति का यह बखान अनुचित नहीं हो सकता। यह सरकार पूरी दृढ़ता के साथ संगठित श्रमिक वर्ग जिसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है, पर निर्भर करती है। उसने तख्ता पलट के कई प्रयासों को विफल बनाया है; उसने अनेक प्रति क्रांतिकारी लामबंदियों को धाराशायी किया है। यह पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ साम्राज्यवाद विरोधी है। और वह समाजवादी क्यूबा के साथ गहरे दोस्ताना सम्बन्ध विकसित कर रही है।

फिर भी, उन अनेक चुनावों जिनमें राष्ट्रपति शावेज का समर्थन किया गया था और वे चुनाव जो चिल्ली, ब्राजील, अजर्नटाइना, उरूग्वे तथा शेष विश्व में हो चुके चुनावों के बीच के अंतर को समझना जरूरी हो जाता है। वेनजुएला में सम्पन्न चुनावों से श्रमिकों एवं शोषित जनों को लामबंद करने में सहायता मिली थी। किन्तु दूसरी जगहों पर होने वाले चुनावों में ''श्रमिकों के सरकार पर जरूरत से ज्यादा आशाएं लगा लेने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं पर अन्ततोगत्वा सत्ताधारी श्रेणी ही उनकी संगी साथी होती है।'' सामाजिक जनवादियों की भूमिका का अनुमान लगाते हुए उसने कहा है, ''सामाजिक जनवाद की यह एक परम्परागत और ऐतिहासिक भूमिका हैः जन गण की ऊर्जाओं को चुनावी दौड़ में लगा देना; कुछ सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध करा देना और बदले में सामाजिक शांति की वापसी। विद्रोह की इस स्थिति के खतरे जो आगे चल कर क्रांति का रूप ले सकता है, का सामना करते हुए अमरीकी साम्राज्यवाद ''वाम पक्ष'' को उस समय तक सहन करने के लिए मजबूर है जब तक वह 'रूढ़ीवादी' आइएमएफ समर्थक आर्थिक नीतियों का पालन करता है।''

सत्ताधारी श्रेणियों के विश्व पूंजीवाद के साथ सम्बन्ध महाद्वीप के श्रमिक वर्ग के बढ़ चुके शोषण में और कितनी डिग्री तक वृद्धि होती है; इसी बुनियादी टकराव का सामना इन दिनों लातिनी अमरीका की सत्ताधारी श्रेणियों को करना पड़ रहा है। दसियों लाख मजदूरों और किसानों ने पिछले दशक में चले संघर्षो के दौरान इस वास्तविकता को देखा है। क्या वे ''बगावत से क्रांति–पूंजीपति श्रेणी के शासन करने के अधिकार को चुनौती देने–की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे? यह साम्राज्यवाद विरोधी और वर्गीय दृष्टि से जागरूक एवं साफ सुथरा नेतृत्व उपलब्ध कराने की क्रांतिकारी संगठनों की योग्यता एवं क्षमताओं पर निर्भर करता है।''

लातिनी अमरीका के देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों पर अंकुश लगाने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा अपनाए गए सामरिक रुख का विश्लेषण इसके अलावा और कुछ नहीं है। नीचे हम जेम्स पीट्रास तथा हेनरी वेल्टमीयर द्वारा रचित 'ग्लोबलाइज़ेशन अनमास्कड' में से कुछ विशेष अंशों को उद्धश्त करते हैंः

''वाशिंगटन बुर्जुआजी के उदार हलकों को लोकप्रिय वाम आंदोलनों की लामबंदी समाप्त तथा अलग–थलग करने की सलाह देकर और तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले प्रतिपक्ष की वित्तीय सहायता करके उन्हें आपस में विभाजित करना अथवा रखना चाहता है... वाशिंगटन नेशनल एंडोमैंट फॉर डेमोक्रेसी के माध्यम से 'पुनर्जनवादीकरण' के विषय पर संगोष्ठियों, सभाओं और प्रकाशनों के आयोजन एवं व्यवस्था पर खर्च के लिए पैसे देकर.....चुनाव अभियानों, अनुदारवादी श्रमिक नेताओं एवं सामुदायिक गुटों (पढ़ें गैर सरकारी संगठनों) को प्रशिक्षण और बढ़ावा देने पर धन खर्च करके वाशिंगटन लातिनी अमरीका के समाज की विभिन्न परतों पर घुसपैठ करता है.... वाशिंगटन दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी आर्थिक एवं सैनिक नीतियों लागू कराता है और उन्हें वाम पंथी दलों में फूट डालने के काम में लगा देता है। वाशिंगटन सम्मेलनों और दूसरे देशों में संगोष्ठियों का आयोजन करा कर वाम पक्ष की तथाकथित 'उदार दृष्टिकोण' रखने वाली श्रेणियों को अपने साथ गांठ लेता है। वाशिंगटन संघर्ष से बचने वाले ट्रेड यूनियनों के नौकरशाहों को धन देकर, मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करके, बुद्धिजीवियों और केन्द्र–वाम रुझान रखने वाले राजनीतिज्ञों के लिए सम्मेलनों का आयोजन करके वाम पक्ष को विभाजित करता है। केन्द्र–वाम पक्षी रुझान रखने वाले लोग साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रम छोड़ देते हैं और भूमण्डलीय दर्शन एवं सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं।''

आखिर में लेखकों ने साकारात्मक उल्लेख के साथ अपनी बात समाप्त की है, *"एशिया, पूर्व–सोवियत संघ, अफरीका तथा लातिनी अमरीका में भूमण्डलीयकरण की गतिशीलता भीषण मुसीबतें पैदा कर रही है किन्तु इसके साथ ही वह पूंजीवादी समाज से आगे बढ़ने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी सुलभ कराती है। ऐतिहासिकताओं से जुड़े इसके भाग की अनुभूति न करना कोताही होगी क्योंकि यह अवसर एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए उपलब्ध होता है जो समाजवादी समाज से कम नहीं होता, सम्पूर्ण रूप में अखण्ड एक नया राष्ट्र, इसके भागीदारों की एक नयी संस्कृति जो केवल मूक दर्शक ही नहीं होते और समान लोगों के बीच एक नया अन्तर्राष्ट्रीयवाद।"*

विलीनीकरण तथा श्रमिक आंदोलन में फूट

आखिरकार आइसीएफटीयू तथा डब्ल्यूसीएल के बीच वियाना में सम्पन्न दोनों संगठनों की एक संयुक्त कांग्रेस में विलीनीकरण हो ही गया। यह कांग्रेस आस्ट्रिया की राजधानी वियाना में 1 नवम्बर, 2006 को सम्पन्न हुई थी। विलीनीकरण के बाद जो नए बने संगठन का नाम इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कनफैडरेशन (आईटीयूसी) रखा गया है। दोनों संगठनों के एक समान विचारधारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए नए संगठन के रुख में कोई सार्थक परिवर्तन आएगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं है। आइसीएफटीयू तथा डब्ल्यूसीएल से सम्बद्ध श्रमिक संगठनों के अलावा विभिन्न देशों के आठ और श्रमिक संगठन जो पहले इनसे किसी के साथ भी सम्बद्ध नहीं थे, भी नए संगठन में शामिल हो गए हैं।

आइसीएफटीयू तथा डब्ल्यूसीएल के नेताओं की ओर से इस सम्बन्ध में बार–बार सीआइटीयू के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया। नए संगठन में शामिल होने वाले आठ गैर सम्बद्ध संगठनों के कुछेक नेताओं ने भी पत्राचार करके अथवा निजी तौर पर मिल कर ये प्रयास किए थे कि सीआइटीयू इस नए संगठन में शामिल हो जाए। किन्तु इन दोनों संगठनों का विलय साम्राज्यवाद विरोधी भूमण्डलीयकरण के हमलों के खिलाफ लड़ने और नव–उदार आर्थिक नीतियों के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के किसी स्पष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्यों को सामने रख कर नहीं हो रहा; इसलिए इसका विशेष लाभ नहीं होगा; सीआइटीयू ने इसी समझ के आधार पर इस निमंत्रण को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। इस महाधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कामरेड एम के पन्धे ने विस्तार में इस पर चर्चा की है इसलिए इस दस्तावेज में इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।

फिर भी, वियाना कांग्रेस का आयोजन किस तरह किया गया, उसके दस्तावेज किस तरह पारित किए गए और उन पर युरोपियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ईटीयूसी) तथा डब्ल्यूसीएल के सम्बद्ध संगठनों के बीच किसी तरह की प्रतिक्रिया उभरीं; यह सब अब धीरे–धीरे बाहर आ रहा है। पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवाद तथा औपनिवेशिक हमलों के खिलाफ लड़ने के प्रश्न पर इस कांग्रेस ने मौन साधे रखा है। वियाना कांग्रेस में एक बहुत शर्मनाक घटना देखने को मिली। जापान के श्रमिक संघों के राष्ट्रीय परिसंघ (जेनरोरेन) का एक प्रतिनिधिमण्डल आयोजकों के निमंत्रण पर इस कांग्रेस में भाग लेने के लिए वियाना गया; उसे कांग्रेस में शामिल होने की अनुमति दे दी गई किन्तु कांग्रेस शुरू होने से पहले ही उन्हें कांग्रेस हाल में से बाहर निकाल दिया गया। इन दोनों संगठनों का विलय हो जाने के बाद की स्थिति में साम्राज्यवाद विरोधी तथा नव–उदारीकरण की ताकतों की विरोधी सभी शक्तियों के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वे संघर्ष के लिए एकता का निर्माण करें। इस एकता के लिए संघर्ष और संघर्ष के लिए एकता लाने में निश्चित तौर पर डब्ल्यूएफटीयू की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

एक और घटना का उल्लेख करना होगा; यह घटना एएफएल–सीआइओ (अमरीका का एकमात्र केन्द्रीय श्रमिक संगठन) के दोफाड़ हो जाने से सम्बन्ध रखती है। अमरीका के श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के विषम दुष्प्रभावों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आक्रमक श्रमिक विरोधी हमलों जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, का सामना करना पड़ रहा है; इस स्थिति में श्रमिक वर्ग अपने देश में श्रमिक आंदोलन के नेताओं से प्रभावी नेतश्त्व प्रदान करने की अपेक्षा रखता है और स्थिति की भी यही मांग है; अमरीका के श्रमिक संघों को इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देश में श्रमिक संघों की सदस्य संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले कुछ

समय से वहां (अमरीका में) इस बहस ने जोर पकड़ा है कि मजदूरों को श्रमिक आंदोलन की पंक्तियों में कैसे लाया जाए। उनका नारा थाः ''असंगठितों को संगठित करो!'' एएफएल–सीआइओ के सत्तारूढ़ नेतश्त्व पर यह आरोप लगाया जाता था कि उसमें पहलकदमी का अभाव है। जो भी हो, एएफएल–सीआइओ पिछले वर्ष आयोजित अपनी पिछली कांग्रेस में दोफाड़ हो चुकी है। अमरीका में एक नए ट्रेड यूनियन केन्द्र का गठन हुआ है। उसका नाम है ''चेंज टू विन'' (अर्थात् जीतने के लिए बदलाव)। अमरीका के श्रमिक आंदोलन की इस नयी घटना पर टिप्पणी करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी।

एक और महत्त्वपूर्ण ट्रेड यूनियन घटना का सम्बन्ध ब्राजील में एक नए ट्रेड यूनियन कनफैडरेशन के गठन से जुड़ा है। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इस नए घटना क्रम को 'वर्ग संघर्ष' से जोड़ कर देखा है। वर्तमान में देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन 'परम्परावादी ट्रेड यूनियन कनफैडरेशन' 'सीयूटी' और 'एमएसटी' (ग्रामीण श्रमिकों का आंदोलन) की भूमिका के चलते वर्ग संघर्ष का ह्रास हुआ है। अब लूला सरकार द्वारा देश के श्रमिकों के हितों के खिलाफ समझौता किए जाने से पैदा हुई स्थिति में भी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, मैटल श्रमिकों तथा सिविल निर्माण श्रमिकों ने एक नए ट्रेड यूनियन परिसंघ (सीओएनएलयूटीए) का गठन किया है। इसका गठन 5–7 मई 2006 को आयोजित सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन में 22 राज्यों से 2,700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; जो लगभग 18 लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सीओएनएलयूटीए दसियों लाख ब्राजीलियाई श्रमिकों और गरीबों का एक सामाजिक ध्रुव बन चुका है।

एकता को मजबूत बनाना

श्रमिक वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकता के महत्त्व को समझने के लिए हमें इस बात की अनुभूति इस संदर्भ में करनी होगी कि साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के अन्तर्गत विदेशी पूंजी विश्व के हर कोने में पहुंच रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपना आधिपत्य जमा लिया है। पूंजी का अपार केन्द्रीयकरण एवं उसका एक ही स्थान पर केन्द्रित होना, उत्पादन का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, विदेशी बहुराष्ट्रीयों की इजारेदारी, व्यापक स्तर पर उत्पादन करने में सहायक नयी प्रौद्योगिकी को लगातार विकसित करने साम्राज्यवादियों का नियंत्रण इत्यादि से इसकी प्रमुख विशेषताओं की पहचान की जा सकती है। इस स्थिति में श्रमिक आंदोलन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता लाने के काम ने अभूतपूर्व आवश्यकता का रूप ले लिया है।

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के युग में नव–उदार सत्ताओं के खिलाफ संघर्ष करना अब केवल रोजमर्रा का ट्रेड यूनियन संघर्ष ही नहीं रह गया है। वर्तमान स्थिति में राष्ट्र–राज्यों में नीतियों को बदलने के लिए संघर्ष अथवा सत्तधारी श्रेणी को तबदील करने के लिए संघर्ष हैं। अतः यह केवल श्रमिक आंदोलन के लिए ही चिंता का विषय नहीं है। यह एक व्यापक प्रश्न है; यह प्रश्न सम्पूर्ण श्रमजीवी जनता से सम्बन्ध रखता है। मूल टकराव पूंजी और श्रम के बीच है। इसलिए श्रमिक आंदोलन के सामने बड़ा काम वर्ग संघर्ष का एक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण अपना कर सम्पूर्ण श्रमजीवी जनता अथवा मेहनतकश अवाम को लामबंद करने का है।

आज राष्ट्र–राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों द्वारा झेले जा रहे हमले की जड़ में वही नीतियां हैं जिन्हें सम्बन्धित देशों की सरकारों ने अपना रखा है। इसलिए राष्ट्र–राज्यों में सेक्टर वार संघर्षों की परिणति नव–उदाकरण की नीतियों का पालन करने वाली सरकारों की जन विरोधी एवं श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्षों की दिशा की सीध में होनी चाहिए। नव–उदार नीतियों की सत्ताओं की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय एकजुट प्रतिरोधी संघर्षों को विकसित किए जाने का प्रश्न श्रमिक वर्ग पर दुष्प्रभाव डालता है; इस तथ्य को राष्ट्र–राज्यों में जारी संघर्षों की अवधारणा के आलोक में समझा जाना चाहिए। क्योंकि आखिरकार यह साम्राज्यवादी ताकतों की ओर से सुझाई गई आर्थिक नीतियों को परास्त करने का प्रश्न है जिन्हें अपने अन्तर्राष्ट्रीय आकाओं की वफादार राजनीतिक ताकतों की ओर से राष्ट्र–राज्यों में अमल में लाया जाता है। वर्तमान में श्रमिक वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए उसमें साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्वस्तु का होना जरूरी है; यही बुनियादी समझ

होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि "भूमण्डलीयकरण साम्राज्यवादी तथा वर्गीय संवशत्ति (दूसरे शब्दों में घटनाक्रम) दोनों है।" इसलिए, शोषित श्रेणी को साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लामबंद किया जाना चाहिए।

वर्तमान में जारी साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के हमले में अब अमरीका सरकार की पहचान एक खल नायक के रूप में हो चुकी है। विश्व में अमरीका सरकार के खिलाफ लोगों में एक लामिसाल गुस्से की लहर चलती देखी जा सकती है। पियु शोध केन्द्र के अनुसार विश्व जनमत का सर्वेक्षण करने वाले वाशिंगटन के एक अधिकारी ने विचार व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति बुश के शासन काल में अमरीका विरोधी विचारधारा नयी बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। यह विरोध पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, "अमरीका विरोधी विचारधारा बहुत गहरी और व्यापक हो चुकी है; आधुनिक इतिहास में इसने शायद ही पहले कभी इतनी अधिक गहराई और बुलंदियों को छुआ हो।" लातिनी अमरीका में अमरीकी साम्राज्यवाद की दादागिरी के खिलाफ लोगों में विद्रोह के स्वरों का उभरना; अरब तथा अफरीका के लोगों की ओर से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से अमरीकी हथकण्डों के खिलाफ विद्रोह करना; साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ युरोप और एशिया के श्रमिक वर्ग के प्रतिरोधी आंदोलन इत्यादि निश्चित तौर पर श्रमिक वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हैं।

इस तरह की स्थितियों में श्रमिक वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने के लिए एक सामान्य आधार लोगों और अमरीकी साम्राज्यवाद के बीच तीव्र से तीव्रतर होते चले जा रहे टकरावों पर आधारित हो सकता है। बहस की प्रक्रिया में एक विशेष समझ और उसके लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों की पहचान होना जरूरी है। इस तरह की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नीचे कुछेक मुद्दों का सुझाव दिया जाता है:

• विश्व भर में अधिक से अधिक श्रमिक अपनी–अपनी सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर अमरीकी साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण तथा नव–उदार आर्थिक सत्ताओं के खिलाफ संघर्षों के मैदान में कूद रहे हैं; इसमें संदेह नहीं। इन ताकतों में एकता लाने की सम्भावनाएं बहुत व्यापक बन चुकी हैं और इसके लिए मैदान खुला है।

• पूंजीवाद का संकट और गहरा होने, वर्गीय टकरावों के और तेज होने और श्रमिक वर्ग के बढ़ते संघर्षों विशेष तौर पर विकासशील देशों और उनके साथ–साथ विकसित देशों में भी, के साथ ही ताकतों में नयी सफबंदी का होना लाजमी है।

• अमरीकी साम्राज्यवाद के हमलों के खिलाफ संघर्षों में शामिल होने के इच्छुक श्रमिक वर्ग की व्यापकतर एकता का निर्माण करने का प्रश्न उन्हें एकजुट करने वाला कारक बन सकता है।

• इस मामले में बुनियादी जिम्मेदारी का निर्वहन उन ताकतों को करना होगा जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि श्रमिक वर्ग की विचारधारा हीनता का उपयोग साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण को बढ़ावा देने वाले एक साधन के रूप में किया जाता रहा है।

• वर्तमान में सीआइटीयू को विश्व स्तर पर श्रमिक आंदोलन में बहुत ऊंचा एवं सम्माननीय स्थान हासिल है। उसे यह स्थान इसलिए हासिल हो सका है क्योंकि वह साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण तथा नव–उदार आर्थिक नीतियों के खिलाफ देश तथा विदेश दोनों स्तरों पर चल रहे संघर्ष में श्रमिक वर्ग के संघर्षों के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की स्थिति का तकाजा है कि सीआइटीयू श्रमिक वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के काम में अपनी भूमिका का निर्वहन करे।

अखिल भारत सम्मेलन
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
I January 17-21, 2007 I BANGALORE I

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कमिशन दस्तावेज
न्यायपालिका और भारत का श्रमिक वर्ग

न्यायशास्त्र वर्ग संघर्ष से अछूता नही हो सकता। सन् 1848 में लिखे गए कम्युनिस्ट घोषणापत्र ने साफ तौर पर बताया था कि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत, न्यायशास्त्र पुंजीवादी वर्ग के हितों में काम करता है। मुट्ठी भर लोगों को वह न्याय दिलवाता है, और उनके द्वारा जनता के विशाल बहुमत के शोषण का वह समर्थन करता है। पूंजीवादी वर्ग को फटकार लगाते हुए, कम्युनिस्ट घोषणापत्र कहता है कि, *"तुम्हारे विचार तक पूंजीवादी उत्पादन व पूंजीवादी सम्पत्ति की परिस्थिति से उपजते है, ठीक उसी तरह से जैसे तुम्हारे वर्ग की मर्जी को सबकी मर्जी के नाम पर तुम्हारा न्यायशास्त्र बनाया गया है। इस मर्जी का बुनियादी चरित्र और दिशा तुम्हारे वर्ग के अस्तित्व के आर्थिक हालात से तय होते हैं।"*

राजसत्ता का एक अंग

राज्य की लेनिनवादी परिभाषा के अनुसार न्यायपालिका राजसत्ता का एक अंग है और राजसत्ता की विचारधारा, शासक वर्ग की विचारधारा है। वर्गों में बंटे किसी भी समाज में वर्ग संघर्ष एक शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध होता है। वह तभी खत्म होता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को खत्म कर डालता है। अपनी प्रसिद्ध रचना 'राज्य और क्रांति' में लेनिन ने लिखा थाः *"वर्गों के आपसी टकराव का नतीजा और लक्षण राज्य है। जहां वर्गों के टकराव में कोई समझौता नही हो पाता, वहीं राज्य उभरता है। और उसके उलट, राज्य का होना इस बात को साबित करता है कि वर्गों के अंतर्विरोध को पाटा नही जा सकता।"*

दास प्रथा पर आधारित समाजों से लेकर पूंजीवादी समाजों तक हरेक में न्यायपालिका, शासक वर्ग के हितों की ही सेवा करती चली आई है। 'राज्य और क्रांति' में लेनिन ने लिखा थाः *"प्राचीन और सामंती राज्य दासों और अर्ध दासों का शोषण करने का तंत्र थे। उसी तरह आधुनिक प्रतिनिधि राज्य, पूंजी द्वारा वेतन भोगी श्रमक का शोषण करने का औज़ार हैं।"*

दास प्रथा वाले समाजों, जैसे प्राचीन यूनान, में राज्य की विचारधारा के मुताबिक दास प्रथा निहायत ज़रूरी थी और सभ्यता के विकास में मदद करती थी। स्वाभाविक है कि उस समय की यूनानी न्यायपालिका भी दास प्रथा का समर्थन ही करती थी। उसी प्रकार सामंती समाजों में सामंती शोषण की विचारधारा का बोलबाला था और न्यायपालिका की राजशाही व किसानों व अन्य मेहनतकशों के सामंती शोषण की समर्थक थी। राजशाही के तमाम मनमाने आदेशों को न्यायपालिका जायज़ व कानूनी ठहराती थी। पूंजीवादी व्यवस्था भी इसका कोई अपवाद नहीं है। इसके उदय के बाद से मजदूरों का बर्बर चौतरफा शोषण होता रहा है और न्यायपालिका ने सम्पूर्ण रूप से

शासक वर्ग का ही साथ दिया है। हाल पूंजीवादी व्यवस्था में भी बना रहा – मजदूरों का भयानक शोषण किया जाता रहा है और न्यायपालिका शासक वर्ग का पूरा समर्थन करती है।

मगर, समय के गुजरने के साथ–साथ और मजदूर वर्ग के बढ़ते संघर्षों के कारण हालात में बदलाव आया। ट्रेड यूनियन अधिकारों और वेतन व अन्य सुविधाओं के मामले में पूंजीवादी वर्ग को मजबूर होकर कई रिआयतें देनी पड़ीं। न्यायपालिका का रवैया भी इसके अनुसार बदलता चला गया। मगर ध्यान रहे कि यह बदलाव मजदूर वर्ग द्वारा अपने हकों के लिए लड़े गए लम्बे संघर्षों की बदौलत आया। संसद में श्रम कानून पारित हुए। ऐसे दौर में जब पूंजीवादी 'कल्याणकारी राज्य' के विचारों का चलन था, राजसत्ता द्वारा मजदूरों को दिए गए हक और सुविधाओं के प्रति न्यायपालिका का भी समर्थन था क्योंकि इससे उस दौर में पुंजीवाद के विकास में मदद मिलती थी।

बदलाव का मौजूदा रास्ता

नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के लागू होने के पहले दिन से ही केन्द्र में एक के बाद बनने वाली दूसरी सरकार ने वर्तमान श्रम कानूनों में अनर्थकारी बदलाव लाने की कोशिशों में लगी रही हैं। यह अभियान चलाने के पीछे काम करने वाले उनके इरादे इस प्रकार हैं : क) ट्रेड यूनियन आंदोलन के रास्ते में कानूनी बाधाएँ खड़ी करना और ख) इन श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को कम से कम औपचारिक तौर पर हासिल कानूनी अधिकार और संरक्षण वापस ले लेना। उनका परम लक्ष्य आर्थिक संकट का भार मेहनतकश अवाम पर डालने के सदियों से चल रहे शोषक श्रेणियों के जघन्य खेल को समाप्त करने के लिए बढ़ते चले जा रहे संघर्षों को कुचलना है।

ठोस अर्थों में सेवायोजकों अथवा मालिकों की श्रेणी चाहती है कि 'हायर एण्ड फायर' को कानूनी रूप दे दिया जाए और कामकाजी स्थलों में व्यापक स्तर पर ठेका प्रथा तथा अस्थायीकरण लागू हो जाए; जिसके ठेकेदारों तथा मालिकों को अपने यहां काम करने वाले ठेका एवं अस्थायी श्रमिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से पूरी तरह छुटकारा दिला दिया जाए। वास्तव में, सत्ताधारी श्रेणी की ओर से श्रम कानूनों में बदलाव लाने के लिए की जा रही इस पूरी की पूरी कार्रवाई का उद्देश्य श्रम कानूनों को इस हद तक लचीला बना देना है कि वे रोजगार सम्बन्ध अस्पष्ट बन जाएं। इस तरह सेवायोजकों अथवा मालिकों को समाज के लिए दौलत पैदा करने वाले और उन्हें मुनाफा देने वाले श्रमिकों के प्रति सभी दायित्वों से छुटकारा मिल जाएगा।

न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन

नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के शैतानी युग का आरम्भ हो जाने के बाद डेढ़ दशक की लम्बी अवधि में राज्य की विधायिका और कार्यपालिका ने केन्द्रीय एवं राज्यों दोनों ही स्तरों पर कानूनों में सेवायोजकों के पक्ष में बदलाव लाने की दिशा में अधिक प्रगति नहीं की है। इसके अनेक कारण हैं।

विधान मण्डल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था है और श्रमिक वर्ग के नेतश्त्व में चलने वाला जन आंदोलन श्रम कानूनों में इस तरह के बदलाव लाए जाने और सामान्य तौर पर, नव–उदारवादी नीतियां सम्बन्धित मुद्दों के खिलाफ है जो उनके रुख को प्रभावित करती हैं। इन आंदोलनों ने निर्वाचित निकायों में राजनीतिक समीकरण बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार की पराजय और इसके बाद यूपीए सरकार का वाम राजनैतिक पार्टियों पर निर्भर होना राजनीतिक समीकरणों में इस तरह के बदलावों की अभिव्यक्ति है; जन आंदोलनों के कारण ही ये बदलाव आए हैं और इन्होनें श्रमिकों और जनता से जुड़े प्रश्नों पर सेवायोजकों के पक्ष में आमूल परिवर्तन लाए जाने के मार्ग में रुकावटें पैदा की हैं।

इस स्थिति में, न्यायपालिका ने आगे बढ़कर इस शून्य को भरा है और विधान मण्डल की भूमिका को हड़प लिया है। देशी और विदेशी दोनों पूँजी की ताकतों द्वारा नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के दृष्टिकोण के तहत

'राज्य' को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया गया है। इस युग में न्यायपालिका भी अपनी सीमा रेखा से बाहर चली गई है। इसे राज्य के एक अंग की ओर से दूसरे दोनों अंगों की मेहनतकश जनता के जनवादी अधिकारों का दमन करने के विफलता के कारण पैदा शून्य को भरने का प्रयास कहा जा सकता है। इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है, *''इन प्रयासों के असफल रहने के बाद अब न्यायपालिका की बारी है कि वह आगे बढ़े और उस जनतंत्र को सीमित करे जिसके अन्तर्गत लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।''* अब यह स्पष्ट हो गया है कि पिछले लगभग एक दशक अथवा उससे अधिक समय में श्रमिक वर्ग के जनवादी अधिकारों के मुद्दों पर न्यायपालिका का रुख उदारीकरण के नए लोकाचार को प्रतिबिम्बित करता है। उसका रुख बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति मित्रवत है और वर्गों में विभाजित समाज की उस विचारधारा की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार 'सत्ताधारी वर्गों का दृष्टिकोण न्यायपालिका सहित राज्य के सभी अंगों पर अपना प्रभाव डालता है।'

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश, वी.आर. कृष्णा अय्यर ने कहा *''उनकी दिखावे की निष्पक्षता में अनचाहे रूप से वर्ग पक्षधरता का समावेश हो जाता है।''* प्रो. जे.ए.जी. ग्रिफिथ की पुस्तक 'न्यायपालिका की राजनीति' का हवाला देते हुए श्री अय्यर आगे कहते हैं *''न्यायधीश भी तो मानव होते हैं; वर्गीय पक्षधरता से मुक्त नहीं रह सकते, भले ही वे जानबूझकर वर्गीय पक्षपात न करें पर उनका अचेत मन वर्गीय पक्षधरता के आगे समर्पण कर ही देता है।''*

झुकाव का दौर

फिर भी इससे पहले कि हम आर्थिक उदारीकरण के इस युग में न्यायालयों द्वारा दिए गए घोर श्रमिक–विरोधी निर्णयों पर एक नजर डालें तो इस अवधि में न्यायालय का रुख क्या है और आर्थिक उदारीकरण की नीतियां शुरू होने से पहले उसका रुख क्या था, इस पर विचार करना तर्क संगत रहेगा। यह भी एक तथ्य है कि उदारीकरण से पहले के दौर में न्यायपालिका ने मेहनतकश अवाम के अधिकारों को बनाए रखते हुए कामगारों के पक्ष में भी अपने फैसले दिए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने उस अवधि के दौरान जब बुर्जआ–सामंती सरकार को अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिए मेहनतकश अवाम के समर्थन की जरूरत थी, संविधान के निदेशक सिद्धांतों का आदर किया और उन्हें अमल में उतारा था। 1980 के दशक तक न्यायपालिका की ओर से दिए गए फैसलों में उसके एक विशेष रुख का प्रदर्शन होता है; यह रुख था अदालत के फैसलों में संविधान के सामाजिक दर्शन को जोड़ना।''

उच्चतम न्यायालय ने, पिछले बकाया वेतनों के साथ कामगारों को उनकी नौकरी में बहाल करके रोजगार सुरक्षा का एक तंत्र मेहनतकश अवाम के लिए स्थापित किया था; उसने वेतनों और बोनस के मामले में लेबर ट्रिव्यूनलों द्वारा दिए गए अनेक फैसलों को बनाए रखा था; उसने आकस्मिक एवं अस्थायी श्रमिकों अथवा दिहाड़ीदार मजदूरों को नियमित कराया था; उद्योग की परिभाषा को व्यापक बनाया था जिसके फलस्वरूप मेहनतकश अवाम की एक बहुत बड़ी संख्या को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा मिली थी।

न्यायालय ने ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंतर्गत रोहताश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम रोहताश इंडस्ट्रीज़ कर्मचारी यूनियन (1976) 2 एससीसी 82 के मुकद्दमें में कामगारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान की थी; उसने नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बनाम आर पी रामाकृष्णा (1983) 1 एससीसी 228 के मुकद्दमें में कम्पनी को बंद करने की कार्रवाई में श्रमिकों को भाग लेने का अधिकार प्रदान किया था। उसने बी.आर. सिंह बनाम भारतीय संघ (1989) 4 एससीसी 710 के मुकद्दमें में एक कानूनी अधिकार के रूप में हड़ताल के अधिकार को मान्यता दी थी। उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एन की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा था जिसके अन्तर्गत सरकार की अनुमति के बिना कामगारों की छँटनी नहीं की जा सकती। यह बात उसने कामगार बनाम महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड (1992) 3 एससीसी 336 के मुकद्दमें में व्यापार और कारोबार करने के सेवायोजक के अधिकारों पर इस धारा को उचित अंकुश बताते हुए कही थी।

कामगार विरोधी मानसिकता

परन्तु 1991 के बाद से हर सरकार द्वारा नव–उदारीकरण की सामाजिक–आर्थिक नीतियों के प्रभाव में हमारे देश की न्यायपालिका के रुख में बदलाव आया है। दृष्टिकोण के इस बदलाव के फलस्वरूप श्रमिकों के अधिकारों का जबरदस्त क्षरण हुआ है और सेवायोजक के पक्ष में कानूनों को परिभाषित किया जा रहा है।

न्यायपालिका की यह मानसिकता कुछ क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रदर्शित हुई है जैसे हड़ताल करने के मजदूरों के अधिकार; काम से निकाले गए मजदूरों को बहाल करने और बकाया वेतन देने से इन्कार करके बड़ी चालाकी के साथ 'हायर एण्ड फॉयर' के सिद्धांत को लागू करने; वर्षों से काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने; कर्मचारियों पर अपने रोजगार का सबूत पेश करने का बोझ डालना जबकि इस तरह का प्रमाण पत्र सेवायोजक के पास होता है; कामगार की परिभाषा; सेवायोजक–कर्मचारी सम्बन्ध हैं भी या नहीं हैं, इसका निर्धारण करने के लिए जांच करने; अनुशासन की कार्रवाईयों के मामले में अदालत का नुकसानदेह और अति कानूनी रुख इत्यादि।

बदली मानसिकता के इस युग में न्यायपालिका सेवायोजकों के पक्ष में और कामगारों के खिलाफ कानून के प्रावधानों से भी आगे चले जाने के लिए उतावली हो गई है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिल जाता है कि सम्बन्धित कानून के वैधानिक प्रावधानों का पालन करने की बजाए जज अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने लगे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय देते हुए कहा था कि *''विशेषाधिकार का उपयोग करके अदालत में दिए गए निर्णय की पुष्टि सदा कानून के द्वारा हो, यह जरूरी नहीं।''*

ट्रेड यूनियनों के मूलभूत अधिकारों पर हमला

मौजूदा न्यायपालिका उन मूल अधिकारों पर निशाना साध रही है जो श्रमिक वर्ग ने कठोर संघर्ष करके हासिल किए थे और इस तरह से वह भूमण्डलीयकरण, निजीकरण और उदारीकरण की विचारधारा के प्रति अधिक से अधिक वचनबद्ध होती जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में अपना कुख्यात निर्णय देकर मेहनतकश अवाम के मूल अधिकारों पर सबसे अधिक दुःखदायी हमला किया था। उसने अपने फैसले में कहा था, *''जहां तक हड़ताल करने के अधिकार का प्रश्न है – चाहे यह मौलिक अधिकार हो अथवा वैधानिक अथवा हड़ताल करने का समतापूर्ण नैतिक अधिकार – हमारे दृष्टिकोण से सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कोई अधिकार हासिल नहीं है।''* इसी तरह का एक और हमला केरल उच्च न्यायालय ने 'बंद' का आह्वान करने के राजनीतिक दलों के अधिकार के खिलाफ फैसला देकर किया तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का एक फैसला देकर सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2006 में उस समय तक प्रदर्शनों, धरनों तथा रैलियों का आयोजन करने और लेख इत्यादि प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी थी जब तक उनके मामले अदालतों में लम्बित हैं। इस तरह की घोषणाएं बोलने एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारी अंकुश लगाने वाली हैं। उस घटना को याद किया जाए जबट्रेड यूनियन नेता शंकर गुहा नियोगी के हत्यारे को दोषमुक्त करार दिए जाने सम्बन्धी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सैल को सात दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। निर्णय की घोषणा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, *''यह आरोप कि न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह सम्पन्न व्यक्तियों को दण्ड दे सके, न्याय के प्रशासन को उपहास का पात्र बनाएगा और उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इस तरह की मानसिकता को सख्ती से दबाया जाना चाहिए।''*

न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मुकद्दमों में फैसला देते समय प्रतिबंध एवं अंकुश लगाए जाने की उपरोक्त घोषणाएं किए

जाने से सेवायोजकों की श्रेणी को उत्साह मिला है। वे अपनी रोजमर्रा की ट्रेड यूनियन विरोधी गतिविधियों में विभिन्न अदालतों में जाकर इस तरह की घोषणाएं करा लेते हैं। गेट मीटिंगों और कामकाजी स्थलों पर अथवा उनके निकट प्रचार अभियान चलाने जैसी साधारण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश बड़ी उदारता के साथ पहले–से ही जारी कर दिए जाते हैं। हड़ताल शुरू होने से पहले ही उसे गैर–कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाहियों से सेवायोजकों के हौंसले बढ़ जाते हैं। वे निडर होकर ट्रेड यूनियन नेताओं पर धावा बोल देते हैं और साधारण मजदूरों में अपना आतंक पैदा करते हैं।

न्यायालय के इस कामगार विरोधी दृष्टिकोण अत्यंत सरीक टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि ''उच्चतम न्यायालय की नवीनतम सोच दुखद रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए प्रगतिवादी अधिकार युक्त निर्णयों के तत्व और भावना के विपरीत है, जिन्हें अनेक दिग्गज न्यायधीशों ने प्रदान किया था।

यह गंभीर रोष का मामला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों ने झूठ का आश्रय लिया है जैसा कि 13 अगस्त 2003 को 'हिन्दू' के सम्पादकीय के ''उच्चतम न्यायालय और हड़ताल का अधिकार'' नामक सम्पादकीय में कहा गया–''हाल के मामले में न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का जिक्र किया है, जो हमेशा संदर्भ में नहीं है, कि ''कर्मचारियों को हड़ताल का मूलभूत अधिकार नहीं है,'' कि ऐसी कोई संवैधानिक अधिकार की गारंटी नहीं है, कि ''प्रभावी सामूहिक मोलभाव किया जा सके,'' कि हड़तालों को ''वर्तमान स्थिति में'' उचित नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे यह *''न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कारण''* से हो, तथा हड़ताल *''न्याय की तुलना में अधिक नुकसान करती है।''* इस सम्पादकीय में आगे कहा गया है कि ''यदि ये वक्तव्य वास्तविक धरातल से मेल खाते थे तो वर्ष 2003 में भारत अपने मेहनतकाश आवाम के लिए किसी भी प्रकार लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता था।''

बहाली पर बकाया पूरा वेतन नहीं मिलना

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जसबीर सिंह (2005) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब तक न्यायालय ने कामगारों के अधिकारों पर काफी अधिक बल दिया है तथा नियोक्ताओं पर उनके धंधे को व्यवस्थित करने के अधिकारों की अनुचित कटौती की है।

न्यायालय ने अपने पूर्व दशष्टिकोण को प्रत्यक्ष रूप से नकारते हुए रोष व्यक्त किया कि ''रोजगार और बेरोजगारी के मामलों ने बड़ी संख्या में औद्योगिक तथा श्रम संबंधी दावे पैदा किए हैं, जिसके फल स्वरूप पिछले वर्षों के बकाया वेतन की बड़ी राशियां उन कामगारों को प्रदान की गई, जिन्हें गैर–कानूनी रूप से सेवा से अलग किया गया या उनकी सेवाएँ समाप्त की गई थीं। अनेक मामलों में यह भारी राशि मध्यम श्रेणी के नियोक्ताओं को अपने उद्योग बंद करने के लिए बाध्य कर देती है। लघु उद्यमों को उद्योग के रूप में लेने वाले श्रम न्यायालयों द्वारा बहाली और बकाया वेतन के भुगतान से वे एक गंभीर औद्योगिक जोखिम महसूस कर रहे हैं, विशेष कर जो निजी क्षेत्र में है।'' न्यायालय ने कामगारों को नियोक्ताओं के समकक्ष बताते हुए राय दी कि कामगारों ने नियोक्ताओं का समान रूप से शोषण किया है और घोषणा की कि कामगारों और नियोक्ताओं दोनों द्वारा शोषण पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (प) में आए ''उद्योग'' पद को पुनः परिभाषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि बैंगलोर जल आपूर्ति और मल बोर्ड बनाम (आर. राजप्पा : ए आई आर 1978 एस सी 548 और 969) में न्यायालय के ज्ञानी न्यायाधीशों ने उद्योग के दायरे के बाहर सिर्फ उन कामों को छोड़ा है जो राज्य के तीन स्कंधों, नामतः कार्यपालिका, विधान मण्डल और न्यायापालिका, के संवैधानिक कार्य हैं। सार्वभौम की संकल्पना एक संवैधानिक लोकतंत्र में भिन्न होती है। संविधान द्वारा नियंत्रित एक लोकतंत्र में सार्वभैमिकता, जनता में निहित होती है और सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सार्वजनिक कल्याण की गतिविधियाँ करती है। सार्वभैम जिम्मेदारियों को पूरा करने में किए गए काम ही उद्योग के कार्यक्षेत्र के बाहर आते हैं।

अब न्यायालय ने लम्बे समय से मील का पत्थर रहे अपने ही निर्णय, कि सेवा में बहाली पर कामगार को पिछला पूरा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, को पलटते हुए पिछले पारिश्रमिक और सेवा की सुरक्षा की क्षति को ठुकराते हुए एक नया निर्णय दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पहले पिछले पूरे पारिश्रमिक के भुगतान के निर्देश सेवा समाप्ति को अवैध घोषित करने का सामान्य परिणाम हुआ करता था परन्तु अब यह अनुभव किया गया है कि उद्योग को अपने कामगार को उस अवधि के लिए भुगतान हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, जो अनुत्पादक था अथवा जिस दौरान उसका कुछ भी योगदान नहीं था।

न्यायालय ने कहा कि जब औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत निर्णय के मामले में न्याय की तलाश है तो उच्च न्यायालयों के लिए यह अनुचित होगा कि वे यांत्रिक रूप से विधान के कठोर नियम उन पर लागू करें। न्याय तब होगा जब किसी व्यक्ति को वह दिया जाए जो उसे देय है न कि जो उसे कानून के तहत दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को कुछ पाने का अधिकार सिर्फ इसीलिए नही मिल जाता क्योंकि ऐसा करना कानूनी है।

इस प्रकार कलम की एक चोट से न केवल गलत तरीके से नौकरी से निकालने के मामले से पिछला पूरा वेतन पाने का अधिकार बल्कि रोजगार सुरक्षा का अधिकार भी वापस ले लिया गया है– क्योंकि बहाली के आदेश में पिछले पारिश्रमिक का भुगतान करने के डर से नियोक्ता द्वारा जल्दी/कपटपूर्ण कार्रवाइयों से हिचकिचाते थे। यू.पी. ब्रास वेयर कॉर्पोरेशन लि. और अन्य विरुद्ध उदय नारायण पाण्डे (2006) 1 एसीसी 479।

"समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं"

सर्वोच्च न्यायालय वैश्वीकरण की वर्तमान घातक नीति से किस प्रकार प्रभावित हैं, यह दो अवधियों से संबंधित एक ही विषय पर दो निर्णयों में स्पष्ट रूप से झलकता है – जो वैश्वीकरण की नीति आरंभ होने के पहले और बाद में देखी गई। मामला समान कार्य के लिए समान वेतन का था। रणवीर सिंह विरुद्ध भारतीय संघ के बीच मामला निपटाते समय 1982 में उच्चतम न्यायालय ने कामगारों के पक्ष में मत दिया और कहा कि संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत होने के बावजूद इसे एक मौलिक अधिकार के स्तर तक उठाया गया है।

अब अपने ही निर्णय को बदलकर और कामगारों के पक्ष में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को किनारे रख कर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई अपील का निपटारा करते हुए उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा *"समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को प्रत्येक मामले पर कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है।"* उच्च न्यायालय को फटकार लगाते हुए पीठ ने दावा किया कि *"ये ऐसे मामले नहीं है जिनमें एक न्यायालय हल्के तरीके से दखलंदाज़ी करे . . . . . इन सभी मामलों में हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दशष्टिहीन की तरह कार्रवाई की है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की विचारधारा किसी संगत कारक की जाँच के बिना ही लागू होती है।"*

बिना किसी लाग लपेट के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि वह वैश्वीकरण की नीति से प्रभावित हुआ है। यू.पी.स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लि. विरुद्ध उदय नारायण पाण्डे के मामले में 8 दिसम्बर 2005 को निर्णय देते हुए दो सदस्यीय पीठ ने नोट किया है *"इस न्यायालय के अगले निर्णयों द्वारा लाए गए परिवर्तन संभवतया प्रचलित बाज़ार अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, निजीकरण और आउट सोर्सिंग को देखते हुए सरकार के नीति निर्णयों में परिवर्तन के संबंध में है, जो स्पष्ट है।"*
जैसा कि हम पूँजीवादी वैश्वीकरण के तहत "बाज़ार अर्थव्यवस्था" के प्रबल समर्थकों से सुनते हैं कि वर्तमान

आर्थिक युग में यदि ट्रेड यूनियनों की गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं की जातीं तो इन पर कटौती अवश्य की जानी चाहिए, उसी तरह उच्चतम न्यायालय ने भी कामगारों का उपदेश दिया है कि : ''प्रचलित स्थिति में . . . . . शिकायतों का समाधान करने के लिए हड़ताल पर जाने के बजाय, यदि कर्मचारी कुछ अधिक कार्य ईमानदारी, निष्ठापूर्वक और कुशलता से करते हैं तो इसकी न केवल प्राधिकारी, बल्कि आम जनता भी इसकी सराहना करेगी।''

ये उद्घोषणाएँ निस्संदेह वर्ग के प्रति पक्षपात, साहसिकता और उपहास की घशणित अभिव्यक्ति हैं। एक ओर, कामगार अपने मूलभूत अधिकारों से पूरी तरह वंचित हैं, राज्य मशीनरी की निर्दयताएँ भूखे कामगारों पर बरसाई गईं, ट्रेड यूनियन बिखर गए हैं और ट्रेड यूनियन आयोजकों की मौतें लगातार बढ़ रही हैं और दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय कागारों को 'ईमानदारी', 'निष्ठापूर्वक' और 'संक्षमता' से कार्य करने का उपदेश दे रहा है।
ठेका मजदूर – समापन पर कोई रोजगार नहीं

एयर इंडिया विरुद्ध यूनाइटेड लेबर यूनियन : (1997) 9 एससीसी 377 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ठेका मजदूर की समाप्ति पर सभी ठेका श्रमिक स्वतः ही प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी बन जाते हैं। जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया विरुद्ध नेशनल यूनियन ऑफ वॉटर फ्रंट वर्कर्स : (2001) 7 एसीसी पश्ष्ठ 1 : उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्थित कानून को उल्टा करते हुए ठेका प्रथा की समाप्ति पर स्वतः रोजगार में लिए जाने के विरुद्ध नियम बनाकर एक ऐसी स्थिति पैदा की, जहाँ कामगार के अधिकारों को गंभीर क्षति पहुँची। आगे के मामलों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निर्णय के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने ज्यादा कठोर रवैया अपनाया चाहे वह ऐसे मामले हों, जिनमें स्थायी और सालाना प्रकार के कार्य वाले ठेका मजदूर थे जो प्रधान नियोक्ता का कर्मचारी बनने के हकदार थे। न्यायालय ने कहा कि जबकि नियोक्ता–कर्मचारी के संबंध निर्धारण में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण परीक्षण था, परन्तु यह एकमात्र परीक्षण नहीं था। न्यायालय ने कहा कि चाहे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध वास्तविक हैं अथवा एक ठेकेदार के माध्यम से छुपा हुआ है, वास्तव में इस तथ्य का निर्धारण संबंध की विशेषताओं, रोजगार की लिखित शर्तें और रोजगार की वास्तविक प्रकृति के आधार पर किया जाए, जिन्हें औद्योगिक निर्णायकों द्वारा तय किया जाना है। न्यायालय ने बताया कि तथ्यों को सुनिश्चित किए बिना कामगारों को कोई राहत नहीं दिलाई जा सकती है।

राजस्थान आवास विकास संगठन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसके संदर्भित मुद्दों से काफी आगे जाकर नियोक्ता (इस मामले में राजस्थान सरकार) को अपने कर्मचारी वर्ग के पुनर्गठन तथा उसे कम करने और पदों को समाप्त करने के अधिकार दे दिए और नियोक्ता द्वारा बेसहारा छोड़ दिए गए कर्मचारियों के पुनः रोजगार की कोई बाध्यता नहीं बनाई।

राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ के निर्णय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, ने प्रभावित कर्मचारियों को वेतन–सुरक्षा और सेवा की निरंतरता के साथ पुनः रोजगार के लाभ दिए थे, जबकि राज्य आवास मण्डल की एक इकाई को बंद करने की अनुमति दी गई। वास्तव में न्यायालय ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना के परे जाकर नियोक्ता को 'काम पर रखो और निकालो' का अधिकार दिया, जिसकी मांग उदारीकृत आर्थिक नीति के आरंभ से ही नियोक्ता वर्ग कर रहा है। मीडिया ने इसे जिस उत्साह से उठाया, इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि बहुप्रतीक्षित *''श्रम बाज़ार सुधार''* न्यायपालिका के सौजन्य से आ पहुँचे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कैंटीन के कामगारों के विरुद्ध भी निर्णय दिया, जबकि वह कैंटीन कम्पनी द्वारा अपने परिसर में फैक्टरी अधिनियम, 1948 वैधानिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत बनाया गया था। न्यायालय ने कहा कि कामगारों को कम्पनी द्वारा नियुक्त कामगार ही बनाकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि : (1) कैंटीन के कर्मचारियों को सीधे कम्पनी द्वारा रोजगार नहीं दिया गया है; (2) वे कम्पनी के नियमित और प्रत्यक्ष कर्मचारियों द्वारा उठाए गए अवकाश तथा अन्य लाभ के लिए कम्पनी के पास नहीं गए; (3) उन्हें रेजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद ठेकेदारों से पारिश्रमिक

मिलता था; (4) वे केटरर द्वारा बनाए गए उपस्थिति–सह–वेतन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते थे।

यह स्पष्ट कि न्यायालय ने पूरी तरह से कानूनी दशष्टिकोण अपनाते हुए इस तथ्य की उपेक्षा की है कि चूंकि कर्मचारी ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए थे, इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की जा सकीं और यह कि वे प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी थे, इसका निर्धारण, नियंत्रण के आधार पर और सालाना एवं स्थायी प्रकार के कार्य से किया जा सकता था। राम सिंह विरुद्ध केन्द्र शसित प्रदेश, चंडीगढ़ : (2004) 1 एससीसी 126 और कोट्स ऑफ इंडिया की कैंटीन के कर्मचारी विरुद्ध कोट्स ऑफ इंडिया लि. : (2004) 3 एससीसी 247।

नियमितीकरण को अलविदा

न्यायालय का सबसे बड़ा हमला उन कर्मचारी वर्गो पर हुआ है जो लगातार कई वर्षो से आकस्मिक और अस्थायी दैनिक वेतन कामगारों के रूप में कार्यरत हैं। न्यायालय ने कहा कि वे नियमित रोजगार के हकदार नहीं है। सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य विरुद्ध उमा देवी और अन्य (2006) 4 एससीसी पश्ष्ठ 1 में न्यायालय ने इस विषय पर बने कानून पर रोष व्यक्त किया और घोषित किया कि चाहे कर्मचारियों की ये श्रेणियाँ वर्षो से रोजगाररत हैं, इन्हें नियमित होने की पात्रता नहीं है, क्योंकि न्यायालय के अनुसार ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, जो रोजगार की प्रतीक्षा में हैं। न्यायालय इस पर विचार करने के लिए नहीं रुका कि नियमों के अनुसार नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के लिए प्राधिकारी क्या करते हैं और यह नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एक ओर इस निर्णय से न्यायालय ने प्राधिकारियों को लंबे समय तक दैनिक–पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों के रूप में रखकर निर्धन कामगारों को बेरहमी से शोषण करने की छूट दी और दूसरी ओर उनके नियमित रोजगार के अधिकार को ठुकरा दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ठेका मजदूर (नियमन और समापन) अधिनियम के देश भर में चल रहे खुले उल्लंघन को कानूनी जामा पहनाता है जिसमें सबसे आगे केंद्रिय व राज्य सरकारें हैं। वस्तुतः यह अधिनियम संशोधित हो गया है, जिसे सरकार अब तक 'आर्थिक सुधार' के युग में असफल रूप से करने की कोशिश करती रही है। वास्तव में इस अधोगामी निर्णय से न्यायालय ने गुलामी को बढ़ावा दिया है। उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों ने *''काम पर रखो और हटाओ''* के सिद्धांत को पिछले दरवाज़े से लागू करवा दिया है।

एक अन्य नियोक्ता–उन्मुख पूर्वग्रह नगर निगम, फरीदाबाद विरुद्ध श्रीनिवास (2004) 8 एससीसी 195 के बीच मामले में प्रकट हुआ। इस तथ्य की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए कि एक कर्मचारी के रोजगार से संबंधित दस्तावेज़ प्रबंधन के पास हैं, न्यायालय ने कहा कि यह सिद्ध करने का भार कामगार पर है, कि उसने कथित निष्कासन से पूर्व पिछले 12 कैलेंडर माह में 240 दिनों तक कार्य किया है। इस प्रकार साक्ष्य कानून के प्रचारित सिद्धांत को किनारे कर दिया गया कि किसी तथ्य के सबूत के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किए जाने चाहिए जो, रोजगार के मामले में, सदैव नियोक्ता के कब्ज़े में होता है।

'अनुशासन की कार्यवाही के बारे में

उच्चतम न्यायालय ने अनुशासन की कार्यवाही के मामलों में भी, नियोक्ताओं के हक में रवैया अपनाया और अपने कर्मचारियों से मनमर्जी से निबटने के लिए उन्हें छूट दे दी। यहां भी न्यायालय ने कहा कि कामगारों की सुरक्षा करने का एक तरफा नज़रिया गलत है।

पहले, अनुशासन कार्यवाही संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने सुधार का रवैया अपना रखा था, मगर अब ऐसा नही रहा। अब उन्होंनें बहुत तकनीकी रवैया और मिसाल पेश करने की नीति अपना ली है। कानून और व्यवस्था संबंधी दुराचरण, लम्बी अनधिकश्त गैर–हाजिरी, काम के प्रति कथित निष्ठा का अभाव, विश्वास खोना और कर्मचारियो द्वारा गबन आदि को इतना गम्भीर माना जाता है कि उनका दंड नौकरी से निकालना ही बना दिया गया है।

हाल में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियोक्ताओं कों ऐसे कर्मचारियों को निकालने का हक है जिन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को गाली दी (यानि कुछ झगड़ा हुआ) या जो काम पर सोते हुए पाए गए। बेनेट कोलमन के दो कर्मचारियों के मामले पर अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न केवल कर्मचारी को निकाल दिया जाए बल्कि उसकी ग्रेच्युटी भी ज़ब्त कर ली जाए। भारत फोर्ज द्वारा एक कर्मचारी को निकाले जाने के मामले में न्यायालय ने कहा, *''काम के समय सो जाना एक एक ऐसा दुराचरण है जिसका जायज़ दण्ड नौकरी से निकालना बनता है।''* महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के एक मामले में, एक कर्मचारी को 11 साल बाद इसलिए निकाला गया कि भद्दी भाषा का इस्तेमाल नौकरी से निकाल बाहर करने के लिए जायज़ कारण है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के फैसलों में स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ किसी हड़ताल, चाहे वह गैर कानूनी हो, में हिस्सा लेना, अपने रोजगार को छोड़ना नही माना जा सकता। पंजाब नैशनल बैंक बनाम ऑल इंडिया पंजाब नैशनल बैंक एम्पलॉइज़ फेडरेशनः ए आई आर 1960 एस सी 160 तथा बर्न एंड कम्पनी बनाम उसके कामगारः ए आई आर 1959 एस सी 1111 में न्यायालय ने कहा कि हड़ताल पर जाना मजदूरों का अधिकार है और किसी गैर कानूनी हड़ताल में तक हिस्सा लेना उसकी सेवा पर असर नही डालता। मगर, यूपी स्टेट ब्रिज कोर्पोरेशन बनाम यू पी राज्य सेतु निगम कर्मचारी संघ (2004) 4 एस सी सी 268 में अपनी दिशा बदलते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हड़ताली कर्मचारी यदि बार–बार नोटिस दिए जाने के बावजूद हड़ताल जारी रखते हैं और काम पर नही आते तो इसे स्वेच्छा से रोजगार को छोड़ना माना जाएगा।

न्यायपालिका की जवाबदेही

यह गम्भीर चिंता का विषय है कि उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने यह घोषणा कर डाली कि *''न्यायपालिका क भूमिका अन्य अंगों के कामकाज की निगरानी करना है ताकि वे अपने उचित दायरे के बाहर न जाए।''* ऐसा कहा गया है कि न्यायपालिका में जवाबदेही का अभाव है क्योंकि वह विधायिका व कार्यपालिका के उल्लंघनों को रोकने का अधिकार तो अपना रहे हैं, मगर स्वयं राज्य के अंगों के काम में दखल का सवाल भी उठता है।

प्रोफेसर प्रभात पटनायक के अनुसार, *''न्यायिक फेसलों को आंख मंद कर मानना आधुनिक लोकतांत्रिक समाज का एक आम लक्षण है। इसके पीछे यह समझ है कि न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, न कि राष्ट्र की नैतिकता की रखवाली। लोकतंत्र में 'नैतिकता' को लागू करवाने की जिम्मेदारी केवल जनता पर होती है, न कि उन मुट्ठी भर लोगों पर जो निर्वाचित न होने के कारण, किसी के प्रति जवाबदेह भी नही होते।''*

समय आ गया है कि देश का मजदूर वर्ग और जनवादी आंदोलन एक जबरदस्त अभियान छेड़कर आम लोगों के दिमागों में बैठे इस भ्रम को नष्ट कर दे कि राज्य के अन्य अंगों की तुलना में न्यायपालिका ज्यादा श्रेष्ठ है, कामकाज में कोई भेदभाव नही करती और नैतिकता की हिफाज़त करती है। मजदूर वर्ग पर न्यायपालिका के हमले के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने के लिए यह ज़रूरी है कि 'श्रेष्ठता', 'इंसाफ' और 'नैतिकता' के नकाब को हटाकर लोगों के सामने वास्तविकता को लाना पड़ेगा।

निष्कर्ष

हड़तालों के प्रति न्यायपालिका के रवैये ने मजदूरों के हाथ से सामूहिक सौदेबाजी का महान हथियार छीन लिया है और नियोक्ताओं के रहमोकरम पर छोड़ दिया है। नियोक्ता–कामगार संबंध के अस्तित्व को तय करने के पहले के फैसले उलट दिए गए हैं और स्थाई या बहुवार्षिक रूप से चलने वाले कामों के लिए भी अब प्रबंधक ठेका मजदूर को भरती कर रहें है। स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय कानूनों की ऐसी व्याख्या कर रहा है जो पूंजीपति वर्ग के हित में है क्योंकि उसे लगता है कि मजदूरों को दिए गए संरक्षणों को खत्म करके उन्हें उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण के इस दौर में अमानवीय शोषण के लिए निहत्था छोड़ने की ज़रूरत है।

न्यायपालिका के मौजूदा रूख को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि श्रम और पूंजी के टकराव से संबंधित मामलों में और तमाम वर्ग संबंधित मामलों में, उदारीकरण के बाद आए फैसले पूंजीपति वर्ग और अमीरों के हक में जाते रहे हैं। मगर सबसे चिंताजनक पहलू तो यह है कि कई फेसले, संबंधित कानून या संविधान के दायरों से भी आगे निकल कर दिए गए हैं। इन फैसलों ने श्रम संबंधित मुद्दों पर मौजूद कानूनों को एक तरह से संशोधित कर दिया।

राज्य द्वारा नियुक्त न्यायपालिका की यह कार्यवाहियां जनता द्वारा चुनी गई विधायिका के कार्यक्षेत्र में घुसपैठ हैं जोकि सारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। पूंजीवादी लोकतंत्र में तक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अधिकारों का बंटवारा रखा जाता है। संविधान द्वारा तय दायरों में हरेक अंग काम करता है, बिना दूसरे अंग के कार्यक्षेत्र में दखल दिए। ऐसा तथाकथित रूप से संतुलन और सौहार्दय बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि लोकतांत्रिक प्रशासन चल सके।

'राज्य' के विभिन्न अंगों द्वारा जिस तरह से हाल कि दिनों में सीमाऐं तोड़ी जा रही हैं वह 'न्यायिक सक्रियता' का नतीजा है और मौजूदा तंत्र के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। लक्ष्मण रेखा को पार करने या विधायिका के अधिकारों को हड़पने की न्यायपालिका की प्रवशत्ति और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अपना वर्चस्व रखने का दावा लोकतांत्रिक ढ़ांचे में दरारें पैदा कर देगा। इसके फलस्वरूप जनता के जनवादी अधिकारों को खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए इस मामले पर जनआंदोलन की ज़रूरत है जो इस रूझान को लगाम लगा सकता है।

मजदूर वर्ग के अधिकारों पर चौतरफा हमला, जो कार्यस्थलों को गुलामी की जमीन में बदल डालेगें, वास्तव में यह दिखता है कि जनता और मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के प्रयासों में जब निर्वाचित अंगों में विरोध और बाधा आई तो 'राज्य' के गैर निर्वाचित अंगों ने यह बीड़ा उठा लिया। लोकतंत्र के लिए इससे न केवल तनाव बल्कि पीछे ढ़केले जाने का खतरा है। मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा का संघर्ष आगामी चुनौतियों की स्पष्ट समझ के साथ लड़ा जाना चाहिए।

ठीक उसी समय से जब अगस्त 2004 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले के द्वारा मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित कर दिया तभी से ट्रेड यूनियन आंदोलन ने एकमत होकर सरकार से मांग की कि वह आगे बढ़कर इस फैसले के खतरनाक परिणामों पर अंकुश लगाए। केंद्र में आई अलग–अलग सरकारों ने इस मांग पर ध्यान नही दिया और मजदूरों के अधिकारों के प्रति उदासीनता बनाए रखी। इसके चलते न्यायपालिका को और भी बल मिला और उसने कड़े संघर्षों के बाद जीते मजदूरों के कई हकों के एक के बाद कएक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।

वास्तव में यह सरकसर का निकम्मापन नही बल्कि सोची समझी नीति रही है। एक तरफ न्यायपालिका ने *'काम पर रखो और निकालो'* तंत्र की स्थापना के लिए कार्यवाही जारी रखी तो दूसरी तरफ सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जबकि लगातार उससे मांग की जा रही थी कि कानूनी हस्तक्षेप करके न्यायपालिका की ज्यादतियों से बचा जाए।

मौजूदा श्रम कानूनों में ऐसे कई चोर दरवाज़े और धुंधले प्रावधान है जिनका इस्तेमाल पूंजीपतिवर्ग, उन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए करता रहा है जो मजदूरों के संरक्षण के लिए बने थे। इन्हीं चोर दरवाजों और धुंधले प्रावधानों का चतुराई से इस्तेमाल करके न्यायपालिका भी श्रम विरोधी हमलों को कानूनी लिबास पहनाने क लिए कर रही है। सरकार को इस सब की पूरी जानकारी है मगर वह जानबूझकर कानूनी प्रावधानों की कमजोरियों को सुधारने से इन्कार कर रही है।

उदारीकरण के दौर के पहले, कानूनी ढ़ांचे की कमजोरियों के बावजूद, न्यायपालिका ने कई बार संविधान में दर्ज राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का सहारा लेकर, दोनों वर्गों में से ज्यादा कमजोर वर्ग, यानि मजदूर वर्ग, के

हितों की रक्षा की थी। मगर अब उदारीकरण का ऐसा खुमार है कि न्यायपालिका सम्मानजनक रोजगार और काम के हालात के मौलिक अधिकार को ही तिलांजली दे रही है।

न्यायपालिका की इस श्रम विरोधी मानसिकता का पनपना कोई आकस्मिक संयोग नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अपनी–अपनी भूमिकाओं को परदे के पीछे अदल–बदल करने की सोच बना ली है और एक दूसरे की पूरक के रूप में काम कर रहे हैं। उदारीकरण की नीतियों की तर्ज पर, श्रम अधिकारों पर यह दोहरा हमला शासक वर्ग द्वारा बेरहम शोषण के रास्ते को खोलता है और इसीलिए यह एक वर्गीय हमला है। इसके मुकाबले के लिए मजदूर वर्ग को अपनी पूरी ताकत जुटाकर मैदान में आना चाहिए।

विचार करने की ज़रूरत

यह महत्वपूर्ण है कि विचार विमर्श करने के दौरान, न्यायपालिका के बदलते रूख के बारे में हमारे अनुभवों को उजागर किया जाए ताकि जनता पर, और खास तौर से मजदूरों पर, न्यायपालिका के हमले के खतरे के बारे में एक केंद्रिय समझ बन सके।

हमें इस ठोस समझ को भी विकसित करने की ज़रूरत है कि अन्ततः, न्यायपालिका की सक्रियता हमारे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए एक खतरा है। राजनैतिक नैतिकता के पहरेदार के रूप में न्यायपालिका को देखना 'दोस्ताना तानाशाही' के खतरे को सामने ले आएगा।

यह बहुत ज़रूरी है कि इस प्रचलित सोच को कारगर रूप से दुरूस्त करने की रणनीति तैयार की जाए कि (1) न्यायपालिका, राज्य के अन्य दो अंगों – कार्यपालिका व विधायिका – से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। (2) न्यायपालिका बिल्कुल कानून के दायरे के अन्दर ही और बिना किसी भेदभाव के काम करती है।

इस तरह के गलत विश्वास के कारण आम लोगों के न्यायपालिका के बारे में भ्रम पैदा हो जाते है। न्यायपालिका के मजदूर विरोधी पूर्वाग्रह के खिलाफ लोगों को लामबंद करने के लिए, एक विशाल जागरूकता अभियान छेड़ने की ज़रूरत है जिससे लोगों को न्यायपालिका के मजदूर विरोधी, पूंजीपति परस्त चरित्र की जानकारी मिल सके। विचार विमर्श के दौरान इस अभियान की रणनीति तैयार की जानी चाहिए। साथ–साथ, श्रम अधिकारों व ओद्यौगिक विवादों के बारे में न्यायपालिका की नकारात्मक भूमिका के बारे में भी मजदूरों की चेतना को विकसित करने की ज़रूरत है।

साथ–साथ हमें 'न्यायिक सुधार आयोग' की नियुक्ति के सवाल पर भी विचार करना चाहिए जो न्यायपालिका में उभरते चिंताजनक पहलुओं को देखेगा और जनता के लोकतांत्रिक समाज के प्रति उसे ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए तरीके सुझाएगा। ऐसा करना इसलिए और भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि *''भ्रष्टाचार में लिप्त माननीय न्यायाधीश''* जैसी चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए।

इस बीच, यूपीए सरकार के कानून मंत्री द्वारा न्यायिक जवाबदेही विधेयक पेश किए जाने पर इस प्रावधान पर आलोचना भी उभरी है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में सदस्यता के लिए न्यायपालिका के बाहर से किसी को नही शामिल नही किया जाएगा।

यह चिंता जताई गई है कि वर्तमान विधेयक में न्यायिक खेमे के दबाव के कारण कई प्रावधानों को मंद कर दिया गया है; उदाहरण के लिए, संसद का वर्तमान वैधानिक अधिकार कि वह किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस के तहत लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाए जिसमें उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के एक–एक न्यायाधीश तथा एक न्याय विद् शामिल हों। सीटू के इस बारहवें सम्मेलन में इस संबंध में ठोस मत बनाना पड़ेगा।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कमिशन दस्तावेज
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र
श्रमिक वर्ग का दृष्टिकोण

1.00 परिचय:

1.01 योजना आयोग ने हाल ही में ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। यह योजना 2007–2011 तक की अवधि के लिए बनाई जा रही है। संयोगवश, यह चौथी पंच वर्षीय योजना होगी, जिसे भारत में साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के अन्तर्गत नव–उदार आर्थिक नीतियां लागू किए जाने के बाद अमल में लाया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों से सरकार का हट जाना इस आर्थिक सत्ता की प्रकृति है; सरकार अब पहले की भांति जन कल्याण के सामूहिक उपकरण अथवा तंत्र के रूप में काम नहीं करेगी। पहले वह साधारण जनता के आर्थिक हितों को देखती थी; वह उनके हितों की एकमात्र संरक्षक थी, पर अब वह उस भूमिका में नहीं रहेगी। यह बात अब इतिहास का विषय बन चुकी है। सुनियोजित विकास की सभी बातें शब्दाडम्बर के अलावा कुछ नहीं हैं। क्या ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र की स्थापनाएं और अनुमान हमारे देश के पिछले अनुभवों तथा जमीनी सच्चाईयों की रौशनी में खरे उतरते हैं? इसकी परख हम इस दस्तावेज के आलेख में करेंगे।

2.00 सरसरी नज़र

2.01 संयोगवश, ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना एक ऐसा पहला व्यापक आर्थिक दस्तावेज है जिसे यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। लोगों को इस सरकार से बहुत आशाएं थीं; वे सोचते थे कि सरकार पिछली गलतियों से सबक लेगी; पिछले कुछ समय से उभरे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए शासन के अपने तरीके में जरूरी सुधार लाएगी और इसके कारण उपजे सामाजिक तनाव को कम से कम करने की ओर तवज्जो देगी।

2.02 अतीत में केन्द्रीय सरकार के आर्थिक मंत्रालयों विशेष तौर पर वित्त मंत्रालय ने आर्थिक प्रस्तावों और वार्षिक बजट के माध्यम से सांझे न्यूनतम कार्यक्रम को अमल में लाने के मामले में बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया; उनकी ओर से दृढ़ता नहीं दिखाई गई जिसका परिणाम अंतहीन समझौतों और दुबिधाओं के रूप में निकला। सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के प्रश्न पर ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो व्यापक तौर पर जनवादी हो और उसमें गरीब समर्थक, मजदूर समर्थक एवं किसान समर्थक रुझानों का समावेश

हो। केवल ऐसा करने से ही देशभक्ति की नयी भावना का संचार किया जा सकेगा और जनता पर होने वाले आर्थिक हमलों का प्रभावशाली ढंग से सामना किया जा सकेगा; ये हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं।

2.03 दुर्भाग्यवश, योजनाकार विश्व के अनुभवों अथवा इस देश के लोगों की धारणा से कोई सीख लेने के लिए तैयार नहीं जबकि तीन साल पहले ही उन्होंने देश में लागू किए जा रहे सुधारों पर जोरदार तरीके से अपनी असहमति दर्ज करा दी थी। यदि इस दृष्टिकोण पत्र की सभी सिफारिशों को एक साथ लिया जाए तो यही प्रभाव पड़ेगा कि योजना आयोग एक तरह से ऐसे विकास की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं जो लकवाग्रस्त है और जो बुनियादी तौर पर व्यापार, सेवाओं तथा अन्य बातों पर आधारित है। गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के उपाय के तौर पर इसमें बुनियादी तौर पर विकास दर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यह कपोल कल्पना तो है किन्तु व्यावहारिक नहीं।

3.00 बिना पैसे के कार्यक्रम

3.01 संक्षेप में, जन साधारण के लिए दृष्टिकोण पत्र अधोलिखित ''पैकेज'' लागू करने का सुझाव देता है। इसमें एक सभ्य समाज के लिए अत्यंत बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं शामिल हैं और इस सुझाव को अमल में लाने के लिए दृष्टिकोण पत्र में केवल इतनी सी बातें कही गई हैं।

क) *''यह भी सत्य है कि हमारी जनता के बड़े हिस्सों के जीवन स्तर में अब तक निर्णायक सुधार नहीं आया है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी आ रही है पर उसकी रतार बहुत कम है।*

ख) *''11वीं पंच वर्षीय योजना विकास की नयी अवधारणा के अनुसार नीतियां बनाने के लिए अवसर सुलभ कराएगी जो कहीं व्यापक आधार वाली होंगी और जिनके फलस्वरूप तेज गति से गरीबी कम होगी तथा खाईयां पाटने में सहायता मिलेगी 'जिन पर वर्तमान में अधिक ध्यान दिया जा रहा है।' (एटेलिक्स शब्द हमारे हैं)...इन कदमों में और मजबूती लानी होगी और ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए एक रणनीति के रूप में इन्हें मजबूती से लागू करना होगा।''*

ग) *''इनके साथ–साथ हमारी जनता के बड़े हिस्सों को शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पेय जल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलें, इसके लिए भारी यत्न करने होंगे। वर्तमान में जनता के इन हिस्सों को ये बुनियादी सुविधाएं सुलभ नहीं हो पा रहीं। इन अनिवार्य सार्वजनिक सुविधाओं का अल्पावधि में न केवल सीधा प्रभाव उनके कल्याण पर पड़ता है अपितु इससे भविष्य के लिए आर्थिक अवसरों का निर्धारण भी होता है।*

घ) *''कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों की तुलना में ये समस्याएं बहुत भयानक हैं और सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये समस्याएं विशेष तौर पर भयानक होती हैं।*

ङ) *''यदि हम व्यापक आधार पर समान विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाएं तो भी अनेक ऐसे जन समूह रह जाएंगे जिनकी हालत अब भी खस्ता होगी। आदिम जन जातीय समूह, 0 से 3 वर्ष की आयु की अबोध बालिकाएं, बच्चे और दूसरे वे लोग जिन्हें अपने अधिकारों की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए किसी लाबी की सहायता हासिल नहीं होती, इत्यादि इन जन समूहों में शामिल हैं। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना को इन जन समूहों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना होगा।''*

3.02 किन्तु एक सभ्य समाज जो एक भूमण्डलीयकृत निजी सत्ता में शामिल होने के लिए हाथ–पांव मार रहा हो, के मामले में यह बहुत कम है। एक संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कवच जिसे सुधारों के पक्षधर दूसरे राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था के किवाड़ खोलने से पहले ही हासिल कर लिया था, को सुनिश्चित बनाने के मामले में भी यही कहा जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा के कवच में बेरोजगारी भत्ता अथवा बीमा योजना का प्रावधान, स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी, ले–आफ इत्यादि के खिलाफ सुरक्षा इत्यादि इत्यादि शामिल हैं।

3.03 बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या को बड़ी आसानी से दरिद्रता उन्मूलन कार्यक्रम के साथ गडमड कर दिया जाता है जैसा कि दृष्टिकोण पत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से इसका उन्मूलन करने की

बात कही है। इसी तरह तत्काल राहत उपलब्ध कराने के मामले को भी दीर्घावधि की अवधारणा के साथ गडमड कर दिया जाता है। न्यायपूर्ण वितरण जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है और जिसे पिछली योजना के दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया था, को फिर से दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया है। योजनाकारों ने गलती से भी 'समता' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है पर उनकी ओर से बहुत ही 'लुभावनी' शब्दावली में इसकी चर्चा की है।

4.00 8: और 9 : के बीच विकास का लक्ष्य

4.01 दृष्टिकोण पत्र इस आशा का संचार करते हुए कि योजना की अवधि में विकास की दर 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच रहेगी, पर उसने ठोस शब्दों में यह बताने से संकोच किया गया है कि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों के मामले में सेक्टरवार विकास की दर क्या होगी। कृषि में उसने वार्षिक 4 प्रतिशत की दर विकास की बात कही है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है, उसकी कल्पना है कि ''ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 10 प्रतिशत, मैन्युफैक्यरिंग की विकास दर 12 प्रतिशत वार्षिक हासिल करना हो।'' किन्तु हमें यह बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि युरोप अथवा अमरीका जैसे विकसित देश भी इतनी ऊंची विकास दर हासिल करने की सोच नहीं सकते जिसकी कल्पना भारत के योजना आयोग ने कर रखी है। यह भी पता चला है कि चीन ने पूर्वी एशिया तथा अर्जनटाइना के संकट से सबक सीख कर इतनी खोखली विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निश्चित करने से संकोच किया है। उन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान जरूर की है जहां भविष्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उत्साहित किया जाएगा।

4.02 कृषि पर कार्य नीति के एक भाग के रूप में योजना दस्तावेज में यह कल्पना की गई है कि योजना की इस पूरी अवधि में लगभग 1 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर नहीं जमीन पर सिंचाई होने लग जाएगी। इसमें से 55 लाख हैक्टेयर भूमि को बड़ी एवं मंझौले दर्जे की जबकि शेष 35 लाख हैक्टेयर भूमि को लघु योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा। दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यापक क्षेत्र में किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में वर्षा से सिंचाई होती है उनमें लगातार कार्रवाई के एक वाहन के रूप में वर्षा से सिंचित क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए किसानों को विश्वविद्यालयों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दृष्टिकोण पत्र सिफारिश करता है कि कृषि क्षेत्र में विकास दर को बनाए रखने के लिए ''कृषि की विकास दर में तेजी आने से फसल चक्र में विभिन्नता आएगी और किसान फल उत्पादन एवं फूल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेने लग जाएंगे।'' योजनाकारों के विचार में इस क्षेत्र में लगातार प्रौद्योगिकीय प्रगति होते रहने की जरूरत है। उनके अनुसार पशु पालन और मछली पालन का कुल जीडीपी में 6.3 प्रतिशत योगदान है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

4.03 औद्योगिक विकास के मामले में अंदरूनी ढांचे तथा मेधा विकास पर विशेष बल दिया गया है। विशेष आर्थिक अंचलों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिए जाने से अंदरूनी ढांचे के सामान्य विकास के लिए पहलकदमियां करने में सहायता मिलेगी। दृष्टिकोण पत्र के विचार में प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण उच्च औद्योगिक प्रगति की कुंजी है। रसायन, औषध क्षेत्रों में पर्याप्त विकास होगा। रोजगार पैदा करने की क्षमता के चलते सेवा क्षेत्र पर ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न सेवाओं में कारोबारी सेवा, भूमण्डलीय आफशोर आइटी सेवाओं (आउटसोर्स साटवेयर सेवा) तथा भूमण्डलीय प्रासैस आफ शोरिंग (बीपीओ) इत्यादि की ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी तरह निर्माण, आवासीय तथा रियल एस्टेट कारोबार, खुदरा व्यापार एवं संगठित व्यापार का महत्व बढ़ जाएगा।

4.04 दृष्टिकोण पत्र ने विदेशी गैस पाइपलाइन की सम्भावनाओं का पता लगाने और इस पर विदेश नीति के अन्तर्गत पहलकदमी करने के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया है ताकि भारत–पाकिस्तान तथा ईरान के बीच से प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाए जाने की सम्भावनाओं पर आगे का काम किया जा सके। उसने नाथपा आधारित

उर्वरक संयंत्र को गैस आधारित संयंत्र बनाने का सुझाव दिया है यह सुझाव स्वागत योग्य है। जहां तक अंदरूनी ढांचे के विकास का प्रश्न है इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राज मार्ग विकास और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय राज मार्ग विकास परियोजना स्वर्णिय चतुर्भुज में और 13318 किलो मीटर का रास्ता जोड़ेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों के 1500 केन्द्रों को शहरी केन्द्रों से जोड़ेगी। इसी तरह दूसरी परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के लिए आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन का प्रस्ताव किया गया है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त 60,000 मैगा वाट क्षमता का विकास करने का प्रस्ताव किया गया है।

5.00 विचारधारात्मक दबाव

5.01 योजनाकारों का दावा है कि विकास का प्रवाह और अधिक होगा और यह विकास तेज गति से होगा। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है: ''योजना आयोग और अन्यत्र किए गए काम के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच विकास करेगी और यह विकास दर निरंतर बनी रहेगी..'' (इटैलिक शब्द हमारे हैं)। किन्तु बड़ा प्रश्न तो यह है कि तथा कथित 'तेज' विकास दर के साथ 'अतिरिक्त विकास' की धारणा को प्रमाणित क्यों किया जा रहा है? विकास दर 8 और 9 प्रतिशत के बीच होगी; यह इससे कम नहीं होगी, पर ऐसा क्यों होगा।

5.02 'बैंकरों की सत्ता' में बनी इस योजनाबंदी के झूठ की पोल यहीं खुल जाती है। इस योजनाबंदी का लाभ सीधे तौर पर जनता को नहीं मिलेगा। उनके लिए योजना के लाभों की वर्षा नहीं होगी अपितु इसका रिसाव और अमीर लोगों के लिए होगा। इसी लिए तो नोबल पुरस्कार विजेता एवं अर्थ शास्त्री जोसेफ स्टिगलित्ज ने कहा है कि भूमण्डलीयकरण ऐसे अमीर देश पैदा कर रहा है जिसके लोग गरीब हैं।

5.03 दृष्टिकोण पत्र ने अंततः 'आपूर्ति पर आधारित'' आर्थिक रणनीति की बात करते हुए यह कह कर राहत महसूस की है *''इसलिए रणनीति का विकास घटक दो कारणों से महत्वपूर्ण है: यह सामान्त तौर पर जन संख्या के लिए रोजगार और आय के स्तर को बढ़ा कर सीधा योगदान देगा और इससे वित्तीय कार्यक्रमों में भी मदद मिलेगी, विकास और अधिक व्यापक स्तर पर हो इसे सुनिश्चित बनाने के लिए यह जरूरी है।'*

5.04 इस पत्र में उल्लेख किया गया है: *''उपभोक्ता की रखा की सबसे अच्छी गारंटी प्रतिस्पर्धा है और इस मजबूती के साथ उत्साहित किया जाना चाहिए।''* अब एक ऐसी आर्थिक सत्ता जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश और विशेष तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना हो और वह निर्यातों पर आधारित हो, उसका उपभोक्ता आधारित और निर्यातोन्मुखी होना अनिवार्य हो जाता है और इस तरह की आर्थिक सत्ता जनता की बुनियादी जरूरतों की परवाह नहीं कर सकती। प्रतिस्पर्धा इस तरह की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बन जाता है। स्वदेशी उद्योग विशेष तौर पर लघु उद्योगों और कृषि को भी तबाह करने के लिए इसी मूल मंत्र का उपयोग हथियार के तौर पर किया जा रहा है।

6.00 समानता के नाम पर धोखे की खेल

6.01 इस पत्र के शुरू में समानता अथवा समता की बड़ी बातें की गई, वह उसके विस्तार में भी गया है किन्तु आगे चल कर वह अपने इस मूल उद्देश्य से भटक गया। उदाहरण के लिए, सेक्टर वार लक्ष्य तथा उसे कार्यरूप देने वाला वाहन, ये दोनों मिल कर योजनाबंदी के दस्तावेज की मूल 'अवधारणा' बनाते हैं। योजनाकार इस प्रक्रिया को शुरू करते समय इन दोनों में एकता लाना भूल गए। यह एकता दिखाई नहीं देती। यह दस्तावेज 'तेज विकास' के नाम पर 'समानता' के लक्ष्य की अपनी मूल अवधारणा को ही खो बैठा है। इसके परिणामस्वरूप यह दस्तावेज

अपनी एकरूपता तथा तर्क की एकता को गंवा बैठा। तीन समानान्तर रेखाओं की भांति इसके मानदण्ड तय किए गए हैं और दस्तावेज चाहता है कि लोग इस बात पर भरोसा रखें कि कभी न कभी ये तीनों रेखाएं आपस में मिल जाएंगी।

6.02 कुछ धर्म निष्ठ बातें करने के बाद दस्तावेज उसे कार्यरूप देने के लिए (क) 'प्रगति का लाभ थोड़ा–थोड़ा सबको मिले' की रणनीति (ख) व्यापार पर आधारित आर्थिक प्रगति और (ग) 'निजी' अथवा निजीकरण को विकास के एक वाहन के रूप में अपनाने का सुझाव देता है। योजनाकार अच्छी तरह जानते हैं कि तीसरी दुनिया का कोई भी राष्ट्र जिसने अपने यहां भूमि सुधार नहीं किए हैं, 8 प्रतिशत अथवा 9 प्रतिशत की विकास दर को हासिल नहीं कर सकता और यदि उसने यह विकास दर हासिल कर भी ली है तो वह विकास दर स्वास्थ्यकर नहीं होगी क्योंकि उससे विषमताओं की खाई और गहरी होती है।

7.00निजीकरण का राग फिर से अलापा गया

7.01 सार्वजनिक क्षेत्र पर कितना खर्च किया जाएगा, दृष्टिकोण पत्र में इस पर कोई ठोस संकेत देने से संकोच किया गया है किन्तु निजीकरण तथा बहुराष्ट्रवाद को और आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्रवाईयां करने के सुझाव दिए गए हैं। यह कल्पना तो नहीं की जा सकती कि योजना पर अमल की प्रक्रिया का निजीकरण हो जाएगा और ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना की योजनाबंदी के लिए निजी क्षेत्र के धन का उपयोग किया जाएगा। दृष्टिकोण पत्र को *''निजीकृत और बहुराष्ट्रीयकृत''* भारत के एक दस्तावेज के तौर पर नहीं लिया जा सकता। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है, *''तेज तथा अधिक समतापूर्ण विकास के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि, लघु उद्योग तथा कार्पोरेट सेक्टर सहित निजी क्षेत्र की निर्णायक भूमिका है। हमारी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निवेश के 70 प्रतिशत भाग का निवेश इस क्षेत्र में होता है और हमारी नीतियां इस उद्देश्य को सामने रख कर बनाई जानी चाहिए कि इनके फलस्वरूप देश में उद्यमशीलता और अधिक बढ़े।''*

7.02दृष्टिकोण पत्र में आगे चल कर निजी क्षेत्र के लिए राज्य एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के उपयोग को और अधिक बढ़ाता है। इसके लिए उसने एक 'आदर्श' उपकरण का अविष्कार किया है ताकि निजी क्षेत्र सीधे तौर पर सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का इस्तेमाल कर सके। सार्वजनिक निवेश के मामले में यह दस्तावेज आश्वासन देता है, *''इस दस्तावेज में जो रणनीति दी गई है, उसे पूरा करने के लिए अनेक क्षेत्रों केन्द्रीय एवं राज्य दोनों की योजनाओं में योजनागत निवेश में भारी बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है....''* किन्तु उसके अगले पैरे में ही कहा गया है, *''पीपीपी पर निर्भर करते हुए अंदरूनी ढांचे के कुछ भाग को उदार बनाने की जरूरत है।''* यह पीपीपी क्या है; योजनाकारों ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, *''पब्लिक प्राइवेट भागीदारी''*। यह अप्रत्यक्ष तौर पर निजीकरण के अलावा और कुछ नहीं है।

7.03 दृष्टिकोण पत्र में योजनाकारों ने तीन तरह की 'भागीदारी' की कल्पना की है। (क) पब्लिक–प्राइवेट निवेश जिसका उपयोग निजी क्षेत्र के हाथ में हो और वही इसका उपयोग करे, (ख) अंदरूनी ढांचे के उन क्षेत्रों में जिनके द्वारा 'निजी निवेश को आकर्षित किए जाने की सम्भावना नहीं है' और उन क्षेत्रों में भी 'जहां निजी निवेश होने की सम्भावना है' वहां धन की कमी को सरकारी धन से (वायबिलिटी गैप फण्डिंग के माध्यम से) पूरा करने की जरूरत होगी। दृष्टिकोण पत्र उसका खाका कुछ इस तरह देता है:

1) राज्य मार्गों, सड़कों, हवाई अड्डों इत्यादि अन्दरूनी ढांचे का निर्माण तथा इसकी सेवाएं उपलब्ध कराना। रेलवे में 'तथाकथित फ्रेट कारिडोर' जनता की कीमत पर निजी कारोबारियों के लाभ हेतु व्यवस्था बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। निजी क्षेत्र इसका उपयोग करेगा और इस पर होने वाली सामान और धन की क्षति की भरपाई भारतीय रेलवे की ओर से की जाएगी।
2) सिंचाई, जल संरक्षण पर जीडीपी वार्षिक का अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत खर्चा होगा।

3) स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कुल मिला कर नया निवेश आकर्षित किए जाने की सम्भावना है; दृष्टिकोण पत्र के अनुसार यह एक और तरह का उपकरण अथवा धन जुटाने का साधन होगा।

7.04दृष्टिकोण पत्र में शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र की सेवाएं लेने का सुझाव दिया गया है। इस दस्तावेज में पाठशालाओं, महाविद्यालयों तथा उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था में अनेक कमियां गिनाते हुए अपनी बात का समापन कुछ इस तरह किया है, शिक्षा की सार्वजनिक व्यवस्था मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय तबदीलियों के अनुरूप चल नहीं सकती। इसके लिए दस्तावेज एक विशेष रास्ते का सुझाव देता है; इससे अंततः व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा पर हमें 'ढांचागत तबदीलियां' करने के लिए सुझाव देने वाले महानुभावों का लाभ जरूर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाए जाने की जरूरत है। इसकी शुरूआत सर्व शिक्षा अभियान से करनी होगी, शिक्षा का प्रसार सामान्य जन के बीच करना होगा, स्कूल शिक्षा में संचार की व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है जिसका इलाज इस दृष्टिकोण पत्र में सुझाया गया है। किन्तु इससे पहले हमारे नीति निर्धारकों को बुनियादी चुनौतियों की प्रकृति को अनुभव करना होगा। असल चुनौती अर्ध विकसित मस्तिष्क को विकसित करना और उसे वर्तमान में होने जा रही ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकीय क्रांति के अनुरूप बनाना है। पिछले साठ वर्षों ने हमारे देश ने औद्योगिक क्रांति से प्रवाहित ज्ञान से सामंजस्य बिठा लिया है और यह ज्ञान अब और उन्नत हो चुका है।

7.05निजी क्षेत्र के किसी भी उद्यम अथवा किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने हमारे ज्ञान को उन्नत करने अथवा अपनी बुद्धिमत्ता से प्रौद्योगिकीय ज्ञान को विकसित करने में कोई योगदान नहीं दिया है; यह एक तथ्य है और हमारे योजनाकारों को यह बात कदापि भूलनी नहीं चाहिए। तीसरी दुनिया के अनेक राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के समुचित समझौते किए हैं पर वे नयी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी हासिल नहीं कर सके क्योंकि उनके देश में ज्ञान का स्तर बहुत नीचा था। भारत की झोली में भी आज सबसे अधिक संख्या में प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञ हैं किन्तु उन्हें पैदा करने में निजी क्षेत्र अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपना योगदान नहीं दिया है। यह देश में चल रही सामान्य प्रक्रिया के चलते ही सम्भव हो सका है जो सामान्य शिक्षा, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय शिक्षा, अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के माध्यम से मिलने वाली शोध एवं विकास की सुविधाओं तथा व्यापक स्तर पर उत्पादन की गतिविधियों से जुड़ी है। प्रौद्योगिकीय क्रांति के युग में हमारे लिए प्रौद्योगिकीय शिक्षा के मौजूदा स्तर को ऊंचा उठाने की जरूरत है ताकि हमें ज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकीय जानकारी एवं शिक्षा आसानी से सुलभ हो सके जिस पर विकसित देशों और अधिकतर अमरीका का कब्जा है। इसके दृष्टिगत हमें सर्व शिक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा तक अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना होगा। योजनाकारों का यह सोचना आश्चर्यजनक है कि निजी कम्पनियां और स्कूली ज्ञान रखने वाले उनके बुद्धिजीवी यह काम कर सकते हैं। दस्तावेज निजी स्कूलों में जनता के दाखिले के लिए 'कूपन व्यवस्था' लागू करने का सुझाव देता है। इस रणनीति से दो लक्ष्य साधे जाएंगे। एक, शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण तथा दो, सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के बोझ से सरकार की मुक्ति जिसके लिए संविधान में संशोधन करके गारंटी दी गई थी। योजनाकार यह भी सोच रहे हैं कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खुल जाएं और वे स्वतंत्र रूप से अपना काम करें।

7.06 सभ्य समाज के साथ भागीदारीः दृष्टिकोण पत्र सामाजिक क्षेत्र के विकास में सार्वजनिक भूमिका को कम करने के लिए इस उपकरण का भी नवीकरण करना चाहता है। दस्तावेज का कहना है, *''ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य सभ्य समाज के संगठनों और निजी संस्थानों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना हो और दोनों मिल कर इस पर अमल करें। तथा कथित सभ्य समाज को अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा ताकि वह बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 'समता' के मामले में अपना काम कर सके। जब दृष्टिकोण पत्र यह कहता है तो बात और स्पष्ट हो जाती हैः ''हमारे देश की स्थितियों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ही हमारी जनसंख्या के विशाल बहुमत के लिए इन सुविधाओं को सुलभ कराया जा सकता है। अनेक मामलों में, इसका तात्पर्य सार्वजनिक व्यवस्था है किन्तु फिर भी निजी क्षेत्र की भागीदारी जिसमें विशेष तौर पर लाभ पर न चलने वाले निकाय और सभ्य समाज की संलिप्तता भी शामिल है, के लिए इसमें असीम सम्भावनाएं रखी गई हैं....''* याद रहे, गैर

सरकारी संगठनों के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाने का हथकण्डा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चला जा रहा है; उन क्षेत्रों में भी गैर सरकारी संगठनों को आगे लाया जा रहा है जो सामान्य तौर पर ट्रेड यूनियनों के कार्य क्षेत्र हैं। विदेशी धन से चलने वाले गैर सरकारी संगठन इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अधिकतर अमरीका सीधे तौर पर इन संगठनों के लिए धन देता है। इसलिए यह विषय संदेह से परे नहीं है। सभ्य समाज के संगठनों का विकास होना चाहिए पर उन संगठनों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए जिनका मूल आधार संदेहास्पद है। यदि सभ्य समाज का सवाल आता ही है तो उसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं का नाम पहले लिया जाना चाहिए।

7.07 कोयला एवं अन्य खदानों का निजीकरण : योजना आयोग कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण को पलटना चाहता है, जिसका तमाम कोयला मजदूरों ने संगठित विरोध किया है। योजना आयोग का दस्तावेज कहता है कि उर्जा उत्पादन के दूरगामी दशष्टिकोण से कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकृत स्वरूप को समाप्त करना अब आवश्यक हो गया है ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश आमंत्रित किया जा सके। यह दस्तावेज आगे कहता है कि तब कोयला से कम उपलब्धता के पेट्रोलियम को निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकता तो कोयला क्षेत्र को न खोले जाने का कोई कारण नही है। पता चला है कि कोयला मंत्रालय ग्रीन फील्ड खदान में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है।

7.08 योजनाकारों ने सुझाव दिया है कि *''इस मुद्दे पर आम सहमति को एक तरफ रखते हुए, कैप्टिव खदानों के जरिए कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। कोयला के बड़े उपभोक्ता, विशेष रूप से बिजली क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध कोयला खदानें को इस मकसद के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।''* इस तरह से योजना आयोग गैर–कानूनी काम को कानूनी बनाने के लिए प्रयासरत है। कुल कोयले का एक तिहाई पहले से ही, आऊट सोर्सिंग के जरिए उत्पादित एवं विक्रय किया जा रहा है, जिसमें योजना आयोग की उपरोक्त समझ और अधिक बढ़ाने का काम करेगी, जबकि कानूनन् भारत में तमाम कोयला खदानों को कोल इण्डिया लि० के अधिकार में ही रहेगा।

7.09 यह दशष्टिकोण पत्र ने खदान अधिनियम में और भी कई बदलाव प्रस्तावित किए हैं। यह दशष्टिकोण पत्र खनिज कानून को ही बदलने का प्रस्ताव करता है, ताकि देशी–विदेशी निजी कम्पनियाँ देश के खनिज सम्पदा की खुलकर लूट–खसोट कर सकें। *''परमिट देने की वर्तमान प्रक्रिया को इस तरह बनाया जाय कि भविष्य में निजी क्षेत्र को लाईसेन्स प्रदान करना आसान हो''* से इस दशष्टिकोण पत्र के द्वारा कानून में प्रस्तावित परिवर्तन की इनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है।

7.10 लघु उद्योग एवं परम्परागत क्षेत्रों का तरलीकरण : आरक्षण एवं सब्सिडी को समाप्त करते हुए, निवेश की उपरी सीमा को बढ़ाकर पहले ही इन क्षेत्रों का करीब–करीब दमघोटने का काम कर चुका है। कुल विनिर्माण में इन क्षेत्रों का हिस्सा करीब 40 प्रतिशत और कुल निर्यात में करीब 35 प्रतिशत है और बहुत बढ़ी संख्या में मजदूर इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह दशष्टिकोण पत्र फिर से ऐसे ही सुझाव दे रहा है। दशष्टिकोण पत्र कहता है कि *''हमें सब्सिडी पर जोर देने के बजाय सक्षम वातावरण तैयार करने पर कृ 11वीं पंचवर्षीय योजना में सब्सिडी को प्रतिबन्धित करके, समाज के नीचे के तबके की ओर मोड़ना होगा और यह भी स्पष्ट करना होगा, यह सब्सिड़ी समाज के अन्य लोगों पर कितना आर्थिक बोझ ड़ालती है''*। सब्सिड़ी समाप्त करना *''लघु उद्योग के लिए मददगार''* की मिथ्या बयानबाजी करके, देश को यह सलाह भी दे डाली है कि आयात से प्रतिबन्धों को समाप्त करने से इस उद्योग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दशष्टिकोण पत्र यह तर्क भी देता है कि उपरोक्त तरीका *''नये अन्वेषण एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरणा मूलक''* हो सकता है। इस क्षेत्र में प्रवेश की पाबन्दियाँ समाप्त करने से, नई शुरूआत करने वालों के लिए व्यापार जोखिम कम करना चाहिए। और यह अति लघु उद्योगों को कानूनी जाँच (इन्स्पेक्टर राज) से मुक्त करने का ढ़ाँचा भी मुहैया कराना चाहिए।

7.11 खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : दशष्टिकोण पत्र जब विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वकालत करते हुए कहता हे कि *''खुदरा व्यापार का बहुत भारी हिस्सा लघु एवं अनौपचारिक (इनफॉर्मल सैक्टर) क्षेत्र में*

बना रहेगा, परन्तु यह भी समझना होगा कि अत्याधुनिक एंव संगठित खुदरा व्यापार उत्पादकों और शहरी उपभोक्ताओं के लिए बहुत अधिक फायदेमन्द होगा ....'' आदि–आदि। और इसके बाद दशष्टिकोण पत्र असली मुद्दे पर आ जाता है ''खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उच्च वर्गीय बाजार और मल्टीब्राण्डों के खुदरा बाजार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खोला गया है। छोटे उत्पादकों और खुद का रोजगार करने वालों पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक विस्तार से बताने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि ''घटिया गुणवत्ता'' आधारित उत्पादन व्यवस्था का विकास और व्यवसायिक झुकाव सिर्फ यू.एस.डी. आयात पर ही निर्भर हो सकता है। दशष्टिकोण पत्र इस मसले पर जनता आक्र राजनीति की वर्तमान प्रतिक्रियाओं पर सिर्फ थोड़ी चिन्ता ही व्यक्त करता है। और यह निष्कर्ष निकालता है कि यह एक ऐसा नीतिगत क्षेत्र है जिसके बारे में अलग–अलग दशष्टिकोण हैं। इसकी अच्छाईयों और बुराईयों का संतुलन दिमाग में रखकर आम राय कायम करने की जरूरत है।

8.00 सार्वजनिक निवेश और सर्वांगीण विकासः

8.01 यह पहले भी देखने में आया है कि दशष्टिकोण पत्र में निवेश के तौर–तरीके को अज्ञानता का विषय मानकर किनारे कर दिया है। अलग–अलग क्षेत्रों के वार्षिक अतिरिक्त व्यय को जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ही दर्शाया है, परन्तु उसके स्रोत के सवाल पर चुप्पी साध ली है। सार्वजनिक निवेश पर तो पूरी तरह से चुप्पी साधते हुए यह कहा भर है कि *''इस दशष्टिकोण पत्र में निर्धारित की गयी रणनीति के अनुसार राज्यों एंव केन्द्र के योजनओं के व्यय में बहुत भारी वृद्धि होगी''।*

8.02 यदि योजना आयोग और सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश के मामले में पुरानी नीति ही अपनायी जाती है, तो यह 'सर्वांगीण विकास' की बुद्धिहीन घोषणा ही होगी। यदि किसी योजना के लिए कोई पूर्व घोषित योजना व्यय नहीं है, तो उस योजना की साख ही संदिग्ध हो जाती है। फण्ड का उपयोग पूरी तरह से सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण एवं निर्माणशील पूँजी के लिए हो और सर्वांगीण विकास तो सिर्फ सार्वजनिक निवेश से ही संभव हो सकता है। निजी क्षेत्र कभी भी 'बुनियादी सुविधाओं के निर्माण' पर कोई व्यय नहीं करता अलबत्ता उसकी नजर सिर्फ सेन्सेक्स के उतार–चढ़ाव पर ही रहती है। योजना आयोग को पुराने अनुभव से सीख लेनी चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यद्यपि विकास दर मात्र 4.2 प्रतिशत ही रहने के बावजूद भी इस योजना के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियें और बुनियादी ढ़ाँचे का विकास उच्चतम् शिखर तक पहुचा और निर्माणकारी क्षमताओं का विकास भी काफी हुआ। भारत में बुनियादी सुविधाओं का विकास सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के आपसी तालमेल और सहयोग का ही परिणाम है। यदि गरीबी उन्मूलन के दशष्टिकोण से देखा जाय तो, स्वंय योजना आयोग के अनुसार ही 1983 से 11 वर्ष के दौरान गरीबी 8 प्रतिशत कम हुई जो पिछले 1977 से 1990 के बीच के 13 वर्षों के दौरान जितनी गरीबी कम हुई उसका आधा ही है, जिसके दौरान विकास दर बहुत कम रही है।

8.03 परन्तु आर्थिक सुधारों के लागू होने से पहले का अनुभव बिलकुल ही भिन्न है। योजना का लक्ष्य और उसके लिए योजना खर्च आदि का निर्धारण, अधिकांशतया काल्पनिक ही रहा है। अन्ततः योजना खर्च का अधिकांश हिस्सा, प्रशासनिक एवं बाहरी खर्चों पर ही व्यय किया गया। खेद की बात है कि रक्षा, संचार आदि जैसे क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के निर्माण पर कुल योजना व्यय का मात्र कुछ प्रतिशत ही खर्च किया गया। देश की कुल श्रम–शक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक को रोजगार प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र को, योजना आयोग ने परिसम्पत्तियें के निर्माण की दशष्टि से पूरी तरह नजरअन्दाज किया। कुल मिलाकर इसके साथ–साथ कुछ अन्य आंतरिक एवं बाह्य कारणों ने हमारी अर्थव्यवस्था को गुणवत्ता तथा परिमाण के हिसाब से बहुत कमजोर ही किया।

8.04 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की विकास से 1 प्रतिशत कम ही रह जाना, सार्वजनिक निवेश में भारी कमी इसका एक मुख्य कारण है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों और अतिरिक्त रूप से संचित धन का निवेश न होना ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 2003–2004 में किए गए सर्वे के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों के पास सरप्लस

और रिजर्व मिलाकर रू० 2,21,157 करोड़ है, जो जी.डी.पी. का 7.5 प्रतिशत है, लेकिन कुल रू० 81,805 करोड का ही वास्तविक निवेश किया गया है, जो ऐसी कुल बचतों का मात्र 37 प्रतिशत ही है।

8.05 जनहितकारी योजनाओं के लिए भारी सार्वजनिक निवेश आवश्यक है। कृषि और उद्योग दोनों में ही उत्पादन गतिविधियों का, उच्च गुणवत्ता के भारी उत्पादन की ओर झुकाव आवश्यक है ताकि गिरते हुए उत्पादन को संभाला जा सके। शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में बहुत भारी सार्वजनिक निवेश अति आवश्यक है। हमारा पूर्व अनुभव बताता है कि इन अति महत्वपुर्ण क्षेत्रों में निवेश के मामले में निजी क्षेत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

8.06 आतंरिक संसाधनों में वशद्धि करके और उत्पादन की वर्तमान परिसम्पत्तियों का अधिकतम् उपयोग करके, बचतों में भारी वशद्धि के द्वारा ही सार्वजनिक निवेश संभव है। आंतरिक संसाधनों में वशद्धि, खदानों की रॉयल्टी, भारी मुनाफों, पूँजीगत प्राप्तियों, उँची कीमत के उपहार और उँची कीमत की उपभोक्ता वस्तुओं जैसे लग्जरी कार व हवाई यात्रा आदि पर करों में वशद्धि करके ही की जा सकती है। काले धन को बाहर निकालकर, व्यथ के खर्चों में कटौती करके और घाटे के बजट के द्वारा धन प्राप्त किया जा सकता है।

9.0 बेरोजगारी :

9.01 वर्ष 2000 में बेरोजगारी 7 प्रतिशत थी। एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष बेराजगारों की संख्या वर्ष 1993–04 की 5.06 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004 में 9 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 6. 7 से 8.1 प्रतिशत हो गयी है और महिलाओं की बेराजगारी शहरों में 5.6 से 9.3 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10.5 से 11.7 प्रतिशत हो गयी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार 9वीं योजना के अन्त में नौजवानों में बेराजगारी बहुत ही खतरनाक ढ़ंग से बढ़कर 13 प्रतिशत हो गयी थी। दृष्टिकोण पत्र के अनुमान के अनुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नौजवानों की बेरोजगारी बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगी। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की ताजा रिपोर्ट भी नौजवानों में बेरोजगारी के अप्रत्याशित ढ़ंग से बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया है।

9.02 रोजगार की गुणवत्ता में भारी गिरावट के कारण बेरोजगारी की गणनाऐं संदर्भहीन हो गयी हैं। वर्ष 2000 में जब बेरोजगारी 7 प्रतिशत थी तो गरीबी गी दर 27 प्रतिशत थी, जो एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट का अनुमान है कि होटल उद्योग के कुल पुरूष कामगारों में यह 28 प्रतिशत थी। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष में 7.4 प्रतिशत उत्पादकता में वशद्धि के बावजूद भी विनिर्माण के क्षेत्र में वास्तविक वेतन में 22 प्रतिशत की कमी आयी है। एन.एस.एस.ओ. के 61वें सर्वे की अभी हाल ही में जारी की गयी रिपोर्ट में एक और गम्भीर तथ्य सामने आया है कि उँची विकास दर वाले इलाकों में ही गरीबी और अधिक तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट में महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा का विशेष उल्लेख किया है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े उड़ीसा या बिहार जैसे राज्यों में इस दर में कमी आयी है।

9.03 हायर एण्ड फायर का अधिकार : हायर एण्ड फायर से सम्बन्धित कानून पहले ही रद्द किया जा चुका है। तथ्य यह है कि इस दशष्टि से उँची पहुँच वाले मालिकों की नजर में भारतीय श्रमिकों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। योजना आयोग इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ है। इसके बावजूद भी दशष्टिकोण पत्र में यह संतुति की गयी है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ट.ठ में तथा संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम में संशोधन किया जाय। यह मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

9.03 (क) विनर्माण क्षेत्र में गिरावट : रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट का कारण विनिर्माण के क्षेत्र में भारी गिरावहै। यह गिरावट गुणवत्ता व परिमाण दोनों ही तरह से देखने में आयी है। हमारे स्टील एव सीमेन्ट उद्योग अब इन्जीनियरिंग एवं पूँजीगत सामग्री बनाने वाले उद्योगों पर निर्भर नहीं रह गयी है बल्कि गैर जरूरी व अनाप–शनाप तरीके से होते शहरीकरण, बेलगाम होते रीयल इस्टेट और राजमार्गों के विस्तार पर ही निर्भर रह गया है, जो

अनिश्चित समय तक चलने वाला नहीं है। तमाम स्टील उद्योगों के मुखिया इस संभावित खतरें के बारे में पहले ही आगाह कर चुके हैं। ज्ञान आधारित आयात के कारण भारत इन्जीनियरिंग और पूँजीगत सामग्री के क्षेत्र में अपनी प्रवीणता खो चुका है। पूँजीगत सामग्री के क्षेत्र में विकास घटते हुए नकारात्मक दिशा में चलकर वर्ष 2001–02 में (–) 3.7 प्रतिशत पर आ गया है। भारत में प्रतिस्पर्धा के कारण ऑटोमोबाइल के हिस्से पुर्जे बनाने वाला और दवा एवं रसायन उद्योग इस समय जलती हुई आग पर लटका हुआ है। चीनी उद्योग में हम किसी तरह सिर्फ बने हुए हैं। कपड़ा उद्योग में तकनीकी सुधार करने से विकास की दर में कुछ थोड़ा सुधार हुआ है, परन्तु जूट उद्योग में यह सुधार बहुत मामूली ही है। इसके बावजूद भी यह अभी शंकाग्रस्त है कि परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के के बाद भी कपड़ा उद्योग स्वंय को बचा पाने में सक्षम भी हो सकेगा।

9.03 (ख) तमाम तरह के प्रतिबन्धों और दुष्प्रचार के बावजूद भी विनिर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अभी भी गुणवत्ता एवं परिमाण के हिसाब से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सम्पूर्ण उद्योग के लिहाज से भी सार्वजनिक क्षेत्र का काम संतोषजनक है। गैस, पेट्रोलियम बिजली, स्टील और इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में यह नेतश्त्व करते हुए जी.ड़ी.पी. में अच्छा योगदान कर रहा है। खनन में कोयला उद्योग का नेतश्त्व कायम है। उच्च स्पष्टता के ज्ञान आधारित उद्योग में भी सार्वजनिक क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है।

9.03 (ग) परन्तु विशेष चिन्ता का विषय है कि ''गुणतापूर्ण विकास'' के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार विनिर्माण और कृषि उद्योग दोनों में ही लगातार गिरावट आ रही है। इन दोनों ही क्षेत्रों में विकास की उँची दर ही समाज के जीवन स्तर मे सुधार ला सकती है। भारत के विनिर्माण उद्योग का जी.डी.पी. में योगदान वर्ष 1998 व 2000 में क्रमशः 15.8 व 17.2 प्रतिशत था जिसमें उसके बाद के वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह आँकड़ा चीन के 32.9 व 34.5 प्रतिशत और मलेशिया के 19.3 व 32.8 प्रतिशत के मुकाबले है, जबकि थाईलैण्ड का रिकार्ड 21.9 व 31.9 प्रतिशत के साथ भारत से बहुत आगे है। ये सभी आँकड़े 10वीं योजना की मध्यावधी में आयी रिपोर्ट के आधार पर जारी विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पर है।

9.03 (घ) विनिर्माण की कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए सूचना तकनीकी क्षेत्र का महिमा मण्डन : उपरोक्त तमाम कमियों के बावजूद भी योजनाकारों कर सोचना है कि यदि आर्थिक सुधार जारी रहे तो विनिर्माण के सुधरने की थोड़ी सी आशा है। यह विचार ही उन्हे, व्यावसायिकता और सेवा क्षेत्र, जो मुख्य धारा से भागने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है, और सूचना तकनीक (आई.टी.) के माध्यम से निम्नस्तरीय ज्ञान पर आधारित आऊट सोर्सिंग की ओर ले जा रहा है। इसलिए दशष्टिकोण पत्र यह कहते हुए *''कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने सूचना तकनीक के क्षेत्र की सेवाओं मामले में काबिले तारीफ तरक्की की है, और चीन ने विनिर्माण के क्षेत्र में अपेक्षतया तरक्की की है, जबकि भारत सेवा क्षेत्र में आगे आया है, इसलिए हमें उच्च मूल्य वाली सेवाओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए''* आत्म समर्पण किया है। कितना आसान एवं कितना महान समर्पण है। वास्तविकता यह है कि सूचना तकनीक के आऊट सोर्सिंग के क्षेत्र में आयरलैण्ड, चीन, श्रीलंका जैसे कुछ अन्य मध्य दर्जे के विकासशील देशों के साथ विश्व के मात्र 3 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रतिस्पर्धा में है, जिसमें भी गिरावट का दौर जारी है। जहाँ तक सूचना तकनीक उद्योग का प्रश्न है तो विश्व की 270 आई.टी. कम्पनियों में से मात्र तीन भारत में हैं जिनमें से कोई भी मूल तत्वों जैसे इन्ट्रीग्रेटिड़ सर्किट (आई.सी.) आदि का विनिर्माण नहीं करती है। अभी हाल में कुछ कम्पनियों ने आई.सी. का डिजायन अथवा निम्न गुणवत्ता का केस बनाना शुरू किया है। भारत सिर्फ निम्नस्तरीय ज्ञान आधारित सौटवेयर ही निर्यात करता है, जबकि उच्च गुणवत्ता वस्तुओं के लिए निर्भरता अभी भी बनी हुई है।

9.03 (ङ) विदेशी मुद्रा के झाँसे में उचच सर्वागीण विकास : यह स्पष्ट है कि दशष्टिकोण पत्र 'उच्च सर्वागींण विकास' को विश्व व्यापार भुगतान के साथ जोड़कर देखता है। यह है कि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) संभावित 7 प्रतिशत विकास दर हो तो चालू व्यापार घाटा (ब्नततमदज बबवनदज कमपिबपज) वर्तमान 2 प्रतिशत से बढ़कर 2.4 प्रतिशत और यदि जी.डी.पी. की विकास दर 9 प्रतिशत हो तो चालू व्यापार घाटा बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो जाएगा। इन सारी गणनाओं में ही छिपा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब उँचे मूल्य के आयात पर पूरी तरह

से निर्भर हो गयी है। वैश्वीकरण ने हमें 'रेत से लेकर हाथी तक' हर वस्तु का आयात करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह निश्चित है कि विदेशी बन्दगाहों से आने वाला हर जहाज उनके मनचाहे दामों पर हमारा बहुमूल्य खनिज और कम दाम वाली निर्माण सामग्री ही लेकर जा रहा है। अभी भी चालू व्यापार घाटा नकारात्मक ढ़ंग से बेहताशा बढ़ता जा रहा है। अधिक विकास दर अर्थात् अधिक आयात और अन्ततः चालू व्यापार घाटा में लगातार अधिकाधिक वशद्धि होना। नकारात्मक व्यापार के लिए देश को रिजर्व बनाऐ रखना होता है। लेकिन इस खेल में सबसे खतनाक बात यह है कि इस रिजर्व के लिए देश को निम्नस्तरीय तकनीक से उत्पादित उपभेक्ता वस्तुओं को फिरौती के रूप में देना होता है। इसके लिए हमें हमारे भविष्य की कीमत पर अपनी आत्मनिर्भर तकनीक और तकनीकी श्रमशक्ति को निर्यात एवं असैम्बली केन्द्र में झौंकना पड़ रहा है। हमारी खनिज सम्पदा को कानूनी एवं हमारी मर्जी से लूटा जा रहा है। चालू व्यापार घाटे की भरपाई के लिए हमें विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए अपनी जमीन और उत्पादक शक्तियाँ विदेशी हाथों में सौपनी पड़ रही हैं। विदेशी संस्थागत निवेश के माध्यम से आने वाले हर एक अमरीकी डालर के लिए हमें अपनी जमीन एवं उत्पादक शक्तियों को विदेशी हाथें में देना होता है। कुल मिलाकर देश विदेशी मुद्रा के मकड़जाल में फँस गया है। और परिणाम वही हैं जो पूर्वी एशिया और लैटिन अमरीकी देशों में हुए हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देश कुल रिजर्व के मुकाबले, विदेशी संस्थागत निवेश तेजी से बढ़कर 43.2 प्रतिशत तक हो चुका है।

9.03 (च) व्यावसायिक आधार पर उच्च विकास दर, सरकार को अमरीकी डालर की मांग को ओर धकेलती है, और यह कहीं से भी या किसी भी तरीके से अथवा किसी भी कीमत पर आए। इसी संदर्भ में खनन कानून को बदलकर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने और सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी लूट के लिए ही, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की साझेदारी करने आदि–आदि की वकालत की जा रही है। यही वजह है कि भारत पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की रखैल बनने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्हे देश को बाहर से अथवा अन्दर से ठगने की इजाजत दे दी गयी है। विदेशों में बहुत सी पूँजी निवेश के लिए निजी संस्थाऐं बनायी गयी हैं जो शेयर बाजार में सूचीवद्ध भारतीय कम्पनियों के शेयरों की खरीद–फरोक्त में तीसरे पक्ष के रूप में काम करती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक कभी–कभी शेयर बाजार से कमाए भारी–भरकम लाभ पर टैक्स बचाने के लिए मारीशस के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और कभी–कभी भारत में लाईसेस प्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशक संस्थाओं को इस्तेमाल भी करते हैं। ये देश में सट्टेबाजी की अर्थव्यवस्था को बढावा भी देते हैं। वित्त मंत्रालय ने इन्हे व्यापार करने की स्वतंत्रजा दे दी है। अभी हाल में 26 करोड़ डालर मूल्य की सरकारी सिक्यूरिटीज को खरीदकर शेयर बाजार में लगाने की इजाजत दी है। और यह अधिकार मार्च 2007 के अंत तक 32 करोड़ डालर तक पहुँच जाएगा।

9.03 (छ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता भी एक तरफा और सुरक्षित नहीं है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक के मुँह को बेइन्तहा लाभ के खून का स्वाद लग चुका है। वो जानते हैं कि देश उनके जूते की नोक पर, बिना किसी पूर्व सूचना के ही जब चाहें अपना पैसा निकालकर चलते बनेगें। महालेखाकार की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जब मई 2006 में प्रत्यक्ष कर विभाग ने विदेशों से काम कर रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लगाम लगानी चाही तो रातों–रात शेयर बाजार औधे मुँह नीचे आ गिरा। और वित्त मंत्रालय को अपने कदम वापस लेने पड़े। लेकिन ये विदेशी संस्थागत निवेशक कभी भी मध्यम दर्जे की कम्पनियों के पूँजी बाजार में निवेश नहीं करते, सिर्फ बड़ी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों में ही निवेश करते हैं, इसीलिए छोटे एवं मध्यम दर्जे के निवेशकों को कोई लाभ नहीं होता है।

9.03 (ज) विदेशी मुद्रा का बाहर जाना भी एक चिन्ता का विषय है। वर्ष 2006 के पहले 9 माह के दौरान ही इसकी मात्रा 150 करोड़ डालर रही है जो इस दौरान एशिया में हुए कुल विलय एवं अधिग्रहण का 15 प्रतिशत है। जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यी राशि 43.4 करोड डालर थी। रिजर्व बैंक के अनुसार विलय, अधिग्रहण और निवेश के माध्यम से होने वाले बर्हिगमन (व्नजसिवू की तुलना) अर्न्तवहन (प्दसिवू) के साथ किया जाना चाहिए। वर्ष 2004 में कुल अर्न्तवहन ;प्दसिवूद्ध 159.4 करोड़ अमरीकी डालर था जिसमें कम अवधि के ऋण के रूप में 32.4 करोड़ अमरीकी डालर, 89.1 करोड़ अमरीकी डालर विदेशी संस्थागत निवेश के जरिए और सिर्फ 37.9 करोड़ अमरीकी

डालर ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में था। सरकार द्वारा घोषित पूँजीगत खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लागू होते ही बर्हिगमन ;व्नजसिवूद्ध के लिए बड़ा द्वार ही खुल जाएगा। बर्हिगमन ;व्नजसिवूद्ध विलय, अधिग्रहण, लाभ का पुनः निवेश, आय एवं निवेश के अन्य स्रोतों सहित व्यापारिक सम्पादनों का रास्ता भी अपना सकता है। रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि पूर्ण परिवर्तनीयता के लागू होने के बाद प्रत्येक अप्रवासी भारतीय को 50 हजार अमरीकी डालर प्रति वर्ष, उस देश को ले जाने की छूट जहाँ उसकी नागरिकता है, जबकि अभी तक यह सीमा सिर्फ 25 हजार अमरीकी डालर ही रही है। उसी तरह किसी भी म्युचल फण्ड को विदेशों में 10 करोड़ अमरीकी डालर के निवेश की छूट है।

10.00 आजादी के बाद सबसे विकट कृषि संकट

10.01 कृषि संकट सबसे गम्भीर संकट के दौर में पहुँच गयी है कि दशष्टिकोण पत्र करीब 4 प्रतिशत की जी.डी.पी. विकास दर का सुझाव देने के साथ ही साथ इसे प्राप्त करने पर शंकित भी है। दशष्टिकोण पत्र यह स्वीकार करता है कि *''10वीं योजना के पहले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र में जंगलात और मछली पालन सहित मात्र 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही थी। 10वीं योजना में दुगुनी विकास दर को प्राप्त करने की चुनौती थी। इस वास्ते माँग और आपूर्ती दोनों पर ही कार्यवाही आवश्यक है।''* कृषि क्षेत्र में केल पूँजी का आकार 1997 के स्तर पर ही स्थिर बना हुआ है। कुल जी.डी.पी. में कृषि की हिस्सेदारी 1950 के 61 प्रतिशत के मुकाबले अब मात्र 21 प्रतिशत ही रह गयी है, लेकिन इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। वैश्वीकरण की नीति पर चलते हुए सरकार ने कृषि आयात से तमाम प्रतिबन्ध भी हटा दिए हैं। पिछले वर्षों में अंतराष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों कें मूल्यों में भारी गिरावट आयी है। 1980 से 1998 के बीच ही यह गिरावट 45 प्रतिशत रही है। जबकि इस गिरावट के मुकाबले समर्थन मूल्य में वशद्धि बहुत मामूनी ही रही है। जहाँ विकसित देश कृषि क्षेत्र के तकनीकी सुधार और सब्सिडी में अपने योगदान में भारी वशद्धि कर रहे हैं, वहीं भारत पिछले अनेक वर्षों से इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को मात्र 1.3 प्रतिशत ही बनाऐ हुए है, जबकि कुछ एक तरह की सब्सिडी को पूरी तरह ही समाप्त कर दिया गया है। पूरे विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक अमरीका अपने किसानों को 47 करोड़ डालर की सब्सिड़ी दे रहा है, उसके मुकाबले भारतीय किसान कैसे टिका रह सकता है? तकनीकी रूप से पिछड़ेपन और बीजों का बहुराष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण भारतीय किसानों को और अधिक गरीब बना दिया है।

10.02 तमाम खतरों के बावजूद भी बड़े किसान और फार्म हाऊस वाले किसी तरह से बने रह सकते हैं, परन्तु छोटे एवं मझोले किसानों के साथ–साथ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के सामने जीवित रहने का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। बहुत किसानों ने खेती करनी ही छोड़ दी है, परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र ही सिकुड़ता जा रहा है। सरकार की नीतियों के कारण, ग्रामीण उद्योग–धन्धें के ठप्प हो जाने एवं आमदनी के अन्य साधनों के समाप्त प्रायः हो जाने से समस्या और अधिक गहराती जा रही है। उदारवादी प्रतिबन्धिों के कारण सरकार की मदद न होने अथवा बैकों से आसान ऋणों की उपलब्धता न होना आग में घी का काम कर रहा है।कृषि ऋण अधिकांशतः आज भी साहूकारों पर ही निर्भर है। यही सारे कारण मिलकर वर्तमान कृषि संकट कें लिए जिम्मेदार हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को आत्म हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार के अपने आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1999–2000 में 74.5 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। 1973–74 में यह आँकड़ा 56.4 प्रतिशत था जिससे साफ पता चलता है कि इस समय कृषि की तबाही का दौर चल रहा है। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी की रेखा के नीचे जरवन यापन करने वाली जनता को सस्ते दामों पर राशन मुहैया कराती है। लेकिन योजना आयोग के खुद के अध्ययन के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों में से 57 प्रतिशत को अभी तक भी सूचीवद्ध ही नहीं किया जा सका है। यही कारण है कि सभी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की माँग उठ रही है। इस तरह से आम जनता के लिए खाद्य सुरक्षा के साथ किसानों की भी मदद हो सकती है।

10.03 इस स्थिति में न तो विशेष आर्थिक क्षेत्र या कृषि का निगमीकरण और ना ही *''किसानों को विश्वविद्यालयों से जोड़ने''* की हास्यास्पद विचार कोई काम आ सकता है। दशष्टिकोण पत्र में सुझाए गए, कृषि उत्पादों के विपणन

का निगमीकरण भी इस समस्या के समाधान में कोई मदद नहीं कर सकता, अलबत्ता इस तरह के कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के हालातों को अवश्य बिगाड़ सकते है। सर्व प्रथम तो योजनाकारों को वर्तमान संकट के बुनियादी कारणें को समझना होगा और फिर दीर्घ अवधि के लिए उसका समाधान खोजना होगा। कोई भी छोटी अवधि का चालू मार्का समाधान भविष्य में संकट को ओर भी अधिक गम्भीर बना सकता है।

10.04 भारत सरकार और योजना आयोग संकट की मौजूदगी को ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वैश्वीकरण को इस मामले से करना ही कुछ नहीं है। सरकार में कुछ एक जिम्मेदार लोग उल्टा यह तर्क दे रहे है कि आत्म हत्या करने वाले के परिवार को सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता के कारण, आत्म हत्याओं में वशद्धि हो रही है। सबसे पहले योजना आयोग को संकट का अस्तित्व और उसका उदारीकरण की नीतियों से सम्बन्ध, स्वीकारना होगा। इस अर्थव्यवस्था में विकसित देश बुनियादी सामान का मूल्य कम उसके विनिर्माण मूल्य से भी कम अथवा स्थिर बनाऐ रखने की कोशिश करते हैं। इन हालात में कृषि और उससे जुड़े लोगों के प्रति उचित नजरिया रखे बिना, कृषि के अस्तित्व का बनाए रखना संभव ही नहीं रह जाएगा। दशष्टिकोण पत्र में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि सिचाई सम्बन्धित कार्यक्रम बनाने और कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था में सुधार करने, सड़क बनाकर गाँवों को शहरों के साथ जोड़ देने, मात्र से ही संकट का समाधान निकल आएगा। इतना सब ही काफी नहीं होगा। इन सभी के साथ–साथ सरकार को ग्रामीण उद्योग–धन्धों के बारे में पिछले वर्षों में लिए गए कुछ गलत फैसलों को ही पलटना होगा और खाद सब्सिडी सहित तमाम तरह की सब्सिडी को पुर्नजीवित करना होगा। इससे खाद्य सुरक्षा के लिए सभी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना होगा, कुल मिलाकर पूरी योजना को मानवीय विकास से जोड़ना होगा।

11.00 मानव संसाघनः

11.01 दशष्टिकोण पत्र में यह ठीक ही कहा है कि आज के हालात में हमें अपने ज्ञान के आधार को ही दुरूस्त करते हुए नया ही दशष्टिकोण अपनाना होगा। लेकिन आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पुरा किए बिना, उच्च तकनीकी ज्ञान को उन्नत नहीं किया जा सकता। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाते हुए, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा को सुनिश्चित बनाना होगा। अब यह सिद्ध हो चुका है कि महज आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए, जनता के हितों को नजरअन्दाज करके, कोई भी सरकार देश को प्रतियोगिता में नहीं रख सकती।

11.02 आम आदमी की जमीनी हकीकतों को देखकर कोई भी भारत के बारे में यह नहीं कह सकता कि यह कोई सभ्य समाज है। यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान का मजदूर औसतन एक डज्ञलर प्रतिदिन से भी कम की आमदनी पर जीता है। विश्व की कुल आबादी के 17 प्रतिशत वाले भारत की केन्द्र सरकार मात्र सकल घरेलू उत्पाद का 0.35 प्रतिशत ही स्वास्थय पर खर्च करती है। इतनी आबादी में विश्व के कुल का 23 प्रतिशत छोटे बच्चों की मृत्यू हो जाती है, जो संख्या की नजर से 50 लाख प्रति वर्ष है, 20 प्रतिशत मातश्त्व मश्त्यू, 68 प्रतिशत कोढ़ के मामले, 30 प्रतिशत टी.बी. के मामले हैं (10वीं योजना का दस्तावेज)। शुद्ध पीने योग्य पानी और सफाई पर, केन्द्र व राज्य सरकारों (दोनो मिलाकर) का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.2 प्रतिशत ही हैं। हमारे देश की एक तिहाई आबादी अनपढ़ है और 50 प्रतिशत बच्चे 8वीं कक्षा में पहुँचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। आम आदमी की इतनी बद्तर हालात के बावजूद भी, दशष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि "औसत आदमी को आर्थिक सुधारों से लाभान्वित हुआ है। इसलिए योजना इस ढ़ंग से तैयार करनी होगी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आम आदमी की सभी बुनियादी आवश्यकताऐं, न्यूनतम् आमदनी, बेसिक शिक्षा, शुद्ध प्रय जल, साफ–सफाई, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा आदि को सुनिश्चित करना होगा।

11.03 संसद सभी को प्राईमरी शिक्षा देने से सम्बन्धित संविधान संशोधन पारित कर चुकी है। परन्तु भारत सरकार के लिए यह शर्म की बात है कि वह अपनी जिम्मेदारी निजी स्कूलो अथवा राज्य सरकारों पर डाल देना चाहती है क्योंकि इसमें रू० 50,000 से 70,000 करोड़ प्रतिवर्ष का मामला है। संसद में पेश किए जा चुके मॉडल बिल

को पास करने से कतरा रही है जबकि तथ्य यह है कि वर्ष 2004–05 में इस मद में एकत्र किए गए टैक्स में से 48,000 करोड़ रूपया तो खर्च ही नहीं किया गया। 11वीं योजना में यह निश्चित करना ही होगा कि यह अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर ही आयद हो।

12.00 उच्च शिक्षा और अनुसंधान

12.01 यदि मारत वास्तव में तकनीक के क्षेत्र में उछाल लाना चाहता है तो उसके लिए प्राथमिक शिक्षा से शुरू करके धीरे–धीरे उच्च विश्व–विद्यालयी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की ओर ले जाना होगा। यह उछाल दवा एवं रसायन उद्योग जैसे उन क्षेत्रों में जरूरी है जिनमें हम पहले भी श्रेष्ठ रहे हैं। और कपड़ा उद्योग में भी यह तकनीकी उछाल अत्यन्त आवश्यक है ताकि प्रतियोगिता में रहा जा सके। वैश्वीकरण के रहते विनिर्माण के क्षेत्र में कुछ भी सुधार संभव नहीं होगा, जब तक कि तकनीकी उछाल सुनिश्चित न की जाऐ। प्राईमरी और सैकेन्ड्री एजूकेशन में वैज्ञानिक मानसिकता पर जोर देना होगा। सेकेन्ड्री शिक्षा के स्तर से ही विज्ञान में अनुसंधानिक गतिविधियों और सामाजिक व गणित की शिक्षा में लगाना होगा।

12.02 वर्तमान विश्व विद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर देने की जो बात, दशष्टिकोण पत्र में कही गयी है वह उचित ही है। बिना किसी भेदभाव के सभी विश्व विद्याालयों को एक साथ दुरूस्त करते हुए विशेष पाठ्य कार्यक्रमों के साथ नए–नए विश्व विद्याालय भी खोलने होगें। और यदि यह काम भी निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। सरकार को अनुसंधानिक कार्यों में लगे विश्व के इन्स्टीटयूटस और तकनीकी रूप से विकसित उद्योगों को साथ लेकर बहुत सी नई आई.आई.टी. खोलनी होगी।

12.03 (क) अनुसंधान एवं विकास की बदहालीः दशष्टिकोण पत्र विनिर्माण तथा कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी उछाल के बारे में सतही बात तो करता है। परन्तु लोगों को उत्साहित किए बिना और साधन मुहैया कराऐ बिना किसी भी बुद्धिमत्ता को कार्यवाही में नहीं उतारा जा सकता है। उदारवादी नीतियों से पूर्व जो तकनीकी मानव शक्ति जो नई स्वदेशी तकनीकों के अनुसंधान में लगी हुई थी अब वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है। नए अनुसंधान का मामला ही महज एक धार्मिक चोचलेबाजी बनकर रह गयी है। आजादी के तुरन्त बाद के दौर को हम याद करें, जब अनुसंधान एव विकास के लिए, इन्स्टीटयूटस् के रूप में अथवा उद्योग से जुड़े बहुउद्देश्यीय व्यवस्थाऐं की गयी थी।

12.03 (ख) दुर्भाग्य से ढ़ाँचागत परिवर्तनों के बाद जब सार्वजनिक क्षेत्र को हासिए पर ले जाया गया जो कमी आयी उसकी भरपायी के लिए निजी क्षेत्र आगे नहीं आया बल्कि वह पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय लिगमों के भरोसे ही रहा। वर्ष 2002 तक सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास पर उनके कुल व्यय का 10 से 15 प्रतिशत रहा है। हमारा देश वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में बहुत पिछड़ रहा है। आणविक अनुसंधान से लेकर, सस्ती दवाओं जिसमें अभी भी भारत काफी आगे है, के क्षेत्र में अब कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और औद्योगिक अनुसंधान के मामले में तो हम अपने पड़ोसी देशों से भी काफी पीछे हैं। यहाँ तक कि हम सुविधाओं के अभाव में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी पुरानी क्षमता को भी खो रहे हैं।

12.03 (ग) प्रधानमंत्री ने *राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में भाषण देते स्वयं यह चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि "मैं अपने वैज्ञानिकों के साथ अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त कर रहा हूँ कि विज्ञान के क्षेत्र में चीन हम से बहुत आगे निकल गया है। यदि यह सत्य है तो हमें स्वयं से पूछना ही होगा कि क्यों और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं?"* एक अमरीकी अध्ययन के अनुसार अनुसंधान एवं विकास के मामले में, वर्ष 2006 में चीन ने विश्व में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। पिछले 25 वर्षों में इसका अनुसंधान भारत से 25 गुना हो गया है। और हमारा देश तो दक्षिणी कोरिया से भी पीछे है। लेकिन कोई भी सरकार इस तथ्य को नकार नहीं सकती कि ये देश वर्तमान अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान आधारित उच्च तकनीक के क्षेत्र में बहुत ही प्रसंशनीय भूमिका अदा कर रहे हैं। वर्ष 2002

तक चीन औा दक्षिणी कोरिया का अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय करीब 150–160 करोड़ अमरीकी डालर था जबकि भारत का 40 करोड़ अमरीकी डालर से भी कम। दक्षिणी कोरिया में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय अधिकांशतः निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया और चीन में भी निजी क्षेत्र इस मामले में आगे आने की कोशिश कर रहा है।

12.03 (घ) यह हमारे लिए विशेष चिन्ता का विषय है कि अनुसंधान एवं विकास से हमारी विमुखता का लाभ पूँजीवादी देशों ने उठाया है। नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ साइन्स टेक्नोलोजी एण्ड डेवेलपमैन्ट स्टडीज (छप्ैज्।क्) के अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2002 के बीच अमरीका के पेटेन्ट एण्ड ट्रेड़मार्क ऑफिस में भारत में रिसर्च करने वाली कम्पनियों ने पेटेन्ट के लिए 266 आवेदन किए। इन कम्पनियों में से अधिकांश ऐसे उच्च तकनीक के उत्पादन में हैं जिनका अमरीका में बहुत भारी बाजार है।

12.04 दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह दशष्टिकोण पत्र इस मामले में वर्तमान हालात पर पुनः चुप्पी साध गया है। चूंकि वैज्ञानिक गतिविधियों को जुड़ाव आम आदमी से है और इससे ही राष्ट्रीय स्तर पर लोक व्यवहार को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अनुसंधान एवं विकास का सीधा सम्बन्ध मानव विकास की आवश्यकताओं से जुड़ा है जिसको आगे ले जाने का काम शिक्षा ही करती है, इसलिए ज्ञान पर एक समग्र नीति अति आवश्यक हो गयी है।

13.00 पर्यावरणः

दशष्टिकोण पत्र में उद्योग या खनन लगाने के लिए वातावरण को शुद्ध एवं साफ बनाए रखने पर अधिक जोर दिया गया है। यह सुनिश्चत करना ही होगा कि ऐसी कोई समस्या न हो और किसी भी हालत में वातावरण को नजरअन्दाज न किया जाए। यह इन हालातों में और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि पिछले 12000 वर्षों में धरती का तापमान उतना नहीं बढ़ा जितना अभी हाल के कुछ वर्षों में बढ़ा है, इसका मुख्य कारण पिछले 30 वर्षों के दौरान उद्योगों से अनाव–शनाप खतनाक गैस वातावरण में घुलती रही है। अमरीका सबसे अधिक प्रदूषण बनाने वाला देश है, जो क्यूटो संधी पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है और अविकसित देशों को प्रदूषणग्रस्त बनाने का काम कर रहा है। अभी बहुत से विकसित देशों ने प्रदूषण को रोकने पर का किया है। अभी हाल में मीथेन जैसी अत्यधिक खतनाक गैस के रिसाव मामले भी साने आऐ हैं। इस सम्बन्ध में देखा गया है कि 1990 के बाद पूरे यूरोप में गैसों के रिसाव में 3.3 प्रतिशत की कमी आयी है वहीं अमरीका में यह 16 प्रतिशत बढ़ा है।

14.00 राष्ट्र के पुर्ननिर्माण में योगदानः

14.01 योजना की प्रक्रिया महज विकास दर और खर्चों के लक्ष्य आदि तय करने भर का काम है। इसके द्वारा उचित अर्थ व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। अन्ततः क्रियान्वन के लिए तो राज्य सरकारों, नगर निकायों और पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। साथ ही साथ जन संगठनों जैसे ट्रेड़ यूनियनों, किसानों के संगठनों एवं नियोक्ताओं के द्वारा भी जनता को भी जोड़ा जाना चाहिए। क्रियान्वन के लिए धन जुटाने एवं शक्तियों को राज्यों को देने के मामले में योजना आयोग एवं वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका भी अत्यन्त महज्वपूर्ण है। वित्त आयोग की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गयी, क्योंकि पिछले कुछ समय से केन्द्र सरकार के द्वारा कल्याणकारी दायित्वों से हाथ खीच लिए जाने के कारण राज्यों पर अधिक दबाव आ गया है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के बाद के हालात में बहुपक्षीय दबावों में अर्थनीति को प्रभावित किया जा रहा है। अभी हाल में विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार पर वार्ताऐंच ल रही है।

14.02 वर्तमान हालातों में इस तरह की योजनाऐं बनानी होगी जिनमें प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से अधिकाधिक जनता को योजनाओं की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। जिस तरह से योजना आयोग विभिन्न राज्य सरकारों और मालिकों के संगठनों के साथ विचार विमर्श करता है। यह विचार विमर्श महज रिवायत न होकर

वास्तविक हालातों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। योजनाओं की संतुतियों के मामले में वित्त आयोंग के पुर्नगठन के लिए संवैधानिक संशोधन भी जरूरी है। योजना दस्तावेज और वित्त आयोग की संतुतियों को संसद में चर्चा करके अन्तिम रू‍प दिया जाना चाहिए। और इन मुद्दों से सम्बन्धित मामलों में सभी अंतराष्ट्रीय समझोतों पर संसद में विचार किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों के कानूनों को भी इन सवालों से जोड़ा जाना चाहिए।

अखिल भारत सम्मेलन
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
January 17-21, 2007 BANGALORE

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कमीशन दस्तावेज
ठेकेदारी एवं आऊट सोर्सिंग के खतरे

नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के उभार के बाद के दौर में औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में मजदूरों का संकुचित होना और असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

इस पूरे दौर में असंगठित क्षेत्र के बुनियादी ढ़ाँचे में ही कुछ खाश तरह के बदलाव हुए हैं। शुरूआती दौर में, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का इस्तेमाल, बुनियादी रूप से भिन्न एवं मशीनीकृत कार्य से अलग, परम्परागत क्षेत्र में हाथों से होने वाले काम–धन्धों में निम्न स्तर की कुशलता के लिए हो रहा था। असंगठित क्षेत्र की पहचान अमूमन् ऐसे काम धन्धों के रूप में ही रही है, जो कुछ एक अपवादों को छोड़कर श्रम कानूनों के दायरे में ही नहीं आता। और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कुछ राहत पहुँचाने के लिए यह अपवाद भी संगठित क्षेत्र के मजदूर आन्दोलन के द्वारा तैयार किए गए।

औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही उद्योगों ने धीरे–धीरे अपने इर्द–गिर्द कुछ ऐसे काम धन्धों का विकास भी किया जो प्रकृति से असंगठित क्षेत्र के भले ही लगते हों, परन्तु उन काम धन्धों का मूल सम्बन्ध मुख्य उद्योग के साथ ही है। और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ ही साथ संगटित क्षेत्र के उद्योगों की सीमाओं के अन्दर ही, बहुत ही कम कानूनी संरक्षण और लचर एवं अस्थायी काम की प्रकृति के चलते, धीरे–धीरे ऐसे मजदूरों में भी लगातार बढ़ोत्तरी होती गयी है। सेवा शर्तों में बेहद लचरपन होने तथा ठेकेदारों एवं उप ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे जाने के कारण, संगठित क्षेत्र में कार्यरत होने के बावजूद भी इन मजदूरों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संज्ञा दे दी गयी है।

इस प्रकार हमारे देश की विशाल असंगठित क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था में, परम्परागत क्षेत्र के बीड़ी, माल लादने/उतारने वाले, काजू, नारियल व पत्ते बीनने वाले, हथकरघा, रिक्शा चलाने वाले, भवन निर्माण और पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के साथ–साथ संगठित क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न तरह का ठेका व अस्थायी मजदूर भी बहुत बड़ी तादाद में जुड़ गया है। नव उदारवादी आर्थिक नीतियों पर चलते हुए, सरकारी तंत्र ठेकेदारी के विभिन्न रूपों को बहुत ही आक्रामक ढ़ंग से लागू कर रहा है। संगठित उद्योगों में असंगठित मजदूरों की तादाद में भारी वशद्धि हो रही है। यह कमीशन पेपर औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में बढ़ते हुए इस रवैये पर ध्यान आकर्षित करते हुए इस रवैये के विरूद्ध रणनीति तय किए जाने के आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है।

उदारीकरण से पहले

ठेकेदारी प्रथा का यह विस्तार अधिकांश श्रम शक्ति को अस्थायी बनाकर *"हायर एण्ड फायर"* की नीति को घुमा

फिराकर लागू करने की ओर बढ़ा रहा है। तेजी से बढ़ती ठेकेदारी काम के हालातों को बद् से बद्तर बना रही है, जो ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के लिए एक गम्भीर खतरा है, और इसे नजर अन्दाज करना ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के लिए आत्मघाती होगा।

उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद ठेकेदारी के स्वरूप में भारी परिवर्तन आया है। यद्यपि उदारवादी नीतियों के लागू होने से पहले ही ठेकेदारी प्रथा औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अपने पैर पसार चुकी थी। वास्तविकता तो यह है कि साठ के दसक के दौर से ही सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में ठेकेदारी का चलन एक प्रमुखता से उभर चुका था। संगठित मजदूर आन्दोलन की सीधी आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों और न्यायिक स्तर पर की गयी कार्यवाहियों के जरिए, तीखी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही संविदा श्रम (नियमन एव उन्मूलन) अधि ानियम 1970 बनाया गया। यह कानून एक तरफ, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी भी स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए ठेका मजदूरों को न रखा जाना सुनिश्चित करता है, तो दूसरी ओर मूल नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ठेका मजदूरों की सेवा शर्तें श्रम कानूनों के अनुसार नियमित हों। ठेका प्रथा के कारण मूल नियोक्ता और ठेका मजदूरों के बीच नियोजन सम्बन्ध अप्रत्यक्ष और कमजोर होने के तथा ठेका मजदूरों की सेवा शर्तें लचर होने, के कारण मूल नियोक्ता का रवैया ठेका मजदूरों के प्रति पूरी तरह से टालम–टोल का ही रहता था। परन्तु संविदा श्रम कानून के कारण मूल नियोक्ता, ठेकेदार तथा ठेका मजदूरों के बीच त्रिकोणीय सम्बन्धों को मान्यता मिल जाने के कारण, एक ओर मूल नियोक्ता को ठेका मजदूरों की सेवा शर्तों को नियमित करने की जिम्मेदारी वहन करनी पड़ी वहीं दूसरी ओर स्थायी एवं बारहमासी कार्यों पर ठेका मजदूरों को लगाने पर रोक लगी।

कानून की प्रक्रियागत् सीमाओं, बच निकलने के रास्तों, अधिकारियों द्वारा कानून के प्रभावी परिपालन में ढ़ीलापन जैसी तमाम कमियों के बावजूद भी संविदा श्रम (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम 1970, किसी हद तक संगठित क्षेत्र में कार्यरत ठेका मजदूरों को कई जगहों पर स्थायी रोजगार दिलाने में भी सहायक हुआ है। और सत्तर–अस्सी के दसक में, इस कानून के कारण ही विभिन्न स्तर के न्यायालयों ने मजदूरों के हितों में कई युगान्तकारी फैसले दिए।

लेकिन विचारणीय विषय यह है कि उदारीकरण से पहले, अस्सी के दसक के शुरूआती वर्षों तक अधिकतर उद्योगों में, ठेका मजदूरों को कम दक्षता वाले अथवा सहायक कायों में ही लगाया जाता था, जबकि ये कार्य भी, लगातर चलने वाले तथा स्थायी प्रकृति के ही होते थे। अधिकतर उद्योगों में सामान्यतया मुख्य कार्य से सम्बन्धित कायों में ठेका मजदूरों को न लगाने का चलन था। इन पृष्ठभूमि में संगठित आन्दोलन और न्यायिक व्यवस्था के सहयोग से, स्थायी एवं बारहमासी कार्यों में लगे बहुत से मजदूरों को स्टील (दुर्गापुर, इसको, राऊरकेला, भिलाई कैन्टीन आदि) नागरिक उड्डयन (एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी) बिजली विभाग (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों में) और ट्रान्सपोर्ट आदि में स्थायी कर्मचारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ।

उदारीकरण के बाद

सरकार द्वारा नब्बे के दसक में अपनायी गयी आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप ठेका मजदूरों को काम पर लगाने की प्रकृति में बुनियादी रूप से ही भारी परिवर्तन आया कि उन्हे स्थायी प्रकृति के कार्यों पर भी लगाया जाने लगा। और इस प्रकार पूरे ढ़ाँचे में ही धीरे–धीरे कुछ ऐसा बुनियादी बदलाव आता गया कि मुख्य उत्पादन प्रक्रिया में ठेका मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। उत्पादन प्रक्रिया में लगे, इन मुख्य उत्पादन कार्यों में लगे, ठेका मजदूरों के साथ अप्रत्यक्ष सम्बन्धों का सीधा–सीधा लाभ मुख्य नियोक्ता ही उठा रहा है।

उपरोक्त घटनाक्रम के कारण मुख्य रूप से दो तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, एक तो किसी भी औद्योगिक प्रष्ठिठान में अनेक प्रकार से अथवा अनेक नामों (ठेका, अस्थायी, बदली मजदूर आदि) के रूप में ठेका मजदूरों

की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी इस हद तक भी हुई है कि कहीं–कहीं तो इनकी संख्या प्रतिष्ठान के कुल स्थायी कर्मचारियों से भी अधिक हो गयी है। इन अस्थायी मजदूरों को या तो किसी ठेकेदार के द्वारा अथवा किसी अन्य ऐजेन्सी के द्वारा काम पर लगाया जाता है। इस प्रकार मुख्य नियोक्ता के साथ इन ठेका मजदूरों का सम्बन्ध पूरी तरह से अप्रत्यक्ष ही रहता है। उदाहरण के तौर पर लगभग हर शहर में स्थित सार्वजनिक उद्यमों सहित तमाम कार्यालयों, संस्थानों, गोदामों, भण्डार–गृहों आदि की सुरक्षा में लगे तमाम चौकीदार/सुरक्षा गार्ड आदि को निजी सुरक्षा एजेन्सियाँ 12–12 घंटे की डयूटी पर लगाती हैं। और इनकी सेवाओं का लाभ लेने वाले प्रमुख नियोक्ता को इस बात से कोई लेना–देना नहीं रहता है कि इन कामगारों को गैर कानूनी तरीके से 12 घंटे की डयूटी पर लगाया जाता है। संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम के तहत अभी भी, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में ठेकेदार अथवा किसी भी ऐजेन्सी के द्वारा लगाए जाने वाले मजदूरों के प्रति भी प्रमुख नियोक्ता की ही जिम्मेदारी बनती है, जबकि ऐसे कामगारों की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में रहने लगा है।

दूसरे तरह की स्थिति का सम्बन्ध कार्यस्थल और काम के विकेन्द्रीकरण एवं विखण्डन से है, जिसके तहत पूरी तरह अथवा आशिंक रूप से काम को किसी ऐजेन्सी को आऊट सोर्सिंग से पूरा कराने के बाद अपना नाम देकर अपने ही ब्राण्ड के नाम से किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा विक्रय करना है। ऐसा काम करने वाली अधिकांशतः ऐजेन्सियाँ लघु उद्योग ईकाईयाँ ही हैं, और बहुत से मामलों में तो यह ईकाईयाँ अपनी कार्यशील पूँजी, कच्चे माल तक के लिए भी अपने प्रमुख नियोक्ता पर ही निर्भर रहती हैं। बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठान बाहरी ऐजेन्सी को काम देने के साथ–साथ, अपने प्रतिष्ठान में ठेका मजदूरों से ही उत्पादन कराते तो हैं। और उत्पादन की यह दुहरी व्यवस्था मालिकों को ऐजेन्सी एवं प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेके की श्रमशक्ति के साथ सौदेबाजी करके उन्हे दबाव में रखने में मददगार होती है। उदाहरण के रूप में जूता उद्योग की प्रमुख कम्पनियाँ बाटा, लिबर्टी, बालूजा एवं ताज–शू आदि ने उत्पादन की यह दुहरी व्यवस्था ही बना रखी है। उत्तर भारत के बाजार के लिए आपूर्ती करने वाली लिबर्टी की हरियाणा में लगी तीनों ही उत्पादन ईकाईयाँ जून 2006 से पूरी तरह बन्द पड़ी हैं, इसके बावजूद भी बाजार में लिबर्टी के माल कोई कमी नहीं है, क्योंकि माल की आपूर्ती आऊट सोर्सिंग के जरिए पूरी हो रही है। ऑटोमोबाईल, इन्जीनियरिंग, टेलीविजन उत्पादन आदि अनेक क्षेत्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ उत्पादन को ठेके पर कराए जाने अथवा उत्पादन का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है।

मिल मालिकों का मन भावन होने के कारण ठेकेदारी नए–नए रूपों में उभर रही है। स्टील, इन्जीनियरिंग और पूँजीगत सामान के क्षेत्र में यहाँ तक कि उपभेक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी एक नए किस्म का जॉब कान्ट्रेक्ट सिस्टम उभरा है। जिसके तहत एक निर्धारित रेट पर उत्पादन कार्य किसी ऐजेन्सी को दे दिया जाता है, और कुछ मामलों में तो वह कार्य औद्योगिक संसथान के अन्दर ही कराया जाता है। और इस प्रकार प्रमुख नियोक्ता उस जॉब कान्ट्रेक्ट के काम में लगे हुए मजदूरों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, जबकि पूरा जॉब उसी प्रमुख नियोक्ता के लिए ही किया जा रहा होता है।

उत्पादन कार्य के विकेन्द्रीकरण के इस नए उभरते हुए स्वरूप को बड़ी उत्पादन ईकाईयों की एन्सीलरी यूनिट से अलग करके देखना आवश्यक है। मिसाल के तौर पर बी.एच.ई.एल. की बड़ी उत्पादन ईकाईयों का फैब्रीकेशन कार्य इन ऐन्सीलरी यूनिटों में ही होता है परन्तु ऐसा नहीं है कि इन ईकाईयों को टर्बाइन, मोटर आदि मुख्य उत्पादों का कार्य बिलकुल भी नहीं मिलता। लेकिन लाईट इन्जीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स गजटस् एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में यह उत्पादन विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया अधिक तेजी से लागू हुई है। अर्थात् अलग–अलग हिस्सों–पुर्जों को अलग–अलग जगहों पर तैयार करने के बाद जोड़कर उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है।

इस तरीके की ठेकेदारी और अस्थायीकरण के तेजी से बदलते स्वरूप के कारण, श्रम शक्ति की पूरी तस्वीर ही बहुत तेजी से बदल रही है। यहाँ तक कि केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक संस्थानों में भी कुल श्रम शक्ति में ठेका

मजदूरों का हिस्सा 50 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, और अधिकांश मामलों में इन ठेका मजदूरों को कारखानों के मुख्य उत्पादन कार्यों में लगाया गया है। खनन के क्षेत्र में विशेष रूप से और गैर–कोयला खनन के क्षेत्र में तो ठेका मजदूरों की संख्या स्थायी मजदूरों से भी कहीं बहुत अधिक है। कोयला उद्योग में भी खदानों को निजी हाथों में लीज पर दे दिए जाने के कारण, ठेका मजदूरों की संख्या में वृद्धि खतरे के स्तर तक बहुत तेजी से बढ़ रही है। बी.एच.ई.एल. में ही मुख्य उत्पादन कार्यों में लगे ठेका मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत तक हो चुकी है और यदि अन्य बारहमासी कार्यों में लगे कुल ठेका मजदूरों की संख्या को देखा जाय तो यह बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक है जो दिन–प्रतिदिन तेजी से बढ़ती ही जा रही है। तेल उद्योग में कुल श्रम शक्ति में ठेका मजदूर 70 प्रतिशत से अधिक है। कोयला उद्योग के ढुलाई, माल लादने/उतारने जैसे अन्य कार्यों में तो अस्सी के दसक के मध्य से ही ठेकेदारी चालू है, खुली खदानों में बढ़े पैमाने पर ठेका मजदूरों को ही लगाया जाता रहा है। मुख्य उत्पादन कार्यों में लगे इन ठेका मजदूरों को स्थायी मजदूरों के वेतन का केवल दसवाँ हिस्सा ही मजदूरी दी जाती है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय नाजुक एवं मशीनी उत्पादन के उद्योगों में भी शॉप लोर पर स्थायी मजदूरों के साथ ठेका मजदूरों को भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन में भी इस विकराल एवं भंयकर विकृति के साथ सामंजस्य बनाने की प्रवृत्ति खतरनाक ढ़ंग से देखने में आ रही है।

निजी क्षेत्र में तो स्थिति और भी खतरनाक स्तर तक भंयकर हो गयी है। निजी क्षेत्र में 1991 के बाद मशरूम की तरह उग आयी ईकाईयों में तो ठेका मजदूरों (कोई भी स्थायी मजदूर नहीं) की संख्या 90 प्रतिशत से भी अधिक है। यहाँ तक कि हरियाणा के गुड़गावाँ–धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हीरो हौंड़ा, हौंड़ा मोटरसाईकिल एण्ड़ स्कूटर लिॉ, स्पीडोमैक्स, शिवम् ऑटोटैक तथा एमटैक सिकार्डी लिॉ जैसी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली औद्योगिक ईकाईयों में 60 प्रतिशत से अधिक ठेका मजदूर/अस्थायी/प्रशिक्षु के रूप में मजदूरों को उत्पादन कार्यों में लगाया हुआ है। गाजियाबाद में अनेकों कारखाने ऐसे हैं, जो बन्दी के बाद सारे स्थायी मजदूरों की छंटनी करके, मात्र थोड़े से सुपरवाईजरी स्टाफ को स्थायी रूप से रखकर अब 100 प्रतिशत ठेका मजदूरों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पटपड़गंज, वजीरपुर, कीर्तीनगर, समयपुर बादली, पीरागढ़ी, औखला आदि औद्योगिक क्षेत्रों के अधिकांश कारखानों में स्थायी मजदूरों से कहीं बहुत अधिक ठेका मजदूर कार्यरत हैं। करीब–करीब यही स्थिति तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में हैं, और विशेष रूप से नए–नए खुलने वाले कारखानों में हैं, और शासन का भी इसके लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। कारखानों में स्थायी कामगारों की धारणा ही प्रायः समाप्त सी हो चली है। यह पूरे देश के औद्योगिक रोजगार में चल रहे रवैये को साफतौर पर दर्शाता है जहाँ मालिकों को लाभ देने के लिए *''हायर एण्ड फायर''* की नीति को बड़ी ही चतुराई से लागू कर दिया गया है।

सरकार की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाने वाले रोजगार के आँकड़े भी साफतौर पर यही रूझान दिखाते हैं। एन.एस.एस. के आँकड़े बताते हैं कि विनिर्माण के क्षेत्र में देश भर में 4.80 करोड़ में से मात्र 66 लाख ही संगठित क्षेत्र में हैं तथा शेष 4.14 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। हमारे देश में जो उत्पादन ईकाईयाँ है, उनमें से अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में हैं, जहाँ अधिकांशतः ठेका मजदूर ही कार्यरत हैं। खदानों एवं खुली खदानों में कार्यरत कुल 23 लाख मजदूरों में से 13 लाख ठेका मजदूर हैं जो अलग–अलग ठेकेदारों अथवा उप ठेकेदारें के तहत काम कर रहे हैं। भवन निर्माण उद्योग एक और ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्थायी मजदूरों से दस गुना अधिक ठेका मजदूर कार्यरत हैं। इस उद्योग में करीब 1.65 करोड़ मजदूर विभिन्न ठेकेदारों और बहुसंख्यक पेटी कान्ट्रेक्टरों के द्वारा नियोजित किए जा रहे हैं।

इस बड़े पैमाने पर ठेकेदारी और अस्थायीकरण की प्रक्रिया के चलते उत्पादन की कुल लागत में श्रम मूल्य का हिस्सा बहुत तेजी के साथ साल दर साल लगातार कम होता जा रहा है। उद्योगों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999–2000 के 7.84 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2003–04 में मात्र 6.82 प्रतिशत ही रह गया है। इसी सर्वे के अनुसार ठेका मजदूरों का औसत दैनिक वेतन, उद्योग के कुल कामगारों के कुल औसत दैनिक वेतन से 65 प्रतिशत कम है। यह देश की बहुसंख्यक औद्योगिक श्रम–शक्ति की दयनीय होती स्थिति को दर्शाता है।

उदारीकरण की नीति में बढ़ते अप्रत्यक्ष रोजगार सम्बन्ध

नव उदारवादी नीतियों के तहत उत्पादन की प्रक्रिया को खण्डित एव विकेन्द्रित करके लाभ कमाने की प्रवशत्ति ने असल में रोजगार के स्वरूप को बुनियादी रूप से ही बदल दिया है। मालिक–मजदूर सम्बन्ध अधिकाधिक अनिश्चित, गैर व्यावहारिक और परोक्ष हो गए हैं, जिससे जिन मजदूरों के द्वारा उत्पादित माल से भरपूर लाभ कमा रहा है परन्तु उन मजदूरों के प्रति किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पूरी तरह से बच गया है।
उदारीकरण की नीतियों के लागू होने से पैदा हुए लचर एवं कमजोर रोजगार सम्बन्धों की जड़ में वित्तीय पूँजी द्वारा संचालित नव उदारवादी अर्थतंत्र है। वित्तीय पूँजी अपने मूल चरित्र से ही बहुत अधिक चलायमान होती है और लाभ को कई गुने का भी कई गुना करने के इरादे से लगातार अधिकाधिक लाभ देने वाले ठिकाने ढूँढ़ते हुए और भी अधिक चलायमान होती जाती है। औद्योगिक पूँजी, वित्तीय पूँजी से संचालित होने कारण वित्तीय पूँजी की चंचलता, औद्योगिक पूँजी के व्यवहार को भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। कई बार औद्योगिक पूँजी पर वित्तीय पूँजी का भारी प्रभाव रहता है तथा औद्योगिक पूँजी, वित्तीय पूँजी की लूट–खसोट की गतिविधियों का हिस्सा बन जाती है। ऐसे अवसरों पर वह अधिकतम् मुनाफा कमाने के लिए, बाजार के उतार–चढ़ाव के अनुसार, उत्पादन प्रक्रिया के श्रम–शक्ति सहित सभी अंगों को नियंत्रित करना चाहती है। तमाम संसाधनों को पूर्ण तरलता के साथ अपने नियंत्रण में रखती है। बाजार के प्रत्येक उतार–चढ़ाव के अनुसार, यह औद्योगिक पूँजी, श्रम–शक्ति को पूर्णरूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यस्थित करने के लिए रोजगार सम्बन्धों को एकदम से लचर और कमजोर बनाना चाहती है, इसी मकसद से अधिकाधिक ठेका एंव अस्थायी श्रम–शक्ति पर जोर देती है। उदारीकरण के इस दौर में, रोजगार सम्बन्धों में तथा उत्पादन प्रक्रियाओं में वर्तमान परिवर्तनों का ही परिणाम है कि इस समय पूँजीवादी व्यवस्था के द्वारा आर्थिक लूट–खसोट का सर्वाधिक क्रूरतम् स्वरूप हमारे सामने है।

श्रम कानूनों को (श्रम–शक्ति के अस्थायीकरण के वास्ते) बदलने की मुहिम

सत्ता के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर, पूँजीवादी लूट को पुख्ता करने के लिए, इन अमानवीय रोजगार सम्बन्धों की भरपूर पैरवी कर रहे हैं। श्रम–बाजार को अधिकाधिक लचर और रोजगार सम्बन्धों को कमजोर एवं अप्रत्यक्ष बनाने के इरादे से तमाम श्रम कानूनों को मूलतः ही बदलने की इनके द्वारा वकालत की जा रही है। संप्रग सरकार मालिकों के हितों के लिए श्रम कानूनों को बदलने की कोशिश में है। संसद में पेश किए गए, तथा पेश किए जाने वाले कानूनों में अनेक मजदूर विरोधी प्रावधानों को जोड़ दिया गया है। ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के भारी विरोध एवं संघर्ष के मद्देनजर, वामपंथी सांसद सरकार की इन कोशिशों के खिलाफ लगातार प्रभावी दखलन्दाजी कर रहे हैं। और कुछ मामलों में वे काफी हद तक सफल भी हुए हैं। संसद में पेश किए गए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों से सम्बन्धित बिल में, इन क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रखे जाने जैसे खतरनाक प्रावधान जोड़े गए। संसद में वामपंथी पार्टियों के भारी विरोध के कारण, इस बिल के पेश किए जाने से पहले ही सरकार को ये प्रावधान हटाने पड़े हैं।

कुछ और मजदूर विरोधी कानून संसद में पास होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। कुछ उद्योगों को कुछ खास तरह के रजिस्टर व अन्य रिकार्ड (खासतौर पर मजदूरों से सम्बन्धित) रखने से मुक्त करने सम्बन्धित संशोधन बिल, मालिकों को मजदूरों के मामलों में पूरी मनमानी करने की छूट देना ही मुख्य मकसद है। इसके अतिरिक्त यह कानून केन्द्र एवं राज्य सरकारों को यह अधिकार भी देता है कि वह जिसे चाहे उस उद्योग को कानून की वाध यताओं से मुक्त कर सकते हैं। विभिन्न फार्म आदि एवं प्रक्रियों के सरलीकरण के नाम पर सरकार, किसी श्रम कानूनों के प्रावधानों को दरकिनार करके मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा को समाप्त करने का अधिकार उद्योगपतियों को देना चाहती है। इस कानून के खिलाफ मजदूर आन्दोलन को संघर्ष तेज करना होगा।

उपरोक्त बिल संसद में पेश करने से पहले ही, संप्रग सरकार इस कोशिश में है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के काम–काज को पूरी तरह से श्रम कानून की वाध्यता से मुक्त करके *''हायर एण्ड फायर''* की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी

जाय। बार–बार दखलन्दाजी करने तथा जुलाई 2005 में श्रम मंत्री द्वारा संसद में आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी भारत सरकार, राजग सरकार द्वारा पेश किए गए *''फिक्स टर्म एम्पलौयमैन्ट वर्कमैन''* को वापस लेने को तैयार नहीं है। दिसम्बर 2005 में सम्पन्न *''इण्डियन लेबर कान्फ्रेन्स''* में उद्योगपतियों के हित में, सरकार द्वारा *''औद्योगिक विवाद अधिनियम''* में प्रस्तावित परिवर्तनों का तमाम ट्रेड़ यूनियनों ने पुरजोर विरोध किया। इसके बावजूद भी केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने 21 जून 2006 में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक और उसके बाद 20 दिसम्बर 2006 को सम्पन्न हुई *''स्टैण्डिग लेबर कमैटी''* के दौरान भी इन घटिया प्रावधानों को पुनः पेश किया, जबकि ट्रेड़ यूनियनों ने पुनः इन प्रस्तावों को पूरी एकजुटता से नकार दिया। श्रम मंत्रालय पुनः ''मैन्यूफैक्चरिंग इन्वैस्टमैन्ट जोन'' (एम.आई.आर.) शुरू करने की कोशिश में है जहाँ सरलीकरण के नाम पर श्रम कानूनों के परिपालन को समाप्त किया जा सके।

न्यायपालिका की भूमिका

उद्योगपतियों के हित रक्षण के लिए श्रम कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन कराने में सरकार को असफल होते देख, न्यायपालिका भी उद्योगपतियों के हित में सक्रिय हो गयी है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें उच्च स्तरीय न्यायालयों ने इस दौरान, अनेक दसकों से स्थापित मजदूरों के मूल अधिकारों के ही विरूद्ध निर्णय दिए हैं। इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो न्यायालय के आदेशों के परिपालन का अर्थ, स्थापित कानूनों के विरूद्ध जाना ही है। पूँजीपतियों के हितों के लिए जहाँ सरकार असफल होती नजर आती है वहाँ, न्यायपालिका संवैधानिक सीमाओं को ही तोड़ रही है। ठेका मजदूरों (एयर इण्डिया केस) को स्थायी रोजगार में रखे जाने के अपने ही पूर्व आदेशों को उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा पलट दिया गया है। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्ड़िया के मामले में भी न्यायालय ने लगातर अनेकों वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के स्थायी होने के अधिकार को नकार दिया तथा समान प्रकृति के कई अन्य मामलों में भी न्यायालय ने संवैधानिक पंच की भूमिका को दर किनार करते हुए बुनियादी कानून के खिलाफ जाकर आदेश पारित किए हैं। हाल ही में आए तमाम न्यायालयी आदेश हर हालत में पूँजीपतियों के पक्ष में रोजगार सम्बन्धों को एकदम लचर एवं अस्थायी बनाने के उद्देश्य से ही पारित किए गए हैं।

सतही तौर पर देखने में यह अचंभित करने वाला तो हो सकता है लेकिन व्यवस्था के चरित्र के मद्देनजर अप्रत्याशित बिलकुल भी नहीं है। ये सभी न्यायालयी आदेश नव उदारवादी नीतियों से ही जुड़े हुए हैं, जिससे सष्ट हो जाता है कि सत्ता के तमाम अंग पूरी तरह से पूँजीवादी शक्तियों के पक्षधर बन चुके हैं। चूंकि न्यायव्यवस्था सत्ता का अभिन्न अंग है, इसी लिए सी.आई.टी.यू. की इस 12वीं कान्फ्रेन्स में एक अलग कमीशन ''न्यायालय बनाम मजदूर वर्ग'' विषय पर विचार कर रहा है।

हमारा दायित्व

हमारे सामने सबसे अहम् सवाल यह है कि रोजगार के ढ़ाँचे में तेजी के साथ जो बदलाव आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाय। कार्यस्थलों पर ऐसे लचर एवं अस्थायी रोजगार सम्बन्धों के रहते, मजदूरों को संगठित करना दिनोंदिन कठिन होता जा रहा है। इस लूट–खसोट के वातावरण में मजदूरों को समझा–बुझाकर एकजुट करना कठिन हो रहा है। ऐसी भी घटनाऐं हैं जिनमें, संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) कानून के तहत स्थायी एवं बारहमासी कार्यों के लिए ठेका मजदूरों की नियुक्ति पर रोक लगाने के खिलाफ स्वंय मजदूरों ने ही न्यायालय से गुहार लगायी है। क्योंकि इस कानून के कारण रोजगार खोने का भय काम कर रहा होता है।

इसके साथ–साथ कार्य स्थलों पर स्थायी मजदूरों में अवसरवादी दशष्टिकोण से ठेका मजदूरों के प्रति एक अलग ही तरह का रवैया देखने को मिल रहा है। और यदि यह नजरिया इसी तरह से जारी रहा तो धीरे–धीरे स्थायी कर्मचारियों का ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन ही समाप्त हो जाएगा।

कार्यस्थलों पर

चैन्ने में मई 1998 में सम्पन्न हुई सी.आई.टी.यू. की जनरल कौन्सिल मीटिंग में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के आन्दोलन पर विचार करते हुए, जनरल कौन्सिल ने सम्बन्धित उद्योग के स्थायी मजदूरों की यूनियनों द्वारा ही उस उद्योग के ठेका मजदूरों को संगठित करके, उनके संघर्षों में भागीदारी करने का जो फैसला लिया था वह पूरी तरह से उचित था। उद्योगवार परिस्थितियों के अनुसार असंगठित मजदूरों के संगठनों का स्वरूप, स्थायी एवं ठेका मजदूरों की संयुक्त एक ही यूनियन अथवा ठेका मजदूरों की अलग से यूनियन के रूप में हो सकता है। संभवतः ठेका मजदूरों की यूनियन अलग से ही बनान की कोशिश होनी चाहिए ताकि उनकी माँगों पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जा सके और संघर्षों का संचालन करते हुए, ठेका मजदूरों में से नेतश्त्व के विकास को, प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। लेकिन हमेशा प्रयास यह रहना चाहिए कि उनके आन्दोलनों एवं गतिविधियों में स्थायी मजूदरों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित कराया जाय। उपरोक्त निर्णय संगठन के व्यापक अनुभव के आधार पर लिया गया था।

उद्योग स्तरीय पहल

स्टील उद्योग के दुर्गापुर, इसको, राऊरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम् और उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश की लौह अयस्क खदानों के स्थायी कर्मचारियों की यूनियनों ने पहल करके ठेका मजदूरों को संगठित किया, जिसका अनुभव बताता है कि राऊरकेला एवं भिलाई को छोड़कर शेष सभी जगहों पर दोनों संगठनों ने एक दूसरे को मजबूत ही किया है। राऊरकेला और भिलाई में दोनों तरह के मजदूर एक ही यूनियन के तहत संगठित किए गए, परन्तु सांगठनिक गतिविधियों को प्राथमिकता के मामले में प्लान्ट स्तर के नेतृत्व में संतुलन की कमी के कारण वांछित परिणाम न मिल सके।

पेट्रोलियम उद्योग के पूर्वी, उत्तरी एवं कुछ हद तक दक्षिणी क्षेत्र के स्थायी कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा ठेका मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने से ठेका मजदूरों को बेहतर ढ़ंग से संगठित हो सके हैं, इसके फल स्वरूप सम्बन्धित ईकाईयों के मजदूर आन्दोलन को बहुत भारी मजबूती मिली है।

ऐसे अनेकों उदाहरण है कि जहाँ भी स्थायी कर्मचारियों की यूनियनों ने, ठेका मजदूरों को संगठित करके, उनके संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, वहाँ–वहाँ दोनों ही श्रेणी के मजदूरों को मजबूती मिली है। उद्योगों की उत्पादन प्रक्रियाओं में, जिस तरह से ठेका प्रथा बढ़ रही है, उससे हड़ताल करने की क्षमता को बनाए रखना संभव नहीं रह पाएगा। नालको एवं नैवेली लिग्नाईट में निजीकरण विरोधी हड़ताल की सफलता में ठेका मजदूरों की भूमिका बहुत अहम् रही है। पेट्रोलियम उद्योग में जिस तेजी से ठेका मजदूरों की संख्या में वश्द्धि हो रही है, उससे उद्योग में श्रम शक्ति की बनावट में, ऐसा परिवर्तन आ गया है कि यदि स्थायी कर्मचारी हड़ताल पर जाऐं और ठेका मजदूर हड़ताल से बाहर रहें तो हड़ताल का उत्पादन पर बहुत ही मामूली प्रभाव पड़ेगा।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन को इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रभावी रणनीति बनानी होगी अन्यथा थोड़े अस्थायी समय के लिए ही सही, ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन बहुत कमजोर हो जाएगा। हमें संस्थान एवं सम्पूर्ण उद्योग के स्तर पर उपरोक्त स्थिति को गहराई से अध्ययन करके राष्ट्रीय स्तर पर, उत्पादन करने वालों एवं उत्पादन से लाभ कमाने वालों के बीच के रिश्तों को परिभाषित करने के लिए कानून बनाने के वास्ते अपना माँग पत्र तैयार करना होगा। साथ ही साथ ठेका, कैजुअल, अस्थायी आदि किस्म के तमाम मजदूरों को संगठित करने की रणनीति भी तय करनी होगी। इसके लिए हमें कार्यस्थल से लेकर मजदूरों के रहने के स्थानों पर भी जाकर गम्भीर प्रयास करने होगें।

हमने नोट किया है कि श्रमिकों का अस्थायीकरण ठेकेदारों के द्वारा एवं कार्य का विकेन्द्रीकरण जॉब ठेकदारों के द्वारा, ये दो ही रास्ते हैं, हमें दोनों ही रास्तों के लिए अलग–अलग रणनीति बनानी होगीं। लेकिन मुख्य संस्थान की यूनियनों को ही उस संस्थान में ठेके पर कार्यरत कामगारों को संगठित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। और इन यूनियनों को ही आऊट सोर्सिंग एजेन्सियों में कार्यरत कामगारों को संगठित करने तथा मुख्य संस्थान के कामगार आन्दोलन के साथ तालमेल बैठाने का काम भी करना होगा।

क्षेत्रीय और राट्रीय स्तर

सी.आई.टी.यू. ने इस दिशा में सार्वजनिक उद्यमों में कुछ पहल अवश्य की है। "ऑल इण्ड़िया कोऑर्ड़ीनेशन कमैटी ऑफ पब्लिक सैक्टर ट्रेड़ यूनियन्स (सीटू)" के दिसम्बर 2005 में हुए सम्मेलन में इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि पब्लिक सैक्टर की यूनियनों को ही, स्थायी मजदूरों की माँगों के साथ–साथ, ठेका मजदूरों की माँगों को भी उठाना होगा और उनके आन्दोलन का भी संचालन करना होगा। सी.आई.टी.यू. की इस शुरूआत को लोकप्रियता हासिल हुई है, इसी का परिणाम है कि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों के संयुक्त मंच सी.पी.एस.टी.यू. की मार्च एवं नवम्बर 2006 में सम्पन्न मीटिंगों में औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। पब्लिक सैक्टर के कर्मचारियों की यूनियनों ने सातवें वेतन समझौतों के लिए पेश किए गए अपने माँग पत्र में एक मुख्य माँग रखी है कि ठेका मजदूरों को भी उद्योग के न्यूनतम् स्तर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के सीटू नेताओं को वेतन वार्ताओं एवं उसके लिए होने वाली आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों के दौरान, ठेका मजदूरों की इस बुनियादी माँग को पूरे जोर–शोर से उठाना होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर

ठेकेदारी के कारण उत्पन्न बदलते रोजगार सम्बन्धों को बढ़ावा देने के मामलें में, सरकारी तंत्र की भी अहम् भूमिका है और इन हालात का प्रभावशाली मुकाबला करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक तरीके से गम्भीर प्रयास करने होगें ताकि इन नीतियों को पलटकर वैकल्पिक नीति पेश किया जा सके। भारत सरकार की कोशिश है कि संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम में संशोधन करके ठेका प्रथा को प्रत्येक काम में कानूनी रूप दिया जा सके। ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन को मजदूरों के हित में सुनिश्चित वैकल्पिक प्रस्ताव के साथ वर्तमान स्थिति को बदलना होगा।

वैकल्पिक प्रस्ताव

हमें अपने वैकल्पिक प्रस्ताव में, उत्पादन को हिस्से–पुर्जों को आऊट सोर्सिंग करने का जो तरीका हमने देखा है, को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि उसका उचित समाधान निकाला जा सके।

1. उत्पादन प्रक्रिया में अलग–अलग तरीकों से नियोजित, शुरूआती कामगार से लेकर तमाम मजदूरों और उत्पादन से लाभ कमाने वाले मालिकान के बीच के रोजगार सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाय।
2. आऊट सोर्सिंग को भी संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम के तहत ठेकेदारी के समान ही दर्जा दिया जाय।
3. स्थायी एवं ठेका मजदूर दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान मुख्य कानून में ही किया जाय।
4. सभी स्थायी प्रकृति के कार्यों पर काम करने वाले सभी ठेका मजदूरों को, सम्बन्धित कम्पनी में स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाय और प्रबंधन को कठोर दण्ड़ भी ताकि उच्चतम् न्यायालय के द्वारा ठेका मजदूरों के अधिकारों के विरूद्ध दिए गए आदेशों का स्थायी रूप से उचित शमन किया जा सके।
5. यदि किसी कम्पनी/उद्योग में स्थायी कामगारों को देय न्यूनतम् वेतन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम से अधि

ाक है तो, ठेका मजदूरों को भी सम्बन्धित कम्पनी/उद्योग के स्थायी कामगारों को देय न्यूनतम् वेतन के समान वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

6. सभी ठेकेदारों को अपने काम के लिए, सक्षम प्राधिकारी से उचित लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक बनाया जाय।
7. यदि ठेकेदार बदला जाए, तो भी पहले ठेकेदार के सभी श्रमिकों को, उनकी सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन किए बिना ही काम पर बनाए रखा जाय, और निविदा की यह एक आवश्यक शर्त बनायी जाय।
8. मालिकों/प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष रोजगार सम्बन्धी तमाम (जिसमें ठेका मजदूरों और ठेकेदार व उसके लाईसेन्स सहित) सूचनाओं से सम्बन्धित वार्षिक विवरण श्रम विभाग के पास जमा करना आवश्यक बनाया जाय।
9. रोजगार में रहते हुए अथवा दुर्घटना के कारण यदि किसी ठेका मजदूर की मौत हो जाए तो उसे स्थायी कामगारों को देय मुआवजा के समान ही देय हो।
10. ठेका मजदूरों के मामले में रोजगार रजिस्टर का रखरखाव, श्रम विभाग के पास जमा होने वाला वार्षिक विवरण, पी.एफ., ई.एस.आई. एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बधी और श्रमिक मुआवजा कानून आदि तमाम श्रम कानूनों के परिपालन की जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्त की होनी चाहिए और श्रम कानूनों के परिपालन में किसी भी तरह की कमी होने पर प्रमुख नियोक्ता को कठोरतम् दण्ड देने का प्रावधान किया जाय।
11. अस्थायी रोजगार से सम्बन्धित मामलों की भली–भाँति एवं उचित जाँच के लिए समुचित स्टाफ के साथ एक अलग से जाँच संस्था (इंस्पैक्टरेट) सभी राज्यों में कायम की जाय।
12. केन्द्र एवं राज्य स्तर पर एक ''कॉन्ट्रेक्ट लेबर मॉनीटरिंग बोर्ड का गठन किया जाय, जिसमें ट्रेड़ यूनियन, सरकार एवं मालिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय, ताकि ठेका मजदूरों के मामलों में श्रम कानूनों के परिपालन पर नजर रखी जा सके।

इस विषय पर संगठन के अन्दर न्यूनतम् स्तर तक पर विचार विमर्श करके और इस मामले के विशेषज्ञों की राय लेने सहित सभी तरह के प्रयास करने के बाद वैकल्पिक प्रस्तावों को तैयार करना होगा। लेकिन हमें उपरोक्त हालातों को पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा और वैकल्पिक प्रस्ताव के अनुसार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन को व्यापकतम् एव विस्तारित करना होगा।

ठेकेदारी की मुहिम के खिलाफ संघर्ष करो

विभिन्न तरीकों से लागू ठेकदारी/अस्थायीकरण के विरूद्ध संघर्ष के लिए साझा समझ विकसित करनी होगी और ठेकेदारी एवं आऊट सोर्सिंग के जरिए होने वाले क्रूरतम् शोषण के विरूद्ध देशव्यापी मुहिम चलानी होगी। यह मुहिम चलाते समय ''बेरोजगारी से अस्थायी रोजगार ही बेहतर'' जिसे ठेका प्रथा की स्वीकार्यता बनाने के लिए ही गढ़ा गया है, इस सिद्धान्त के द्वारा लचर मजदूर सम्बन्धों की पैरवी करने वाले दलालों की इस समझ का जोरदार खण्डन भी करना होगा। एक और शैतानी सिद्धान्त है कि असुरक्षित एवं श्रम कानूनों का निषेध, अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करता है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी, इनमें से कोई भी सिद्धान्त, जमीनी हकीकत के करीब भी नहीं है।

जुलाई 2005 में नासिक में सम्पन्न सी.आई.टी.यू. की जनरल कौंसिल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका मजदूरों के मुद्दों पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय और उसमें विचार विमर्श करके रणनीति बनानी होगी ताकि इस समस्या का संगठनात्मक एंव आन्दोलनात्मक हल निकाला जा सके। भोपाल में दिसम्बर 2006 में सम्पन्न सी.आई.टी.यू. वर्किंग कमैटी की मीटिंग में भी उपरोक्त समझ को स्वीकार्य किया गया। पूँजीवादी निजाम के द्वारा थोपी गयी नीतियों के तहत ठेकेदारी और आऊट सोर्सिंग के घातक खतरों के खिलाफ, देशव्यापी मुहिम छेड़नी होगी। अपने पूरे सीटू संगठन को सक्रिय करके सरकार के विरूद्ध अभियान चलाने के साथ–साथ जमीनी स्तर पर भी जागरूकता पैदा करनी होगी।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कमिशन दस्तावेज
विशेष आर्थिक अंचल (सेज़)

पृष्ठभूमि

विशेष आर्थिक अंचलों (सेज़) अथवा निर्यातों को बढ़ावा देने वाले अंचलों (ईपीज़ैड) के गठन का मूल उद्देश्य सेवायोजकों को शुल्क का भुगतान किए बिना ही उत्पादन सामग्री का आयात करने और उससे तैयार किए गए उत्पादों का फिर से निर्यात करने की अनुमति देना था। निर्यातों के लिए तैयार किए गए उत्पादों पर आयात शुल्क के पुनर्भुगतान की व्यवस्था की अनदेखी करके रोजगार पैदा करने के एक आसान तरीके के रूप में इसे देखा गया। फिर भी, शुरू–शुरू में यह इस लुभावने विचार में एक बहुत बड़ी कमी देखी गई। इसके अन्तर्गत पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करने अथवा कारखानों को नामांकित किए जाने की जरूरत थी ताकि उन वस्तुओं जिन पर कर नहीं लगाया गया था, की इन अंचलों से बाहर की अर्थव्यवस्था में तस्करी को रोका जा सके। प्रायः ये कारखाने बड़ी–बड़ी चारदीवारी में स्थापित किए जाते थे। किन्तु इस तरह की 'घेराबंदी' के चलते कानून का पालन न किए जाने के लिए शह मिली और श्रमिकों के प्रति दमनकारी सत्ता को बढ़ावा मिला। इन विशेष सुविधा सम्पन्न अंचलों जिन्हें करों में उदार छूटें हासिल थीं और जहां श्रमिकों के मामले में दमनकारी व्यवस्था कायम की गई थी, से अपेक्षा थी कि वे विकासशील देशों के उन निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करें जिन्हें सस्ती लागत दरों का लाभ लेने में दिलचस्पी हो और जो चाहते हों कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए उन्हें कम से कम कानूनों का पालन करना पड़े तथा वे इन अंचलों में तैयार उत्पादों को इससे भी अमीर बाजारों में बेचने के लिए वापस भेज सकें। महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्यापार, करों और दूसरी नीतियों के उदारीकरण के 'परीक्षण के आधार' के रूप में इन अंचलों का उपयोग किया गया। उसके पश्चात् धीरे–धीरे इन नीतियों को बाकी अर्थव्यवस्था में लागू किया जाना था।

पहले विशेष आर्थिक अंचल अथवा ईपीज़ैड की स्थापना आयरलैंड में 1959 में हुई थी। किन्तु पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस विचार को सबसे अधिक उत्साह के साथ लिया गया। ताईवान, सिंगापुर, मलेशिया तथा ब्रिटिश उपनिवेश हांग कांग जैसे देशों में इस अवधारणा के साथ इस विचार को ग्रहण किया गया कि आयात के विकल्प की बजाए निर्यातों को बढ़ावा देकर ही अर्थव्यवस्था का विकास अच्छे ढंग से किया जा सकता है।
साठ के दशक में दुनिया भर में इस तरह के केवल 10 अंचल थे। अस्सी के दशक की मध्यवर्ती अवधि में इन अंचलों की संख्या बढ़ कर 176 हो गई; ये अंचल 47 देशों में फैले थे। वर्ष 2003 में 116 देशों में इन अंचलों की संख्या बढ़ कर 3000 से भी अधिक हो गई।
क्योंकि ईपीज़ैड का विचार दुनिया भर में फैल गया था इसलिए सरकारें यह सोचने लगीं कि उन्हें अपने यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अधिक से अधिक नए प्रोत्साहन देने चाहिएं; उन्हें कारखानों की इमारतें,

दूरसंचार की सुविधा, बिजली आपूर्ति पर सब्सिडी देने के आश्वासन दिए गए; इसके साथ ही यह गारंटी भी दी गई कि वे इसके लिए सस्ती श्रम शक्ति हासिल कर सकेंगे और यह श्रम शक्ति कोई शिकायत नहीं कर सकेगी। यही पहलु हम सबके लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है।

भारत में सेज़ की अवधारणा नयी नहीं है। मुक्त व्यापार अंचल (एफटीज़ैड), निर्यातोन्मुखी इकाईयां (ईओयू) अथवा निर्यात प्रसंस्करण अंचल (ईपीज़ैड) इत्यादि इसके पहले अवतार थे। देश का पहला मुक्त व्यापार अंचल (एफटीज़ैड) 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। कांडला के बाद सात ईपीज़ैड भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। एनडीए सरकार ने अप्रैल 2000 में *''निर्यातों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का वातावरण सुलभ कराने''* के विचार से विशेष आर्थिक अंचल योजना की घोषणा की थी। यूपीए सरकार द्वारा मई 2005 में विशेष आर्थिक अंचल विधेयक पारित कराए जाने से पहले फालटा और साल्ट लेक (पश्चिम बंगाल), कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नै (तमिलनाडु), विजाग (आंध्र प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश), जयपुर (राजस्थान) तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में ग्यारह विशेष आर्थिक अंचलों में काम चल रहा था। इसके अलावा संसद में विधेयक पेश किए जाने से पहले ही 35 नए सेज़ की स्थापना के लिए मंजूरी दी जा चुकी थी। पहले ग्यारह सेज़ को वास्तव में निर्यात प्रसंस्करण अंचलों के रूप में ही शुरू किया गया था।

नए विशेष आर्थिक अंचल अधिनियम, 2005 के उद्देश्य

नए विशेष आर्थिक अंचल अधिनियम, 2005 को संसद में प्रस्तुत करते समय जारी किए गए एक वक्तव्य में इसके उद्देश्यों और इसे लाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा गया था:
''जहां विशेष आर्थिक अंचलों सम्बन्धी नीति का समावेश विदेश व्यापार नीति में किया गया है वहीं विशेष आर्थिक अंचल के डिवेल्पर तथा इकाई को दिए जाने वाले प्रोत्साहन तथा दूसरी सुविधाएं सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों के माध्यम से लागू की जाती हैं। तथापि मौजूदा व्यवस्था निवेशकों में यह विश्वास पैदा नहीं करती कि वे अंदरूनी ढांचे का विकास करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात हेतु अंचलों में इकाईयां स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कोष उपलब्ध कराने के आश्वासन दे सकें। इसके लिए न्यूनतम नियामक सत्ता वाले एक स्थायी एवं दीर्घावधि का नीतिगत ढांचा देने तथा मंजूरी के एकल खिड़की (सिंगल विंडो) तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक अंचलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली के अनुरूप भारत में एक केन्द्रीय अधिनियम की आवश्यकता को महसूस किया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए *''विशेष आर्थिक अंचल विधेयक, 2005''* लाया जा रहा है। इस विधेयक की विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं:

क) विशेष आर्थिक अंचलों की स्थापना और इन अंचलों में इकाईयां स्थापित किए जाने से सम्बन्धित मामले जिनमें उनकी जरूरतें, दायित्व और पात्रता भी शामिल है:
ख) विशेष आर्थिक अंचल में आफ–शोर बैंकिंग इकाईयों की स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में इकाईयां स्थापित किए जाने से सम्बन्धित मामले जिनमें इन इकाईयों के संचालन एवं परिचालन की वित्तीय सत्ता भी शामिल है;
ग) विशेष आर्थिक अंचल तथा उनमें स्थापित इकाईयों के डिवेल्पर्स के लिए वित्तीय सत्ता;
घ) अंचल अथवा जोन स्तर पर मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की तंत्र;
ड़) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रत्येक विशेष आर्थिक अंचल के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना और उसे अधिकाधिक प्रशासकीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिए; और
च) विशेष आर्थिक अंचलों में होने वाले अधिसूचित अपराधों की जांच और उन पर तेजी से मुकद्दमा चलाने की कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए विशेष अदालतों तथा एकल प्रवर्तन (एनफोर्समैंट) एजेंसी का पद नाम।''

इसके अलावा नए अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा कम से कम क्षेत्र जो 1000 हेक्टेयर से कम नहीं होगा, में विशेष आर्थिक अंचल स्थापित किए जाने की अनुमति दी गई है।

एसईज़ैड की उस क्षेत्र के रूप में परिकल्पना की गई है जिसके पास पूरी ताकतें होंगी; दूसरे शब्दों में उसके पास अपना उच्च श्रेणी का अंदरूनी ढांचा होगा और उसके साथ–साथ उसमें आवासीय क्षेत्र भी होगा। सेज़ की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होगी, उसके परिचालन एवं रख रखाव के नियम अपने होंगे और सभी पर्यावरणीय एवं श्रम सम्बन्धी मामलों की स्वीकृति देने के पूरे अधिकार सेज़ के विकास आयुक्त के पास होंगे।

इन अंचलों का मुख्य आकर्षण उन्हें दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन हैं; इन प्रोत्साहनों का अनुचित लाभ उठाया जाता है जैसे खाते में हेराफेरी करना; लाभ/हानि, आयात–निर्यात के गलत आंकड़े तैयार करना इत्यादि। इनके चलते कम्पनी के लाभ में बढ़ोतरी हो जाती है जबकि केवल मैन्युफैक्चरिंग तथा निर्यातों से इतना अधिक लाभ हो ही नहीं सकता। भारत में विशेष आर्थिक अंचलों को दिए जाने वाले कुछेक वित्तीय प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

1) पांच वर्ष तक आय कर में 100 प्रतिशत छूट; दो वर्षों के लिए करों में छूट और मुनाफों का दोबारा निवेश करने पर अगले तीन वर्षों के लिए आय कर में तीन वर्षों के लिए छूट।
2) घरेलू व्यापार के क्षेत्र से विशेष आर्थिक अंचल में सामान की आपूर्ति होने की स्थिति में उसे निर्यातों के रूप में लिया जाएगा।
3) राजस्व की और अधिक क्षति उठानी पड़ सकती है।
4) आफ–शोर बैंकिंग इकाईयों के लिए पहले तीन वर्षों के लिए शत प्रतिशत और अगले दो वर्षों के लिए पचास प्रतिशत आय कर में छूट।
6) घरेलू बाजार में से केपिटल गुड्स, कच्चे माल, उपयोग में आने वाले उपकरणों की खरीद करने पर आबकारी शुल्क से छूट।
7) घरेलू बाजार में खरीद करने के समय केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में चुकाए गए धन की वापसी।
8) वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस बारे में निजी क्षेत्र के प्रस्तावों का समर्थन करने वाली अथवा अपने तौर पर विशेष आर्थिक अंचल की स्थापना करने वाली राज्य सरकारों को अधोलिखित आश्वासनों को कार्यरूप देने के लिए काम करना होगा:
9) प्रस्तावित विशेष आर्थिक अंचल के लिए दिया जाने वाला क्षेत्र पर्यावरणीय प्रतिबंधों से मुक्त हो;
10) पानी, बिजली तथा दूसरी सेवाएं जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं;
11) अपने यहां बिजली का उत्पादन करने और बिजली खरीदने के लिए इन इकाईयों को विद्युत शुल्क और करों में पूरी छूट दी जाए;
12) विशेष आर्थिक अंचल के भीतर बिजली के उत्पादन, संप्रेशन (ट्रांसमिशन) तथा वितरण करने की अनुमति दी जाए;
13) विशेष आर्थिक अंचलों के लिए डोमैस्टिक टैरिफ एरिया से सामान की आपूर्ति होने पर राज्य के बिक्री कर, चुंगी, मण्डी कर, आमदन कर तथा कोई अन्य शुल्क एवं सैस अथवा लेवी से पूरी छूट दी जाए;
14) विशेष आर्थिक अंचल (सेज़) के भीतर स्थापित इकाईयों के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा श्रमिकों से सम्बन्धित दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत सभी ताकतें विकास आयुक्त के पास होंगी और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इन इकाईयों को सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा घोषित किया जाएगा।
15) राज्य के कानून एवं नियमों के अन्तर्गत विशेष आर्थिक अंचल के मामले में मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की जाएगी और उनमें कम से कम निरीक्षण किया जाएगा।

भारत के आर्थिक प्रसंस्करण अंचलों एवं विशेष आर्थिक अंचलों (सेज़) का अनुभव

वर्ष 2004–05 में देश के कुल निर्यातों में आर्थिक प्रसंस्करण अंचलों एवं विशेष आर्थिक अंचलों का भाग केवल 5 प्रतिशत रहा था। इस अवधि में विशेष आर्थिक अंचलों (सेज़) से किया गया निर्यात मोटे तौर पर 16,000 करोड़ रुपए मूल्य का था। लगभग 98000 लोगों को रोजगार दिया गया। यद्यपि सरकार ने इन अंचलों में स्थापित मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों के लिए उनके आटोमैटिक रूट के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शत प्रतिशत छूट दी थी इस पर भी इन आर्थिक प्रसंस्करण अंचलों एवं विशेष आर्थिक अंचलों की इकाईयों में केवल 423 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ था। विकास, परिचालन तथा परिरक्षण (रख रखाव) के लिए सामान के ड्यूटी फ्री

आयात की अनुमति दी गई थी और उन्हें कई तरह के करों से छूट दी गई थी। विशेष आर्थिक अंचलों में स्थापित इकाईयों के लिए डोमैस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) से सामान की आपूर्ति को भौतिक निर्यातों के तौर पर लिया गया और उसे सर्विस टैक्स एवं केन्द्रीय बिक्री कर से छूट दे दी गई। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन को सुचारू बनाने के लिए इन अंचलों में आफ–शोर बैंकिंग इकाईयां स्थापित करने की अनुमति दे दी गई थी। इन अंचलों को जो छूटें, रियायतें तथा सुविधाएं प्रदान की गई थीं उनके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं; यह एक तथ्य है।

वित्तीय रियायतें देने की दृष्टि से मई 2005 में विशेष आर्थिक अंचलों के लिए अधिक उदार कानून बनाने से पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी; उस व्यवस्था के अनुसार ईपीज़ैड/एसईज़ैड अथवा सेज़ सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत "निर्यातों को बढ़ावा" दिए जाने के नाम पर दी जा चुकीं मौजूदा रियायतों की परीक्षा एवं जांच करना अनिवार्य होता था। वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने 17–2–2006 को पेश की गई अपनी 33 वीं रिपोर्ट में इस पहलू की जांच–परख की थी। उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष चौंका देने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार निर्यातों को बढ़ावा देने की योजनाओं अथवा कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1) एडवांस लायसेंस स्कीम
2) ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमैंट अथवा आपूरण प्रमाण पत्र (डीएफआरसी) योजना
3) ड्यूटी एनटाईटलमैंट प्रेस बुक स्कीम (डीईपीबी) योजना
4) ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम
5) एक्सपोर्ट प्रोमोशन केपिटल गुड (ईपीसीजी) स्कीम
6) निर्यातोन्मुखी इकाईयां (ईओयू), इलेक्ट्रिक हार्डवेयर टैक्नालोजी पार्कस् (ईएचटीपी), साटवेयर टैक्नालोजी पार्कस्
7) भारतीय योजना से सेवा प्राप्त
8) टारगेट प्लॅस स्कीम
9) विशेष कृषि उपज योजना (2004)।

निर्यातों को बढ़ावा देने वाली इन योजनाओं के अन्तर्गत 2001–2002 के 24,798 करोड़ रुपए की तुलना में 2004–2005 के लिए 41,032.56 करोड़ रुपए के करों और शुल्क (दूसरे शब्दों में राजस्व) की छूट दी गई थी। उसमें से 10,000 करोड़ रुपए के करों एवं शुल्क की छूट अकेले ईओयू/ ईपीज़ैड/एसईज़ैड (सेज़) के लिए दी गई जो वर्ष 2004–2005 के लिए थी। यह राष्ट्रीय आंकड़ों का पूर्वानुमान नहीं है अपितु ये वित्त मंत्रालय की ओर से स्थायी संसदीय समिति को भेजे गए वास्तविक आंकड़े हैं। यदि हम उन 181 सेज़ परियोजनाओं जिन्हें औपचारिक तौर पर अक्टूबर 2006 के शुरू में स्वीकृति दी गई थी और 128 सेज़ परियोजनाओं जिन्हें सिद्धान्त रूप में मंजूरी दी जा चुकी है तो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए करों तथा शुल्क में दी गई छूट की राशि 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। यह अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। यह केवल केन्द्रीय सरकार की राजस्व क्षति है। इसमें राज्य सरकारों की ओर से करों में दी गई छूट का हिसाब शामिल नहीं किया गया। प्रत्येक सेज़ के लिए मंजूरी दिए जाने से पहले कितने राजस्व की क्षति होगी इसका पता नहीं लगाने का कष्ट नहीं किया गया। यह एक घोटाला है। इसे "राजस्व का घोटाला" कहा जाएगा जो निर्यातों के नाम पर किया गया।

मौजूदा योजना का दुरुपयोग

स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार ईपीज़ैड/एसईज़ैड (सेज़) सहित निर्यातों को बढ़ावा देने की विभिन्न योजनाओं के दुरुपयोग की अनेक उदाहरणें देखने को मिलती हैं; इस मामले में 2002–2003 और 2004–2005 के बीच अनेक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उन नोटसों को देखने से पता चल जाता है कि इन योजनाओं के नाम पर 3,442 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का दुरुपयोग किया गया। राजस्व से सम्बन्धित गुप्तचर विभाग के निदेशालय (डीआरआइ) की ओर से इसका अध्ययन कराया गया था। उस अध्ययन में से एक उदाहरण यहां दी

जाती है जो पूरी तरह प्रासंगिक है:

''(ईओयू) के अन्तर्गत शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने अथवा उससे बचने की कार्य प्रणाली में (i) ड्यूटी फ्री निवेश के धन का उपयोग दूसरे काम के लिए किया जाता है और निर्यातों सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने की बजाए इसका उपयोग दूसरे कामों में किया जाता है (ii) निर्यातों के लिए ज़ो दायित्व होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता (iii) अनधिकृत एवं अतिशय डीटीए सेल, (iv) सामान को गुप्त रूप से ठिकाने लगाना, (v) निर्यात की गई सामग्री की कीमत बढ़ा चढ़ा कर लगाना, (vi) कल्पित, जाली एवं नकली नामों पर स्थापित इकाईयों जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, के नाम पर निर्यात करना इत्यादि।'' नए अधिनियम के अन्तर्गत कुकुरमुत्तों की भांति उभर रहे विशेष आर्थिक अंचलों (सेज़) की कारगुजारियां कुछ इसी तरह की होंगी, इसकी आशंका बहुत अधिक हैं।

स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि डीजीएफटी, डीआरआइ से आवश्यक जानकारियां हासिल करके सभी मौजूदा योजनाओं जिन्हें निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, के काम की समीक्षा कराई जाए; यह काम करना बेहद जरूरी है ताकि क्षति (राजस्व की) मुक्त किया जा सके। इस सिफारिश पर अमल करने की बजाए सरकार हड़बड़ी में आकर सेज़ के नाम पर कर–बहिश्त की सैंकड़ों रियायतें एवं छूटें देती चली जा रही है। यह अधिनियम संसद ने मई 2005 में पारित किया था। उसके बाद फरवरी 2006 में यह सिफारिश की गई थी। किन्तु सरकार विशेष तौर पर उसके वाणिज्य मंत्रालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वाणिज्य मंत्रालय तो सेज़ की नयी योजनाओं को धड़ाधड़ मंजूरी देता चला जा रहा है। राजस्व क्षति और योजनाओं के दुरुपयोग की दृष्टि से ''सेज़'' अधिनियम की समीक्षा करने का काम कभी सरकार के एजेंडे में नहीं रहा। ''सेज'' के कार्य कलापों को सही करार देने के लिए चीन का नाम उछाला जाता है; सच पूछें तो यह रोजमर्रा का काम ही बन चुका है पर चीन का अनुभव क्या कहता है, इसकी चर्चा हम नीचे करेंगे।

चीन का अनुभव

चीन ने इस मामले में कौन–सी राह अपनाई है? चीन में चार विशेष आर्थिक अंचलों (सेज़) के पहले समूह की स्थापना 1980 में दक्षिण पूर्वी चीन के तटवर्ती इलाके में की गई थी। उसके बाद दस अन्य विशेष आर्थिक अंचलों के दूसरे समूह की स्थापना तटवर्ती शहरों में की गई। चीन सरकार ने वर्ष 1984 में इन विशेष आर्थिक अंचलों (सेज़) के अपने अनुभवों के आधार पर तटवर्ती क्षेत्र में आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास अंचलों (ईटीडीज़ैड) की स्थापना करने का निर्णय लिया और 1984 से 1988 के बीच 14 ईटीडीज़ैड की स्थापना कर दी गई। उसके बाद से चीन में सेज़ का विकास तीन आयामों में हो रहा है अर्थात् सेज़ से ईटीडीज़ैड तक विस्तार, तटवर्ती क्षेत्र से अंदरूनी, मध्यवर्ती एवं पश्चिमी क्षेत्र में फैलाव और बुनियादी उद्योगों से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए उच्च प्रौद्योगिकीय उद्योग उन्नत करना। वर्तमान में, चीन में 54 राष्ट्रीय स्तर के ईटीडीज़ैड हैं। इसके बाद प्रांतीय एवं जिला स्तरों पर ईटीडीज़ैड की स्थापना की जा रही है। इन अंचलों की स्थापना के पीछे उनके सोच एवं अवध ाारणा पूरी तरह स्पष्ट है। सबसे पहले स्थान का चयन किया जाता है। उनका अगला उद्देश्य ''प्रौद्योगिकी'' होता है। उदाहरण के लिए जन राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 अगस्त, 1980 को गुआंगडांग प्रांत में सेज़ पर एक अधिनियम पारित किया था; उस अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है, ''निवेशक अपने निवेशों के बल पर अथवा हमारे साथ मिल कर संयुक्त उपक्रमों के रूप में सभी परियोजनाओं की स्थापना करेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और उद्योग, कृषि, पशु पालन, पर्यटन, आवास एवं निर्माण तथा शोध एवं मैन्युफैक्चरिंग से सम्बन्धित प्रौद्योगिकीय आदान–प्रदान जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा, के लिए इसका सकारात्मक एवं महत्व होगाकृकृकृ।''

ईटीडीज़ैड की स्थापना के दौरान इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया और इसकी सम्भावनाओं का विस्तार किया गया। इन प्रयासों का केन्द्रीय बिंदु उद्योगों का विकास करना, तत्काल रूप से आवश्यक उन्नत प्रौद्योगिकी लाना, नयी प्रौद्योगिकी का विकास करना, उच्च स्तर के निर्यातोन्मुखी उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग करना, नयी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराना और देश के अंदरूनी भागों में नयी तकनीक एवं प्रौद्योगिकी ले जाना इत्यादि था। उदाहरण के लिए गुआंगझाओ ईटीडीज़ैड के अंतरिम अधिनियम (1985) नयी प्रौद्योगिकी लाने और उसे लागू करने से सम्बन्ध

रखता है। इस अधिनियम के एक अध्याय में नयी प्रौद्योगिकी को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की गई है और इस काम को प्राथमिकता देने की जरूरत पर बल दिया गया है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन में भूमि का स्वामित्व सेज़ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, गुआंगडांग प्रांत में विशेष आर्थिक अंचल (1980) पर अधिनियम में कहा गया है, *''विशेष अंचलों में भूमि का स्वामित्व लोक चीन के पास रहेगा। निवेशकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भूमि उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी; वे इसका उपयोग कितने समय के लिए कर सकेंगे, इसके इस्तेमाल का शुल्क क्या होगा और इस शुल्क का भुगतान कैसे किया जाएगा विभिन्न प्रकार के कारोबार एवं उपयोग के दृष्टिगत इन प्रश्नों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके लिए अलग–से विशेष कदम भी उठाए जा सकते हैं।''*

आगे चल कर धारा 5 इस बात को स्पष्ट कर देती है कि इन अंचलों का विकास राज्य की ओर से किया जाएगा। उसमें कहा गया है:

''विशेष आर्थिक अंचलों में प्रशासन का दायित्व गुआंगडोंग प्रांतीय समिति का होगा; समिति विशेष अंचलों में जल आपूर्ति, मल–जल निकास, विद्युत आपूर्ति, सड़कों, संचार तथा भण्डारण इत्यादि विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करने और परियोजनाओं की लैवलिंग के लिए उत्तरदायी होगी।''

इसलिए इसकी योजनाबंदी अत्यंत सावधानी से की गई जिसके चलते चीन में इस योजना को सफल बनाने में मदद मिली। किन्तु हमारे यहां की योजनाबंदी के बारे में आप क्या कहेंगे? विशेष आर्थिक अंचल अधिनियम तथा नियम में अंचल के स्थान और प्रौद्योगिकी का कोई उल्लेख नहीं है। इसकी मंजूरी की प्रक्रिया खुद ब खुद सारे तथ्यों का खुलासा कर देती है।
वे राज्य जिनमें अधिकांश सेज़ परियोजनाएं हैं और वे राज्य जिनमें इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए सिद्धांत रूप में सहमति हो चुकी है पर अभी मंजूरी नहीं दी गई।

महाराष्ट्र	–	69	तमिलनाडु	–	27
हरियाणा	–	34	कर्नाटक	–	36
आंध्र प्रदेश	–	29	गुजरात	–	20
उत्तर प्रदेश	–	9	पंजाब	–	7

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि सेज़ के लिए मंजूरी दी गई अथवा यह मंजूरी सिद्धांत रूप में दी गई। इन्हें मंजूरी देने से पहले न किसी योजना का खुलासा किया गया था और न ही क्षेत्रीय संतुलन की चिंता की गई थी। इन अंचलों में किस तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे और किस तरह की प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा, इसके लिए किसी प्राथमिकता का निर्धारण नहीं किया गया था। सेज़ विधेयक के लक्ष्यों में केवल एक एजेंडा रखा गया था; इसका वर्णन विधेयक के लक्ष्य एवं उद्देश्य को देख कर समझा जा सकता है अर्थात् सेज़ के नाम पर *''जमीन हथियाने के विशेष अंचल''* के लिए बाढ़ द्वार खोलना, भूमि और राजस्व के मामले में कानून की सत्ता को कम से कम करने के साथ मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की तंत्र की व्यवस्था करना। भूमि के आबंटन की किसी विशेष कसौटी अथवा उत्पाद–लागत–लाभ का विश्लेषण किए बिना ही सेज़ अधिनियम निर्धारित करता है कि सेज़ के लिए भूमि की ऊपरी सीमा निश्चित किए बिना भूमि के लिए केवल कम से कम सीमा। इस तरह मौजूदा कानून के अनुसार पूरे राज्य को ही सेज़ की झोली में डाला जा सकता है। इसके साथ विकासकर्ता को मुत जमीन दी जाएगी; उस जमीन का विकास वह जैसा चाहे कर सकता है। वह उस जमीन पर चाहे गोल्फ कोर्स बनाए, शापिंग माल बनाए, मनोरंजन का केन्द्र खोले और चलाए, आवासीय परिसर बनाए, अस्पताल तथा होटल बनाए, उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। विकासकर्ता अथवा डिवेल्पर को रियल एस्टेट का कारोबार करने के लिए उपजाऊ कृषि भूमि दी जा

रही है; उसे देश के कानून के भय से मुक्त रखा जा रहा है जबकि इसके विपरीत चीन में सरकार खुद इन अंचलों का निर्माण कार्य करती है। यदि सेज़ की स्थापना के लिए पागलपन की सीमा तक भारत में दौड़ लग रही है तो उसका यही कारण है। यद्यपि यह अधिनियम मई 2005 में पारित हुआ था और इसके नियम फरवरी 2006 में बनाए गए थे इस पर भी केवल छःह महीनों में हमारे यहां 181 मंजूरशुदा सेज़ परियोजनाएं हैं और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात इत्यादि राज्यों में 121 सेज़ परियोजनाएं और खुलने जा रही हैं; इन परियोजनाओं की स्थापना पर सिद्धांत रूप में सहमति हो चुकी है पर इन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली। चीन की हालत इसके ठीक विपरीत है और वह भी चौंका देने वाली सीमा तक। वह 20 साल की अवधि में केवल 54 ईटीडीज़ैड स्थापित किए गए हैं। चीन में इन 54 ईटीडीज़ैड के लिए लगभग 40 से 50 हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया जबकि वहां कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15 प्रतिशत हुआ है। हमारे मामले में प्रमुख तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशी लोग होते हैं और उन्हें प्रोसैसिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग के लिए केवल 25 प्रतिशत भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति होती है। इसके लिए अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है? सेज़ के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर आध ाारित अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार इस समय तक कुल भूमि जिसका अधिग्रहण किया जा चुका है अथवा औपचारिक तौर पर मंजूरीशुदा सेज़ परियोजनाओं के लिए जितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा वह 30,000 हैक्टेयर बनती है। जिन सेज़ परियोजनाओं के लिए *''सिद्धांत रूप में सहमति''* बन चुकी है और *''जो इस समय विचाराधीन हैं''* के द्वारा 90,000 हैक्टेयर भूमि का उपयोग किए जाने की सम्भावना है। इसका अर्थ है, कुल 1,25,000 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और हरियाणा में रिलायंस की सेज़ परियोजना की बात अभी हमने नहीं की है; उसके लिए राज्य सरकार पहले ही 10,000 हैक्टेयर भूमि देने की पेशकश कर चुकी है।

दूसरे शब्दों में भूमि के अधिग्रहण की कोई सीमा नहीं है और यह काम उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ कर नहीं किया जा रहा। इन्हें इनके मौजूदा स्वरूप में विधेयकों के माध्यम से कानून सम्मत बनाया जा रहा है अथवा बनाया गया है। जहां तक भूमि की गुणवत्ता का सवाल है; इन परियोजनाओं के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है वह भूमि बंजर अथवा शामलात नहीं है बल्कि वह उपजाऊ और कृषि में काम आने वाली जमीन है। बड़ी नैगम कम्पनियां महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा तथा दूसरे राज्यों में सेज़ को बढ़ावा देने के नाम पर पूरी तरह कृषि के लिए उपयोगी जमीनों को हासिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए केवल मुम्बई के बाहर काश्त करने वाले किसानों को महानगर के एक तिहाई आकार के बराबर अर्थात् 14,000 हैक्टेयर जमीन के लिए अधिग्रहण के नोटिस दिए जा चुके हैं। सरकारी रिकार्ड के अनुसार इस भूमि की कीमत लगभग 1.7 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ है। पर बाजार भाव जो स्थान और भूमि की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, के अनुसार इस जमीन की कीमत प्रति एकड़ 20 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक है। दादरी, उत्तर प्रदेश की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। वहां निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेज़ परियोजना के अन्तर्गत एक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सेज़ परियोजनाओं की स्थापना के लिए पागलपन की सीमा तक जो दौड़ लगाई जा रही है, उसका प्रमुख कारण यही है। अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से इसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

सेज़ परियोजना के लिए हासिल की गई भूमि के केवल 25 प्रतिशत भाग की प्रोसैसिंग क्षेत्र के रूप में निशानदेही की गई है; ऐसा करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शेष 75 प्रतिशत भूमि का उपयोग अधिकतर महंगे रियल एस्टेट कारोबार के लिए करने की योजना है और सरकार इस मामले में विकासकर्ताओं अथवा डिवेल्पर्स के दलाल की भूमिका निभाती दिखाई देती है। यह वही भूमि है जिसे मामूली–सी क्षतिपूर्ति देकर किसानों से जबरदस्ती हथिया लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों के लाखों लोग जिनका काम धंधा कृषि है, उजड़ गए और वे इन दिनों आंदोलन के पथ पर चलने के लिए मजबूर हैं। रोजी–रोटी छिन जाने का खतरा उनके सिरों पर मंडरा रहा है। देश का ग्रामीक्ष क्षेत्र जहां पहले–से अशांति है, में अब सामाजिक अशांति पैदा हो जाएगी; इसके प्रबल संकेत मिलने लगे हैं। भूमि के अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा उजड़ने वाले लोगों के पुनर्वास जैसे प्रश्नों पर यह अधिनियम पूरी तरह मौन है। इसके चलते नैगम घरानों को व्यापक स्तर पर जमीन की लूट मचाने के लिए शह मिल रही है। उनके लिए सहानुभूति के नाम पर केवल जबानी जमा खर्च किया जा रहा है; उन्हें कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा पर असल में हो कुछ और ही रहा है। जब

तक इस सम्बन्ध में कोई कारगर कानून नहीं बनाया जाता तब तक इन कोरे आश्वासनों का कोई अर्थ नहीं है।

श्रमिकों से सम्बन्धित मामले

संसद में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार इसके श्रमिकों से सम्बन्धित अनुच्छेद को वापस लेना पड़ा था। यह अनुच्छेद मूल विधेयक में था। इसके अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्रीय सरकार को सेज़ में स्थापित उपक्रमों को विभिन्न श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रखने का अधिकार हासिल होता था। जाहिर है, वाम पक्षी दलों के दबाव के कारण ही सरकार को इस प्रश्न पर पीछे हटना पड़ा है। इसलिए यह अधिनियम श्रम से सम्बन्धित मामलों को नहीं छूता जो सम्बन्धित कानून के अनुसार नामित एजेंसी के अन्तर्गत देश के वर्तमान कानूनों से संचालित होते हैं। किन्तु ये नियम बनाते समय सरकार ने यही काम पिछले दरवाजे से कर दिया है। नियम 5 (5)(ई), (एफ) तथा (जी) राज्य सरकारों को निदेश देते हैं कि वे सेज़ में स्थापित इकाईयों, डिवेल्पर की ओर से काम पर रखे गए श्रमिकों से सम्बन्धित शक्तियां आइडी एक्ट, 1947 (संख्या 1947 की 14) के अन्तर्गत विकास आयुक्त को प्रदान करे और सेज को जन उपयोगी सेवा करार दे। राज्य श्रम आयुक्त की ताकतें विकास आयुक्त को दे दी गई हैं; भले ही इस तरह के नियम को विधायिका का समर्थन हासिल नहीं है; यह सरासर गलत है। यह आइएलओ की उन ठोस सिफारिशों का उल्लंघन भी है जिनका उल्लेख आइएलओ की संगठन बनाने की स्वतंत्रता सम्बन्धी समिति ने खास तौर पर किया था और जिन्हें समिति के 332 वें सत्र की कार्रवाई में दर्ज किया गया था (विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण अंचल में काम करने वाले श्रमिकों की शिकायतों के जवाब में) तथा आइएलओ की संचालन समिति जिसकी भारत सरकार भी सदस्य है, ने नवम्बर, 2003 के दौरान सम्पन्न अपनी बैठक संख्या जीबी288/7 में उनका अनुमोदन किया था। आइएलओ समिति ने विचार व्यक्त किया था कि "समिति ने अपने पिछले निष्कर्षों में रेखांकित किया था कि उप विकास आयुक्त और शिकायत निवारण अधिकारी के काम उस समय परस्पर विरोधी हो सकते हैं जब ये काम एक ही व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हों। सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह इस पूरी स्थिति की समीक्षा करे। समिति ने इससे आगे चल कर भारत सरकार से स्पष्ट शब्दों सिफारिश की थी कि *"ईपीज़ैड विशाखापत्तनम में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के कार्य उप विकास आयुक्त द्वारा न किए जाएं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था जिस पर सभी पक्षों को विश्वास हो, स्वतंत्र रूप से यह काम किया जाना चाहिए, इसे सुनिश्चित बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं...."* (पैरा 751–डी)।

यद्यपि विकास आयुक्त के कार्यों को अधिनियम की धारा 12 में स्पष्ट किया गया है फिर भी यह नियम उसे अपार ताकतें प्रदान करता है जो अधिनियम के अन्तर्गत उसके दायित्वों के अनुपात से कहीं ज्यादा हैं। उसे सेज़ के नाम पर एक तरह से 'निजी विदेशी सीमा' में सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया है और इसके विपरीत सेज़ में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी पावों तले रौंदा जा रहा है। विकास आयुक्त बिना किसी जवाबदेही के इन अंधी ताकतों का उपयोग सभी जनवादी आंदोलनों को कुचल डालने के लिए करेंगे जिनमें संगठन बनाने का अधिकार और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है; इस बारे में संविधान के धारा 19 में स्पष्ट निदेश दिया गया है। यह नियम इस तरह बनाया जाए कि उसके (विकास आयुक्त) कार्यों को उन जिम्मेदारियों तक सीमित कर दिया जाए जिनके लिए उसे नियुक्त किया जाता है और उसकी जवाबदेही को भी स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाना चाहिए।

लागत लाभों का विश्लेषण

अधिनियम की धारा 5(1) सेज़ की स्थापना को न्यायोचित करार देने के लिए अधोलिखित दिशा निदेश देती है:

क) और अधिक आर्थिक गतिविधियां शुरू करना;
ख) वस्तुओं के निर्यातों और सेवाओं को बढ़ावा देना;
ग) देशी तथा विदेशी स्त्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना;
घ) रोजगार के अवसर पैदा करना;

ङ) अंदरूरी ढांचे की सुविधाओं का विकास करना;

उपरोक्त दिशा निदेशों और उनके साथ–साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में दी गई छूटों की राशियों को देखते हुए लागत लाभों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और एक मानदण्ड निश्चित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर प्रत्येक सेज़ की कारगुजारी की समीक्षा की जा सके। तथापि नियम 53 कमाई गई शुद्ध विदेशी मुद्रा के आधार पर ही सेज़ सफलताओं का बखान करता है। यह नियम उपरोक्त दिशा निदेशों के साथ जोड़ कर इस सफलता का आंकलन नहीं करता। सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान ने अनुमान लगाया है कि इसके चलते सरकार को 97,000 करोड़ रुपए के राजस्व की जबरदस्त क्षति झेलनी पड़ी है; सेज़ द्वारा 'अर्जित' शुद्ध विदेशी मुद्रा के द्वारा इस वित्तीय क्षति की भरपाई की जानी चाहिए अन्यथा इस जबरदस्त वित्तीय क्षति का दंश अतिरिक्त करों के रूप में जन साधारण को झेलना पड़ेगा। लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर नियम 53 में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

तत्काल समीक्षा करने की जरूरत

अंतिम विश्लेषण में कहा जा सकता है कि इससे न सरकार, न किसानों और न ही श्रमिकों का कोई लाभ होता है। सरकार को राजस्व की क्षति झेलनी पड़ रही है; किसानों को अपनी जमीनों से वंचित होना पड़ रहा है और श्रमिकों को अपनी आजीविका गंवानी पड़ रही है। इससे लाभ उठाने वाला एकमात्र पक्ष नैगम घराने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं। उनके लिए जमीन तथा राजस्व की लूट मचाना का सुनहरी अवसर है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि मौजूदा सेज़ अधिनियम की तत्काल और हंगामी तौर पर समीक्षा कराई जाए।

जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है और उनके साथ–साथ जिन प्रस्तावों के लिए सैद्धान्तिक तौर पर सहमति दी जा चुकी है, उन पर उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल नए सिरे से नज़र डाले जाने की आवश्यकता है। अधोलिखित दिशा निदेशों के आधार पर इस अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिएः

1. परियोजना के स्थान, क्षेत्रीय संतुलन, उत्पाद और नयी प्रौद्योगिकीयों की योजनाबंदी के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए।
2. निर्यातों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए।
3. प्रत्येक सेज़ परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसका लागत लाभ विश्लेषण कराया जाए।
4. किस तरह की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, क्षतिपूर्ति देने का तरीका क्या होगा, उजड़ने वाले लोगों, किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों का पुनर्वास कैसे होगा; इन सब के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिएं।
5. पिछले अनुभवों के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहनों के दुरुपयोग के खिलाफ कठोर प्रावधान किए जाएं।
6. अधिग्रहण की गई भूमि में प्रोसैसिंग का क्षेत्र बढ़ाया जाए; यह क्षेत्र कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।
7. सेज़ की जमीन का उपयोग रियल एस्टेट के लिए किए जाने के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जाएं।
8. सेज़ के लिए उत्पादों की पहचान को सुनिश्चित किया जाए ताकि घरेलू क्षेत्र में उत्पादित इसी तरह के उत्पादों के लिए समान स्तर को बनाए रखा जा सके।
9. विकास आयुक्त की जवाबदेही निश्चित की जाए।
10. सेज़ के भीतर मौजूदा श्रम कानूनों में कोई बदलाव न लाया जाए; ये कानून पहले की भांति राज्य के श्रम विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहने चाहिएं।

सीआइटीयू की ओर से राज्य सभा की समिति को एक ज्ञापन भेंट किया गया है। इस ज्ञापन में इस अधिनियम की समीक्षा किए जाने और उपरोक्त दिशा निदेशों के आधार पर नियम बनाने की मांग की गई है।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

कमिशन दस्तावेज
विश्व व्यापार संगठन : वर्तमान मुद्दे और चुनौतियां

भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के पंद्रह वर्ष पूरे कर लिए हैं; ये नीतियां केन्द्र में एक के बाद एक सत्ता में आने वाली सरकारों द्वारा अपनाई और लागू की गई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार संस्थानों द्वारा दिए गए फतवे पर आर्थिक 'सुधारों' की इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था और उन्हीं संस्थानों की ओर से ही इसका संचालन किया जा रहा है; यह एक सार्वभौमिक तथ्य है। उल्लेख किया जाता है कि विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की तिकड़ी ने मिल कर इसकी अन्तर्वस्तु की रचना की है और ये तीनों आर्थिक 'सुधारों' की नीतियों जिनका पालन विश्व के विकासशील देश कर रहे हैं, का संचालन करते हैं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इन तीनों संगठनों अथवा संस्थानों का जन्म एक साथ नहीं हुआ। जहां विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रादुर्भाव वर्ष 1944 में हुआ वहीं विश्व व्यापार संगठन का उदय उसके इस मौजूदा स्वरूप में वर्ष 1995 में हुआ था।

विश्व व्यापार तथा गैट

बीसवीं शताब्दी में पूरी दुनिया को दो विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा था। पहले विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विश्वव्यापी स्तर पर गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया था जिसे 1929 के 'महान मंदे' के दौर के नाम से जाना जाता है। इस 'महान मंदे' ने विकसित विश्व के सभी औद्योगिक देशों पर विषम दुष्प्रभाव डाला था। ये वही देश थे जिन्होंने उपनिवेशों का अपने बीच फिर से बटवारा करने के लिए पहला विश्व युद्ध लड़ा था। वे 'महान मंदे' के चलते अपने यहां की अर्थव्यवस्थाओं को दरपेश समस्याओं का निपटारा करने के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार युद्ध में भी उलझे हुए थे। इसका परिणाम यह निकला कि इन देशों की ओर से अपनी–अपनी खाल (दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था) को बचाने के लिए 'संरक्षण वाद' का सहारा लिया गया था। इसके अन्तर्गत सीमा शुल्क बढ़ा कर आयातों पर अंकुश लगाया गया ताकि घरेलू उद्योगों की दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने में घरेलू उद्योगों की सहायता की जा सके।

इसी पृष्ठभूमि में, औद्योगिक देशों को आशंका थी जिस तरह पहले विश्व युद्ध के बाद 'महान मंदे' की हालत पैदा हो गई थी, उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध अभी चल ही रहा था कि इन देशों ने इस संकट को सिर उठाने से पहले ही दबा देने की बात सोची। वे चाहते थे कि फिर से उनके यहां इस तरह का संकट पैदा न हो। वे युद्ध के बाद की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए कदम उठाना चाहते थे। इसी विचार को सामने रख कर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के कागार पर था, औद्योगिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन करने के

लिए पहलकदमी की; यह सम्मेलन जुलाई 1944 को उस स्थान पर सम्पन्न हुआ जिसे अमरीका के न्यू हैंपशायर में ब्रेटनवुड्स के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन के अंत में विश्व बैंक (जिसने पहले पुनर्निमाण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक – आबीआरडी – का नाम ग्रहण कर लिया था, को 1960 के दशक में फिर से उसका पुराना नाम (विश्व बैंक) दे दिया गया और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इन दोनों को यदि 'ब्रेटनवुड्स जुड़वा' कहा जाता है तो उसका यही कारण है। इसके साथ ही साथ औद्योगिक देशों चाहते थे कि उनके पास कोई ऐसा संस्थागत तंत्र अथवा मशीनरी हो जिसकी सहायता से वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन कर सकें। वे उस समय अपनी इस चाहत को मूर्त रूप नहीं दे सके और उन्हें यह फैसला करना पड़ा कि व्यापार से सम्बन्धित मामलों पर अलग–से वार्ताओं का आयोजन किया जाए।

इसके लिए अनेक पहलकदमियां की गईं

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के तत्काल बाद पंद्रह देशों ने सीमा शुल्कों में कमी लाने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिसम्बर 1945 में बातचीत शुरू कर दी। उनका मुख्य उद्देश्य था संरक्षणवाद को समाप्त कर दिया जाए जो 1930 के दशक के शुरू से ही अस्पष्ट रूप में चल रहा था।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में व्यापार के पहलू से निपटने के लिए एक तीसरे संस्थान की स्थापना करने और 'ब्रेटन वुड्स' संस्थानों विश्व बैंक एवं अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने की लिए ही यह कोशिश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आइटीओ) बनाने सम्बन्धी वार्ताओं में 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। आइटीओ घोषणा पत्र का जो प्रारूप तैयार किया गया वह काफी महत्त्वाकांक्षी था। उसने विश्व व्यापार के दायरे से भी बाहर अपने पंख फैला रखे थे जिसमें रोजगार पर नियम, उत्पाद समझौतों, प्रतिबंधात्मक कारोबारी कार्रवाईयों, अन्तर्राष्ट्रीय निवेश तथा सेवाओं को भी शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य था हवाना, क्यूबा में वर्ष 1947 में व्यापार एवं रोजगार पर आयोजित किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आइटीओ का गठन कर देना। किन्तु यह प्रयास सफल नहीं हुआ, मुख्य तौर पर इसलिए क्योंकि अपनी 'व्यापार नीति में बाहरी दखल' का अमरीकी कांग्रेस ने विरोध किया था।

(एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, व्यापार सहयोग के लिए संगठन बनाने का एक और प्रयास 1955 में किया गया। क्योंकि विकसित देशों में यह भय था कि इसके चलते उनके घरेलू मामलों में दखल दिया जाने लगेगा इसलिए यह प्रयास भी लड़खड़ा गया।)

किन्तु 1947 में आयोजित व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक अंतरिम समझौता हुआ; इस समझौते पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1948 में व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता (गैट) अस्तित्व में आ गया। गैट एक अस्थायी समझौता था; उसके प्रावधान विश्व व्यापार की वश्द्धि दर में तेजी लाने के लिए भाड़ा दरों अथवा टैरिफ में कटौती करने के तक ही सीमित थे। इस सामान्य समझौते के लिए डी फैक्टो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसे औपचारिक तौर पर गैट के रूप में जाना गया, को खड़ा करने में अधिक समय नहीं लगा। वर्षो तक वार्ताओं के अनेक दौर चलने के बाद गैट का मौजूदा स्वरूप बन सका।

गैट के लागू हो जाने के बाद भूमण्डलीय व्यापार वार्ताओं के आठ दौर चल चुके हैं। वार्ता के हर दौर में पहले से अधिक देशों को शामिल किया गया और पिछले दौर की अपेक्षा व्यापार उदारीकरण पर और अधिक तत्परता से बातचीत की गई। सबसे अंतिम और लम्बे समय तक चलने वाली वार्ता उरूग्वे चक्र की वार्ता थी। यह वार्ता चक्र 1986 में शुरू हुआ और 1993 तक चला। इस चक्र के फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ गया।

किन्तु 1980 के दशक के शुरू में यह सामान्य समझौता विश्व व्यापार की वास्तविकताओं के अनुरूप उतना प्रासंगिक

नहीं रह गया था जितना वह 1940 के दशक में था। विश्व व्यापार पहले से अधिक जटिल बन चुका था और वह चालीस वर्ष पहले की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण था; उस समय विश्व अर्थव्यवस्था का भूमण्डलीयकरण हो रहा था; सेवाओं में व्यापार को गैट नियमों के दायरे में नहीं लाया गया था – उसकी प्रमुख दिलचस्पी अधिक से अधिक देशों में थी; और अन्तर्राष्ट्रीय निवेश का विस्तार हुआ था। सेवाओं के व्यापार का प्रसार भी विश्व में माल व्यापार के साथ निकट रूप से जुड़ा था। दूसरे मामलों में गैट को हाथ पांव मारते देखा गया। उदाहरण के लिए, कृषि के क्षेत्र में विद्यमान बहुपक्षीय व्यवस्था की कमियों से अत्याधिक अनुचित लाभ उठाया गया; और कृषि व्यापार के उदारीकरण की कोशिशों को बहुत कम सफलता मिली। यहां तक कि गैट का संस्थागत ढांचा और विवादों का निपटारा करने वाली उसकी व्यवस्था भी चिंता का विषय बन गई थी।

उरुग्वे चक्र तथा विश्व व्यापार संगठन

वार्ताओं के उरुग्वे चक्र की शुरूआत सितम्बर 1986 में हुई थी। इस चक्र में उस कार्यसूची को शामिल किया गया जिसमें व्यापार के लगभग प्रत्येक प्रमुख नीतिगत मुद्दे को लिया गया था। ये वार्ताएं अनेक नए क्षेत्रों में व्यापार व्यवस्था का प्रसार करने के लिए की गई थीं; इनमें उल्लेखनीय थीं, सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार तथा बौद्धिक सम्पदा, और कृषि एवं कपड़ा उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापार में सुधार लाना। गैट की सभी मूल धाराओं की समीक्षा की गई थी।

मोराक्को के मराकश नगर में 15 अप्रैल, 1994 को इस समझौते पर इस बैठक में भाग लेने वाले 123 सरकारों के मंत्रियों की ओर से हस्ताक्षर किए गए। इसके फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ा सुधार था। यह समझौता अब एक वास्तविकता बन गया था – दूसरे शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाने के 1948 के विफल प्रयास का यह – एक नवीकृत स्वरूप था। इस समय विश्व व्यापार संगठन की सदस्य देशों की संख्या 149 है।

जहां गैट प्रमुख तौर पर सामान में व्यापार के मामलों को निपटाता था वहीं डब्ल्यूटीओ तथा उसके समझौते अब सेवाओं में व्यापार, और व्यापारीकृत अविष्कारों, नयी सश्जनाओं एवं डिज़ाइनों (बौद्धिक सम्पदा) के मामलों का निपटारा करते हैं।

डब्ल्यूटीओ को अधोलिखित काम करने का आदेश दिया गया है:

- डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौतों के प्रशासकीय काम करना।
- व्यापार वार्ताओं के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- व्यापार सम्बन्धी विवादों को निपटाना।
- राष्ट्रीय व्यापार नीतियों पर नजर रखना।
- विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

डब्ल्यूटीओ की ओर से बनाए गए ढांचों में सबसे ऊपर डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है जो उसका निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। यह निकाय "प्रत्येक दो वर्ष बाद कम से कम एक बार बैठक करता है" जैसा कि डब्ल्यूटीओ के स्थापना सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र – मराकश समझौते में व्यवस्था की गई है।

अब तक इसके अन्तर्गत छः मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है जो इस प्रकार हैं:

पहलाः सिंगापुर – 9–13 दिसम्बर, 1996।
दूसराः जेनेवा – 18–20 मई, 1998।
तीसराः सिएटल – 30 नवम्बर से – 3 दिसम्बर, 2001।
चौथाः दोहा – 9–14 नवम्बर, 2003।
पांचवांः कैनकुन – 10–14 सितम्बर, 2003।
छटाः हांग कांग – 13–18 दिसम्बर, 2005।

इन मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों ने भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अनेक तरह की चिंताएं एवं तनाव पैदा किए हैं। अमरीका तथा युरोपीय संघ ने अपनी कार्य सूची को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने विकासशील देशों से रियायतें हासिल कर ली हैं पर बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया। इन बैठकों में विकासशील देश आपस में बंटे दिखाई देते हैं और वे अपने–अपने रुख का बचाव करने की सामर्थ्य नहीं रखते।

उरुग्वे समझौता होने में कई साल लग गए थे, पर इस पर भी यह समझौता सभी क्षेत्रों जिन पर बातचीत चलती रही है, को अपने दायरे में ला नहीं पाया। अतः इस समझौते ने डब्ल्यूटीओ को जन्म देने के साथ–साथ अनेक विषयों पर नयी वार्ताओं के लिए समय सारणियां भी बना रखी हैं।

वर्ष 1996 में ही पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में अनेक देशों ने खुल कर मांग की थी कि नयी शताब्दी के शुरू में ही वार्ता का नया चक्र चलाया जाए। वार्ता के नए चक्र के लिए जिन मुद्दों का प्रस्ताव किया गया था अथवा जिन पर बातचीत होने की सम्भावना हैं, उन्हें 'सिंगापुर के मुद्दों' के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन मुद्दों को डब्ल्यूटीओ की पहली बैठक में ही उठाया गया था। इनमें निवेश के लिए नए क्षेत्रों को शामिल करने, प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी कार्रवाईयों में पारदर्शिता लाना और व्यापार को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है।

वार्ताओं का नया चक्र शुरू करने के अभियान का विशेष तौर पर विकासशील देशों की ओर से विरोध किया गया था, किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। मराकश समझौते ने इस शताब्दी के शुरू में कृषि तथा सेवाओं पर वार्ताओं को शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता में उन मुद्दों को पहले ही शामिल कर लिया था।

दोहा का विकास एजेंडा

दोहा में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2001 में सम्पन्न हुआ था। इस सम्मेलन में एक कार्य योजना बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत इन वार्ताओं का समापन किया जाना था। उसके अनुसार अधोलिखित मुद्दों पर वार्ताओं का काम 1 जनवरी 2005 से पहले हो जाना चाहिए थाः

कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे और चिंताएं
कृषि
गैर–कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुलभता
बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से सम्बन्धित पहलु
व्यापार और निवेश के बीच का सम्बन्ध
व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा के मामले में परस्पर बातचीत
सरकारी खरीद में पारदर्शिता
व्यापार को बढ़ावा देना

इन मुद्दों का वर्गीकरण 'कार्यान्वयन वाले मुद्दे'' ''कृषि से सम्बन्धित मुद्दे'' तथा ''नए मुद्दे'' के तौर पर किया गया है। यह विशाल कार्यसूची दोहा सम्मेलन में बनाई गई थी। यह स्वयं में ही विवादास्पद है। इस कार्यसूची को

तथाकथित ''काम का दोहा कार्यक्रम'' अथवा ''दोहा विकास कार्यसूची''कहा जाता है जिसमें सिंगापुर के मुद्दों के अलावा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया था।
हम एक बार फिर संक्षेप में उन मुद्दों को यहां प्रस्तुत करते हैं जिन्हें दोहा विकास कार्यसूची के अन्तर्गत लाया गया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के सामने कितना बड़ा काम करने के लिए रखा गया है और उन मुद्दों के बारे में क्या कहा जाएगा जिन्हें विकासशील देशों की मत्थापच्ची के लिए रख छोड़ा गया है।

भारत सरकार ने दोहा सम्मेलन के अवसर पर जोर देकर कहा था कि इन ''नए मुद्दों'' पर वार्ताएं शुरू करने के कार्यक्रम को दो वर्षो के लिए स्थगित करने में उसे 'सफलता' मिली है और इन मुद्दों पर औपचारिक वार्ताएं चलाने के लिए ''सर्वानुमति वाले विशेष–फैसले'' को रोकने का विकल्प अब भी खुला है।

यह दावा भी किया गया था कि ''कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों'' अर्थात् डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अन्तर्गत विकासशील देशों के मामले में पैदा हुई असमानताओं एवं असंतुलन कम करने वाले मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर वार्ताओं के दोहा चक्र में सुलझा लिए जाने की जरूरत है। इनमें विकासशील देशों के लिए उनके कपड़ा निर्यात के लिए बाजार की बेहतर सुलभता, विकासशील देशों के निर्यातों के खिलाफ विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले डम्पिंग विरोधी प्रावधानों का दुरुपयोग को रोकना, ट्रिप्स समझौते के विशेष प्रावधानों को संशोधित करना और उनकी फिर से व्याख्या करना ताकि विकासशील देशों को नयी प्रौद्योगिकी बेहतर ढंग से हासिल हो सके और उसका फैलाव हो सके। डब्ल्यूटीओ में शिकायतों के निपटारे और अपील करने की प्रक्रिया डब्ल्यूटीओ के विधायी अंगों के आगे जवाबदेह होनी चाहिए।

तथाकथित 'नए मुद्दे' जिन्हें 'सिंगापुर मुद्दों' के नाम से जाना जाता है (क्योंकि इन्हें दिसम्बर 1996 में आयोजित पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में उठाया गया था) इस तरह हैं: व्यापार एवं निवेश, व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा की नीति, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, व्यापार को बढ़ावा देना।

डब्ल्यूटीओ में 'निवेश' पर एक बहुपक्षीय व्यवस्था कानूनी तौर पर भावी सरकारों के हाथ बांध देगी और किसी भी सरकार के लिए आत्म निर्भरता की नीति का पालन करना बेहद कठिन हो जाएगा। विदेशी निवेशकों के हित सामाजिक प्राथमिकताओं से ऊपर हो जाएंगे जैसे रोजगारों का सश्जन, समतापूर्ण समाज की स्थापना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास इत्यादि।

डब्ल्यूटीओ की ओर से निर्धारित की गई भूमण्डलीय 'प्रतिस्पर्धा नीति' के नाम पर सार्वजनिक हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नियंत्रित करने और उनकी गतिविधियों के लिए निदेश जारी करने की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। इस नीतिगत सत्ता के अन्तर्गत राष्ट्रीय सरकारों के लिए छोटे, मंझौले तथा बड़े स्वदेशी कारखानों को प्राथमिकता देना सम्भव नहीं हो सकेगा।

यहां तक कि सरकारी खरीद पर भी डब्ल्यूटीओ के नियंत्रण में आ जाएगी। कोई भी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार 'सरकारी खरीद के मामले में स्वदेशी फर्मो के साथ प्राथमिकता वाला व्यवहार नहीं कर सकेगी। सरकार को सामान की आपूर्ति करने के लिए बोली देने के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदायकों (suppliers) को भी वही अधिकार हासिल होंगे जो स्थानीय प्रदायकों को हासिल हैं। आयात एवं निर्यात से सम्बन्धित औपचारिकताओं एवं शुल्कों, लेन देन की स्वतंत्रता पर गैट के प्रावधानों के मामले में बड़े बहुराष्ट्रीय कारोबारी घरानों की पहलकदमी और व्यापार नियमों प्रकाशन एवं प्रशासन का प्रस्तुतिकरण ''व्यापार को बढ़ावा देने के नाम पर किया गया है। विकासशील देशों को अपने कानूनों, नियमों एवं विनियमों में संशोधन करने, उन्हें विकसित देशों के नियमों एवं कानूनों के अनुरूप बनाने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जरूरतों एवं सुविधाओं के अनुकूल बनाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जाती है भले ही विकासशील देशों में इस तरह की सरकारों के भिन्न प्रकार के लक्ष्य एवं

स्थितियों की पृष्ठभूमि उस तरह की हो या न हो।

डब्ल्यूटीओ में सीमा शुल्क, मूल्यांकन एवं जहाज में समान से लादे जाने से पहले निरीक्षण किए जाने से सम्बन्धित संहिता बनी हुई है यह संहिता विकासशील देशों की सरकारों की नियामक सत्ता को कमजोर बनाती है। व्यापार को बढ़ावा देने के नाम पर की जाने वाली नयी पहलकदमियां विदेश व्यापार के लेन देन को अनुशासित करने के मामले में राष्ट्रीय सरकारों की योग्यता को आघात पहुंचाती है तथा उन्हें और कमजोर करती है और उत्पादों के मूल्यों को कम अथवा अधिक दिखाए जाने जैसी भ्रष्ट कार्रवाईयों की रोकथाम करने के मामले में ये सरकारें अधिक कुछ कर नहीं पातीं। इसके फलस्वरूप इन सरकारों को विदेशी मुद्रा के भण्डार और सीमा शुल्क के राजस्व की क्षति को झेलना पड़ता है।

दोहा शिखर सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल दूसरे मुद्दों में कृषि, विशेष तथा अलग व्यवहार, कार्यान्वयन के मुद्दे तथा औद्योगिक टैरिफ इत्यादि सर्वाधिक विवादास्पद थे। कृषि जो दोहा चक्र में विवाद का केन्द्रीय मुद्दा बन गया था, पर ही आरोपों एवं प्रत्यारोपों का दौर चला। ये आरोप और प्रत्यारोप लगाने वाले देशों में एक ओर वे देश थे जो अपने यहां कृषि के लिए भारी सब्सिडी देते हैं और दूसरी तरफ वे देश थे जो इस क्षेत्र में भूमण्डलीय व्यापार का उदारीकरण करना चाहते थे। जहां विकासशील देशों को भी कृषि उत्पादों के निर्यातों में दिलचस्पी थी। इस टकराव में शामिल देशों में एक ओर युरोपीय संघ, जापान और कुछ सीमा तक दक्षिण कोरिया इत्यादि थे; ये सभी देश उदारीकरण का विरोध कर रहे थे जबकि दूसरी ओर अमरीका तथा निर्यात करने वाले देशों का कैरेन समूह (अस्ट्रेलिया, अर्जनटाइना, ब्राजील, मलेशिया, थाईलैंड तथा दक्षिणी कोरिया जैसे विकासशील एवं विकसित देशों का गठबंधन) था।

कृषि के प्रश्न पर युरोपीस संघ ने घोषणा कर दी कि वर्ष 2006 तक कृषि में दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे शब्दों में वार्ताओं का चक्र समाप्त होने तक। अमरीका भी कृषि के लिए दी जाने वाली सहायता को कम नहीं करेगा। वास्तव में अमरीका ने कृषि के लिए अपनी सहायता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया था। युरोपीय संघ, अमरीका तथा जापान की ओर से मिल कर कृषि क्षेत्र के लिए जो भारी भरकम वित्तीय सहायता दी जा रही है, वह एक वर्ष में हमारे राष्ट्रीय कृषि उत्पादन के पूरे मूल्य से लगभग 200–300 प्रतिशत अधिक है! दूसरी ओर हमारे जैसे देशों के कृषि आयातों पर ऊंची भाड़ा दरें अर्थात टैरिफ लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे को कृषि पर चल रही वार्ताओं का मुख्य विषय बनाया जाना चाहिए। विकसित देशों में कृषि पर दी जा रही इतनी भारी भरकम सब्सिडियां न केवल जारी रहेंगी बल्कि आने वाले वर्षों में इनमें और अधिक बढ़ोतरी भी हो जाएगी।

दोहा शिखर सम्मेलन की वार्ताओं में बहुत कम प्रगति हुई। इस सम्मेलन में सार्वजनिक स्वास्थ्य और ट्रिप्स पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया। उस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि ट्रिप्स समझौते द्वारा इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कानून बनाने की अनुमति दी जाएगी जिनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा होती हो।

दोहा से बाद की घटनाएं

उल्लेखनीय है कि दोहा कार्य योजना के अन्तर्गत जिस कार्यक्रम की कल्पना की गई थी उसने डब्ल्यूटीओ समझौतों में पहले से पाई जाने वाली विषमताओं और असंतुलनों को बढ़ाने का काम ही किया है। इसमें विकसित देशों की दिलचस्पी के क्षेत्रों का खास ध्यान रखा गया है और विकासशील देशों के हितों वाले क्षेत्रों की अनदेखी कर दी गई है।

इसलिए, दोहा चक्र की वार्ताएं आराम से आगे नहीं बढ़ीं, यह स्वाभाविक ही था। अनेक स्तरों पर जोरदार और सघन वार्ताएं होने पर भी गतिरोध बना रहा। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के पांचवें शिखर सम्मेलन का

आयोजन 10–14 सितम्बर के बीच कैनकुन, मैक्सीको में किया गया। इन शिखर वार्ताओं में 22 देशों के एक समूह – जिसे आगे चल कर जी–22 के रूप में जाना गया, ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इन देशों में ब्राजील, चीन, भारत तथा दक्षिणी अफरीका इत्यादि देश भी शामिल थे। इन देशों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर काम किया और उन्होंने अमरीका तथा युरोपीय संघ के देशों की ओर से अपने–अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली भारी सब्सिडियों पर जोरदार बहस की। यह वार्ता विफल रही – चार वर्षों में दूसरी बार (पहली बार 1999 में सिएटल में) क्योंकि अमरी, विकसित देशों और गरीब एवं विकासशील देशों के बीच व्याप्त मतभेदों पर कोई समझौता ही न हो सकता हो।

किन्तु उसके बाद जेनेवा में आयोजित डब्ल्यूटीओ जनरल कौंसिल की बैठक का उद्देश्य कैनकुन में 'अधूरे रह गए काम' को पूरा करना बनया गया था। इसके लिए एक 'समझौते का जुलाई 2004 मूल ढांचा' (जुलाई फ्रेमवर्क एग्रीमैंट 2004) बनाया गया। इस बैठक में, जी–22 देशों की एकता की जरूरत बनी रही और यह एकता और मजबूत करने की जरूरत भी थी ताकि अमरीका और युरोपीय संघ के नेतश्त्व में विकसित देशों के दबाव के आगे मजबूती से खड़ा रहा जा सके। किन्तु भारत ने अमरीका, युरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया तथा ब्राजील के साथ इसके चाहवान पांच पक्षों (एफआइपी) के गुट का साथ दिया और इसके चलते यह 'फ्रेमवर्क' अस्तित्व में आया। इसने देश के हितों को बहुत नुकसान पहुंचाया और कैनकुन में जो प्रतिरोध विकसित हुआ था, उसे कमजोर कर दिया और इसके साथ ही विकासशील देशों विशेष तौर पर जी–22 देशों, की जो एकता बनी थी, वह भी कमजोर हो गई।

डब्ल्यूटीओ का छटा शिखर सम्मेलन 13–18 दिसम्बर, 2005 को हांग कांग में आयोजित हुआ।

यद्यपि दिसम्बर 2005 में हांग कांग में आयोजित इस शिखर सम्मेलन से बहुत बड़ी आशाएं नहीं थीं किन्तु फिर भी यह कार्यक्रम निराशाजनक रहा। बुनियादी क्षेत्रों पर वार्ता में कोई अधिक प्रगति नहीं हो सकी। वार्ताएं किस तरीके से की जाएं इस पर भी बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। इसने सभी क्षेत्रों पर वार्ताओं और समझौते के लिए अंतिम तिथियों का निर्धारण तक कर डाला; इरादा यह था कि यह पूरा काम 31 दिसम्बर 2006 तक समाप्त हो जाए।

कृषिः घरेलू सहायता के मामले पर यह फैसला किया गया कि व्यापार में विकृति लाने वाली घरेलू सहायता में समग्र कटौती के लक्ष्य को सामने रख कर सहायता के पूर्ण योग में तीन स्तरों पर अंतिम कटौती की जाएगी। सबसे ऊंचे स्तर पर बड़ी और सीधी कटौती की जाएगी। वर्ष 2013 के अंत तक निर्यात सब्सिडी को समाप्त कर देने का भी फैसला किया गया था।

औद्योगिक सामानः 30 अप्रैल तक वार्ताओं की विधियों को अंतिम रूप देने और 31 जुलाई तक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का फैसला किया गया।

सेवाएं : सेवाओं में बहुपक्षीय वार्ताएं शुरू करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही वार्ताओं में तेजी लाने के लिए अनुरोध–पेशकश का रुझान जारी रखने का निश्चय भी किया गया। अनेक देशों ने बहुपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने का फैसला किया।

31 जुलाई, 2006 तक संशोधित पेशकशों पर वार्ताओं का दूसरा दौर चलाने और 31 अक्टूबर, 2006 तक प्रतिबद्धताओं के कार्यक्रम के प्रारूप को अंतिम रूप देने का फैसला किया गया।

देखा जा सकता है कि अमरीका तथा युरोपीय देशों ने कोई खास रियायत नहीं दी विशेष तौर पर उन्होंने अपने कृषि क्षेत्रों को भारी सब्सिडियां दी हैं। निर्यातों पर सब्सिडियां समाप्त करने का वादा एक झूठी तस्सली है क्योंकि

युरोपीय देशों में यह 3.5 प्रतिशत से भी कम है जबकि कुल मिला कर इसका अनुपात एक प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके बदले में उन्होंने भारत तथा दूसरे विकासशील देशों से यह आश्वासन ले लिया है कि विकसित देशों से कृषि उत्पादों के आयात के लिए टैरिफ दरों में कमी लाएंगे। चुनी हुई फसलों के उत्पादन पर तथाकथित रियायत एक भ्रांति है और इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। अधिकतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी विवाद का विषय है।

भारत के प्रतिनिधियों ने यह पूछने का साहस भी नहीं किया कि भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा किए जाने वाले आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध किस अधिकार से दोबारा लगाए गए हैं। उन्होंने सेवा क्षेत्र को भी खोलने का वादा कर डाला जो स्वाभाविक तौर पर कृषि क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लेगा।

एक बार फिर धक्का लगा

हांग कांग मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद डब्ल्यूटीओ वार्ताओं की प्रक्रिया को फिर से शुरू किए जाने की सम्भावनाओं को झुठलाते हुए यह प्रक्रिया उस समय एक बार फिर धाराशायी हो गई जब जुलाई 2006 में जेनेवा में आयोजित मिनी–मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में कोई प्रगति नहीं हुई थी। लगता है कि यह वार्ता गतिरोध में ही समाप्त हो गई थी। डब्ल्यूटीओ के प्रमुख पास्कल लेमी ने यह टिप्पणी करके संदेह की कोई गुंजायश नहीं रहने दी जब उन्होंने कहा, ''इस में कोई प्रगति नहीं हुई है ओर इसलिए हम संकट में हैं।''

विकासशील देशों के दुराग्रह के कारण ही ये वार्ताएं विफल रही थीं। ये देश एक ओर तो अपनी इस मांग पर जोर देते रहे कि विकासशील देश औद्योगिक सामान पर टैरिफ की दरों को कम कर दें और अपने सेवा क्षेत्र के किवाड़ उनके लिए खोल दें किन्तु इसके बदले में वे अपने यहां अपने कृषि उत्पादों के मामले में दी जाने वाली भारी भरकम सब्सिडियों में रत्ती भर भी कमी करने के लिए तैयार नहीं हुए।

डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पास्कल लेमी ने टिप्पणी की थीः ''धाराशायी हो जाना शब्द इस समय बहुत कठोर दिखाई देता है। आईए, हम इसे वार्ताओं का निलम्बन कहें।''

किन्तु वार्ताओं के निलम्बन को लगभग छःह मास हो चुके हैं। यह जुलाई 2006 को हुआ था। जाहिर है डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने दोहा चक्र की वार्ताओं को समाप्त करने की 2006 की अंतिम सीमा को छोड़ दिया है।

दांव पर क्या लगा है? इस समय दांव पर एक वर्ष में 120 खरब अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के सामान और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को समाप्त करने के पैकेज पर पूरे पांच वर्ष तक चली वार्ताएं लगी हुई हैं। वार्ताओं के जटिल क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। खुद डब्ल्यूटीओ का इस बारे में कहना है, ''जब तक सब बातों पर सहमति नहीं हो जाती तब तक समझिए कुछ सहमति नहीं हुई।'' इस बारे में समझौते को सभी सदस्यों की ओर से अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। जब वियतनाम जनवरी 2007 में डब्ल्यूटीओ में शामिल हो जाएगा तो उसके सदस्यों की संख्या 150 हो जाएगी।

द्विपक्षीय समझौतों का बनता रुझान

बहुपक्षीय व्यापार समझौता अमल में आ गया – पहले गैट के माध्यम से और बाद में डब्ल्यूटीओ के माध्यम से – इसका सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना है। इस सिद्धांत से किसी भी भटकाव को एक अपवाद के रूप में ही लिया जाएगा। इस सिद्धांत से भटकाव उस समय होता है जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के उत्पादों के लिए प्राथमिकता वाला रुख अपनाने की पेशकश करते हैं (जैसे कम टैरिफ)। यह क्षेत्रीय व्यापार

समझौतों (आरटीएज़) अथवा प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते (पीटीएज़) के गठन के माध्यम से हुआ है। इन्हें मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीएज़) के तौर पर भी जाना जाता है। हाल ही की अवधि में यह अपवाद तेजी से वक्त का दस्तूर बनता चला जा रहा है। अधिक से अधिक देश आरटीएज़/पीटीएज़ का मार्ग अपना रहे हैं। डब्ल्यूटीओ का गठन होने के बाद यह रुझान कई गुणा बढ़ चुका है। वर्ष 1995 से लेकर 2002 तक आरटीएज़/पीटीएज़ की संख्या बढ़ कर 250 हो चुकी है; पहले यह 150 से कम थी। वार्ताओं के दोहा चक्र ने समझौतों के कई रास्ते बंद कर दिए थे इसलिए विकसित देशों ने विकासशील देशों को और कठोर शर्तें और दायित्वों जो डब्ल्यूटीओ वर्तमान में उन पर लाद रहा है, को मानने पर मजबूर करने के लिए आरटीएज़ का रास्ता अपना लिया है।

बहुपक्षीय वार्ताओं की विफलता के चलते द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार सौदे करने की ओर ध्यान बढ़ सकता है और अब इस तरह के सौदे बहुत अधिक होने लगे हैं; उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान में 197 आरटीएज़ की अधिसूचना डब्ल्यूटीओ के साथ जारी हो चुकी है; जिन के बारे में अभी प्रस्ताव है, यदि उन सभी पर वार्ताएं होती हैं और उन पर समझौते हो जाते हैं तो उनकी कुल संख्या बढ़ कर 300 से ऊपर चली जाएगी। एक अनुमान के अनुसार इस समय विश्व का 60 प्रतिशत व्यापार क्षेत्रीय समझौतों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वर्ष 2000 के बाद से अमरीका ने 14 आरटीएज़ किए हैं और वह अन्य 11 पर बातचीत चला रहा है। युरोपीय संघ दोहा वार्ताओं के विफल हो जाने के कारण अब एशिया में द्विपक्षीय सौदों को सरअंजाम देना चाहता है।

यह रुझान गलती से नहीं चल रहा; इसे जानबूझ कर चलाया जा रहा है। विकसित देश इन द्विपक्षीय समझौतों का मार्ग अपना कर विकासशील देशों की प्रतिबद्धताएं हासिल करते चले जा रहे हैं; जिनके लिए विकासशील देशों ने सामूहिक तौर पर डब्ल्यूटीओ में इन्कार कर दिया था।

वास्तव में, क्षेत्रीय रास्ता का उपयोग विकासशील देशों की प्रतिबद्धताएं और कड़ाई के साथ बहुपक्षीय स्तर पर किया जाता है अथवा गैर व्यापार मुद्दों पर अनुप्रवेश को बढ़ावा दिया जाता है।

द्विपक्षीय समझौतों की यह नयी लहर डब्ल्यूटीओ की सत्ता को क्षति पहुंचा सकती है। भूमण्डलीय व्यापार समझौतों के न होने के चलते दूसरे खतरे भी पैदा हो सकते हैं। इससे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जिनमें चीन, अमरीका तथा युरोपीय संघ भी शामिल है, के बीच तनाव बहुत बढ़ सकते हैं। व्यापार विशेषज्ञों ने इससे संरक्षणवाद के और बढ़ जाने की चेतावनी भी दी है क्योंकि समृद्ध तथा उदीयमान दोनों तरह के राष्ट्र मुक्त बाजारों के चक्कर में इसका और अधिक आश्रय ले सकते हैं।

विकासशील देशों की आलोचना

डब्ल्यूटीओ ने अपनी स्थापना के समय से ही विकसित देशों की धौंस पट्टी और पिछले कमरे की कलाकारी अथवा गुप चुप सौदेबाजी के खेल होते देखे हैं। डब्ल्यूटीओ में निर्णय की जनवादी प्रक्रिया का ढिंढोरा जरूर पीटा जाता है जहां तकनीकी तौर पर प्रत्येक देश का एक वोट है, पर इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा जनवादी प्रक्रिया को मजाक का विषय बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि विकासशील देश पहले से अधिक एक दूसरे के करीब आए है; हमने वार्ताओं के अंतिम दौर में जी–20 (20 विकासशील देशों का गुट), जी–33, जी–90 इत्यादि के रूप में विकासशील देशों के गठबंधन बनते देखे हैं। जहां इस तरह के गठबंधन क्षण भंगुर होते हैं और अमरीका एवं युरोपीय संघ उनका विनाश करने की स्थिति में होते हैं। उन्होंने गुटों के रूप में मजबूत होना शुरू कर दिया है और वे विकासशील देशों के हितों के अनुकूल बातें करते हैं।

भारत जैसे विकासशील देशों का मुद्दा यह है कि उन्हें किन शर्तों पर भूमण्डलीय व्यापार व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए। भूमण्डलीय व्यापार का नियमन किस तरह हो इस बारे में उनकी अवधारणाएं अलग–अलग हैं; यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्तर और दक्षिण का विभाजन किस तरफ से होता है। विकसित देश भूमण्डलीय व्यापार

को जहां एक और विकासशील देशों के बाजार को अपने लिए खोलने का एक रास्ता मानते हैं वहीं दूसरी ओर विकासशील देश कहीं मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवाओं के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं का विकास ही न कर लें इसके लिए वे अर्थात् विकसित देश उन पर अंकुश भी लगाना चाहते हैं। विकसित देश दूसरी ओर यह चाहते हैं कि भूमण्डलीय व्यापार बाजारों की उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करे और ये बाजार केवल अमीर देशों के लिए ही हों और इसके साथ ही वे स्वतंत्र रूप में अपनी क्षमताओं का विकास भी करते हैं। उनके ये दोनों लक्ष्य कितने बेसुरे हैं; यह स्पष्ट ही है। डब्ल्यूटीओ समझौते के माध्यम से विकासशील देशों पर जो शर्तें लादी गई वे एकपक्षीय थीं, उन्होंने उरूग्वे चक्र की वार्ताओं के समय इन पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी थी, यह उनकी जबरदस्त भूल थी। इस व्यवस्था ने उन्हें खोखला बना डाला है। विकासशील देश अब उन तरीकों की खोज में लगे हैं जिनसे बातचीत के मामले में उन्हें थोड़ा लाभ मिल सके। यह आसान काम नहीं हैं और न ही इसमें कोई बड़ी सफलता मिलने की आशा है। पिछले लेखे जोखे को देख कर कम से कम यही कहा जा सकता है। इस स्थिति का सामना करते हुए उन्हें यह क्षमता खुद अपने भीतर पैदा करनी होगी और उन्हें अपने लिए बेहतर सौदे बाजी करने में समर्थ होना होगा। विकासशील देशें में इस तरह की एकता का व्यवहार में स्थापित होना लगभग असम्भव है। अमरीका और युरोपीय संघ के देशों की ओर से उनकी एकता को तोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वे अकेले–अकेले इस दबाव का सामना नहीं कर सकते। दूसरे इन विकासशील देशों की सत्ताधारी श्रेणियों की ओर से उन नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो बाजार के चमत्कारों पर निर्भर करती हैं।

डब्ल्यूटीओ में भारत की भूमिका

डब्ल्यूटीओ की बैठकों में वार्ताओं में भाग लेने वाले भारतीय दलों की भूमिका घिनावनी रही है; पिछली एनडीए सरकार तथा वर्तमान में सरकार चला रहे गठबंधन यूपीए दोनों दोनों के मामले में यह बात कही जा सकती है। हमारे प्रतिनिधि साहसिक बयानबाजी तो करते हैं पर समय आने पर अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। कैनकुन तथा अभी हाल ही में जेनेवा में यही देखने को मिला है; भारत विकासशील देशों के ब्लाक का एक भाग था; इस ब्लाक ने अन्यायपूर्ण समझौते पर अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया था किन्तु भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने इस रुख का अनुसरण नहीं किया और दूसरी कार्रवाईयों के मामले में भी उसने लगभग इसी तरह का रुख अपनाया जो विकासशील देशों के ब्लाक के पक्ष में नहीं था। डब्ल्यूटीओ में भारत का रुख उसकी घरेलू नीतियों के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, सरकार को एक बार फिर विकसित देशों से होने वाले आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है क्योंकि अमरीका और युरोपीय संघ के देशों ने स्पष्ट तौर अपनी ओर से सौदे पर ईमानदारी दिखाने से इन्कार कर दिया था और उनका रुख एकतरफा रहा था। इसके विपरीत भारत ने अपने तौर पर कृषि उत्पादों के आयातों को उदार बनाने की दिशा में कदम उठा लिए थे; इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने नहीं कहा था, पर भारत ने उसे फिर भी प्रसन्न कर दिया। जब तक अमरीका तथा युरोपीय संघ के देश कृषि सब्सिडियों में कमी लाने के लिए दृढ़ता के साथ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करते तब तक भारत को भी एनएएमए पर वार्ता करने से स्पष्ट इन्कार कर देना चाहिए। यही नहीं, सरकार का मानना है कि गैट हमारे लिए एक अवसर है; यह पूर्णतया गलत है। इसी तरह सेवा क्षेत्र में भी भारत सरकार ने अपने सेवा क्षेत्र के किवाड़ खोल कर एक तरफा तौर पर उदारीकरण के कार्यक्रम पर अमल कर डाला है;डब्ल्यूटीओ की ओर से इसकी मांग भी नहीं की गई थी।

भारत में नव–उदारीकरण के ढांचे में जिस तरह की आर्थिक नीतियों का पालन किया जा रहा है उसके चलते डब्ल्यूटीओ की वार्ताओं में उसकी भूमिका संदेह के घेरे में बनी रहती है। यह नीतिगत ढांचा डब्ल्यूटीओ में दूसरे विकासशील देशों को दृढ़ नेतश्त्व प्रदान करने से भी भारत को रोकता है। मौजूदा भारतीय राज्य अथवा सरकार का ढीले ढाले चरित्र और विचलन की अभिव्यक्ति उसकी संदिग्ध भूमिका के रूप में होती है जो वह डब्ल्यूटीओ के भीतर निभा रहा है। वह भी उस समय जब उसे साम्राज्यवादी दबाव का पूरी दृढ़ता से सामना करना चाहिए। इसके विपरीत वह इस तरह के दबावों के आगे झुक जाता है। डब्ल्यूटीओ की उत्तरोत्तर होने वाली बैठकों में भारत की भूमिका इसी प्रकृति की रही है।

भारत हाल ही की वार्ताओं में किसी भी तरह विकसित देशों को बरी करने के लिए बहुत व्यग्रता दिखाता रहा है। इसका प्रस्तुतिकरण भारत की जरूरत के तौर पर किया जाता रहा है; कहा जाता है कि वार्ताओं को पूरी तरह धाराशायी होने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है; पूछा जाना चाहिए कि हम इस ढांचे को क्यों बनाए रखना चाहते हैं जो डब्ल्यूटीओ की वर्तमान सत्ता के अन्तर्गत असमानता से भरा और पक्षपाती है। इस बहुपक्षीय ढांचे को बढ़ावा देने से विकासशील देशों को कोई लाभ होगा; इस दावे अथवा अवधारणा को कड़वी सच्चाईयों की कसौटी पर परखना होगा। जो ढांचा बुरी तरह पक्षपाती, असमानताओं से भरा और अन्यायपूर्ण हो उससे खराब ढांचा और कोई हो ही नहीं सकता। वास्तविकता यही है। भविष्य की लड़ाई युद्ध के इसी मैदान में होगी। विकासशील देशों को इसी मैदान में अपनी एकता को बनाए रखना है ओर उन्हें एक न्यायपूर्ण ढांचे के लिए लड़ना है। जब तक इस दृष्टिकोण से काम नहीं लिया जाएगा तब तक केवल डब्ल्यूटीओ को खुश करते रहने से काम नहीं चलेगा और किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी और यह बात हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होगी।

वर्तमान में चलने वाली वार्ताएं भले ही धाराशायी हो जाने के कागार पर आ खड़ी हों, पर डब्ल्यूटीओ अभी नहीं मरेगा। डब्ल्यूटीओ में पहले जो वार्ताएं की जा चुकी हैं वही अभी तक विकासशील देशों का पीछा नहीं छोड़ रहीं जैसे ट्रिप्स समझौता। आगामी संघर्ष न केवल उन वार्ताओं को रोकने के लिए होंगे जो विकासशील देशों के हितों के प्रतिकूल हैं बल्कि पिछले प्रतिकूल समझौतों को भी उलट देने के लिए किए जाएंगे।

—0—

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के 8वें सम्मेलन 3–5 नवम्बर 2006 , विशाखपट्टनम कन्वेनर की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा

कामकाजी महिलाओं की स्थिति

पुरुष कामगारों (मजदूरों) की भांति महिला कामगारों की भी तमाम समस्याओं और आकमणों का सामना करना पड़ता है। लेकि महिलाओं को इन समस्याओं के अतिरिक्त अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि समाज में प्रचलित धारणा है कि महिलाओं की भूमिका सिर्फ परिवार के देखभाल करना है एवं उनकी आय मूलतः पूरुषों की आय के खिलाफ पुरक आय है। वैश्वीकरण ने महिलाओं के खिलाफ इस भेदभाव को और सहारा दिया है। जिस के परिणाम स्वरूप कामकाजी महिलाओं पर भारी दबाव पड़ा है। व्यापक स्तर पर प्रचारित इस विचार के कि वैश्वीकरण एवं उदारवादी नीतियों ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की है। जबकि इसके विपरीत भारत में शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में गिरावट आई है।

वर्ष 1993–94 और 1999–2000 में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की संख्या मे 23 लाख से ज्यादा की गिरावट आई है। लेकिन इसकी क्षति पूर्ति न ही उत्पादन क्षेंत्र और न ही सेवा, दोनों में बढ़ रहे रोजगार के अवसरों से हुई है। ग्रामीण महिलाओं की काम में भागीदारी की दर में तीव्र गिरावट आई है। वर्ष 1993–94 में जहॉ यह दर प्रति एक हजार महिला के 328 थी वह वर्ष 1999–2000 में गिरकर 299 रह गई है। जबकि इसमें आर्थिक वृद्धि होकर वर्ष 2004 में 315 हो गई, लेकिन यह 1993–94 की संख्या से कम है। इसमें भी वृद्धि गौण स्थिति –– श्रेणी के रोजगार में है। प्रिसिंपल स्थिति के रोजगार में कार्य भागीदारी में लगातार गिरावट आ रही है। जहॅा यह दर 1993–94 में 234 थी वह 1990–2000 में 231 एवं 2004 में 228 तक पहुॅच गई है। विभिन्न रिपोर्टों एवं अध्ययनों ने यह पाया है कि ग्रामीण महिलाओं में रोजगार की आवश्यकता में वृद्धि हुई है लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है।

शहरी क्षेत्र में महिला कामगारों में लगातार वृद्धि होने के बावजूद शहरी महिला कामगार दर भी गिरी है। यह दर जो कि वर्ष1993–94 में यह गिरकर 139 प्रति हजार हो गई है लेकिन यह फिर बढ़कर 150 प्रति हजार हो गई है लेकिन यह फिर भी पिछले दशक के शुरू में जो होती थी उससे भी कम है। आम अवधारणा के विपरीत शहरी रोजगार में महिलाओं का हिस्सा बढ़ा नहीं है। इसमें ठहराव है वर्ष 1993–94 और 2004 में यह ठहराव लगभग 21 प्रतिशत के करीब रहा। शहरी क्षेत्रों में महिला कार्य भागीदारी दर 20 से 49 वर्ष के आयु समूह में न्यूनतम

है जबकि यह वह आयु समूह है जिसकी रोजगार की आवश्यकता एवं क्षमता काफी ऊँची है होती है यह दर्शाता है कि अधिक क्षमता एवं पूर्व में रोजगार प्राप्त महिलाएं रोजगार पाने में असमर्थ है।

पिछले डेढ़ दशक के नव उदारवादी सुधारों के चलते न सिर्फ महिला जनसंख्या अनुपात के बल्कि बेरोजगार पुरूषों की संख्या में वृद्धि दर वर्ष 1993–94 में जो 5•6 प्रतिशत थी वह बढ़कर 2004 में 9•3 प्रतिशत हो गई। और शहरी क्षेत्र में यह दर 1993–94 में 10•5 से बढ़कर वर्ष 2004 में 11•7 प्रतिशत हो गई है। जबकि इसी समय में पुरूषों में यह दर ग्रामीण क्षेत्र में 5•6 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 6 प्रतिशत से बढ़कर 8•1 प्रतिशत हो गई है।

देश में कृषि कार्य महिलाओं के लिए मुख्य रोजगार का स्रोत है लगभग 73 प्रतिशत महिला कामगार कशषि में कार्यरत है। खेतीहर मजदूरों की कुल संख्या में महिलाओं के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 91 में यह हिस्सा 31•8 प्रतिशत थी। अनुमान है कि 2004 में कृषि कार्य में रोजगार प्राप्त 24•8 करोड़ मजदूरों में 10 करोड़ से ज्यादा या 40 प्रतिशत महिलाएं थी। कुछ राज्यों में जैसे आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडू में खेतीहर मजदूरों की संख्या में आधे से ज्यादा महिलाएं है।

बढ़तें कृषि एवं कृषि में रोजगार पद्धति में बदलाव के कारण काफी संख्या में मजदूरों विशेषकर महिलाओं को मजबूरन कम वेतन वाले सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन कार्यों में धकेल दिया है।

पहले कृषि क्षेत्र से धकेली गई महिलाओं को कम वेतन वाले बीड़ी उद्योग में रोजगार प्राप्त हो जाता था जिसने दर्शाया कि उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के लिए एकल वृद्धि दर्शाई। इसी समय में सेवा क्षेत्र में एकांकी वृद्धि स्व रोजगार फुटकर व्यापार में दिखाई दी। लेकिन वर्ष 2004 तक बीड़ी उद्योग में रोजगार प्राप्त करने वाली मजदूरों की संख्या में गिरावट आई और फुटकर व्यापार में महिलाओं के लिए रोजगार के विस्तार की गति धीमी है।

फसल पद्धति में खाद फसल से व्यवसायिक फसल में बदलाव विभिन्न कृषि परिचालकों में मशीनीकरण से खेतहर मजदूरों के कार्य दिवसों में भयंकर गिरावट आई जिसका महिलाओं पर अधिक प्रभाव पड़ा है।

विकास के नाम पर लाखों लाख किसानों और खेत मजदूरों जो कृषि पर निर्भर है को विस्थापित किया जा रहा है। बड़े बड़े बॉधों के निर्माण,सड़कों को बनाने के लिए बड़े राष्ट्रीय एवं वहुराष्ट्रीय निगमों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में लाखों लाख किसानों को बिना किसी उचित मुआवजे के या वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराये लाखों हेक्टेयर भूमि को खाली करवाया जा रहा है। इसके कारण महिलाओं समेत किसानों और खेत मजदूरों को अपनी आजीविका अर्जित करने के लि शहरों में पलायन करना पड़ रहा है। अधिकतर लोगों को सिर्फ मामूली काम जैसे देहाड़ी मजदूरी आदि ही मिल पाती है। वह भी बिना रोजगार सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण सुविधा के। शहरों को पलायन करने वाले ज्यादातर पुरूष का अपने घर एवं परिवार से सम्पर्क टूट जाता है जिससे परिवार का पूर्ण दायित्व महिलाओं पर आ जाता है। महिलाओं द्वारा संचालित परिवार देश के अत्यधिक गरीब परिवार है।

पारम्परिक उद्योग जैसे काजू, वृक्षारोपण, बीड़ी मछली उद्योग आदि जहॉ बड़ी संख्या में महिला कामगार है पर नवउदारवादी नीतियों का विपरीत प्रभाव पड़ा है। रोजगार की हानि अनियमित कार्य वेतन का भुगतान न होना, सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं लागू न होना, का संकट बढ़ रहा है।

बावजूद इसके कि यूपीए सरकार ने अपने को शिक्षा एवं स्वास्थय पर खर्च को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध किया है लेकिन यह सरकार भी एनडीए की उन्हीं नीतियों को जारी रखे हुए शिक्षा एवं स्वास्थय सेवाएं मुहैया करने से अपना

पल्ला झाड़ रही है । सार्वजनिक निजी योगदान का मंत्र सभी क्षेत्रों में विकास का मंत्र बन गया है। वास्तव में सार्वजनिक निजी योगदान की यह नीति का परिणाम प्राथमिक सेवाएं जैसे स्वास्थय एवं शिक्षा को निजी क्षेत्रों में लाने का होगा। पहले से ही भारत उन देशों में से एक है जहॉ स्वास्थय पर सार्वजनिक खर्च वश्हत्त कम है एवं मत्ता 30 प्रतिशत स्वास्थय सेवाएं ही उपलब्ध कराई जाती है। 70 प्रतिशत स्वास्थय सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है कर्मचारियों पन्ना एवं दवाईयों की गम्भीर कमी रहती है सैकड़ों पद रिक्त पड़े है। इस स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सरकार विभिन्न राज्यों में इन अस्पतालों को गैर सरकारी संगठन या निजी चिकित्सकों के सुपुर्द कर रही है।

स्वास्थय सेवाएं उपलब्ध करा रहे बड़े निगमों को अनगिनत लाभ जैसे सस्ती भूमि एवं कर रियायत सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। यह नीतियां न सिर्फ गरीबों को स्वास्थय सेवाओं सबंन्धित रखती है बल्कि स्वास्थय सेवाओं में कार्यरत लाखों महिलाओं के हितों पर भी विपरीत प्रभाव डाल रही है। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से भारी फीस वसूली जाती है और इन अस्पतालों में कार्यरत नर्सों एवं अन्य स्टाफ को न तो न्यूनतम वेतन एवं अन्य लाभ दिये जाते है और न ही उन्हें संगठित होने की अनुमति दी जाती है। यही स्थिति निजी क्षेत्रों के शिक्षा संस्थानों में कार्यरत सैकड़ों हजार महिलाओं की है।

96 प्रतिशत महिला कामगार अंसगठित क्षेत्र में रोजगार कर रही है। जहॉ पर न तो कोई उपयुक्त श्रम कानून है न ही उन्हें लागू किया जाता है। समान वेतन कानून को पारित हुए 30 वर्ष हो गये है। लेकिन अधिकतर महिला मजदूरों के लिए यह कानून मात्र एक कागज का टुकड़ा है। कृषि, निर्माण बीड़ी दुकान आदि में समान कार्य के लिए पुरूषों को मिलने वाले वेतन से कम वेतन महिला मजदूरों को दिया जाता है। काम को महिला काम एवं पुरूष काम में बांटकर में महिलाओं का वेतन इस तर्क पर कम निर्धारित किया जाता है कि उनका काम कम तानवपूर्ण एवं हल्का है जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। कुछ मामलों में जैसे कि आन्ध्र प्रदेश में गन्ने का आरोपण में अब महिलाओं को नियुक्त किया जाता है जहॉ उन्हें पुरूषों को पहले मिलने वाली मजदूरी के 30–50 प्रतिशत से भी कम मजदूरी दी जाती है। संगठित क्षेत्र में भी कुछ प्रतिष्ठानों में पद नाम बदलकर समान काम कर रहे अपने पुरूष सहकर्मियों से कम वेतन दिया जाता है। कुछ उद्योगों में महिलाओं और पुरूषों का औसत वेतन में अन्तर नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

न सिर्फ वेतन में बल्कि नियुक्ति से लेकर सेवा न वृद्धि हर स्तर पर महिला कामगारों से भेदभाव होता है एयर इंडिया की परिचालिकाओं द्वारा विलंम्बित संघर्ष लड़कर अपने पुरूष सहकर्मियों के समान सेवा निवृद्धि आयु का अधिकार प्राप्त किया एवं लागू करवाया। समान शैक्षणिक योग्ता अनुभव एवं क्षमता के बावजूद भी एक कारण या अन्य पदोन्नति से भी महिलाओं को वंद्धित किया जाता है।

असंगठित क्षेत्र में विशाल बहुमत महिलाओ को प्रसूति लाभ। सुविधा उपलब्ध नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाए प्रसूति सुविधा लाभ की सरकार ने पुष्टि इस तर्क पर नही की है कि प्रसूति लाभ कानून बना दिया है। जबकि प्रसूति लाभ कानून असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकतर महिलाओं के लिए उपयुक्त नही है और जहॉ यह उपयुक्त है वहॉ लागू नहीं किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिकतर इकाईयों एवं अन्य कारखानों में विवाहित महिलाओं को रोजगार से मात्र इस लिए वंचित रखा जाता है कि उन्हें प्रसूति अवकाश एवं बाल देखभाल केच आदि की सुविधा देनी होगी।

एक नये किस्म का महिला कामगारों का शोषण उभर रहा है जैसे कि तमिलनाडू के तीरूपुर में अविवाहित युवतियों को टैक्सटाइल, वस्त्र उद्योग में नियुक्त किया जाता है। युवतियों की यह नियुक्ति निश्चित समय के लि की जाती है एवं उन्हें सामूहित गृह में ठूस दिया जाता है जहॉ पानी शैचा आदि की उचित व्यवस्था नहीं होती। इन्हें कोई

मासिक वेतन नहीं दिया जाता है। एक निश्चित समय के पश्चात इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है और उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता न ही कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते है। बल्कि इन्हें न्यौता /सुपरवाइजर द्वारा यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है।

असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों को बाल देखभाल की सुविधा जैसे केच आदि नहीं है। बल्कि संगठित क्षेत्र में भी कुछ ही संस्थानों में यह उपलब्ध हैं,कामगार महिलाएं अपने छोटे बच्चों को कार्यस्थल पर अपने साथ ले जाती है जहॉ उन्हें विभिन्न प्रकार के खतरों के सामने खुला छोड़ दिया जाता है या घर पर किसी पड़ौसी या बड़े बच्चों विशेषकर लड़की की देखरेख में छोड़ दिया जाता है। काफी युवा लड़कियों को अपने स्कूलों को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता है कि उन्हें अपने छोटे बहन–भाईयों की देखभाल करनी पड़ती है। आंगनवाड़ी केन्द्रों को दैनिक देखभाल केन्द्र एवं केच में परिवर्तित करने की आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। यदि यह मांग मान ली जाती तो ग्रामीण एवं असगठित क्षेत्र में कामागार महिलाओं को दैनिक बाल देखभाल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यापक एकीकृत बाल विकास सेवा को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यकम में अपने वचनवद्ध किया है कि वह एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को व्यापक स्तर पर प्रत्येक वास में कार्यान्वित आंगनवाड़ी को उपलब्ध करायेगी एवं सुनिश्चित करेगी कि बच्चे इस योजना से लाभंवित है। लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए है अनुमान है कि सभी मानव वासों को व्यापक एकीकश्त बाल विकास सेवा प्रदान करने के लिए कुल 17–428 आंगनवाड़ियों की आवश्यकता है लेकिन वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या इसके आधे से भी कम है,एव इसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायको के पद रिक्त पड़े है।

निर्याक्ताओं का रवैया महिला कामगारों की प्राथमिक सुविधाएं जैसे अलग शौचालय आदि के प्रति उदासीन है। बहुत से समस्याओं में जिसमें अस्पताल शिक्षा संस्थान (सार्वजनिक एवं निजी आदि भी शामिल है) शाविंग काम्पलैक्स आदि जहॉ काफी संख्या में महिला कामगार है महिलाओं के लिए अलग से जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

मालिकों की मॉगों के आगे झूकते हुए विशेषकर विशेष आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने फैक्टी एक्ट में संशोधन करके रात्रि पाली में महिलाओं को कार्य की अनुमति इसके तर्क पर दी है कि भेदभाव समाप्त किया जाये एवं महिलाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर की वशद्धि है। इसमें गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चे व अन्य जिम्मेदारी वाली महिलाओं को भी बक्शा नहीं गया है। महिला कर्मचारियों के घर तक के लिए सुरक्षित यातायात को भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। पुरूषों एवं महिलाओं द्वारा रात्रि में काम करने पर शरीर की समान्य संरचना एवं स्वास्थय पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ता है क्योंकि वह घरेलू जिम्मेदारियों के कारण दिन में उपयुक्त विश्राम नहीं कर पाती है।

महिलाओं की बड़ी संख्या जिसमें उच्चस्तर की शिक्षित महिलाएं एवं असंगठित क्षेत्र की अशिक्षित महिलाएं भी शामिल है, को कार्यस्थल पर यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। कुछ सर्वेक्षणों में यह पाया है कि सेवाकाल में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अनुपात काफी ऊंचा रहा है। महिला को यौन वस्तु प्रस्तुत करने की मीडिया की प्रवृति महिला शरीर का वस्तुकरण, वैश्वीकरण युग में अपसांस्कृतिक युवाओं में खुलापन ने महिलाओं के प्रवृति यौन शोषण में वृद्धि की है। लगभग दस वर्ष पहले उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण पर फैसला दिया था कि सरकार को निर्देश दिया था कि यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाये न्यायालय ने यह दिशा निर्देश भी दिए थे कि यौन शोषण के खिलाफ जागरूकता शिकायत कमेटियों का गठन एवं स्थाई आदेशों में संशोधन करके यौन शोषण को अपराध में शामिल किया जाये। लेकिन आज तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है । कुछ प्रस्ताव अवश्य तैयार किए लेकिन इनको संसद में अभी तय पेश नहीं किया है न ही उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को लागू किया गया है।

उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर मशीनीकरण एवं नई पद्धति को लागू करने से महिलाओं को रोजगार से हाथ धोना

पड़ रहा है। उदाहरण के तौर कार्यस्थल में कपड़ा मिल में ज्यादातर ग्रामीण युवतियों की ठेके पर रौलर स्कैट के लिए भर्ती किया जाता है इस काम में 100 फीट लम्बे घुमने वाले चक्के जिसमें 500 धूरी होती है को पहले 4 लोगों की मदद से चलाया जाता था पर अब केवल एक व्यक्ति द्वारा ही इसे चलाया जाता है। इससे जहॉ मिल को महीने में लगभग 6 लाख रू0 बचत हो रही है वही 4 में से 3 श्रमिक बेरोजगार हो चुके है।

जैसा कि पहले बताया गया है कि सरकार अभी तक संसद में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बिल नहीं लाई है। उसने विभिन्न पस्ताव मशवरें के लिए ट्रेड यूनियनों एवं सम्बन्धित पक्षों को भेजे है केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा ठोस व एकमत सुझाव श्रम मंत्रालय को भेज दिये है मगर अभी तक सरकार किसी भी तरह का विस्तारपूर्ण बिल नहीं लाइ जिसमें ट्रेड यूनियनों की सिफारिशों एवं सलाह के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा व काम की परिस्थितियों को शामिल है। इसी तरह का हाल खेतीहर मजदूरों से समन्धित बिल का है।

पिछले एक दशक में घर पर मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। भूमण्डलीयकरण के चलते विकसित पूँजीवादी देशों के निर्माताओं के लिए यह आसान हो गया है कि वे काम को गरीब व विकासशील देशों के श्रमिकों से करवाएं। जहॉ उन्हें श्रम सस्ता तो मिलता है साथ–साथ श्रमिकों को कोई कानूनी सुरक्षा भी हासिल नहीं होती। इससे अभूत पूर्व तरीके से घर पर श्रम करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, पारम्परिक काम जैसे बुनाई, लेस, चिकन हस्त शिल्प के अतिरिक्त अन्य कई तरह के काम अब घर पर किया जाने लगे है। वस्तु चमड़ा बिजली से समन्धित माल जो बाजार में बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के ब्राण्ड नाम से बेचे जाते है उनका उत्पादन अब घरों में किया जाने लगा है। घर पर काम करने वाले श्रमिकों की विशाल संख्या महिलाओं की है,यद्यपि कुछ घरेलू श्रमिक अपने उत्पादन को स्वंय बाजार में बेचते है लेकिन ज्यादातर श्रमिक अपने मालिकों के लिए काम करते है। जैसे कि विचौलिए ठेकेदार या उप ठेकेदार के माध्यम से इन्हें कच्चा माल की पूर्ति करते है। अतः मालिक मजदूर का सम्बन्ध छुप जाता है एवं मजदूर का अपने मुख्य मालिक से कोई सम्पर्क नहीं होता। इन्हें निम्न पीस दर मजदूरी मिलती है, काम अनियमित होता है, आमतौर पर महिला कामगारों को माना 10–15 रू0 हासिल करने के लिए 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। इसके लिए भी उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से सहायता लेनी पड़ती है।
यद्यपि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के कन्वेशन पर मत दिया है लेकिन अभी तक इसकी पुष्टी नही की। सरकार ने घरेलू न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

सरकार निर्यात को बढ़ाने व रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के नाम पर सैकड़ों विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्वीकृत दे रही है। अभी तक लगभग 200 से ज्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विभिन्न राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, गुजरात,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक,महाराष्ट्र,तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में पहले से ही स्वीकृत कर चुकी है। केन्द्र सरकार ने बिना समन्धित राज्य से चर्चा किए विशेष आर्थिक जोन की स्वीकृति का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया है। हजारों हेक्टेयर भूमि बड़े निजी निगमों को उपलब्ध कराई जा रही है जिससे लाख किसान व खेत मजदूर विस्थापित हो रहे है अगर अभी सेज एक्ट के अन्तर्गत कानून बनता है तो ये राज्य के भीतर राज्य की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इन नियमों में बिना न्यूनतम सीमा निर्धारित किए बगैर न्यूनतम जमीन क्षेत्र की बात कही गयी है। यानि ये डेवलेपर्स को बिना किसी रोक के हजारों एकड़ भूमि का मालिकाना हक देता है। जिसमें डेवलेपरस केवल 25 प्रतिशत भूमि पर निर्माण व सर्विस यूनिट लगाने को बाध्य है बल्कि 75 प्रतिशत को वे अपनी मर्जी के जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते है।

इन राज्यों की ज्यादातर कार्यकारी व राजस्व शक्तियां केन्द्र सरकार द्वारा डेवलेपमेंट कमीशनर के बिना किसी जबाब देहों के हस्तांतरित कर दी गई है। इसी तरह आई एल ओ की सिफारिशों के विपरीत जाकर श्रम मंत्री की

शक्तियां भी डेवलेपमेंट कमीशनर को दे दी जाएगी। इसी के साथ यह राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वे सेज के अन्तर्गत यूनिट को सार्वेजनिक उपयोग सर्विस घोषित कर सकते है। विशाखापटटनम एक्सपोर्ट प्रोस्सेसिंग जोन के श्रमिकों के संघर्ष करने के दौरान सीटू ने आई एल ओ में बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया। इसी शिकायत पर प्रतिकिया दर्ज करते वक्त आई एल ओ कि शासकीय अंग जिसका भारत सरकार भी सदस्य है ने स्पष्ट तौर पर आई एल ओ की कमेटी आन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की सिफारिशों की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करे गिवार्न्स रेडरेसल आफिसर की भूमिका डेवलेपमेंट आफिसर ना, विशाखापटटनम ई पी जैट में। इस तरह की बिना रोक–टोक अधिकार असल में डेवलेपरस द्वारा तमाम जनतांत्रिक बुनियादी अधिकारों को खत्म करने में इस्तेमाल करते है।

ये बहुत बेहतर तरह से अनुभव किया जा चुका है कि भूले ही सेज को लेबर कानून से बाहर नहीं रखा गया है मगर साथ ही श्रम कानून लागू नहीं किए जाते व यूनियन बनाने का अधिकार भी नहीं है। जरा सी भी भनक कि श्रमिक संगठित हो है उनकी नौकरी छुड़वा सकता है। सेज में लगभग 40–60 प्रतिशत हिस्सा महिला श्रमिकों का है जो कपड़ा बिजली के कामों व हीरा कटाई से जुड़े है। श्रमिकों को बिना किसी क्षतिपूर्ति के 10–12 घंटा काम करना पड़ता है जिसमें रात में काम करना भी शामिल है। महिलाओं को प्रसूति सुविधाएं व केच सुविधा भी नहीं दी जाती। ज्यादातर अविवाहित युवतियां को ही प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यहां तक कि शौचालय इस्तेमाल का वक्त निर्धारित कर दिया जाता है व सुपरवाइजर द्वारा अकसर अभद्र व्यवहार का इस्तेमाल किया जाता है।

सेवा क्षेत्र में महिलाएँ

अपने दावों के विपरित कि भारत एक सेवा प्रधान अर्थ व्यवस्था के रूप में उभर रहा है, यह सेवा क्षेत्र सम्पूर्ण रोजगार का केवल 25 प्रतिशत है व बेहद धीरे–2 बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह की आम धारण कि यही सेवा क्षेत्र महिलाओं के लिए रोजगार की बहुत अवसर दे रहा है, सेवा क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत पुरूर्षो के मुकाबले कम है व धीरे–2 बढ़ रहा है, जो कि 1977–78 में 11 प्रतिशत व 2004 में केवल 14 प्रतिशत बढ़ा। बल्कि अगर हम पूरे सेवा क्षेत्र की बात करें तो उसमें महिलाओं का प्रतिशत केवल 18 प्रतिशत है, जो कि निर्माण क्षेत्र से भी कम है जो कि 28 प्रतिशत है इसका मतलब है कि सेवा क्षेत्र जो हमारी वर्तमान जीडीपी का कुल 52 प्रतिशत है, वो असल में महिलाओं को रोजगार का बहुत अवसर प्रदान नहीं करता है।

हाल के कुछ वर्षो खासतौर पर पिछले 5–6 वर्षो से कहा जा रहा है कि आईटीईएस एन्फर मेशन टेक्नोलोजी एनेबल सर्विस तथा बीपी ओ बिज़नस प्रोस्सेस ऑउटसोरसिंग के कारण रोजगार के अवसर बढ़े है व आने वाले वक्त में और बढेंगें। बड़े–2 शहर जैसे दिल्ली व उससे जुड़े नोएड़ा, गुडगावं, मुम्बई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद आदि कॉल सेन्टर व आईटीईसस के केन्द्र बनते जा रहे हैं। इन्हीं दिल्ली नोयड़ा, गुडगांव में एक छत के नीचे हजारों कर्मचारी काम करते हुए देखे जा सकते हैं। मगर, दुबारा अपने–2 बडें–2 दावों के विपरित जनवरी 2006 को हुई गोलमेज सम्मेलन जिसे 'नेशनल कमीशन फॉर वूमेन' द्वारा आयोजित किया गया व जिसमें प्रतिनिधियों, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कांल सेन्टर ऐसोसिएशप ऑफ इण्डिया व अन्य ऐसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे, की रिपोर्ट से अनुमान लगाया कि पूरे देश में केवल 3.50,00 कर्मचारी ही इन कॉल सेन्टर में काम करते है। यानि हमारे पूरे देश में ये श्रमिकों का 0.1 प्रतिशत व पूरे सेवा क्षेत्र में लगे श्रमिक व कर्मचारियों का 0.2 प्रतिशत है। लगभग 40 प्रतिशत महिलाऐं इन कॉल सेन्टर में काम करती है।

आज की तारीख में कई नौजवान रोजगार व अच्छे वेतन के लिए इन कॉल सेन्टर की ओर आकर्षित होते है। जिसमें घरेलू कॉल सेन्टर में 4,500–8000 रू0 प्रतिमाह व अंतराष्ट्रीय कॉल सेन्टर में 8,000– 20000रू0 प्रतिमाह तक वेतन होता है। लेकिन अगर हम वेतन के अनुपात के रूप में देखें तो अमरीका व ब्रिटेन में मिलने वाले वेतन का ये केवल सातवां हिस्सा है। इसी तरह आस्ट्रेलिया में एक कॉल सेन्टर में काम करने वाले व्यक्ति की कुल वार्षिक

आय लगभग 22,000 डालर है, वहीं भारत में केवल 1,600 डालर है। इसी तरह, आस्ट्रेलिया में अगर लेने देने का मूल्य 1.99 अमेरिकी डालर है तो भारत में ये मूल्य केवल 0.29 अमेरिका डालर है। हमारी सरकार इन बीपीओ उद्योग को वेरोजगारी का हल समझकर बिना कुछ सोचे समझे इन्हें प्रोत्साहित कर रहीं है।

यही सस्ता श्रम व कम वेतन इन पश्चिमी दुनिया की कम्पनियों को बडें पैमाने पर मुनाफा पहुँचा रहीं है। इसी तरह इन कर्मचारियों से काम उगाह सर्विस कान्टेक्टर भी बडें–2 मुनाफे कमा रहे है। कैप्टिव यूनिटस् जो केवल अपने ग्राहकों को सर्विस देती है, तीसरे पक्ष को नहीं। जो पुरे भारत में कॉल सेन्टर का 65–70 प्रतिशत है। जैसे जीई कैपिटल, जो एक अमेरिकी कम्पनी है के ,खुद के ही 16,000 कर्मचारी है।

सरकार ने इन कम्पनियों की आय को कर के दायरे से बाहर कर दिया है, जबकि कर्मचारियों के वेतन कर के दायरे में ही आते है। इण्डियास नेशनल ऐसोसिएशन ऑफ सॉफटवेअर एण्ड सर्विसस कम्पनिस' एन ए एस एस ओ एम के सर्वे के मुताबिक जब एक अमेरिकी फर्म 100 डालर का काम यहां लाती है तो 143 डालर मुनाफे के रूप में वापिस अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश करती है, जिसमें टेलिकॉम उपकरणों की ब्रिकी व मुल्य बचत भी शामिल होती है।

इन कॉल सेन्टर में काम करने पर बडें पैमाने पर मानसिक व शारीरिक धनि होने का खतरा बना रहता है। अधिकतर कर्मचारियों को, उनके ग्राहक जिस देश के होते है, के मुताबिक नाम व भाषा बोलने के लिहाज की ट्रेनिग दी जाती है। वहीं उनसे असम्भव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार निगरानी व दबाव बनाया जाता है। एक कर्मचारी से उमींद की जाती है कि वह अपनी 8 घण्टे की शिप्ट में 250–300 फोन कॉल ले। ज्यादातर कर्मचारी जिनमें महिलाऐं शामिल है पर जोर डाला जाता है कि वे 14 घण्टे की शिप्ट दें।

लम्बे समय के काम के अंतराल के बीच कर्मचारियों को कुछ देर की छुट्टी बमुश्किल ही मिलती है। महिलाओं को खातौर शौचालय ना जाने देने के कारण सम्बंधित बीमारियों का होना अवसर देखा गया है। अतिरिक्त इसके आम तौर पर जो मुश्किलें व बीमारियों पुरूष व महिलाऐं दोनों कर्मचारियों को होती है उनमें नींद का ना आना, अत्यंत घबराहट, अल्सर, पाचन सम्बधित बीमारियॉ जो खराब खाने की बजह से होता है के आलावा तनाव आम तौर पर सभी में देखा गया है। अकसर उन्हें अपने ग्राहकों की भद्रदी जबान व नस्ली टिप्पणियां आदि सुननी पड़ती हैं।

इस काल सेन्टर में कार्य अकुशल नीरस व अमानवीय तरीके से निरीक्षित किया जाता है व जबरन रात में काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। एक तरह से सिर्फ क्लर्क की नौकरी के समान है मगर इन कर्मचारियों व श्रमिकों को 'वस्त्मर के अर लक्सिक्यूटिव' कहा जाता है ताकि लगे कि यही प्रशासक या कार्यकारी है। जबकि इन्हें 'साइबर–कूली' कहना ज्यादा उचित होगा। अधिकतर इन्हें प्रति शिप्ट पर एक निश्चित फोन कॉल का कोटा दिया जाता है, जिन्हें दिए वक्त में पूरा करना ही होता है। पहली ही बीप पर इन कर्मचारियों को जागरूक रहते हुए ग्राहक की बात को ध्यान से सुनना पड़ता है व कम्पयूटर पर नोट बनाते हुए जॉच को सुलझाना होता है। और यही काम बार उन्हें 5–10 मिनट में हर घण्टे हर दिन करना होता है। ज्यादातर कॉल सेन्टर कर्मचारी परि–टाईम होते है।

इन कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह के नियम व कानूनी व्यवस्था नहीं है, सरकार भी सुरक्षात्मक कानूनों का उल्लघंन होने दे रही है जैसे 8 घण्टे काम इत्यादि। ज्यादातर कर्मचारियों को यूनियन के दायरे से बाहर रखा गया है व कई जगहों पर 'यूनियन नहीं' आदि बोर्ड लगा वहां पर यूनियन ना बनने देने की कोशिश की जाती है।

'हियूलेट–पैक्केन्ड़'– बगंलौर में काम करने वाली प्रतिभा के बलात्कार व हत्या ने दिखाया है कि किन परिस्थितियों में इन कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा का तो बड़ा सवाल है ही, क्योकि उन पर भी रात की शिप्ट में काम करने का दबाव डाला जाता है। सीटू को चाहिए कि इन मुद्दों को वो ध्यान

से विश्लेषण करें व देखें कि किस तरह इनकी परिस्थिति सुधारने में मदद की जा सकती है।

ए. आई. सी. सी. डब्लू. डब्लू'– की पिछले तीन सालों के दौरान गतिविधियां–:

सीसीडब्लूडब्लू के कामंकाजी महिलाओं के भीतर कार्य व सिफारिशों को प्रभाव शाली रूप से चलाने के लिए 7 वी सीटू सम्मेलन में कामकाजी महिलाओं के बीच सीटू के कार्य की घोषणा'' के रूप में समर्थन दिया गया। इस घोषणा को पूरे सम्मेलन के आर्ध दिन के सेंशन के दौरान चर्चा किया गया व सर्वसम्मति से समर्थित किया गया। ए आई सी सी डबल्यू डबल्यू ने इसे सीतित सफलताओं के साथा कार्यान्वित किया है।

11 वीं सीटू सम्मेलप के लिए तय किया गया 20 प्रतिशत महिलस डेलिगेट्स होगें उन तमाम राज्यों में जहॉ 15 प्रतिशत महिला सदस्यता है व अन्य राज्यों से कम से कम 15 प्रतिशत। अधिकतर राज्य कमेटियों ने इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की लेकिन मजबूत राज्यों द्वारा महिला सदस्यों को इस फैसले के मुताबिक ना चुने पाने के कारण सम्मेलन में ये अनुपात केवल 15 प्रतिशत के पास ही पहुचा पायस। रांची में हुई सीटू की जनरल काउसिंल ने तय किये सीटू राज्य कमेटियां डेलिगेट्स सुनिश्चित करते वक्त राज्य में महिला सदस्यों का अनुपात ध्यान रखे व किसी भी हालत में यह 15 प्रतिशत के नीचे नहीं होना चाहिए। और इसके लिए राज्य सी सी डबल्यू डबल्यू को राज्य सीटू कमेटियों की मदद करे ये सुनिश्चित करने में।

सामान्यतः कामकाजी महिलाओं के बीच सीटू की गतिविधियां बढ़ी है। कई राज्यों में सीटू द्वारा लामबंदी का आधा व उसस व उससे ज्यादा कामकाजी महिलाऐं हैं। जैसे कनार्टक व महाराष्ट् में कामकाजी महिलाओं की सदस्यता 60 प्रतिशत तो वहीं हिमाचल प्रदेश व आसाम में 50 प्रतिशत तक है। बहुत से राज्यों में यह कामकाजी महिला सदस्यता 25–40 प्रतिशत के बीच है। राष्टीय स्तर पर से इस पूरे अंतराल में 20 प्रतिशत बना रहा। ये महसूस किया गया है कि कई यूनियन जिनमें महिला सदस्यों की संख्या काफी अधिक है लेकिन वह वार्षिक विवर्णी भरते वक्त इनको स्पष्ट रूप से दर्शाते नहीं है। यदि इसे सुधारा जाए तो कई राज्यों में सीटू की सदस्यता में महिला सदस्यों का अनुपात काफी बढ़ जाएगा। राज्य सी सी डबल्यू डबल्यू इस तरह की यूनियल को पहचान कर व महिला सदस्यता की वार्षिक विवरण की संख्या को सुधारे।

कई राज्यों में सीटू की सदस्यता का बड़ा हिस्सा अंसगठित क्षेत्र जिसमें महिलाओं की तादात अच्छी खासी से आता है यद्यपि ए आई सी सी डबल्यू डबल्यू सीटू व सीटू केन्द्र ने कामगार महिलाओं के बीच गतिविधियां बढाने में अपनी भूमिका निभाई हैं वहीं कई राज्यों में सीटू राज्य कमेटियों खास तौर पर जहां अभी भी सी सी डबल्यू डबल्यू नहीं बने व नियमित तौर पर काम नहीं कर रही ने भी असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों को संगठित करने में अपनी भूमिका निभाई है।

ए आई सी सी डबल्यू डबल्यू के तीन सदस्यों कनवीनर समेत वर्तमान में सीटू केन्द्र से काम कर रहीं है। वे ए आई सी सी डबल्यू डबल्यू की मीटिंग बुलाने व पत्रिका का नियमित रूप से छपवाने ए आई सी सी डब्लू डब्लू द्वारा बेहतर काम का बंटवारा सीटू के कामगार महिलाओं के बीच कार्य को सुधरेगा।

अब तक ए आई सी सी डब्लू डब्लू की चार मीटिंग हो चुकी है, व मीटिंग के बीच उपस्थिति एक चिंता का विषय है।

इस अंतराल में दो महत्वूपूर्ण गतिविधियां चलाई जिसमें पहला राष्ट्रीय स्तर पर कामकार महिलाओं की कन्वेंशन जो 17 नवम्बर 2004 को व ठीक इसके बाद राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला हुई जो 18.18–19 नवम्बर 2004 को हुई । लगभग 900 कामगार महिलाऐं जो संगठित असंगठित सेक्टर के 16 राज्यों जिनमें आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्, पजाब, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश,

उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, शामिल हैं से आये व हिस्सा लिया। इसे चार महत्वूपर्ण मांगों को लेकर जिसमें समान वेतन, प्रसूती सुविधाऐं व केच की सुविधा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून , घर पर काम करने वालों को कूननी सुरक्षा व रात की शिप्ट पर से प्रतिबंध की खिलाफत आदि मांगों को लेकर प्रचार अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पर इन मागों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें 2 लाख हस्ताक्षर इक्ठ्ठे किए जिसमें से 1 लाख अकेले केरल से ही थे। केरल के अंदर इस अभियान को चार महीनों तक कामगार महिलाओं द्वारा लोकल ट्रेन के लेड़िज कम्पार्टमेंट में पर्चा बाटने आम सभा जिला कन्वेंशन, अत्यादि के साथ विभिन्न सेक्टर में जिला कन्वेंशन करवाने से लेकर स्कूल, कालेज व बाजार में भी कन्वेंशन करवाई। आफिस व कार्यस्थलोंके बाहर विभिन्न कार्यकम आयोजित किये गये। इसी तरहके प्रयास तमिलनाडू व कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में किये गये। इसे लेकर विभिन्न राज्योंमें इससे उत्साहित प्रतिकिया मिली विहार, कर्नाटक, आध्र समेत। ये कोई पहला मौका था जब किसी केन्द्रीय मजदूर यूनियन ने पहली बार कामगार महिलाओं की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीयस्तीय कन्वेंशन किया हो। इस कन्वेंशन में सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम0 के0 पंधे व महासचिव का0 चित्तब्रत मजुमदार सहित अन्य सचिवालय सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक जुलूस भी निकाला गया मगर प्रचार अभियान को मिली प्रतिकिया मुकाबले जुलूस में लोगों की संख्या कम रहीं, इसकी मुख्य वजह हिन्दी भाषी क्षेत्रों दिल्ली से जुडें इलाकों में अभी तक सी सी डबल्यू डबल्यू न बन पाना या अकियाशील होना है। इस कमजोरी पर काबू पाना अत्यन्त आवश्यक है।

ए आई सी सी डबल्यू डबल्यू के केन्द्रीय सदस्यों व सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत एक प्रतिनिधि मण्डल यूनियन श्रममंत्री से मिला, ज्ञापन सौपा व समबिन्धत चर्चाऐं की। इसी तरह अन्य मौके पर एक और प्रतिनिधि मण्डल जिसमें सीटू के राष्ट्रीय महा सचिव केन्द्रीय सचिवालय सदस्य व ए आई सी सी डबल्यू डबल्यू के कन्वीनर समेत अन्य मांगों को लेकर श्रम मंत्री से मिले व चर्चा की। दोनों मौकों पर श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया '' समान वेतन सलाह कमेटी'' को पुर्नगठित करेगें व श्रम यूनियन का प्रतिनिधित्व भी होगा और कानूनी सुविधाऐं भी दी जायेगी। पर अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। जायदातर श्रममंत्री अनुपलब्ध रहे केन्द्रीय ट्रेड यूनियन को क्योकि ज्यादातर वक्त वे अपने राज्य में या अलग तेलगांना की मांग को लेकर बिताते थे और आगे चलकर इस मुदेद पर उन्होने इस्तीफा भी दे दिया। जिसके चलते श्रम मंत्री का पद एक लम्बे अरसे के लिए खाली रहा और हाल में ही जाकर भरा है।

कामगारों महिला कार्यकर्ताओं की अखिलभारतीय कन्वेंशन– 18–19 नवम्बर 2004 को दिल्ली में हुई। जिसमें 81 कार्यकर्ता जो 12 राज्यों–अंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्, पंजाब, तमिलनाडू, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल सें शामिल हुआ। चार महत्वपूर्ण मुद्दे जो कार्यशाला में की पृष्ठभूमि के आधार चर्चा किये गये जिसमें प्रचार अभियान के मांग को आगे बढाना, घरेलू उद्योगों से सम्बन्धित कामगारों, घरेलू कामगारों व मत्स्य उद्योग में लगे श्रमिकों को संगठित करना, राष्ट्रीयस्तर पर नर्सें के संघर्ष व आन्दोलन बढ़ाना, डबल्यू डबल्यू सी सी को बनाना व प्रभाव शाली ढंग से चलाना, तथा महिला सब कमेटियों का बनाना व नियमित काम करना इत्यादि। हमारी मांगों को जो उत्साह प्रतिकिया मिल रहीं थी उस आधार पर तय किया गया प्रचार जारी रखा जाय व विभिन्न राज्यों के गर्वनरों को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 2005 को ज्ञापन सौपा जाय।
यह भी तय किया गया कि घरेलू काम आधारित श्रमिकों व घरेलू श्रमिकों को संगठित करने के उद्देदश्य से सर्वे किये जाय। केन्द्र को मिली जानकारी के आधार पर आंध्र प्रदेश, विहार, कर्नाटक, तमिलनाडू, व त्रिपुरा आदि में राज्य गर्वनरों को ज्ञापन सौपा जा चुका है। तमिलनाडू में राजभवन चेन्नई में गर्वनर को ज्ञापन सौपते वक्त एक हजार कामगारों द्वारा प्रदर्शन किया गया।

सीटू केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्य कमेटियां व सम्बन्धित यूनियनों को सर्कलुर भेजा गया। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाने को लेकर। सीटू केन्द्र की पहल के चलते अंराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने को लेकर कुछ बेहतर स्थिति व कदम उठाये गये इस दिशा में। कुछ सीटू राज्य कमेटी व सम्बन्धित यूनियन ने भले ही छोटी संख्या में पहल कर पर्चे बाटे, मिटिंग करने गोल मेज सम्मेलन सेमिनार आदि करके बनाया राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को

भी आगे आने वाले वक्त में इसी के साथ सीटू केन्द्र 10 अप्रेल को बिमल रणदिवे मोमोरियल लेक्चर को लेकर लगातार सम्पर्क में रहता है। 2004 में आम चुनाव व 2005 कुछ राज्यों विधान सभा चुनाव जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू केरल व आसाम शामिल है में ये दिन बनाने में बाधा उत्पन्न हुई। कई पर जगहों इसके अगले दिन बनाया गया कई जगहों पर महत्वूपर्ण लोकल मुद्धो पर लेक्चर करवाने सेमिनार मिटिंग गोल मेज मिटिंग व कन्वेंशन इत्यादि करवाकर बनाया गया। सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को चाहिए की वे सम्बन्धित कमेटियों से चर्चा कर इस दिवस को हर साल बनाएँ।

इसी तरह कुछ प्रयास किये गये 5 दिसम्बर 2002 की मिटिंग की तरह जिसमें सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू द्वारा किस तरह हमारे कार्डर का समझदारी बेहतर हो सके। मगर ये कोशिश लगभग नाकाम रहे। हमें 12 वी सम्मेलन के तुरन्त बाद व्यवस्थित तौर पर इसके प्रयास करने जरूरी है। इस दिशा में सुनिश्चित करना होगा कि सीटू सम्बन्धित यूनियनों के अतंर्गत, खास तौर पर जहॉ महिलाओं की सदस्यता है वहां अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाय

राज्यों के अंतर्गत गतिविधियॉ–:

केन्द्र को मिली रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न राज्यों के अंदर चली गतिविधियों की विस्तारपूर्वक दिया गया है। प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों के अनुभवों का विश्लेषण करने की कोशिश की गई है ताकि भविष्य में गतिविधियॉ चलाते हुए इसमें सहायक हो।

राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू 16 राज्यों के भीतर बनी है जिसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, विहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल , कनार्टक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडिसा, तमिलनाडू, उत्तराचंल तथा पश्चिम बंगाल। कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू व पश्चिम बंगालमें जिला स्तरीय सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू भी बनाई गई है वहीं त्रिपुरा में सब–डिविजन स्तर पर तमाम सब डिविजन में सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू बनाई गई।

राज्य कन्वेंशन आसाम कर्नाटक, केरल, उडिसा, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तराचंल में हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्य में राज्य कन्वेशन को राष्ट्रीय स्तरीय कन्वेंशन के बाद तक लिए स्थगित किया गया है। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडू में जिला स्तरीय कन्वेंशन भी हो चुकी है।

विभिन्न राज्यों के अंदर सी सी डबल्यू डबल्यू के कार्यन्वन सीटू से सम्बन्धित यूनियनों से जुड़ें सदस्यों की भागीदारी व सीटू द्वारा दिये गये विभिन्न आवहन के प्रेाग्राम को लागू करने में सी सी डबल्यू डबल्यू आदि में पहले स बेहतर काम किया गया है। मगर कुछ राज्य सी सी डबल्यू डबल्यू खास तौर पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में एक बार भी नहीं मिले अपने बनने के बाद के वक्त से कई राज्यों में यह निष्क्रिय हो चुकी है और उन्हें कायम करने की जरूरत है। अतरिक्त इसके कुछ राज्यों में अच्छी कन्वेंशन हुई व सी सी डबल्यू डबल्यू भी बनाई गई मगर व नियमित तौर कार्य नहीं करते है जिसकी मुख्यः बजह कन्वीनर की तरफ से पहल करने में कमी व राज्य कमेटी द्वारा नियमित निगरानी की कमी है।

मगर इसके बावजूद राज्य सी सी डबल्यू डबल्यू बल्कि जहॉ नियमित कार्य करती है ये उपस्थित एक चिन्ता का बिषय है। अधिकत्तर राज्योंमे उपस्थित 50 प्रतिशत औसतन है। जहां कुछ राज्य जैसे तमिलनाडू में इसकी स्थिति वेहतर है वहीं अन्य राज्य महाराष्ट्र में यह 30 प्रतिशत से भी कम है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है व इसके बारे में राज्य सी सी डबल्यू डबल्यू व सम्बंधित सीटू राज्य कमेटियों को उपस्थिति को लेकर जरूरी कदम उठाने चाहिए। केरल, तमिलनाडु तथा कुछ हद तक आन्ध्र प्रदेश व पं बंगाल में जिला सी सी डबल्यू डबल्यू में उपस्थिति नियमित तौर पर औसतन 50– 60 प्रतिशत है।

सीटू के किसी भी फेडरेशन ने महिला सब कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनायी है। मगर सीटू से सबन्धित कुछ यूनियन जो विभिन्न उद्योगों व सेक्टर जुड़े है जैसे, निर्माण, बीड़ी, रोपड़ चिकित्सा तथा स्वास्थय म्युनिपल पार्टी सड़क निर्माण मत्स्य आदि के अंतरगत महिला सब कमेटी को बनाने को लेकर आवश्यक कुछ बेहतरी है। कुछ राज्यों में, साथ ही ज्यादातर मामलों में महिला सब कमेटी नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही है। राज्य सी सी डबल्यू डबल्यू इस मामले में सम्बंन्धित यूनियन से सम्पर्क व परामर्श करे। ताकि महिला सब कमेटी के कार्य तरीके से चल पाए ताकि ये महिला कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग प्रदान करता है।

कुछ राज्यों की सीटू राज्यों कमेटियों में बेहतरी दिखाई है सी सी डबल्यू डबल्यू के सदस्यों को सफर किराया , मुहैया कराते है अलग अलग जगह पर मीटिंग लेने के लिए । मगर साथ ही ऐसे मामलों की कमी भी नहीं है जहॉ पर सी सी डबल्यू डबल्यू के सदस्यों को स्वंय अपने जेब से किराया निकालना पड़ता है या अपने शुभ चिंतकों से भी खर्चे का इन्तजाम करना पड़ता है। ये खासतौर पर सीटू की जिला कमेटी व यूनियन स्तर के अन्तर्गत देख गया है वही कभी कभी राज्य स्तरीय व्यवस्था पर भी देखा गया है। राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को इस मसले पर गौर करना चाहिए व सम्बंन्धित राज्य कमेटी से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीध असर सदस्यों की उपस्थिति पर पड़ता है।

तमाम राज्य सी सी डबल्यू डबल्य अपने कार्यो में महिला मजदूरों को सीटू प्रचार व संघर्ष हड़ताल समेत आदि के अन्तर्गत शाामिल करने में भूमिका निभा रही है। कुछ राज्यों में पर्चों के अंदर आम मॉगों के साथ साथ महिला कामगारों की विशेष मॉगो को शामिल कर बड़ी तादात में बांटने की कोशिश की गई साथ ही लन्च के गेट मीटिंग व नुक्कड़ सभा आदि को महिला कामगारों के रिहायश के जगह पर भी प्रबंध किया गया है। साथ ही सीटू के निर्देश के मुताबिक वामपंथी उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया है।

कई राज्यों के अंदर आगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा सीटू के गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने आदि को विशेषतौर से बनाने की जरूरत है। सीटू के आह्वान पर सकिय तौर उतरने के साथ ही कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि, राज्य में अन्य कामगारों के वर्ग को संगठित करने में भूमिका निभाई है जिसमें समुदायिक स्वास्थय वर्कर्स, मिड डे मिल वर्कर्स, घरेलू कामगारों, निर्माण विभाग व यहॉ तक कि कशषि वर्कर्स आदि शामिल है। कुछ राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश में मई दिवस ग्रामीण इलाकों में मनाया गया जिसमें अन्य कामगारों निर्माण वकर्स पंचायत के वकर्स इत्यादि को लामबंद करने की कोशिश की गई। पूरे देश में कामगार वर्ग शामिल है इन्हें संगठित करने को जागरूक करने की से सीटू के बढ़ोतरी व सीटू के अंदर महिला कामगारों की भूमिका में इजाफा होगा।

सीटू के अंदर महिला नेतृत्व की स्थिति :–

इस अंतराल के दौरान के भीतर निर्णय लेने वाली मण्डल में महिलाओ की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सीटू के 35 आफिस पदाधिकारी में चार महिलाएं हैं मगर जनरल कौशिंल में उनकी संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। क्योंकि मजबूत राज्य के अंदर से महिला प्रतिनिधित्व में गिरावट आई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुददा है। महिलाओं की संख्या चाहे वे कमेटियों या आफिस पदाधिकारी में सीटू राष्ट्रीय फेडरेशन में यहॉ तक कि ऐसे जगहों पर भी जहॉ पर 90 प्रतिशत कामगार महिलाएं है जैसे आल इंडिया बीड़ी वकर्स फेडरेशन में सभी महिला सदस्यों से मेल नहीं खाती है। बल्कि महिला सदस्यों ए आइ बी डब्ल्यू एफ में भी गिरावट आई है। जिसकी बड़ी वजह से इन फेडेरशनों में महिलाओं को नामित करने की अनइच्छा व इसी तरह के कारण है। कई जगहों पर महिला सदस्यों को जरूरी खर्चा नहीं दिया जाता जिसके चलते मीटिंग में आने की दिक्कत होती है।

लगभग तमाम सीटू राज्य कमेटी के अंदर महिला आफिस बियरर है जिसमें कर्नाटक में 23 सदस्यों में 5 व महाराष्ट्र में 32 सदस्यों पर 5 आफिस बियरर है। कुछ जगह जैसे आन्ध्र प्रेदश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में 3

से 4 पदाधिकारी है । राज्य कमेटी के केरल व बिहार राज्य कमेटी में 2 पदाधिकारी है कुछ राज्य जैसे हिमाचल व आसाम में 25 –30 प्रतिशत संख्या महिला सदस्यों की है। आन्ध्र प्रदेश , पं बंगाल, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्यों के लगभग तमाम जिला कमेटियों में महिला सदस्य चुने गए है। हिमचल प्रदेश में दो महिला सदस्य जो महत्वपूर्ण आफिस वियरर ही भूमिका अदा कर रही है। जिनमें एक अध्यक्ष पद व जनरल सेकेट्री शामिल है। जिला कमेटी में आन्ध्र प्रदेश में एक जिला कमेटी में एक महिला अध्यक्ष है। कर्नाटक में एक जिला अध्यक्ष व दो खजांची के पद पर चुने गए है। आन्ध्र प्रदेश के राज्य कमेटी ने जिला कमेटी के भी नीचे मण्डल कमेटी बनाए है जिसमें कुल 1100 मण्डल में से 900 के अंदर सीटू कमेटी बनाई जा चुकी है। आंगनवाड़ी कामगारों के दो सौ मण्डलों में अध्यक्ष व जनरल सेकेट्री के पद पर चुने गए है। वही अन्य बहुत जगह वह आफिस बियरर के तौर पर चुने गए है। वही कुछ मण्डल में बीड़ी वकर्स व सामूहिक स्वास्थय वकर्स भी आफिस वियरर के तौर पर चुने गए है।

आन्ध्र प्रदेश में राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को ध्यान देना व उचित कदम उठाने चाहिए। ताकि जहॉ पर भी महिला सदस्य आफिस बियरर के पद चुने गए है उन्हें तमाम ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे कि वे अपने कौशल को निखार सके। व अपनी जिम्मेदारियों के बीच प्रभावशाली ढंग से अदा कर सके। सीटू महिला नेतृत्व को कई बार अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन, सेमीनार व कार्यशाला के लिए आई एल ओ के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया।
केन्द्र में पत्रिका के लिए काम करने वाले कामरेड लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पत्रिका के विषय व बिक्री को कैसे लगातार बेहतर बनाया जा सके। कामगार महिलाओं के विशेष मुद्दों से जुड़े जैसे अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कामगार महिलाओं की राष्ट्रीय कन्वेंशन (2004), सीआइटीयू के सम्मेलनों, एआइसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू इत्यादि मौकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीआइटीयू केन्द्र की मदद से कोशिश करके इन मौकों पर विज्ञापन पाने की कोशिश की गई। मगर राज्य सीसीडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा पत्रिका की बिक्री बढ़ाने व विज्ञापन जुटाने को लेकर दुःखद अनुभव रहा है। आज भी पत्रिका की बिक्री का लक्ष्य जो कई साल पहले 5,000 तय किया गया था, प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अभी भी ज्यादातर पत्रिका बीमा कर्मचारियों के बीच जाती है। जिसकी मुख्य वजह 'अखिल भारतीय बीमा कर्मचारियों' द्वारा व इनकी महिला उप–समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उठाए गए कदम के चलते है। कुछ राज्यों जैसे केरल व पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के नेतृत्व ने कोशिश की है इस दिशा में। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु व बंगाल में बिजली बोर्ड में महिला नेतृत्व व आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में महिला बैंक कर्मचारी के प्रयत्न के चलते पत्रिका की बिक्री बढ़ी है। मगर बीमा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य तबकों में इसकी बिक्री कम ज्यादा होती रहती है। जिसका बड़ा कारण प्रयास करने में कमी व पुराने ग्राहकों को दोबारा ग्राहक न बना पाने के कारण है। कई एजेंसियों से पुराने भुगतान भी लिए गए हैं।

मगर एक तथ्य है कि महिला कामगारों के बीच भाषा की परेशानी के चलते पत्रिका की बिक्री बड़ी वजह बन जाती है। हमें ज्यादातर अपने सम्पर्कों में मध्यम वर्गीय कर्मचारियों पर ही निर्भर करना पड़ता है। अगर इस बात को दिमाग में रखा जाए और जिस तरह हमारे सम्पर्क मध्यम वर्गीय महिला कर्मचारियों के बीच बढ़े हैं व जो कामगार वर्ग हो रहे हमलों के खिलाफ चल रहे सीआइटीयू के संघर्ष की सराहना कर रहे हैं, के बीच अगर राज्य सीसीडब्ल्यूडब्ल्यू व्यवस्थित तौर पर कोशिश करे तो 5000 के लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि पिछली बकाया राशियों का तुरंत भुगतान किया जाए।

'पत्रिका' हिन्दी भाषी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है; इन क्षेत्रों में जहां सीआइटीयू बढ़ रहा है वहीं सीआइटीयू द्वारा चलाए जाने वाले संघर्षों में कामकाजी महिलाएं भी भाग ले रही हैं। यह पत्रिका अब नियमित तौर पर चार महीने के अंतराल पर प्रकाशित होती है। मगर इसकी बिक्री लगभग 2,000 पर ही रुक गई है। यह बिक्री मुख्य तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों तक सीमित है। जरूरी है कि इसे दूसरे उद्योग–धंधों से जुड़ी महिलाओं के बीच पहुंचाया जाए। इसलिए राज्य सीसीडब्ल्यूडब्ल्यू को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कदम उठाने चाहिएं।

मांगें:

1. भूमण्डलीयकरण की जन विरोधी, श्रमिक विरोधी व महिला विरोधी नीतियों को बदलो।
2. श्रमिकों के हितों के खिलाफ श्रम कानूनों में संशोधन करना बंद करो। हायर एण्ड फायर की नीति पर अमल रोका जाए।
3. नीति के तौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।
4. एनआरईजीए को प्रभावकारी रूप मं लागू करो व इसे पूरे देश के दायरे में लाओ। रोजगार गारंटी एक्ट को शहरी इलाकों में भी लागू करो।
5. बेरोजगारी भत्ता तमाम बेरोजगारों को दो व इसके दायरे में उन श्रमिकों को भी लाओ जो तालाबंदी, छंटनी के कारण बेरोजगार हुए हैं।
6. संसद के शीत कालीन सत्र में असंगठित क्षेत्र के लिए विधेयक लाया जाए। उस विधेयक में सामाजिक सुरक्षा, काम की परिस्थितियों से सम्बन्धित केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सर्वसम्मत सिफारिशों को शामिल किया जाए।
7. खेतिहर श्रमिकों के लिए भी सर्व समावेशी कानून बनाया जाए।
8. सभी कारखानों, उद्योगों, सेज व कॉल सेंटरों इत्यादि में आठ घण्टे का कामकाजी दिवस लागू किया जाए और अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाए।
9. न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करो। न्यूनतम वेतन का निर्धारण करते समय 15 वीं आइएलसी की सिफारिशें व 'रापताकोस बड़े केस–उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी शामिल करो।
10. स्मान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करो। बराबर पारिश्रमिक से सम्बन्धित सलाहकार समिति में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।
11. सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में ट्रेनिंग, नियुक्ति व रिटायरमैंट के दौरान होने वाले भेदभाव को रोका।
12. असंगठित क्षेत्र, घरेलू – उद्योग व कृषि मजदूरों इत्यादि को भी शामिल करते हुए तमाम श्रमिक महिलाओं को प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराओ और गर्भपात की हालत में भी ये सुविधाएं दी जाएं।
13. एकीकृत बाल विकास सेवाओं को सार्वभौमिक बनाओ ताकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खाने, शिक्षा व स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकार सुनिश्चित हों। आंगनवाड़ी केन्द्रों को डे–केयर सेंटर–क्रेच में बदलो ताकि असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं के बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें तथा लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करो।
14. जहां महिलाएं काम करती हैं वहां क्रेच सुविधा उपलब्ध कराओ व छोटे बच्चों को स्तन पान कराने का वक्त भी दो।
15. यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून लाओ।
16. महिलाओं के लिए रात्रि पाली न हो।

कार्य

पूंजीवादी व्यवस्था में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आम जनता के हित में न होकर चन्द अमीर लोगों के लिए होता है। पूंजीवादी व्यवस्था अपने अंदर के संकट से बाहर आने के लिए उसका भार कामगार वर्ग व गरीब तबके पर डाल कर चन्द अमीरों के मुनाफे व सम्पत्ति की रक्षा करती है।

पिछले एक दशक में केन्द्र में एक के बाद एक बनने वाली सरकारें भिन्न–भिन्न नामों से आईं। जिनकी आर्थिक नीतियां एक जैसी ही रहीं। इसके चलते आम जनता इन राजनीतिक पार्टियों से दूर होती चली जा रही है व वैकल्पिक नीतियों को तलाशने लगी है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल जहां वामपंथी शक्तियों द्वारा इन वैकल्पिक नीतियों को पिछले 30 वर्षों से लागू किया जा रहा है, को आज भी जनता के बड़े तबके का समर्थन मिल रहा है। इसके चलते तीसरा मोर्चा जो सीधे तौर पर आम जनता के हित की नीति के लिए व साम्राज्यवाद विरोधी होगा की सम्भावनाएं बढ़ी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लातिनी अमरीका, इराक, ईरान व लेबनान में हुए बदलावों में सीधे तौर

पर अमरीकी सैनिक – साम्राज्यवादी ताकत की सीमाओं को दिखाया व उससे निपटने के लिए राजनीतिक दृढ़ता व आम जनता की लामबंदी को सफलतापूर्वक मजबूत किया है।

मगर, ये व्यवस्था जरूरी नहीं कि हमेशा बनी रहे। मजदूर वर्ग को चाहिए कि वह आम जनता व श्रमिकों के तमाम तबके को संगठित करे। इन नव–उदारवादी – भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ, वहीं साथ–साथ आम जनता की वैकल्पिक नीतियों को भी पेश करे। सिर्फ इसी तरह आम जनता के हित की वैकल्पिक नीति आगे लाई व लागू कराई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रांची में हुए सीआइटीयू जनरल कौंसिल की बैठक ने तय किया कि वो इस दिशा में कामगारों को संगठित करे। और इसमें एआइसीसीडबल्यूडब्ल्यू (सीट्) को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

अपने इस लक्ष्य को सामने रखते हुए जल्द से जल्द अपनी वर्तमान कमजोरियों को पहचानने व निम्नलिखित कार्य कर उनसे बाहर आने की कोशिश करें।

1. राष्ट्रीय स्तर पर सीआइटीयू के केन्द्रीय व राज्य स्तरीय नेतश्त्व को शामिल करते हुए कार्यशाला आयोजित करें तथा सीसीडबल्यूडब्ल्यू विभिन्न स्तरों पर अपनी भूमिका की साफ–समझदारी विकसित करे।
2. तमाम राज्य व जिला स्तर पर जहां भी सम्भव हो सके एआइसीसीडबल्यूडब्ल्यू को बनाएं व सम्बन्धित सीआइटीयू समिति के निर्देश के अन्तर्गत वह प्रभावशाली ढंग से काम करे; इसे भी सुनिश्चित बनाया जाए।
3. सीआइटीयू से सम्बन्धित तमाम यूनियनों में जहां महिलाओं की अच्छी खासी सदस्य संख्या है वहां महिला उप समिति बनाई जाए व राज्य सीसीडबल्यूडब्ल्यू में चर्चा करके उनके कार्य को नियमित करें।
4. कामगार महिलाओं की मांगों को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार करनां सीआइटीयू राज्य समितियों, कामगार महिलाओं की विशेष मांगों को लेकर लोकल, जिला व राज्य स्तर पर उन्हें लामबंद करें।
5. जरूरी कदम उठाकर असंगठित क्षेत्र में घरेलू – उद्योग में महिला श्रमिकों समेत तमाम कामगार महिला तबकों को संगठित करना। उन सेक्टर व क्षेत्र की पहचान करना जहां पर महिला कामगार बड़ी संख्या में लगे हों व सीआइटीयू राज्य समिति इसकी प्राथमिकताओं व लक्ष्यों का निर्धारण करे व योजनाबद्ध तरीके से उन्हें लामबंद करे।
6. सीआइटीयू के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाना।
7. सीआइटीयू व उससे सम्बद्ध यूनियनों के अन्तर्गत जरूरी कदम उठाए ताकि महिला प्रतिनिधि निर्णय लेने वाली समिति में आ सकें।
8. सीआइटीयू की सम्बन्धित समितियों से चर्चा करके कामगार महिलाओं के लिए अलग से नियमित ट्रेड यूनियन क्लासिस लगाना व सुनिश्चित करना कि महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की उपस्थिति लगातार बनी रहे।
9. अपने सम्पर्को का फायदा उठाते हुए महिला श्रमिकों के अन्य तबकों को शिक्षित करना व 'The Voice of Working Women' व हिन्दी भाषी क्षेत्रों में 'पत्रिका' की बिक्री को बढ़ाना।

कामगार महिलाओं के मुद्दों को लेकर बेहतर ढंग से हस्तक्षेप करना तथा सीआइटीयू के अंदर महिलाओं –कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने इत्यादि को लेकर ये कन्वेंशन 12 वें सीआइटीयू महाधिवेशन बंगलौर के सामने निम्नलिखित सिफारिशें पेश करती है:

1. राज्य सीसीडबल्यूडब्ल्यू जहां पर नहीं है, वहां उसका गठन करना व उनका गठन इस प्रकार करना कि सीआइटीयू राज्य समितियों के निदेशों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके।
2. राज्य सीसीडबल्यूडब्ल्यू को सीआइटीयू के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी के अन्तर्गत लाना। जो राज्य केन्द्र से काम करते हैं वे देखें कि राज्य सीसीडबल्यूडब्ल्यू नियमित तौर पर काम करे और समय –अन्तराल के बाद काम को जांचें।
3. होल टाइमर की नियुक्ति, कोशिश की जाए कि महिला होल टाइमर हो, जो कि राज्य – केन्द्र से कामगार महिला के बीच काम करने के लिए जाए। अगर सम्भव न हो तो पुरुष होल टाइमर नियुक्त करें।

4. सीसीडबल्यूडब्ल्यू के विभिन्न स्तरों पर प्रभावकारी ढंग से काम करने के लिए विभिन्न खर्चों को जिसमें यात्रा खर्चा भी शामिल है, को सीआइटीयू व सम्बन्धित उस समिति द्वारा पूरा किया जाए।
5. यौन मुद्दों को आम ट्रेड यूनियन क्लासों में शामिल करो।

मुझे आशा है कि इस कन्वेंशन में हुई चर्चा इस रिपोर्ट में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी व जिससे एकजुट होकर काम करना व महिलाओं की भागीदारी बेहतर ढंग से सुनिश्चित हो पाएगी।

शुभ कामनाओं के साथ

हेमलता
संयोजक

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನ
अखिल भारतीय सम्मेलन
ALL INDIA CONFERENCE
I January 17-21, 2007 I BANGALORE I

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

12वां अधिवेशन

का0 सूर्यनारायण राव नगर

17–21 जनवरी 2007

बंगलौर, कर्नाटक

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के आंठवें सम्मेलन में प्रस्तुत विचार के लिए दस्तावेज

"असंगठित क्षेत्र में महिलाएं"

हमारे देश में कुल कार्यबल 40 करोड़ के आस–पास है। उसमें से करीब 30–40 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र तथा 9.36 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इनमें से 12 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। भारत में कार्यबल को अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं उसके सहायक कार्य), द्वितीय (खान, खदान, दस्तकारी एवं ऊर्जा) और तृतीय (व्यापार एवं सेवाएं)। इन तीनों क्षेत्रों को पुनः दो खण्डों में बांटा गया है–एक संगठित तथा दूसरा असंगठित क्षेत्र। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विनिमयशीलता के लिए संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र के स्थान पर 'नियमित' एवं 'अनियमित' शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शब्द 'असंगठित' श्रम असंगठित क्षेत्र के उद्योगों, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सम्मिलित करता है तथा इसी प्रकार संगठित क्षेत्र के मजदूरों में काश्तकारी तथा सेवा क्षेत्र से जुड़े उन मजदूरों को शामिल किया जाता है जो अभी तक अपनी ट्रेड यूनियन का गठन नहीं कर पाए। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का एक बहुत बड़ा भाग ठेका एवं अस्थायी श्रमिकों का है; इन श्रमिकों की भी यूनियन नहीं होती किन्तु इन श्रमिकों की समस्याएं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से अलग प्रकार की होती हैं।

वर्ष 2004–2005 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश के कुल कार्यबल का करीब 92–93 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र में काम करता है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी 1981 में 9 प्रतिशत से गिरकर 2004 में 7.8 प्रतिशत रह गई थी।

लाखों मजदूर बीड़ी, निर्माण, ईंट भट्ठा उद्योग, होटलों तथा रेस्तराओं, ऑटोमोबाइल्स, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, प्राईवेट स्कूलों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रूप मे काम करते हैं; इसके अलावा घरेलू बाजार, चावल और तेल मिलों, बेकरी तथा पत्थर खदान, दुकानों और दूसरे छोटे संस्थानों में परम्परागत उद्योगों जैसे मछली पालन, जूट, काजू, शराब बनाने, छोटे विक्रेताओं के तौर पर काम करते हैं। इसका बहुत बड़ा अनुपात कामकाजी महिलाओं का है। इन मजदूरों को अधिकतर ठेकों पर, सामायिक, दैनिक वेतन, अंशकालिक, अथवा उजरत दर पर काम मिलता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण – 1999–2000 के अनुसार कुल 39.7 करोड़ मजदूरों में से केवल 2.8 करोड़ मजदूर 'संगठित क्षेत्र' में काम करते हैं और 36.9 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। श्रम मंत्रालय की 2004–2005 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कुल मजदूरों में से 23.7 करोड़ मजदूर कृषि, 4.1 करोड़ मजदूर कृषि उत्पादन से जुड़े दूसरे कार्यों, 3.7 करोड़ व्यापार

तथा परिवहन में, 3.7 करोड़ संचार एवं सेवा क्षेत्र में और 1.7 करोड़ मजदूर निर्माण क्षेत्र के काम–धंधों में मेहनत मजदूरी करते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या का 20.2 प्रतिशत भाग कामकाजी महिलाओं का है। इन कामकाजी महिलाओं में से 7.5 करोड़ अथवा 96 प्रतिशत है।

सकल घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र की भागीदारी का अनुमान करीब 63 प्रतिशत है। इसमें से 47 प्रतिशत मूल्य गैर कृषि क्षेत्र में जोड़ा गया तथा 35 प्रतिशत मूल्य शहरी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की कार्य विधियों में जोड़ा गया जो कृषि तथा निर्माण एवं व्यापार के क्षेत्र से भी ऊंचा है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पहचान उनकी कामकाजी स्थिति, साधारण रोजगार नियमों के अभाव, रोजगार के उचित अवसरों के अभाव, श्रम कानूनों के तहत हासिल सेवा लाभ नहीं मिलने, किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का अभाव और नियमित रूप से इस क्षेत्र में मालिक एवं मजदूर के सम्बन्धों का दिखाई न देना इत्यादि से की जा सकती है।

असंगठित क्षेत्र में रोजगार सम्बन्धों को मोटे तौर पर इस तरह विभाजित किया जा सकता हैः

क) प्रत्यक्ष रोजगार सम्बन्ध जैसे ईंट भट्ठा, दुकानों, शो–रूम, वन प्रत्यारोपण, सुरक्षा इत्यादि । ये क्षेत्र कुछ सीमा तक श्रम कानूनों के अन्तर्गत आते हैं किन्तु अधिकतर ये संस्थान 10 से कम मजदूरों को काम पर लगा कर इन कानूनों को लागू करने से बच जाते हैं।
ख) एक से अधिक सेवायोजक जैसे बाजार में बोझा उठाने, बोझा उतारने वाले मजदूर, रेलवे स्टेशन या परिवहन कम्पनी में सामान उठाने वाले मजदूर, माल की ढुलाई करने वाले, निर्माण व घरेलू मजदूर इत्यादि।
ग) घर आधारित काम धंधों ;भ्वउम इंेमकद्ध में लगे मजदूर जो बिचौलियों के माध्यम से कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं तथा उजरत दर के आधार पर वेतन पाते हैं। यहां मालिक मजदूर सम्बन्ध नजर नहीं आता बल्कि कभी–कभी पूरा आदान–प्रदान केवल कच्चा माल बेचने तथा बना माल खरीदने तक प्रतीत होता है।
घ) स्वतंत्र उत्पादक जो अपना माल या सेवाएं किसी एक व्यापारी या व्यापारी दल को या फिर बाजार में खुद जाकर सप्लाई करते हैं।
ङ) स्वः रोजगार प्राप्त मजदूर, असंगठित क्षेत्र के गैर कृषि रोजगार में 59 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार स्वः रोजगार प्राप्त मजदूर विभिन्न व्यवसायों जैसे छोटे कारखानों, परिवहन कम्पनियों, विपणन इत्यादि में किसी एक नियोक्ता या सेवायोजक से जुड़े होते हैं। परन्तु रोजगार सम्बन्ध ठेकेदारी तथा व्यावसायिक ठेकों के कारण छिपे रहते हैं।

पूर्ण स्वः रोजगार प्राप्त मजदूरों की स्थिति, समस्याएं तथा मांगों का अध्ययन करने पर पता चल जाता है कि उनकी असल स्थिति और जो स्थिति दिखाई देती है, उन दोनों में काफी अंतर है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

1991 के बाद बनने वाली सरकारों की ओर से नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के कारण असंगठित क्षेत्र का और अधिक विस्तार हुआ है। यहां तक कि संगठित क्षेत्र में भी ठेके पर मजदूरों और अंशकालिक मजदूरों की संख्या बढ़ी है। ये मजदूर अधिकतर यूनियन विहीन होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक व्यवसायों में बहुत–से पूर्ण कालिक अथवा नियंत्रित मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा कर उनके स्थान पर संविदा श्रमिकों अथवा ठेका मजदूरों को काम पर रख लिया गया है। निजी कम्पनियों की अनेक इकाईयों में 90 प्रतिशत से अधिक मजदूरों की नियुक्ति ठेके के आधार पर हुई है। पहले बाहरी स्त्रोत से बढ़ने वाले काम और दूसरे काम स्थायी एवं नियमित मजदूरों की ओर से किए जाते थे पर अब उन्हीं कम्पनियों या उनसे छोटे निकायों में वहीं काम ठेका अथवा अंशकालिक मजदूरों से लिए जाते हैं।

केन्द्र में बनने वाली सरकारों की नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप घरेलू कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बड़े राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय निगम भी अपने एजेंटों, बिचौलियों, ठेकेदारों तथा उप–ठेकेदारों के माध्यम से इन घरेलू कामगारों से काम ले रहे हैं। बीड़ी, पापड़ इत्यादि के अतिरिक्त कपड़े, लेस, जूते, इलेक्ट्रानिक्स एवं बिजली का सामान, खेल का सामान, देश के विभिन्न इलाकों में इन्हीं घरेलू कामगारों द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार के कामों में लाखों की संख्या में महिलाएं लगी हुई हैं।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर कामगार किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं। मालिक लोग उनका कई तरह से शोषण करते हैं। उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता और न ही न्यूनतम वेतन जिनका निर्धारण कई राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, उन्हें नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती और भविष्य निधि, ईएसआइ, प्रसूति–मातृत्व लाभ इत्यादि सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं दिए जाते। ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होने और यदि ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल होने वाले मजदूर को मालिक देख ले तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों ने विषम दुष्प्रभाव डाला है। नौकरी छूट जाने के भय ने चाहे उन्हें कितना भी कम वेतन क्यों न मिले, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के काम को और अधिक मुशकिल कर दिया है।

सीआइटीयू का मुख्य उद्देश्य पूरे मजदूर वर्ग को समाज में व्याप्त सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट करना है। सीआइटीयू का संविधान कहता है कि ''सीआइटीयू का यह विश्वास है कि मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्ति तभी मिल सकती है जब उत्पादन, वितरण तथा विनिमय के सभी साधनों का समाजीकरण हो तथा समाजवादी समाज का निर्माण हो'' समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाते हुए सीआइटीयू समाज को सभी प्रकार के शोषण से पूर्ण मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे मजदूर वर्ग को संगठित करना तभी सम्भव होगा जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा कामकाजी महिलाओं को व्यापक स्तर पर संगठित करके उन्हें श्रमिक आंदोलन की मुख्यधारा में लाया जाएगा। इसलिए सीआइटीयू ने महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा असंगठित क्षेत्र समन्वय समिति का गठन किया है ताकि इन दोनों ही क्षेत्रों में सीआइटीयू अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर सके। जहां तक कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने, इस क्षेत्र की समस्याओं, सम्भावनाओं तथा संगठनात्मक लक्ष्यों का प्रश्न है, इस बात की आवश्यकता है कि सीआइटीयू की बैठकों जैसे जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हो। साधारणतया जिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के लिए निरंतर प्रयास हुए हैं वहं से अच्छी प्रतिक्रियाएं उभर कर आई हैं। हाल ही में सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बढ़ोतरी हुई है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सदस्य संख्या करीब 60 प्रतिशत है तथा कई राज्यों में 70–80 प्रतिशत तक है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक है इसलिए सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या में उसी अनुपात से महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

जैसाकि पहले बताया गया है कि 96 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं तथा करीब 7.5 करोड़ कामकाजी महिलाएं पूरे असंगठित क्षेत्र के 20.2 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः समन्वय समिति एवं सीआइटीयू के लिए आवश्यक है कि इन्हें संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीआइटीयू की महिला कार्यकर्ताओं के लिए उन तक पहुंचना, उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें संगठन बनाने के लाभ समझा कर अपने साथ सहमत करना सीआइटीयू के पुरुष कार्यकर्ताओं के विपरीत अधिक आसान होगा। पूरे देश में प्रचलित सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को संगठित करने की पहल करनी चाहिए। इस प्रकार के कुछ प्रयासों पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में बीड़ी कामगारों, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों, काफी कामगारों तथा घरेलू कामगारों को संगठित करने पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

भूमण्डलीयकरण का प्रभाव

विश्व बैक द्वारा प्रचारित कुशल प्रबन्धन की विधि जो कि प्रबन्धकों ने बड़ी विश्वसनीयता के साथ लागू की हैं कि नियमित कामगारों के कम से कम तथा जितना अधिक से अधिक सम्भव हो अनियमित कामगारों से काम लिया जाएं जिससे उनके प्रति प्रबन्धकों का कोई दायित्व या प्रतिबद्धता न हो, इस नीति के तहत बहुत से बड़े उद्योग जैसे कपड़ा जूते, बिजली, इत्यादि में बाहरी स्रोत जैसे छोटे व्यापारिक केन्द्रों ठेकेदारों द्वारा या ठेके पर कामगारों से काम कराते हैं। असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में इन कामगारों का यहां तक कि संगठित क्षेत्र के उद्योगों में अनियमित तथा ठेका मजदूरों, घरेलू कामगारों, कामगारों सर्विस क्षेत्र में इन मजदूरों का विश्व के सभी देशों में बड़ी तेजी के साथ पूर्व विस्तार हो रहा है। विशेषतः उन देशों में जो विश्व बैंक द्वारा लागू उदारवादी तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों को अपना रहे है।

उदारीकरण के उदय के साथ ही सरकार ने इन हजारों वस्तुओं जिनका उत्पादन हमारे अपने देश के छोटे उद्योगों द्वारा किया जाता था, के मुक्त आयात की अनुमति दे दी गई, इसी तरह बड़े पूंजीपतियों को उन वस्तुओं के उत्पादन की छूट दे दी गई जो पहले छोटे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित थे। इसके परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में हजारों की संख्या में छोटे उद्योग बन्द हो गये तथा लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये। वे फिर असंगठित क्षेत्र में विभिन्न अन्य कार्यों में प्रवेश करने लगे।

सार्वजनिक तथा निजी व्यवसायिक संस्थानों का स्तर कम होने परिणामस्वरूप लाखों की संख्या में उद्योग बन्द हो रहे हैं।प्रतिबद्धता का मुकाबला करने के लिए व्यवसयों द्वारा उत्पादन की कीमतों में भारी कमी करने के जो पैमाने अपनाए जा रहे हैं उससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है।

प्रौद्योगिकी ने काम को कई छोटे–छोटे भागों में बांट दिया है; इन्हें अलग– अलग स्थानों पर कराया जाता है किन्तु उनकी असेंबलिंग अर्थात् उन्हें जोड़ने का काम किसी और स्थान पर किया जाता है। यह प्रक्रिया मजदूरों को एक दूसरे से अलग करती है। कुशल काम की आवश्यकता धीरे–धीरे कम हो रही है। सारे काम सामान्य प्रक्रिया में हो जाते हैं और अनियमित कामगारों द्वारा भी ये काम किये जा सकते हैं। इससे मालिकों में नियमित कर्मचारियों को हटाने तथा अकुशल कामगारों जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं, की नियुक्ति की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।

उदारीकरण की नीतियों ने असंगठित क्षेत्र के उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदील करने की प्रक्रिया पर काफी दबाव डाला है। कृषि क्षेत्र में उपजे संकट से किसान अपनी भूमि से वंचित हो रहे है। खेत मजदूरों को साल में 60 दिनों से ज्यादा काम उपलब्ध नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का अभाव होने के कारण मजदूरों के गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर प्रवास करने के रुझान को बल मिला है। कामगबंदी, तालाबंदी तथा छंटनी के कारण काम से वंचित होने वाले मजदूर भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सेना में शामिल होते चले जा रहे हैं जैसे छोटे व्यापारी, विक्रेता, रिक्शा चालक, आटोरिक्शा चालक इत्यादि। असंगठित क्षेत्र बड़ी तादाद में अन्तर्राज्यीय और सीमा पार करके देश में दाखिल होने वाले मजदूरों की विशाल श्रेणियों को भी अपनी पंक्तियों में समा लेता है। विशेष तौर पर ईंट भट्ठा, मछली पालन, घरेलू काम धंधे, निर्माण, पण विद्युत परियोजनाओं, सड़क निर्माण इत्यादि उद्योग धंधों में इन श्रमिकों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है।

इस क्षेत्र के कई उद्योगों कपड़ा, बीड़ी, सूती, हौजरी, जूट, कालीन इत्यादि पर कराए गए अध्ययनों से यह तथ्य उजागर हुआ है कि भले ही यह असंगठित क्षेत्र हो, परन्तु उसमें लगाई गई पूंजी असंगठित नहीं है। उत्पादन यद्यपि अलग–अलग स्थानों पर होता है परन्तु इसकी उत्पादन प्रक्रिया भीतरी तौर पर पूर्णतया संगठित है। यह उत्पादन संगठित पूंजी से ही हो रहा है। अतः बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर स्थानीय ठेकेदारों तक अर्थात् प्रत्येक स्तर पर सेवायोजक मजदूरों का घोर शोषण कर रहे हैं।

श्रम की बनावट

असंगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति का गठन और उनके रोजगारों की प्रकृति में उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों के कारण काफी बदलाव आया है। तकनीकी रूप से कुशल तथा शिक्षित मजदूर भी उजरत दर तथा ठेके पर काम कर रहे हैं। सूचना प्रोद्योगिकी के विकास ने कुछ कार्यों जैसे लेखा वक्तव्य तैयार करना, डैटा फीडिंग, चिकित्सा प्रतिलेखन (medical transcription) ग्राहकों की शिकायतें सुनना तथा सूचना देना इत्यादि काम अनुबंध के आधार पर उजरत दर पर कराए जा सकते हैं जैसाकि काल सेंटर में होता है। काल सेन्टर में काम करने वाले कर्मचारी असंगठित क्षेत्र के साधारण अकुशल मजदूरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा वेतन पाते हैं। तथाकथित ज्ञान मजदूरों (knowledge workers) का भी बहुत शोषण होता है; उन्हें रोजगार सुरक्षा हासिल नहीं होती और न ही सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाते हैं। सेवायोजक उनकी सेवाओं से बहुत लाभ कमाते हैं। ये सभी श्रेणियां ट्रेड यूनियन आंदोलन से पूरी तरह बाहर हैं।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बहुत बड़ा अनुपात समाज के शोषित एवं सामाजिक स्तर पर उत्पीड़ित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ी जाती से संबंधित है जो दोनों प्रकार के पूजीवादी शोषण तथा सामाजिक उत्पीड़न का शिकार है। इन्हें संगठित के लिए योजना बनाते समय और इनकी मांगों के लिए संघर्ष एवं अभियान चलाने के समय हमें इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

मजदूरों की बद से बदतर होती चली जा रही हालत

असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की भरमार और काम पाने की होड़ तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पहले से ही खराब स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है।

असंगठित क्षेत्र में चलने अनेक उद्योगों को न्यूनतम वेतन लागू करने वाले उद्योगों की श्रेणी में ही शामिल नहीं किया गया। 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित नियमों और बाद में उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले के अनुसार सरकारों द्वारा न्यूनतम वेतनों का निर्धारण करते समय आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन लागू करने के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया गया। इसके विपरीत जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किए गए हैं, वे अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे वाले वेतन हैं। करीब 90 प्रतिशत मामलों में न्यूनतम वेतन नहीं लागू होता है। न्यूनतम वेतनों की अधिसूचना जारी होती है तो सेवायोजक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा देते हैं और वहां से स्थगन आदेश ले आते हैं; इस तरह यह मामला सालों तक लटका रहता है।

बन्धुआ मजदूरों की हालत भी अनेक क्षेत्रों में कुछ इसी तरह की है। कुछ राज्यों में मजदूरों को हलफनामें पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है चाहे उन्होंने सेवायोजक से पैसे उधार लिये हों या नहीं। आगे चल कर सेवायोजक जबरदस्ती लिए गए हलफनामें का उस समय अनुचित लाभ उठाते हैं जब मजदूर उनसे अधिक वेतन और दूसरे सेवा लाभ देने की मांग करते हैं अथवा कहीं बेहतर जीवन जीने के लिए कहीं और चले जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। असल बात तो यह है कि मजदूरों को वेतन के रूप में कम पैसे दिए जाते हैं किन्तु लिखित में अधिक राशि भर दी जाती है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को न काम की सुरक्षा हासिल होती है और न ही सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। ज्यादातर श्रमिकों को काम छूट जाने का भय सताता रहता है। उन्हें नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची तथा पहचान पत्र इत्यादि नहीं दिए जाते। उन्हें महगांई भत्ता नहीं मिलता और यदि उनके संस्थान या औद्योगिक इकाई में कानूनी तौर पर महंगाई भत्ता लागू है तो भी उन्हें इससे वंचित रखा जाता है। भविष्य निधि, ईएसआइ जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ उन्हें दिए नहीं जाते। 350 करोड़ की इस विशाल श्रमशक्ति (संगठित

और असंगठित दोनों क्षेत्रों में) में से केवल 22 करोड़ श्रमिों के लिए भविष्य निधि लागू की गई है; 9 करोड़ मजदूरों को ईएसआइ के अन्तर्गत लाया गया है; 4/5 करोड़ मजदूरों को श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति योजना तथा 50 लाख कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ कानून के अन्तर्गत लाया गया है।

कामकाजी महिलाओं को समान काम के लिए पुरूषों के वेतन के समान वेतन नहीं दिया जाता। प्रसूति लाभ लागू नहीं किए जाते और शिशु पलना गश्ह का कहीं नाम निशान देखने को नहीं मिलता। यूपीए सरकार पात्र आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं का सार्वभौमिकीकरण करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। ट्रेड यूनियनों ने आंगनवाड़ी केन्द्रों को दिन के समय शिशुओं की देखभाल करने वाले केन्द्रों के रूप में बदल देने की मांग की है ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं को पूरे दिन के लिए शिशुओं की देखभाल की सुविधा हासिल हो सके, पर सरकार यूनियनों की इस मांग को अनसुना कर रही है।

समेकित बाल विकास सेवाओं को शुरू हुए 30 वर्ष बीत चुके हैं किन्तु आज भी 15 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रूप में काम करने वाली महिलाओं की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया; उन्हें न्यूनतम वेतन मिलें तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभ हासिल हों, इसे भी सुनिश्चित नहीं किया गया। सेवायोजकों, ठेकेदारों और 'मिस्तरियों' की ओर से कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण भयानक सीमा तक किया जाता है। बच्चों को प्रशिक्षु के नाम पर काम पर रख लिया जाता है; उन्हें बहुत थोड़े पैसे दिए जाते हैं और कई हालतों में कुछ नहीं दिया जाता।

श्रम विभाग ने इस मामले में अपनी आंखें बंद कर रखी हैं; असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा करने तथा सुरक्षा कानूनों को कठोरता से लागू करने के मामले में वह पूरी लापरवाही दिखा रहा है। इसके विपरीत वह मालिकों अथवा सेवायोजकों के साथ मिल कर मजदूरों के हितों के खिलाफ काम करता है और मालिकों के हितों की रक्षा करने के मामले में उनके साथ सहयोग करता है।

सेवायोजक द्वारा इन श्रमिकों का भयंकर शोषण किया जाता है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के ये मजदूर अपने आवासीय क्षेत्रों में बहुत शोचनीय स्थितियों में रहते है; बहुसंख्य मजदूरों के पास रहने के योग्य घर नहीं होते और वे गन्दी बस्तियों में रहते हैं जहां सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होती और न ही उन्हें साफ पीने का पानी मिलता है। उनके पास राशन कार्ड नहीं होते। अनेक श्रमिकों को बी पी एल कार्ड नहीं दिये जाते क्योंकि केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए 'लक्ष्य' निर्धारित करने के नाम पर जो कसौटी रखी है, वह बहुत अव्यावहारिक और काल्पनिक है। इसके कारण अनेक लोग जो वास्तव में गरीब होते हैं, ये कार्ड प्राप्त नहीं कर पाते। नागरिकों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के अपने दायित्व से सरकार के पीछे हट जाने और इन सेवाओं का निजीकरण किए जाने के कारण असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लेने और काम पर भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह भी पता चला है कि ये लोग अपनी अल्प आय का बड़ा भाग स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं। वे निजी सूद खोरों के कर्ज जाल में फंस जाते हैं और जीवन भर इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते।

चुनौतीपूर्ण कार्य एवं हमारी गतिविधियां

पिछले डेढ़ दशक से भी अधिक समय से सीआइटीयू अपना ध्यान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने पर दे रहा है। कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सगठित करने में पहलकदमी करके इन प्रयासों में अपना योगदान दे रही है। एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा इस तरह आल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स अस्तित्व में आया। कुछ वर्षों में ही इसका विस्तार पूरे देश में हो गया और यह देश में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अग्रिम पंक्तियों में खड़ा होकर लड़ने वाले संगठन के तौर पर विकसित हो गया है। इसी तरह बीड़ी मजदूर, निर्माण मजदूरों इत्यादि की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी–अपनी यूनियन है। ईंट भट्ठा मजदूरों, घरेलू काम धंधों में लगे मजदूरों, दर्जी का काम करने वाले श्रमिकों, कॉयर, काजू, हैंडलूम श्रमिकों इत्यादि की यूनियनें कुछेक राज्यों में बहुत मजबूत और सक्रिय हैं।

हमने इस दिशा में दढ़तापूर्वक और लगातार प्रयास किए हैं; इन प्रयासों के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में हमारे काम में निश्चित रूप से सुधार आया है। हमने उनकी समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्रवाईयां की हैं जैसे उनकी समस्याओं के बारे में सर्वेक्षण करना, जत्था मार्च, रैलियां निकालना, धरने देना, घेराव करना, जेल भरो–विधान सभा चलो कार्यक्रम चलाना, हड़ताल करना इत्यादि। इस तरह की कार्रवाईयां आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में की जा चुकी हैं। ईंट भट्ठा, हैंडलूम, पावरलूम, कांच की चूड़ियां, कालीन, आंगनवाड़ी, बीड़ी, चावल मिलों इत्यादि में काम करने वाले श्रमिकों, बोझा ढोने वाले मजदूरों, ठेका मजदूरों निर्माण श्रमिकों, पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों इत्यादि ने इन अभियानों तथा संघर्षों में हिस्सा लिया है। कई राज्यों में हमारे कार्यकर्ता तथा नेता सेवायोजकों द्वारा की गई प्रतिशोध की कार्रवाईयों तथा पुलिस दमन का शिकार हुए हैं: उन्हें गिरतार तक किया गया और जेलों में रखा गया। इन सभी क्षेत्रों तथा राज्यों में कामकाजी महिलाओं ने बड़ी तादाद में इन आंदोलनों में हिस्सा लिया। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, जैसे कुछ राज्यों में असंगठित क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के मजदूरों ने खेतिहर श्रमिकों के साथ मिलकर आंदोलन किये हैं।

निर्माण क्षेत्र में सीआइटीयू ने स्वतंत्र रूप से लगातार और दूसरी यूनियनों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से अभियान चलाए हैं; इन अभियानों का अच्छा असर हुआ है। इन्हीं अभियानों के फलस्वरूप निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 पारित हुआ और कुछ राज्यों में विशेष कल्याणकारी योजनाएं लागू कराई जा सकीं थीं। सीआइटीयू के नेतश्त्व में किये गये संघर्षों के परिणामस्वरूप केरल में असंगठित क्षेत्र की कई इकाईयों में कल्याणकारी बोर्डों की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग–से भविष्य निधि योजना तैयार की गई है। तमिलनाडु में भी सीआइटीयू के दबाव में राज्य सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कल्याणकारी निकायों की स्थापना की गई है। इन निकायों को सक्रिय बनाने के लिए भी आंदोलन करने पड़े हैं। कई राज्यों में सीआइटीयू की राज्य समितियों ने राज्य सरकारों पर दबाव डाल कर असंगठित क्षैत्र के विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू न्यूनतम वेतन की अधिसूचना जारी कराने और उनमें संशोधन कराने में सफलता हासिल की है। कई राज्यों में सीआइटीयू द्वारा समर्थित बीड़ी मजदूर यूनियनों ने पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए तथा बीड़ी मजदूर कल्याणकारी फण्ड एक्ट को लागू कराने के लिए आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र में शोलापुर में सीआइटीयू की ओर से निरंतर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप बीड़ी मजदूरों के लिए दस हजार घर बनाए जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने लगातार संघर्ष करके अनेक राज्य सरकारों को अपने पारिश्रमिक में उचित बढ़ोतरी करने पर मजबूर किया है; उन्होंने अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक भी प्राप्त किया है; उन्होंने कुछ राज्यों में भविष्य निधि, त्योहार भत्ता, पेशगी तथा अन्य कल्याणकारी सेवा लाभ हासिल करने में भी सफलता प्राप्त की है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मांगों को लगातार उठाने और उनके लिए संघर्ष एवं आंदोलन चलाने पर अनेक राज्यों में राज्य के प्रशासकीय तंत्र के साथ टकराना पड़ता है; यह एक जमीन हकीकत है; किन्तु पिछले

कुछ वर्षों का अनुभव यह दर्शाता है कि मजदूरों तथा यहां तक कि कामकाजी महिलाओं द्वारा दिखाई गई दृढ़ता और जूझारूपन साहसिक एवं वीरतापूर्ण रहा है।

पर असंगठित क्षेत्र के बड़े आकार के मुकाबले हमारी ताकत समुद्र में एक बूंद के समान है। यद्यपि सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या और गतिविधियों में असंगठित क्षेत्र मजदूरों का अनुपात पहले से बढ़ा है; इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं तथापि इस क्षेत्र के मजदूरों की विशाल संख्या और इसमें चलने वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगों को देखते हुए इस क्षेत्र में हमारी ताकत एक तरह से नगण्य है।

असंगठित क्षेत्र के 13 करोड़ से अधिक मजदूर काम करते हैं। इनमें में खेतिहर श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को शामिल नहीं किया गया। इसमें सीआइटीयू की सदस्यता केवल 20 लाख के करीब है। हमारी यह सदस्य संख्या भी बीड़ी आगनवाड़ी, बागवानी, निजी परिवहन, निजी और कुछ अन्य व्यवसायों तक ही सीमित है। इन क्षेत्रों में भी हमारी सदस्य संख्या इस क्षेत्र के मजदूरों की विशाल संख्या का एक छोटा–सा भाग है। कई राज्यों में श्रमिक वर्ग की संगठित श्रेणियों की तुलना में हमने असंगठित क्षेत्र में अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। गैर कृषि ग्रामीण श्रमिकों में हमारी उपस्थिति बेहद कम (2.5 लाख) है जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग इन्ही मजदूरों का है।

शहरी अर्थव्यवस्था के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में असंगठित क्षेत्र का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है। इसके साथ ही संगठित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार तेजी से कम हुआ है। इस क्षेत्र में सीआइटीयू यूनियनों की उपस्थिति न के बराबर है। यही स्थिति बाजार के विभिन्न स्थानों पर बोझा ढोने वाले मजदूरों के बीच बनी हुई है। गांवों से शहरों की ओर श्रमिकों के बढ़ते पलायन के कारण इन मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। असंगठित क्षेत्र के परिवहन सेक्टर में भी हमारी उपस्थिति अधिक नहीं है। निर्माण का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपार सम्भावनाएं पाई जाती हैं, किन्तु हम इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं कर सके और हमारी सदस्य संख्या लगभग 3.8 लाख ही है। यद्यपि दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठन भी श्रमिकों की इन श्रेणियों के बीच काम कर रहे हैं इस पर भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या किसी भी तरह श्रमिक आंदोलन से नहीं जुड़ी।

कुछ विशेष उद्योगों–विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के, में कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी संख्या काम करती है; उनमें हमारे काम में प्रगति हुई है और उनके अखिल भारतीय महासंघों का गठन करने के चरण से आगे बढ़े हैं; हम पिछले कुछ समय से उनमें काम कर रहे हैं जैसा कि आंगनवाड़ी, बीड़ी, निर्माण और बागवानी इत्यादि। यदि सीआइटीयू की सम्बन्धित राज्य समितियों के निदेशानुसार राज्यों की समन्वय समितियां इन फैडरेशनों अथवा महासंघों में सुनियोजित ढंग से काम करें तो हमारे महासंघों में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या बढ़ने की सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं।

उदाहरण के लिए बीड़ी उद्योग को ही लें। इस उद्योग में हमारा काम बेहतर ढंग से संगठित है। पर इस पर भी पूरे देश के 50 लाख मजदूरों में से हमारी सदस्य संख्या लगभग 3 लाख है। 24 में से 11 राज्यों में हमारी सदस्य संख्या बिल्कुल नहीं है। यह स्थिति उन राज्यों की भी है जहां हम मजबूत हैं। उन राज्यों में हमारी सदस्य संख्या बीड़ी मजदूरों की कुल संख्या का मात्र 15 प्रतिशत से भी कम है।

इसी प्रकार आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल 14–15 लाख कर्मचारियों में से हमारी सदस्य संख्या केवल 2.5 लाख है। यद्यपि पांडिचेरि तथा त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों जहां आंगनवाड़ी कर्मचारी की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, में हम 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को सदस्य बनाने में सफल रहे हैं। अनेक दूसरे राज्यों जहां कोई दूसरी यूनियन नहीं है, में हमारी सदस्य संख्या कर्मचारियों की कुल संख्या के 40–45 प्रतिशत भाग तक भी नहीं पहुंची है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों जहां केवल 1–2 लाख के करीब आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, में इत्यादि

हमारी ताकत बहुत न्यूनतम या बिल्कुल न के बराबर है। अखिल भारतीय स्तर पर यह 18 प्रतिशत के करीब है।

अन्य उद्योगों जैसे ईंट भट्ठा, कालीन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली इकाईयों, कॉच की चूड़ियां, माचिस उद्योग, पटाखा उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण, चमड़े का काम इत्यादि में हमारी सांगठनिक स्थिति अब भी बदतर बनी हुई है। आम तौर पर कार्यकर्ताओं और संघर्ष के कार्यक्रमों का अभाव होना इसके प्रमुख कारण हैं। फिर भी कुछ राज्यों में कुछ यूनियनों में स्थानीय स्तर का नेतश्त्व अपनी शुरूआती कार्रवाईयों से संतुष्ट होकर बैठा है। पूरी श्रम शक्ति को संगठन के झण्डे तले लाने और संगठन का प्रसार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

राज्य समन्वय समितियां इन क्षेत्रों में यूनियन बनाने तथा उसे विकसित करने के काम में सहायता कर सकती हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर मजदूर कामकाजी महिलाएं हैं। यह काम सीआइटीयू की सम्बन्धित राज्य समिति में पूरी तरह विचार विमर्श किए जाने के बाद उसके मार्ग दर्शन में होना चाहिए। परन्तु राज्य समन्वय समितियों के लिए जरूरी हो जाता है कि वे उन क्षेत्रों का पहचान करें जहां काफी बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं; वे काम की प्राथमिकताओं पर विचार करें; काम की योजना तैयार करें तथा अंतिम निर्णय के लिए उसे सीआइटीयू की सम्बन्धित राज्य समिति के आगे पेश करें। समन्वय समितियों की ओर से इस तरह की पहलकदमियां किए जाने से निश्चित तौर पर सीआइटीयू में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या और भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

अखिल भारतीय असंगठित क्षेत्र समन्वय समिति ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मांगों को लेकर फिरोजाबाद में आयोजित अपने दूसरे सम्मेलन में एक मांग पत्र पारित किया था और इसके लिए सभी राज्यों में अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस अभियान में विशेष तौर पर न्यूनतम वेतन, समान वेतन और खेतिहर श्रमिकों के लिए सर्व समावेशी कानून लाने के साथ–साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी अलग–से सर्व समावेशी कानून बनाने जैसी मांगों पर विशेष तौर पर जोर देने का फैसला किया गया था। इस अभियान में कामकाजी महिलाओं की व्यापक भागीदारी हो इसके लिए राज्यों की समन्वय समितियों को विस्तश्त योजना बनानी चाहिए।

असंगठित क्षेत्र मजदूरों विशेष तौर पर कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के काम में आपके प्रभावशाली योगदान के लिए निम्नलिखित कार्य करने के सुझाव दिए जाते हैं:

1) उन क्षेत्रों एवं कारोबार की पहचान करना जहां कामकाजी महिलाएं ज्यादा संख्या में काम करती हैं; उनकी समस्याओं एवं मांगों का अध्ययन करना; सीआइटीयू की सम्बन्धित राज्य समितियों के साथ विचार विमर्श करके इन क्षेत्रों एवं कारोबारों में काम को प्रमुखता देना।
2) समुचित योजना बना कर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं कारोबारों में काम पर ध्यान केन्द्रित करना।
3) अपने काम की नियमित तौर पर समीक्षा करना। सीआइटीयू की राज्य समितियों की ओर से इसकी समीक्षा की जाए, इसे सुनिश्चित बनाना। राज्य समितियां तथा यूनियन सरकार द्वारा प्रदान किये गये कल्याणकारी प्रावधान को असंगठित क्षेत्र मजदूरों को संगठित करने में इस्तेमाल करे। यह सीआइटीयू केन्द्र के लिए उपयुक्त होगा कि विभिन्न राज्य सरकारें तथा यूनियन सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी सुविधाओं से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराएं। इन्हें सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों में वितरित करें जिसे असंगठित क्षेत्र मजदूर को संगठित करने में प्रयोग किया जा सके।
4) ऊपर दिए गए कामों पर तथा कैसे कल्याणकारी सुविधाओं को इस्तेमाल।
5) विभिन्न राज्यों द्वारा किया जाए पर एक राष्ट्रीय वर्कशाप लाभदायक होगी।काम पर नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर पुर्नविचार किया जाए तथा यह सुनिश्चित करे कि सीआइटीयू की राज्य समिति में इस पर पुनः विचार किया गया है।

.....

READ & SUBSCRIBE TO

THE WORKING CLASS

(English Monthly)
Single Copy : Rs. 4, Annual Subscription Rs.40

CITU MAZDOOR

(Hindi Monthly)
Single Copy: Rs.4, Annual Subscription Rs.40

THE VOICE OF THE WORKING WOMAN

(English Monthly)

Contact

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

B.T. Ranadive Bhavan
13A, Rouse Avenue, NEW DELHI - 110 002

CLASS STRUGGLE
YOUR STRUGGLE
CITU

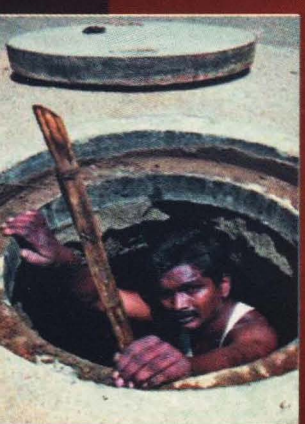

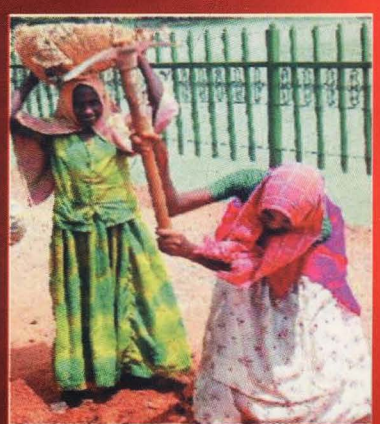

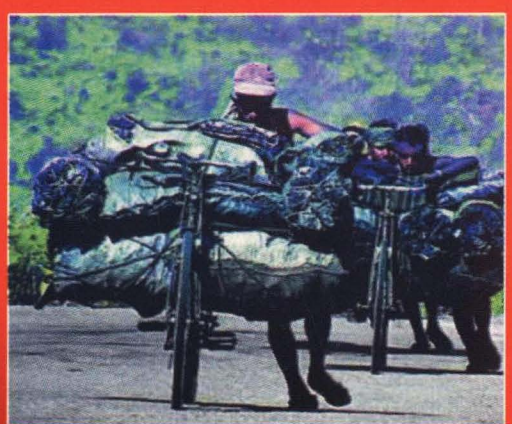

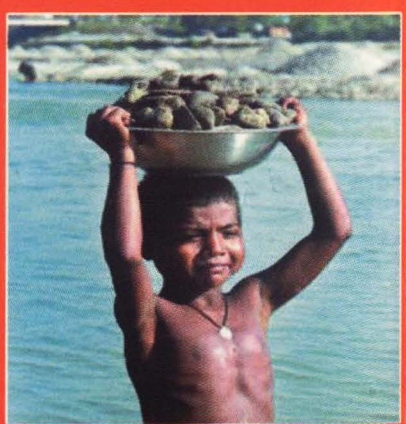

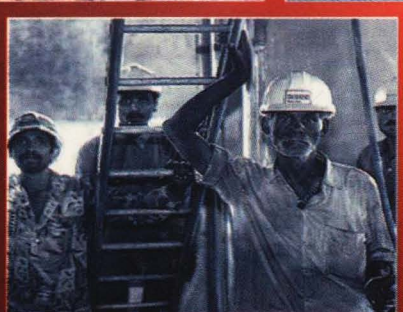

MASS RELAY HUNGER STRIKE